(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 26वां दिवस [संख्या 10

मंगलवार,

दिनांक 29 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल अजमेर का पुनर्गठन

150. श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने व पाठ्यक्रम निर्धारित करने के संबंध में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अजमेर के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या ऐसी स्थिति में सरकार वर्तमान मंडल के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के स्थान पर नया मंडल गठित करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) सामान्यतः पुस्तकों का, विलम्ब से प्रकाशन, प्रश्न पत्रों में कमियां, परीक्षकों की नियुक्ति आदि से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाती है। पाठ्यक्रम निर्धारित करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(2) राज्य सरकार समस्त स्थिति का अध्ययन कर उचित समय पर निर्णय लेगी।

वर्तमान अध्यक्ष का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है तथा विधिवत् नए अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सैकण्डरी स्कूल के पाठ्यक्रम में जो इन्दिरा गांधी संबंधी पाठ है उसको निकाला गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह : पाठ्यक्रम निर्धारित करने में जो शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं उनमें क्या यह भी शिकायत की गई है कि इन्दिरा गांधी संबंधी पाठ सैकण्डरी पाठ्यक्रम से निकाला गया है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यदि ऐसी कोई बात है तो उसको देख लिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह : मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो बोर्ड के अध्यक्ष थे भाटवडेकर उनकी नियुक्ति कानून के अनुसार की गई या कानून

(श्री गोविन्दसिंह)

को बलाए ताक रख कर की गई थी ? जो नियम बने हुए हैं सैकण्डरी एजूकेशन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए उनका पालन किया गया था या नहीं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अब उनका त्याग पत्र स्वीकार किया जा चुका है। मेरा खयाल है कि इस प्रश्न को न उठाया जाए।

श्री गोविन्द सिंह : पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें छपीं उनके लिए निश्चित शिकायत राजेन्द्र शर्मा नामक छात्र नेता ने की थी। उनका आरोप था कि $1\frac{1}{2}$ लाख की पैनल्टी लगाई गई पुस्तक छापने वालों पर बाद में वह पैनल्टी राजनीतिक कारणों से हटा दी गई।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने पहले ही निवेदन किया कि पाठ्य पुस्तकों के संबंध में इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं, बोर्ड को उन पर निर्णय करने होते है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई स्पष्ट शिकायत है तो बता दें, जानकारी प्राप्त की जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह : राजेन्द्र शर्मा नामक एक छात्र नेता ने शिकायत की थी कि $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये की पैनल्टी लगाने के बाद राजनीतिक कारणों से उस पैनल्टी को वापस लिया गया। उसने एक ब्लेंक चैक दिया है कि अगर शिकायत झूठी हो तो उस पर जुर्माना किया जाय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही की जायेगी।

श्री केसरी चंद चौधरी (किशनगढ़) : बोर्ड का पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाली जो एकेडेमिक कौंसिल है, नए अध्यक्ष की जिस समय नियुक्ति हुई, उस समय वह कौंसिल क्या रातों रात नहीं बदली गई ? राज्य सरकार के द्वारा जो योग्यतायें निर्धारित हैं क्या उनके अनुसार एकेडेमिक कौंसिल बनी ? अगर नहीं, तो क्या उसका अब पुनः निर्माण किया जायगा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। सारे प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण डूंडी !

श्री माधव सिंह दीवान !

एन्टी-रेबिक वैक्सीन की कमी दूर करना

151. **श्री रामनारायण डूंडी** (बिलाड़ा) **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अस्पतालों में एन्टी-रेबिक वैक्सीन (पागल कुत्ते के काटने पर) की बहुत कमी रहती है तथा कई बार रोगियों का पूरा इलाज नहीं होने के कारण उन पर बहुत बुरा असर होता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पशुपालन विभाग के सहयोग से चलाये जा रहे रीजनल वेटेरिनरी बायोलोजिकल यूनिट, जयपुर में जानवरों के लिए उपयुक्त एन्टी-रेबिक वैक्सीन बनाने का कार्यक्रम है तथा उनके पास मनुष्यों के लिये उपयुक्त वैक्सीन बनाने के लिए भी साधन उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो सरकार के पास इस वैक्सीन की कमी की पूर्ति हेतु क्या योजना है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता): (1) जी हां। एन्टी-रेबिक वैक्सीन की कमी पिछले तीन वर्षों से चल रही है।

(2) अभी हाल ही में अपने पत्र दिनांक 3-5-80 द्वारा संयुक्त निदेशक, रीजनल बायोलोजिकल यूनिट, जयपुर ने सूचित किया है कि वह जानवरों के लिए एन्टी-रेबिक वैक्सीन बनाने में सक्षम हो रहे हैं। अब आगे मनुष्यों के लिए भी एन्टी-रेबिक वैक्सीन बनाने में यदि सहयोग दिया जाय तो वे यह वैक्सीन मनुष्य के काम में भी ला सकते हैं।

यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री माधव सिंह दीवान : आपका विभाग क्या एक्शन ले रहा है ? तीन साल से यह वैक्सीन नहीं है। यह वैक्सीन बनाने की क्या उनकी केपेसिटी है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अभी उसकी तैयारी में हैं। वह वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुआ है और परीक्षण स्टेज पर है। वह तैयार हो जायगा। हमने उनसे कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर): कब तैयार हो जायगा ? तीन साल से तैयार नहीं हुआ है, यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं।

श्री माधव सिंह दीवान : मैंने पूछा है कि कमी को पूरा करने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? इसका कोई जबाब नहीं आया।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह वैक्सीन केन्द्रीय सरकार के जरिए सारे राज्यों को वितरित होता है। इसका उत्पादन कम हो गया। इसलिए पशु चिकित्सालय वाले एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं। यदि वह सफल हो जाएगा तो उसके बाद मनुष्य के लिए वैक्सीन बनाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल !

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने फर्माया कि यदि एक्सपेरीमेंट सफल हो जाएगा। मान लीजिए कि नहीं होगा तो सरकार की क्या तैयारी है ? तीन साल से कमी की बात कह कर आप अपनी जिम्मेदारी से मुकरना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे देश में कमी है क्योंकि प्राडक्शन कम है, इस कारण सप्लाई कम हो रही है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा बनाने का सवाल नहीं है। हमारा एक्सपेरीमेंट सफल हो गया तो मनुष्य के लिए भी बनायेंगे....

श्री भंवरलाल शर्मा : अन्यथा कमी रहेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री माधवसिंह दीवान : क्या यह सही है कि कुत्तों की संख्या राजस्थान में ज्यादा है और वैक्सीन का वितरण जनसंख्या के आधार पर होता है ? यदि हां, तो क्या आप केन्द्रीय सरकार से ज्यादा वैक्सीन मांगेंगे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : हमने तो 16 लाख यूनिट मांगा था लेकिन उन्होंने तो 8 लाख यूनिट ही दिये। हम ज्यादा के लिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : आप यह कह कर कि कमी है बच नहीं सकते। मेरे कोटा जिले में एन्टी-रैबिक इन्जेक्शन न

Page No. 4

(4)

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

होने से दो व्यक्ति मर गए। एक जानकी-रामं 33 वर्षीय लड़का और 11 वर्ष का हलवाई का बच्चा मर गया। एन्टी-रैबिक इन्जेक्शन न होने से झालावाड़ ले गए, वहां भी इन्जेक्शन नहीं मिला, डाक्टर ने....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दाऊ दयाल जोशी : लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था करेंगे। कब तक व्यवस्था होगी? स्पष्ट जवाब तो दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्री दाऊदयाल जोशी : लोग मर रहे हैं राजस्थान पत्रिका की न्यूज को माननीय मंत्री महोदय पढ़ते होंगे। इस प्रकार का समाचार है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! लम्बा भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत भयंकर बीमारी है इसलिए लोगों के बचने की कोई सम्भावना नहीं रहती। माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होते हैं तो ऐसे कुत्ते शिकायत मिलने पर तुरन्त मरवा दिये जाने की व्यवस्था की जा सकती है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस तरह के कुत्तों को म्यूनिसिपैलिटी पकड़ कर मरवाने की व्यवस्था करती है। म्यूनिसिपैलिटीज को कहा गया है कि इसके लिए वह आगे कार्यवाही करे।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद की दवा विषतिन्दुकवरी औषधालयों में भेज दी जाये तो निश्चित रूप से लोगों के मरने की संख्या में कमी आ सकती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भगवानदास शास्त्री।

प्री-मेडिकल टेस्ट में अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता हटाना

152. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में शिक्षा नीति में हिन्दी को प्राथमिकता दी जा रही है? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि प्री-मेडिकल टेस्ट की परीक्षा में भी अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि हिन्दी के कारण हिन्दी माध्यम के मेधावी छात्र उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार की भविष्य में इस बारे में क्या नीति है ?

(4) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय ने पी० एम० टी० परीक्षा 1980 में भी अंग्रेजी को अनिवार्य विषय घोषित किया है ?

(श्री भगवानदास शास्त्री)

(5) क्या सरकार विश्वविद्यालय को पी० एम० टी० परीक्षाओं से अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता हटाने हेतु निर्देश देने पर विचार कर रही है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां, राष्ट्रीय भाषा होने के नाते हिन्दी को प्राथमिकता दी जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, छात्र चाहे तो अंग्रेजी या हिन्दी दोनों में से किसी के भी माध्यम से परीक्षा दे सकता है।

(4) जी हां।

(5) जी हां, विश्वविद्यालय को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार इस वर्ष पी० एम० टी० परीक्षाओं में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय नहीं बनायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने जो निर्देश दिये विश्वविद्यालय को, उस पर क्या कार्यवाही की है ? मान लिया है या और कोई बात बाकी है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह जनता राज नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या आपके उत्तर से यह मान लिया जाय कि इस बार जो पी० एम० टी० की परीक्षा होगी उसमें अंग्रेजी को अनिवार्य विषय नहीं रखा जायेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अवश्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : अवश्य रखा जायेगा या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अंग्रेजी का पर्चा नहीं होगा।

विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के मापदण्ड

153. **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या ऐसे विद्यालयों, जो निर्धारित मापदण्ड की परिपूर्ति करते हैं, बिना भेद-भाव के फैज्ड कार्यक्रम बनाकर प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व क्रमोन्नत करने की व्यवस्था को सरकार मूर्तरूप देने पर अविलम्ब विचार करेगी ? इस शैक्षिक सत्र में गत सरकार द्वारा छोड़ दिये गये ऐसे विद्यालयों व अन्य किन–किन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) स्थान विशेष की आवश्यकता, जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति एवं छात्रों की संख्या, भवन आदि साधनों की सुविधा आदि को ध्यान में रखकर नये विद्यालय खोले जायेंगे।

(2) जी हां, नये विद्यालय खोलने के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्नकर्ता !

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और कुछ बातें पूछना चाहूंगा। राज्य सरकार ने कुछ ऐसे स्थानों पर विद्यालय खोल दिये थे जनता पार्टी के शासन में जहां आवश्यक नहीं थी। जनसंख्या के आधार पर नहीं खोलकर पालिटिकल दृष्टि से विद्यालय खोल दिये शहरों, की आबादी को ध्यान में नहीं रख कर बिना वजह स्कूल खोल दिये थे। मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि क्या ऐसे आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले स्कूलों को बन्द कर ऐसे स्थानों पर यह स्कूल खोले जायेंगे जहां उनकी आवश्यकता है ? जिस तरह से जयपुर शहर में नयी बस्तियां बसी हैं उनके कारण एडमिशन की जयपुर शहर में भयंकर दिक्कतें हो रही हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां आवश्यक रूप से विद्यालय खोल दिये गये थे वहां बन्द करके जहां उनकी सख्त आवश्यकता है वहां खोले जायेंगे ? सरकार का इस बारे में क्या विचार है ? मैं शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इस पर दो प्रश्न हैं। यह सही है कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ स्कूल खोले थे। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने कुछ स्कूलों को बन्द किया। मेरी जानकारी में जहां तक आया है, 69 माध्यमिक विद्यालय कांग्रेस सरकार ने खोले थे। जनता पार्टी की सरकार ने आकर उनको बन्द किया। जहां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले थे उनको भी जनता पार्टी की सरकार ने बन्द किया। अब उनको बन्द करने के कारण तो वही बता सकते हैं लेकिन जिनके आदेश हो चुके थे जनता पार्टी की सरकार के उनको बन्द किया। जो स्कूल प्रारम्भ किये गये हैं उनको पुनः बन्द करने का प्रश्न है। इससे राज्य सरकार सहमत नहीं है क्योंकि एक विद्यालय जहां खोल दिया गया उसको बन्द करना मैं विशेष राजनीति मानकर चलता हूं। राज्य सरकार ऐसी राजनीति लेकर नहीं चलना चाहती है। नये स्कूल खोलने का जहां तक सवाल है मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि राजनैतिक प्रक्रिया के कारण कुछ स्कूल बन्द किये गये हैं और वहां पर छात्रों की संख्या, भवन और सारी बातें उपलब्ध हैं, तो उनको प्राथमिकता अवश्य देना चाहेंगे। बाकी आधार क्या हो, कल बजट आया ही है अब इस प्रश्न पर विचार करके आगे स्थिति स्पष्ट होगी।

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय शिक्षा मंत्री से एक बात और पूछना चाहूंगा। नये स्कूल खोलने जा रहे हैं, पुराने स्कूल हैं वहां छात्रों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ाया जा रहा है, मास्टर नहीं बढ़ाये जा रहे हैं इससे अव्यवस्था फैलती जा रही है। क्या सरकार विचार कर रही है, स्टाफ के बढ़ाने के लिए ? यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह बिलकुल सही है कि आज छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। नये स्कूल खोलने की बात सिद्धान्तः स्वीकार कर ली गयी है। जहां भी आपको ऐसी शिकायत हो वह बतायें। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

कि कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा। जहां तक शिक्षकों का प्रश्न है छात्रों के अनुपात से जितने शिक्षक होने चाहिए उतने गत वर्ष तक नहीं थे और करीब 1800-1900 शिक्षकों की कमी रही। इसका कारण यह था कि छात्रों की संख्या अधिक थी और बजट में प्रावधान कम था। गत वर्ष छात्रों की संख्या ज्यादा थी और अध्यापकों की कमी थी तो उसका दायित्व वर्तमान सरकार पर नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि विद्यालयों को खोलने में विद्यार्थियों की संख्या एक क्राइटेरिया रहेगा। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए कितने विद्यार्थियों का क्राइटेरिया उन्होंने तय किया है ?....

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : यह इनका राजनीति से भरा हुआ प्रश्न है इसलिए इसका कोई उत्तर मत दीजिए। यह आपसे कमिटमेन्ट लेना चाहते हैं यहां पर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष जिन आधारों पर खोले गये हैं उससे अच्छे आधार इस वर्ष होंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या मंत्री

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अच्छे आधार का मतलब क्या तय किया है इन्होंने ? यही पूछना चाह रहा हूं ? अच्छे आधार का मतलब आपने विद्यार्थियों की संख्या बताया ? यही पूछ रहा हूं।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : छात्रों की संख्या इसमें से एक आधार है, पर बाकी भवन की व्यवस्था भी है, आवागमन की स्थिति भी है और यह भी है कि पिछड़ा वर्ग कहां है और कहां नहीं है। एक आधार शिक्षा के क्षेत्र में तय नहीं किया जा सकता। इस पर एक दृष्टिकोण के आधार पर विचार नहीं करके अनेक दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। केवल छात्रों की संख्या का ही आधार नहीं हो सकता। जो कमिटमेन्ट मुझसे माननीय सदस्य चाहते हैं वह तो शायद मेरे से लेना मुश्किल होगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कोई स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला(बीकानेर): माननीय अध्यक्षजी, क्या शिक्षा मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे, पिछले तीन वर्षों में पुराने बीकानेर शहर जो कि एक डिवीजनल मुख्यालय है, में एक भी प्राथमि[illegible] खोला गया और एक [illegible] स्कूल नहीं खोल[illegible] में दो हाय[illegible] और [illegible]

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

देना सम्भव नहीं है। इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि बीकानेर डिवीजन के साथ पिछले वर्षों में कोई ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, जहां दस-दस साल से सैकेण्डरी स्कूल चल रहे हैं उनको क्रमोन्नत करने के बारे में बजट में नहीं कहा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने के बारे में कुछ सरकार सोचेगी ? यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वहां के लड़कों को दस पन्द्रह मील हायर सैकण्डरी स्कूलों में जाना पड़ता है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह मेरी लाचारी होगी। कल मुख्य मंत्री जी ने जो आधारशिला दी है उसी के अनुसार कार्यक्रम लागू होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल !

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहा है [illegible] सरकार. . .

[illegible] : 200 बन्द [illegible] ?

[illegible] रहा

सरकार के जाने से पूर्व कितने दिन पहले आदेश हुये थे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : बहुत अच्छा सवाल है।

सदस्य महोदय को मालूम नहीं है कि जनता सरकार का गठन कब हुआ था। स्कूल खोलने का प्रश्न नहीं था। हम पूर्व में प्रक्रिया तय कर देना चाहते हैं जिससे गांव वालों को तैयारी करने की सुविधा मिल सके. . .

एक माननीय सदस्य : पाइंट पर आइये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आ रहा हूं।

जो मैंने नम्बर दिया है इन सबके आदेश यहां से हो चुके थे। जनता सरकार किस महीने में आई, आपको मालूम है। जब स्कूल खुलने का समय आया, तो जनता सरकार ने बन्द करने का आदेश दे दिया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : आपकी सरकार के जाने के कितने दिन पहले आदेश हुए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है. . .

श्री अध्यक्ष : मैंने बहुत ढील दी है। [illegible]की चर्चा हो गई है। माननीय सदस्य [illegible]

श्री अध्यक्ष : जो जानकारी आप चाहते हैं, वह मिलेगी नहीं. . .

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है । मेरा प्रश्न रेलेवेंट है । आपने कहा कि जनता पार्टी की सरकार ने स्कूल बन्द किये । प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है । मैं प्रश्न फिर कर देता हूं कि क्या स्कूल चालू हो गये थे ? एक बात । उन स्कूलों के आपकी सरकार के जाने के कितने दिन पहले आदेश हुए थे और क्या क्राइटेरिया था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सूचना इनके पास हो नहीं सकती ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसका क्या हल है. . .

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री ललित किशोर चतुर्वेदी !

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर उत्तर नहीं है तो स्थगित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । स्थगित करने की कोई गुंजाइश नहीं है । अगला प्रश्न !

श्री भंवरलाल शर्मा : एक जानकारी करना चाहता हूं । जिन स्थानों पर भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया था उन स्थानों पर जनता सरकार ने स्कूल बन्द कर दिये । क्या उन स्थानों पर कांग्रेस की सरकार पुनः स्कूल खोलेगी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न !

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): कहां-कहां स्कूल खुलने वाले हैं. . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत विषयान्तर हो गये हैं ।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने जहां स्कूल खोले थे आपकी सरकार ने बन्द कर दिये, आज तक खुले नहीं । अब खुल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्कूल खोले थे क्या ?

एक माननीय सदस्य : कितने दिन पूर्व यह आदेश जारी किये थे ?. .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है । आप विषय से बहुत हट गये हैं । बहुत चर्चा हो गई ।

अगला प्रश्न । श्री ललित किशोर चतुर्वेदी !

एलोपेथिक डिस्पेन्सरीज खोलने का मापदण्ड

154. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) नगरीय क्षेत्रों में राजकीय एलोपेथिक डिस्पेन्सरीज खोलने का मापदण्ड क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

(2) क्या मापदण्ड के अनुसार जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर एवं कोटा में डिस्पेन्सरीज अवस्थित हैं ?

(3) यदि नहीं, तो तदनुसार डिस्पेन्सरीज सरकार कब तक खोलने का विचार रखती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता): (1) नगरीय क्षेत्र में राजकीय एलोपेथिक डिस्पेन्सरी, 1971 की जनगणना के अनुसार प्रति 40 हजार की जनसंख्या पर एक डिस्पेन्सरी खोलने का मापदण्ड रखा गया था।

(2) जी हां।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कोटा की जनसंख्या उस समय क्या थी ? उस क्राइटेरिया के हिसाब से वहां कितनी डिस्पेन्सरी हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : कोटा की जनसंख्या 2 लाख 12 हजार थी और 6 डिस्पेन्सरी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा अस्पताल है। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधालय हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो डिस्पेन्सरीज खोली गई हैं उनमें शय्याओं का क्राइटेरिया क्या है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : क्राइटेरिया, 40 हजार पर एक डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसे 6 डिस्पेन्सरीज के लिये कहा गया है। क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि डिस्पेन्सरीज में शय्याओं का प्रश्न रहता है। क्या शय्याओं का कोई मापदण्ड है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने क्यों नहीं किया ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : शय्यायें इस मापदण्ड में नहीं हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

जयपुर शहर में कितनी डिस्पेन्सरीज हैं, 40 हजार के क्राइटेरिया के हिसाब से ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जयपुर शहर में 21 डिस्पेन्सरीज हैं। सन् 71 की जनगणना के हिसाब से यहां की आबादी 6.15 लाख है। उसके हिसाब से पर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

विकलांग वर्ष 1980 में विकलांगों के कल्याणार्थ योजना

155. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) [श्री सूर्य कुमार नैनवा की अनुपस्थिति में] : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुरूप सन् 1980 को विकलांग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है ? यदि हां, तो विकलांग वर्ष मनाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(2) विकलांगों को सुविधायें देने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त विकलांगों को राज्य सेवा में नियुक्ति देने हेतु क्या प्रावधान किया गया है तथा सेवाओं में उनके लिए क्या अलग से स्थान सुरक्षित हैं ? यदि हां, तो किन-किन पदों पर तथा कितना प्रतिशत ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) वर्ष 1980 में नहीं वर्ष 1981 में विकलांग वर्ष मनाने की योजना है ।

(2) विकलांगों को नौकरी देने हेतु राज्य सेवाओं में 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। आरक्षण सीधी भर्ती के सभी संवर्गों के पदों में है ।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 169 भी इसी अनुरूप है । मंत्री महोदया उसका भी जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष : 169 का भी साथ ही जवाब दे दिया जाये ।

विकलांगों की राज्य सेवा में नियुक्ति

169. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि विकलांगों को राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु दो प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है ?

(2) यदि हां, तो तत्संदर्भ में प्रवत नियमों के लागू होने की तिथि से अद्यावधि अनुपालना की क्या स्थिति है ?

मंत्री, श्रम एवं रोजगार (श्रीमती कमला) : (1) जी हां ।

(2) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1976 से जून, 1980 तक कुल 846 विकलांगों को नियोजित किया गया है ।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न है । क्या यह 2 पर्सेन्ट आरक्षण प्रमोशन कोटा में भी दिया जायगा ?

श्रीमती कमला : सीधी भर्ती के पदों के लिये है ।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, दो पर्सेन्ट तो तब काम में आ सकती है जब कि एक साथ 50 की नियुक्ति हो। अगर 10 व्यक्तियों की नियुक्ति होती है उस समय क्या करेंगे ? एक विकलांग को लेंगे या क्या करेंगे ?

श्रीमती कमला : जितने पद होंगे, उस हिसाब से लिये जायेंगे ।

श्री माधवसिंह दीवान : 50 आदमी से कम भर्ती करने पर किस प्रकार विकलांगों को लिया जायगा, आधे व्यक्ति को लेंगे या चौथाई व्यक्ति को लेंगे ? मेरा निवेदन है, कि यह जो दो पर्सेन्ट का कोटा रखा गया है उसमें रोस्टर प्रणाली रखने की कार्यवाही होनी चाहिये ताकि रोस्टर प्रणाली से आगे जाकर पूर्ति की जा सके ।

श्रीमती कमला : जितने भी स्थानों के लिये रजिस्ट्रेशन हुआ होता है और जितने भी पद रिक्त होते हैं, उतने विकलांगों के नाम नियोजन कार्यालय से मांग लिये जाते हैं ।

श्री छोगा राम बाकोलिया (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, रोस्टर प्रणाली जनता पार्टी ने खतम कर दी तो क्या आप उसको वापस चालू करने की अब सोच रहे हैं ?

Page No. 12

(12)

श्रीमती कमला : इसके बारे में सोचा जा सकता है। रोस्टर प्रणाली से समुचित लाभ हो सकता है तो विचार किया जा सकता है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि अक्टूबर, 76 से 2 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू किया गया था, उसके बाद 800 कुछ संख्या आपने बताई है तो क्या उसके बाद से ही लागू किया गया है या कब से लागू हुआ है ?

श्रीमती कमला : 1976 से ही लागू है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जितने नियोजन किये गये हैं, उनको क्या अक्टूबर, 1976 से ही लागू किया गया है ? यह नियम तभी से लगाया गया है या उसके बाद से लगाया गया है।

श्रीमती कमला : 1976 से ही लागू किया गया है। उसके तहत आंकड़े भी दिये गये हैं। इसके लिये यह सुझाव भी है कि एक नियोजन अधिकारी इस काम के लिये लगाया जायगा और एक अलग से प्रकोष्ठ भी बनाया जायगा। यह नियोजन उसी वक्त से शुरू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार !

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा, क्या राज्य सरकार ने विकलांगों का सर्वे किया है ? क्या राज्य सरकार यह बताने की स्थिति में है कि राजस्थान राज्य में कितने विकलांग हैं, किस-किस प्रकार के हैं और उनको नौकरी देने की क्या योजना है ? किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई आंख से अन्धा है तो कोई गूंगा और बहरा है, क्या राज्य सरकार के पास ऐसा कोई सर्वे है कि किस-किस प्रकार के कितने कितने विकलांगों को किस किस प्रकार के रोजगार या नौकरियों में लगा सकेगी ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं लेकिन सर्वे जरूर हुआ है। जितने विकलांगों का रजिस्ट्रेशन हमारे नियोजन कार्यालय में हुआ है उसके हिसाब से 2431 विकलांग हैं मई 80 तक, उसमें 142 अन्धे हैं, 49 गूंगे-बहरे हैं बाकी हेन्डीकेप्ड 2240 है।

श्री सी० एल० कंवरिया (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं प्रत्येक आरक्षण के लिये रोस्टर प्रणाली लागू करना जरूरी है वरना आरक्षण ठीक प्रकार हो नहीं सकता है। सारे आरक्षण रोस्टर प्रणाली के हिसाब से ही चलते हैं। भर्ती जो होती है वह तो पीस मील में होती है। अभी मंत्री महोदया ने बताया, रोस्टर प्रणाली लागू की जायगी। जब कि यह आरक्षण 76 से चल रहा है तो क्या मंत्री महोदया यह बतायेंगी, यह रोस्टर सिस्टम 76 से ही लागू किया जायगा या अब नये सिरे से किया जायगा ?

श्रीमती कमला : नये सिरे से।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने बताया अगर किसी विभाग में 30 व्यक्तियों को लेना है अथवा दस व्यक्तियों को लेना है तो उसमें एक विकलांग तो ले नहीं सकते हैं। तो फिर विकलांगों का दो प्रतिशत का

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

कोटा कैसे पूरा हो सकता है ? साल भर में उनको कितने प्रतिशत में लिया जायगा ? यह भी तो बताया जाय यों तो 30 में भी उनका स्थान नहीं आयेगा, अगर नम्बर नहीं आयेगा तो फिर विकलांग तो इन्तजार ही करते रहेंगे।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, रोस्टर प्रणाली जब शुरू करेंगे तो आपकी यह व्यथा भी दूर हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री मानसिंह देवड़ा !

मगरा पूंजला (जोधपुर) स्थित आयुर्वेदिक औषधालय की क्रमोन्नति

156. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या मगरा पूंजला, जोधपुर में स्थित कनीराम जी सालग जी टांक आयुर्वेद औषधालय का उद्घाटन करते समय तत्कालीन मुख्य मंत्री ने औषधालय को 'अ' श्रेणी के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) जी नहीं। औषधालय का उद्घाटन दि0 30-12-79 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने किया मगर ऐसी कोई घोषणा नहीं की।

श्री मानसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस औषधालय के उद्घाटन के समय तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय, जो कि इस समय विरोधी दल के नेता हैं, ने इस औषधालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी और यह कहा था कि इस औषधालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायगा। जिस व्यक्ति ने पांच लाख रुपया लगा कर यह बिल्डिंग बनाई, उस व्यक्ति से लोक सभा के चुनाव के समय चन्दे के रूप में रुपये लिये गये थे और इसी वक्त यह घोषणा भी की गई थी कि इस औषधालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा, तो अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं कि मैंने कोई चन्दा लिया ही नहीं है। और अगर किसी ने औषधालय के लिये कुछ दिया होगा तो मैंने उसी समय हॉस्पिटल में जमा कर दिया है।

(व्यवधान)

आप यह कह रहे हैं कि पार्टी के लिये चन्दा लिया है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने किसी प्रकार का कोई चन्दा नहीं लिया है पार्टी के लिये। जो कुछ उन लोगों ने हॉस्पिटल के लिये दिया होगा वह मैंने उसी समय वहां के प्रबन्ध-कर्त्ताओं को दे दिया और जमा करा दिया।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : वह तो औषधालय में जमा करा दिया, इसकी आपको जानकारी तो है नहीं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार आगे क्या कार्यवाही करने जा रही है।

Page No. 14

(14)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जानकारी है उसमें यही है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने ए क्लास में क्रमोन्नत करने की कोई घोषणा नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष, महोदय, मुझे याद है, किसी महानुभाव ने डिस्पेन्सरी बनाई थी, नाम याद नहीं है, और समाज के लोग वहां एकत्रित हुए थे, एक अच्छा फंक्शन भी किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, कोई भी क्रमोन्नत करने का वायदा मैं चुनाव के दिनों में कर ही नहीं सकता हूं। मैंने स्पष्ट किया था कि चुनाव के दिनों में मैं इस प्रकार का वायदा करने की स्थिति में नहीं हूं। बिल्डिंग बनाने के लिये वहां चन्दा एकत्रित हुआ होगा।

जहां तक पार्टी के लिये चन्दा लेने का प्रश्न है, मैंने कोई किसी भी प्रकार का चन्दा नहीं लिया है। जो कुछ लिया था वह उसी समय वहां प्रबन्ध समिति के जो सदस्य थे, उनको दे दिया गया।

श्री मानसिंह देवड़ा : उस समय चुनाव का मुद्दा नहीं था। आपने हास्पिटल में घोषणा की थी। अब इस तरह आप मुकर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई घोषणा ही नहीं की, यह तो बद्रीप्रसाद जी ही इन्कार करते हैं...।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री बुलाकी दास !

(व्यवधान)

अगला प्रश्न ! श्री बुलाकीदास कल्ला !

पशुओं के टीके लगवाने की व्यवस्था

157. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पशुओं के लिये टीके लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जब कि मनुष्य में भी रोग फैलाने वाली इकाई पशु ही है ?

(2) क्या सरकार राज्य के डिवीजनल मुख्यालयों पर पशुओं को टीका लगाने की निःशुल्क व्यवस्था करेगी जिससे पशुओं और मनुष्यों में हिड़काब रोग फैलने से रोका जा सके ?

पशुपालन मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) पशुओं में टीका लगाने की व्यवस्था है।

(2) डिवीजनल मुख्यालय पर टीके लगाने की व्यवस्था है। हिड़काव रोग के टीके पशुओं में निःशुल्क नहीं लगाये जाते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखा गया है कि प्रति वर्ष सैंकड़ों पशु और मनुष्य इस रोग से ग्रसित होकर मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसकी कोई व्यवस्था न होने से बहुत क्षति होती है। सिर्फ पशु पालक हिसार जाकर इस प्रकार के टीके को साथ लेकर आते हैं किन्तु यह बीच में ही खराब हो जाता है क्योंकि यह 0° सेन्टीग्रेड तापक्रम पर ही रहता है। इसके लिए पशुपालक को दो सौ और तीन सौ रुपयों के बीच में खर्चा उठाना पड़ता है। मैं यह जानना चाहूंगा, क्या 2 लाख रुपये की सर-

Page No. 15

(15)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कार व्यवस्था करेगी टीकों के लिए, ताकि राजस्थान में पशुओं और मानवों को मृत्यु से बचाया जा सके ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि इस प्रकार के टीके लगाये जाने की व्यवस्था सब डिवीजनल मुख्यालयों में मौजूद है। अगर किसी डिवीजनल हैड क्वार्टर पर इसकी कमी होती है, तो इसका पूरा प्रबन्ध किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं सूचित करना चाहती हूं कि जहां कमी है वहां उसके बाबत जानकारी करके व्यवस्था की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! माननीय सदस्य !

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर में कोई टीके लगाने का प्रबन्ध नहीं है। मैंने सवाल किया है और मुझे उत्तर मिला है कि हिसार से वैक्सीन मिल सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! माननीय सदस्य !

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के जो हास्पिटल और चिकित्सालय हैं उनमें मैं स्वयं कई बार पशुओं को लेकर गया। वहां मालूम पड़ा कि इस प्रकार के वैक्सीन की वहां व्यवस्था नहीं है और वह हिसार में मिल सकेगा। वह हिसार में सब लोगों को भेज देते हैं। हिसार जाकर वैक्सीन लाने में काफी कठिनाइयां हैं। इसको आप गम्भीरतापूर्वक लीजिए ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसकी जानकारी करके व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायेगा ताकि इससे छुटकारा मिल सके। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान में अभी काफी टीके का उत्पादन हो रहा है लेकिन फिर भी कमी को देखते हुए जयपुर के पास 25 लाख रुपये की लागत से उत्पादन केन्द्र कायम किया जा रहा है। जब यहां उत्पादन शुरू हो जायेगा उसके बाद जो भी कमी महसूस हो रही है, वह कमी नहीं रहेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न आप शासन के माध्यम से पूछें।

श्रीमती कमला : इस तरह की व्यवस्था करने का विचार है। वर्तमान में डिवीजन लेवल पर जो व्यवस्था की हुई है उसके तहत जिला स्तर पर सीमान को पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। किसी प्रकार की बीमारी का सवाल हो तो डिवीजनल हैड क्वार्टर से उसका प्रबन्ध किया जाता है।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : यह बीमारी उत्पन्न तो हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्रीमती विद्या पाठक ।

राष्ट्रपति शासन में शिक्षकों के स्थानान्तरण

158. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रपति शासन में स्थानान्तरण पर रोक लगाने के आदेश प्रसारित किये गये थे ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों की अवहेलना कर जयपुर जिले में शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये ? यदि हां, तो किसके आदेशों द्वारा किये गये और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी हां। 19-4-1980 को इस प्रकार का आदेश प्रसारित किया गया था।

(2) जयपुर जिले में केवल एक अध्यापक का स्थानान्तरण किया गया है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी देना चाहूंगी कि श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, श्रीरामपुरा लाखन में टीचर थे, जैसा आपने बताया कि 18 फरवरी को आदेश निकाला गया उसके बाद उनका ट्रांसफर किया। उनका ट्रांसफर उनके स्थान पर से काफी दूर पौने दो सौ, दो सौ किलोमीटर दूर किया गया और बताया गया कि उनकी हैड मास्टर ने कम्पलेन्ट की थी। ये सारी चीजें उसके पास हैं। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन से भी, जो यहां के इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं, उनको लिख कर भेजा कि नियमानुसार ही कार्यवाही होनी चाहिए परन्तु उनके आदेशों की अभी तक कोई पालना नहीं की है और 16 मार्च, 80 के बाद आगे नहीं बढ़ी।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने निवेदन किया था कि 19-4-80 को आदेश प्रसारित किये गये थे। आप आज चर्चा कर रही हैं। उनके आदेश 25-2-80 को निकाले गए थे। 19-4-80 के पूर्व में निकाले गये थे, बाद में नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या उन आदेशों को आप उचित मानते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : और क्या यह सही नहीं है जो सीनियर अधिकारी हैं जो असिस्टेन्ट सेक्रेटरी लेवल के हैं उन्होंने यह आदेश पास किया कि यह नियमानुसार नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाना आवश्यक है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें। मेरे पास सारी जानकारी मौजूद है। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है, कोई ऐसा आधार है, कोई ऐसा कारण है जिसके आधार पर आप शिक्षकों के स्थानान्तरण कर देते हैं या बिना किसी आधार के ट्रांसफर कर देते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी सिफारिशें आती हैं काफी राजनैतिक दबाव आते हैं उनके आधार पर ट्रांसफर किये जाते हैं। इसके लिए कोई नीति या आधार है या नहीं ?

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि अध्यापक का जो स्थानांतरण किया गया वह उस गांव जहां स्कूल चलता है, के नागरिकों की शिकायत पर किया था या वैसे ही ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले दो प्रश्नों का उत्तर आने दीजिये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इस प्रश्न की उम्मीद तो मैं कहीं और से कर रहा था। शिक्षकों के स्थानान्तरण का जहां तक प्रश्न है, जहां तक राज्य स्तर का प्रश्न है, प्रशासनिक कारणों से कोई भी स्थानांतरण कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि 1 फरवरी, 1980 से लेकर फरवरी महीने में 500 ट्रांसफर शिक्षकों के जनता पार्टी के शासन में किये। सूची मेरे पास है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने आने के बाद तो 2 हजार कर दिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया शान्त रहें। अगला प्रश्न !

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : क्या स्थानान्तरण की कोई नीति है ? नीति के आधार पर ट्रांसफर होते हैं या बिना किसी नीति के कर दिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नीति के सम्बन्ध में आपने पूछा है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने आप से कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से होते हैं। यही इनका आधार है।

श्री राजबहादुर : प्रशासनिक दृष्टि कोई आधार नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। केवल प्रशासनिक आधार आर्बिट्ररी होगा। मनमानी चलेगी। वह एट्रोसियस होगा।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : जब आपने ट्रांसफर किये थे तब कौन सी नीति थी ?

श्री भँवरलाल शर्मा : पांच हजार ट्रांसफर किये थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये कृपया। माननीय सदस्य। अगला प्रश्न !

(व्यवधान)

आप माननीय सदस्य, एक बात का ध्यान रखें कि आसन के माध्यम से प्रश्न पूछे जाएं। यह नहीं कि आसन की अवहेलना करके प्रश्न पूछे जायें। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। कृपया आसन के माध्यम से प्रश्न पूछें ताकि शान्ति से पूछे जा सकें। इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो गई।

(व्यवधान)

अब मैं आगे अलाउ नहीं करूंगा। ट्रांसफर आप जानते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष)

ट्रांसफर क्यों होते हैं और किस लिए किए जाते हैं, यह आप सभी जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न को अब यहीं समाप्त करें।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। अब मैं अलाउ नहीं करूंगा। अगला प्रश्न !

श्री घनश्याम तिवाड़ी !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि 5 अप्रेल और 19 अप्रेल के पहले का मामला है तो क्या कमिश्नर के आर्डर से किये थे या अपने आप ही कर दिया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। अब स्थगित प्रश्न लिए जावेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप सही तारीख बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थगित प्रश्न !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 अप्रेल की जो तारीख माननीय मंत्री महोदय ने बताई है वह नहीं हो सकती ....

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय, पांच-पांच हजार ट्रांसफर कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

(व्यवधान)

आपने कितने ट्रांसफर किए हैं यह पता ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री प्रद्युम्नसिंह : 17-17 हजार तबादले किए थे आपने अपने जमाने में....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मामले में मुझे मालूम है, उसको कहा गया कि दो एम. एल. एज. के दस्तखत कराकर लाओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां पर एम. एल. एज. के कहने से ट्रांसफर नहीं होते।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में तो नेकर पहनने वालों के कहने से ट्रांसफर करते थे।

(व्यवधान

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

अब और प्रश्न नहीं। स्थगित प्रश्न, श्री गोपाल पचेरवाल !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10-7-80 व 15-7-80)

अध्यापिकाओं का वेतन यात्रा भत्ता आदि की बकाया का भुगतान

31. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), वृत्त जयपुर के अधीन

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला की अध्यापिकाओं का वेतन, यात्रा भत्ता, मैटरनिटी लीव आदि के प्रकरण गत दो वर्षों से बकाया हैं ? यदि, हां तो बकाया की पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें व बतायें कि बकाया के क्या कारण हैं और कब तक उन्हें भुगतान कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): जी हां, सूची संलग्न है। कारण :–

(1) वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा बिलों की पूर्ति एवं समय पर प्रस्तुत न करने के कारण।

(2) जिला उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का विभाजन होना एवं रिकार्ड के पूर्ण रूप से आदान प्रदान में देरी होने के कारण।

शीघ्र ही भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची सदन पटल पर नहीं रखी गई)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा मुझे अभी तक सूची नहीं दी गयी है जिसके बारे में उन्होंने अभी कहा है। पिछली बार सूची दी गयी थी तब मैंने यह निवेदन किया था कि सूची इतनी लम्बी है और अपर्याप्त है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। इसी आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, ने यह प्रश्न स्थगित करवाया था।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अभी तक कितना भुगतान कर दिया है और कितनों को भुगतान करना है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सूची भेज दी है। नहीं पहुंची है तो यह सूची मेरे पास है, मैं आप को दे देता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : प्रश्नकर्त्ता को प्रश्न पूछने से पहले ही सूची मिलनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय अब मुझे सूची देंगे तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा और बिना देखे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को पुनः स्थगित किया जावे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो सूची दी थी वह लम्बी सूची थी और उसमें कोई जानकारी नहीं मिल सकती थी, न समझ सकते थे। इसी आधार पर प्रश्न स्थगित किया गया था।

आप सूची नहीं देने के लिए मंत्री महोदय को ताड़ना दें और ताड़ना देकर ....

श्री अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हों तो पूछ लें। दुबारा स्थगित नहीं होगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : मुझे जानकारी ही नहीं होगी तो मैं क्या प्रश्न पूछूंगा। मुझे सूची नहीं दी गई है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सूची आपको दी गई है।

श्री राजबहादुर : आन ए पॉइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री राजबहादुर : मेरा तो यही निवेदन है कि आसन से जो संरक्षण मिलना चाहिए विरोधी पक्ष के लोगों को वह प्रश्नकाल में मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके पास सूची नहीं पहुंची और वे अध्ययन नहीं कर पाये तो बिना अध्ययन के कैसे प्रश्न पूछेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सूची भेजी गई है। मैंने मालूम कर लिया है। सूची भेज दी गई है आपको। इसके साथ में लगी हुई है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची है। आपने सूची भेजी है तो किसके द्वारा भेजी है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : विधान-सभा सचिवालय के द्वारा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं आगे प्रश्न अलाउ नहीं करूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप अगर अलाउ नहीं करेंगे तो हमारे पास जानकारी ही नहीं है, सूची नहीं है तो कैसे पूरक प्रश्न करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा विरोधी पक्ष को संरक्षण दिया जावे...........

(व्यवधान)

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले वाले उत्तर के साथ सूची दे दी गई है और यह भी वही सूची है। यह सूची आपको पहले प्रश्न के उत्तर के साथ मिल चुकी है।

श्री गोपाल पचेरवाल : पिछली बार मैंने प्रश्न पूछा था उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो जानकारी मैंने मांगी थी वह अपर्याप्त थी। उसी आधार पर आपने इस प्रश्न को स्थगित किया था। यह आपके रिकार्ड में अंकित है, आप प्रोसीडिंग्स देख लें। इस प्रश्न के उत्तर के साथ सूची नहीं दी गई है....

श्री अध्यक्ष : सूची पहले दे दी गई है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि एक सूची पहले दी गई थी और........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने यह कैसे फर्माया अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे सूची नहीं दी गई।

श्री गोपाल पचेरवाल : आज के उत्तर के अनुसार सूची नहीं मिली है।

श्री राधेश्याम : जब सूची दी गई है तो कैसे कह रहे हैं कि सूची नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, मैं कह दूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : मुझे पहले जो सूची मिली थी वह अपर्याप्त थी और उसमें सही जानकारी नहीं थी। यह मैंने निवेदन किया था और उसी आधार पर आपने प्रश्न को स्थगित किया था।

Page No. 21

श्री अध्यक्ष : आपके पास जो सूची है वह भी यही है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मुझे दुबारा सूची नहीं मिली है।

श्री शिवराम शर्मा : अभी कह रहे हैं कि मुझे सूची देर से मिली, मैं पढ़ नहीं सका, अभी कह रहे हैं कि मुझे सूची नहीं मिली, यह दो तरह की बातें कैसे कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुझे जो सूची उस वक्त दी गई थी वह अपर्याप्त थी और काफी लम्बी थी। जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर उसमें नहीं था। इसी आधार पर आपने प्रश्न को स्थगित किया था। आज संशोधित होकर जो सूची आई है.....

श्री अध्यक्ष : उतनी ही आज भी है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरे प्रश्न को स्थगित करने का कारण यही था कि उसमें पूरी सूचना नहीं आई थी।

दूसरी बात यह है कि आपने अभी फर्माया कि भुगतान किया जा रहा है। तो किन कारणों से अभी तक भुगतान नहीं किया है? मेरा निवेदन है कि उनमें से कितने लोगों का भुगतान कर दिया है? कुछ लोगों को भुगतान किया गया है, तो कितने लोगों को किया गया है? यह बता दें।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : 15 अगस्त तक भुगतान करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्न सं० 1685 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ले लें।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं आएगा।

श्री नाथूसिंह : आप इसको स्थगित ही करा दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित भी नहीं होगा। अगला प्रश्न !

श्री बालचन्द्र आर्यवीर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-7-80)

राज्य में वृद्धावस्था पेन्शन

16. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही है? जिलावार नामजद सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या केन्द्र और राज्यों में नई सरकार आने के बाद कुछ लोगों की पेन्शन बन्द हुई है? यदि हां, तो कितने लोगों की?

(3) राज्य सरकार की गरीबों व वृद्धों के कल्याण हेतु भावी क्या योजना है?

मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला)

(1) राज्य में वर्ष 79-80 के अन्त में कुल 71,377 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही थी। जिलेवार सूची

(श्रीमती कमला)

सदन की मेज पर रख दी गई है। 71,377 व्यक्तियों की जिलेवार नामजद सूची देना सम्भव नहीं है।

(2) केन्द्र और राज्यों में नई सरकार आने के बाद केवल बीकानेर जिले के तीन व्यक्तियों की पेन्शन गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण बन्द की गई है।

(3) गरीबों एवं वृद्धों के कल्याण हेतु अभी कोई भावी योजना तैयार नहीं की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो वृद्ध अपंग हैं, या असमर्थ हैं, जो चल कर पेन्शन नहीं ले सकते हैं, क्या उनको घर बैठे पेन्शन देने की व्यवस्था की है ?

श्रीमती कमला : उनको मनीआर्डर से पेन्शन भेजी जाती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लालकोठी मुख्य कच्ची बस्ती जयपुर

126. श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या लाल कोठी, मुख्य कच्ची बस्ती, जयपुर को राज्य सरकार ने यहां के निवासियों को सन् 1970 में 200-200 वर्ग गज के भू-खण्ड आवंटन-पत्र वितरित किये थे ? यदि हां, तो अब तक कितने निवासियों को उन भू-खण्डों पर कब्जा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इन निवासियों को भू-खण्डों पर कब्जा देने में क्या प्रक्रिया अपना रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1962-63 में बस्ती के निवासियों को आवार्डीज की श्रेणी में मान लिया गया तथा सन् 1971 में सर्वे कराकर 1979 में न्यास द्वारा दावों की सुनवाई की गई ? यदि हां, तो बस्ती के निवासियों को बसाने एवं राहत दिलाने के संबंध में अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि लाल कोठी मुख्य कच्ची बस्ती, जयपुर नगर की प्राचीनतम कच्ची बस्ती है जिसे वर्तमान में तीनों ओर से सवाई मानसिंह स्टेडियम की चारदिवारी ने घेर लिया है तथा आस-पास की अनेक कालोनियों व उप-नगरों आदि क्षेत्रों का वर्षा के पानी का निकास इस बस्ती में आने, वर्षा का पानी हर वर्ष बस्ती में रुक जाने से जान-माल का हमेशा खतरा रहता है ? यदि हां, तो इस बस्ती के कच्चे नाले को पक्का बनाने के लिये आज तक क्या उपाय किये गये ? यदि नहीं, तो इस समस्या के निराकरण के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) लालकोठी मुख्य कच्ची बस्ती में दो तरह के व्यक्ति निवास कर रहे हैं:—

1. आवर्डीज जिनके नाम भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अपने अवार्ड में शामिल कर रखे हैं।

(आवासन मंत्री)

2. कच्ची बस्ती निवासी 54 अवार्डीज को 200–200 वर्ग गज के भूखण्डों के आवंटन पत्र जारी किये गये थे। लेकिन उन्हें मौके पर अभी तक भौतिक कब्जा नहीं दिया गया *, क्योंकि उन आवंटियों के अलावा अन्य दावेदारों, कच्ची बस्ती के निवासियों आदि के इस योजना की भूमि के बारे में दावे विचाराधीन हैं। भिन्न-भिन्न किस्म के दावों के बारे में अन्तिम निर्णय हो जाने के पश्चात ही विवरण दिया जाना सम्भव होगा।

(2) जी नहीं। दिनांक 9-1-64 के अवार्ड के अनुसार कच्ची बस्ती में निवास कर रहे ऐसे व्यक्तियों, जिनके दावे भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये, को ही अवार्डी की श्रेणी में माना गया। दिनांक 21-8-71 के सर्वे के आधार पर वर्ष 1979 में इस कच्ची बस्ती के निवासियों की सुनवाई की गई। 281 दावे स्वीकृत किये जा चुके हैं जिन्हें राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही प्रगति पर है।

(3) जी नहीं। बापूनगर, तिलकनगर क्षेत्र का पानी बस्ती में होकर गुजरता है। समस्या के निराकरण हेतु नाले को पक्का करने के लिए वर्ष 1979-80 में रुपया 2,10,000 का प्रावधान किया गया था। कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया था, किन्तु नाला स्टेडियम की भूमि पर से गुजरने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग, खेल-परिषद की स्वीकृति चाही गई जिसके अभाव में कार्य रुकवा दिया गया। इस समस्या के निराकरण की दृष्टि से वर्ष 1980-81 में पुनः 2,00,000 रु. का प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है। बस्ती के लोगों की जान माल तथा सुरक्षा हेतु अस्थाई तौर पर मिट्टी के कट्टे लगा कर व मिट्टी भर कर बचाव करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

पीपल्या क्षेत्र में कुओं के निर्माण हेतु गेहूं का वितरण

127. **श्री हीरालाल, आर्य (पीपल्दा)** : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में पीपल्या क्षेत्र में कुए गहरे कराने तथा नवीन कुए खुदवाने हेतु किसानों को गेहूं की बोरियां वितरित की गई हैं ?

(2) यदि हां, तो किस किसान को कितनी-कितनी बोरियां किस हेतु दी गई तथा कितनी देनी बाकी हैं? प्रत्येक किसान का नाम पता सहित विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सभी किसानों को पूरी बोरियां मिली हैं? क्या उक्त कार्य में कुछ अनियमितताएं तथा शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है।

(2) कूप गहरे करने एवं नलकूप निर्माण हेतु गेहूं दिया गया है। किस-किस किसान को कितनी कितनी बोरियां दी गई व कितनी देनी बाकी उनके नाम मय पते के सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No. 24

(२४)

(अकाल राहत मंत्री)

(3) कुछ कृषकों को द्वितीय किश्त देना बाकी है। उक्त कार्यों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई अनियमितता होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर

128. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर में एक वैकल्पिक विषय है ? यदि हां, तो कब से ?

(2 क्या उक्त विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक हैं ? यदि नहीं, तो कब से तथा सरकार कब तक विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वैकल्पिक विषयों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालय में विज्ञान अध्यापन की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

निर्धन, निराश्रित एवं वृद्धजनों के कल्याण हेतु योजना

129. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) भविष्य में सरकार के पास क्या निर्धन, निराश्रितों व वृद्धजनों के कल्याण हेतु कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) नागौर तहसील में कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही है ? कृपया नाम मय वल्दियत व ग्राम-वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) नागौर तहसील के 376 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही है नाम व वल्दियत तथा निवास स्थान संलग्न सूची में अंकित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

झालावाड़ जिले की उचित मूल्य की दुकानें

130. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झालावाड़ जिले में कितनी कन्ट्रोल की दुकानें हैं ? उनमें से कितनी अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के पास हैं ?

(2) क्या भवानीमंडी या पचपहाड़, डग, चौमेला में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति के लोगों के पास कोई कन्ट्रोल की दुकानें हैं ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें कन्ट्रोल की दुकानें देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में 212 कन्ट्रोल की दुकानें हैं। उनमें से 3 अल्पसंख्यक, 5 अनुसूचित जाति एवं 14 जन जातियों के लोगों के पास हैं।

(खाद्य मंत्री)

(2) भवानीमंडी में अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जातियों के लोगों के पास कन्ट्रोल की दुकानें हैं। पचपहाड़, डग, चोमहला में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियों के लोगों के पास कन्ट्रोल की दुकान नहीं है। यहां भी इन लोगों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दुकानें देने के लिए नियमानुसार विचार किया जायेगा।

नायला राहोरी ढूंढ सडक

131. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राहोरी में सन् 1973-74 में अकाल राहत कार्यों के अधीन नायला राहोरी से ढूंढ तक 9 किलो मीटर की सड़क के निर्माण की स्वीकृति हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क मिट्टी व पत्थर डाले जाने के बाद रोक दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त अधूरी सड़क कब तक पूरी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सत्य है।

(2) जी हां। यह भी सत्य है कि इस सड़क को छठी योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अलवर जिले में सडक निर्माण

132. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि उपज मंडी द्वारा वर्तमान में अलवर जिले में किन सड़कों पर निर्माण कार्य चालू है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) वर्तमान प्लान के अन्तर्गत जिले में कौन सी सड़कें स्वीकृत हैं एवं उन पर निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कुल निम्न बारह सड़कों पर निर्माण कार्य चालू है :–

1. लिंक रोड रामगढ़ से अलावड़ा।
2. खेड़ली-कठूमर से गारू।
3. अलवर-भरतपुर रोड से बूटोली।
4. नगर-नदबई सड़क से सौंख।
5. अलवर-भरतपुर सड़क बड़ोदा गांव से गन्डूरा।
6. अलवर-किशनगढ़ से कारोली।
7. खानपुर तिजारा से खानपुर ग्राम।
8. किशनगढ़ से माटूका।
9. हरसोली रेलवे फाटक से सन्तदासजी के मन्दिर तक।
10. किशनगढ़ रोड से वम्बोरी गांव
11. इस्माइलपुर से जिलोटा ग्राम।
12. थानागाजी से दुहार चौहान।

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वर्तमान प्लान के अन्तर्गत अलवर जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कुल 23 सड़कें स्वीकृत हैं। कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा स्वीकृत 23 सड़कों में से 12 पर निर्माण कार्य चालू है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

Page No. 26

(26)

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद

133. **श्री सुखलाल सेंगत्रा (रायपुर):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) के पद पर नियुक्ति हेतु किस योग्यता वाले चिकित्सक लगाये जाते हैं तथा डाक्टर द्वारा डी. पी. एस. का कोर्स पास करने के बाद उसे किस पद पर लगाया जाता है ?

उत्तर

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) के पद पर एम.बी.बी.एस. डी. बी. एच. योग्यता प्राप्त डाक्टरों की नियुक्ति की जाती है। डी. पी. एस. नामक कोई कोर्स नहीं है।

नगर परिषद, जोधपुर में आरक्षित कोटे के पदों पर हुई नियुक्तियां/पदोन्नतियां

134. **श्री नरपत राम बरबड़ (सूर सागर):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् जोधपुर में नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां करते समय नियमों की अनुपालना नहीं की जाती ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) नगर परिषद्, जोधपुर में जून, 1977 से अब तक कितने राजस्व निरीक्षकों की नियुक्तियां एवम् पदोन्नतियां सीधी भर्ती द्वारा की गई हैं और इन पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कितने सुरक्षित पदों पर इन जातियों के सदस्यों को लिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सुरक्षित बिन्दुओं के विपरीत सामान्य नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि अनियमितता बरती गई है, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है।

उत्तर

(1) नगर परिषद, जोधपुर द्वारा सामान्यतया नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां करते समय नियमों का पालन किया जाता है।

(2 आठ राजस्व निरीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा एवं एक नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की गयी है। उक्त नियुक्तियों के समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई अभ्यर्थी निर्धारित योग्यताधारी नहीं था। सुरक्षित पदों को नियमानुसार अग्रेषित किया गया है।

(3) प्रश्न का उत्तर खण्ड 2 में दे दिया गया है।

नागदी बांध, जहाजपुर

135. **श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):** क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 1979 में जहाजपुर में नागदी बांध क्षतिग्रस्त हुआ और उससे लाखों रुपयों की क्षति एवं जन-धन का नुकसान हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध का नुकसान लापरवाही से हुआ ? क्या

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सरकार ने इस बांध के टूटने के कारणों की जांच की ? यदि हां, तो इसका कौन जिम्मेदार है ?

(3) इस बांध के टूटने से कितना नुकसान हुआ, क्या इसकी उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा क्षति का अनुमान तैयार किया गया ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कितना नुकसान हुआ एवं प्रभावित व्यक्तियों के नामों सहित अनुमान सदन की मेज पर रखा जाय ? क्या किसी ने मुआवजे का आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । यह सही है कि जुलाई सन् 1979 में जहाजपुर में स्थित नागदी बांध क्षतिग्रस्त हुआ है । इससे अनुमानित 1.22 लाख रुपये की क्षति हुई है व एक चौकीदार की मृत्यु हुई है ।

(2) बांध टूटने के कारणों की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है । जांच शीघ्र पूरी करने हेतु लिख दिया गया है ।

(3) इस बांध के टूटने से अनुमानित 1.22 लाख रुपये का नुकसान हुआ है । इस क्षति के नुकसान का अनुमान तहसीलदार जहाजपुर ने आंका है । प्रभावित व्यक्तियों के नामों सहित नुकसान का अनुमान सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

ग्यारह व्यक्तियों ने मुआवजे के लिए आवेदन पत्र दिये थे, उन्हें मुआवजे के रूप में अनुदान एवं ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है जिसकी सूची संलग्न है । श्री भैरूलाल आत्मज मथुरालाल मुवालियां, निवासी जहाजपुर द्वारा एक प्रार्थना-पत्र उसकी कृषि योग्य भूमि व फसल खराब हो जाने के कारण मुआवजा प्राप्त करने के लिये दिया गया था जिसे कोई मुआवजा स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार से इस मद में कोई राशि आवंटन नहीं की गई थी । भारत सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त कुओं के पुनरुद्धार एवं निर्माण हेतु राशि गत वर्ष उपलब्ध कराई थी ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कस्बा सुनेल में कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय भू-खण्ड देना

136. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) झालावाड़ के सुनेल कस्बे में कितने गरीब लोग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इनमें से कितने लोगों के पास रहने के मकान हैं और किनके पास नहीं ?

(3) जिन गरीब लोगों को सिर छुपाने को जगह नहीं उनको क्या सरकार/नगरपालिका जमीन देकर मकान हेतु कुछ सहायता देकर आश्रय प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गरीब की स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(2) यद्यपि प्रश्न सं. (1) के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, पर भूमिहीनों को मकान

(28)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

बनाने हेतु भू-खण्ड, देने के लिये अवश्य प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये गये थे व 94 व्यक्तियों ने आवेदन किया।

(3) नगरपालिका इस प्रकार के लोगों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराती हैं। क्र. सं. 2 पर अंकित व्यक्तियों में से 33 व्यक्तियों के नाम आवंटन आदेश किये हैं, परन्तु उन्होंने अभी रकम जमा नहीं कराई।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य सामान ढोने हेतु किराये में अभिवृद्धि

137. श्री अमीन खां (शिव) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में सस्ते दर पर अनाज, शक्कर आदि पहुंचाने के किराये की दर में वृद्धि की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या सरकार रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां सड़कों के अभाव में माल बहुत महंगा पहुंचता है, जिससे कि ठेकेदार लोग भ्रष्ट तरीका अपनाते हैं ? यदि हां, तो कब तक किराये में वृद्धि करने का विचार है ?

(3) इस वक्त कच्चे रेतीले रास्ते का क्या किराया दिया जाता है ? विशेष कर बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में।

उत्तर

(1) खाद्यान्न पहुंचाने के किराये में दिनांक 25–1–80 से वृद्धि की है। चीनी पहुंचाने के किराये में वृद्धि नहीं की, क्योंकि यह केन्द्र सरकार की अनुमति से ही की जा सकती है। इसके लिये भारत सरकार को लिखा गया है।

(2) ठेकेदारों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में खाद्यान्न के परिवहन व्यय में पुनः वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) खाद्यान्न की परिवहन दर निम्न रूपेण देय है :—

1) प्रथम 15 किलोमीटर तक सभी स्थानों पर समान दर निम्न प्रकार से दी जाती है :—

[क] पांच किलोमीटर तक रु. 1.00 प्रति क्विन्टल।

[ख] अगले दस किलोमीटर अथवा उसके किसी पार्ट के लिए 0.50 पै. प्रति क्विन्टल।

[2] उपरोक्त 15 किलोमीटर के पश्चात निम्न परिवहन दरें होंगी :—

"अ" श्रेणी मार्ग के लिए 3 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर।

"बी" श्रेणी मार्ग के लिए 3.5 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर।

"सी" श्रेणी मार्ग के लिए 5 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर।

"डी" श्रेणी मार्ग के लिए 7 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर।

"ई" श्रेणी मार्ग के लिए 10 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर।

(खाद्य मंत्री)

डी और ई का तात्पर्य निम्नरूपेण है :–

डी–श्रेणी मार्ग जहां केवल, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी से माल परिवहन किया जाता है।

ई–श्रेणी मार्ग जहां केवल ऊंट, गधे, खच्चर द्वारा माल परिवहन किया जाता है।

(3) चीनी की परिवहन दर निम्नरूपेण है:–

[1] 10 किलोमीटर तक 60 पैसा प्रति क्विन्टल।

[2] 20 किलोमीटर तक 1.00 रुपया प्रति क्विन्टल। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा, निर्धारित परिवहन व्यय की दरों की सीमा तक वास्तविक परिवहन व्यय दिया जाता है। परिवहन विभाग की दर निम्न प्रकार है:–

[अ] अ श्रेणी मार्ग 2.7 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर।

[ब] ब श्रेणी मार्ग 3.2 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर।

[स] स श्रेणी मार्ग 4.5 पैसा प्रति क्वि. प्रति किलोमीटर।

बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लिए पृथक् दरें नहीं हैं।

भीलवाड़ा नगर में भू-अतिक्रमण के मामलों में चालान

138. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

भीलवाड़ा नगर में नगर परिषद तथा नगर विकास न्यास ने अतिक्रमण के पिछले वर्ष कितने चालान कोर्ट में प्रस्तुत किये और कितने विचाराधीन हैं ? क्या इन चालानों में ऐसे भी चालान हैं जो एक ही अतिक्रमण के नाम से बार बार एक व्यक्ति के नाम से बनाये गये थे, प्रस्तुत किये गये ? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके चालान बार-बार बनाये गये ?

उत्तर

वर्ष 79–80 में कुल 793 अतिक्रमण के चालान बनाकर कोर्ट में पेश किये गये हैं एवं 184 नगरपरिषद में विचाराधीन हैं, 64 ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जिनके नाम से चालान बार-बार प्रस्तुत किये गये हैं।

धौलपुर क्षेत्र में चलने वाली बसों की चेकिंग

139. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) धौलपुर से बाड़ी, धौलपुर से बसेड़ी, धौलपुर से सरमथुरा, धौलपुर से करौली, धौलपुर से भसीना ग्राम, धौलपुर से राजाखेड़ा तथा धौलपुर से कचारा इन रूटों पर विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में बसों की कब कब, चैकिंग की गई, चैकिंग के समय कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त उल्लिखित रूटों पर किस-किस मालिक की बसेज कब से चल रही हैं तथा उन्हें यातायात विभाग द्वारा कौन कौनसी तिथियों को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किये गये ?

(श्री बनवारीलाल)

(3) क्या यह सत्य है कि सरकार इन उल्लिखित रूट्स का राष्ट्रीयकरण करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सूचना अनुबन्ध 'क' के अनुसार संलग्न हैं। धौलपुर से बाड़ी मार्ग धौलपुर-बाड़ी बसेड़ी मार्ग का भाग है एवं धौलपुर से कचारा मार्ग पर ग्राम भसीना है। धौलपुर से ग्राम भसीना अलग रूट नहीं हैं।

(2) यह सूचना अनुबन्ध 'ख के अनुसार संलग्न हैं। धौलपुर से बाड़ी मार्ग धौलपुर-बाड़ी बसेड़ी मार्ग का भाग हैं, एवं धौलपुर से कचारा मार्ग पर ग्राम भसीना हैं। धोलपुर से ग्राम भसीना अलग रूट नहीं है।

(2) उक्त मार्गों का पूर्ण सर्वेक्षण कराया गया एवं धौलपुर-कचारा मार्ग राष्ट्रीयकरण हेतु, योग्य नहीं पाया गया अन्य मार्गों की राष्ट्रीयकरण की योजना निगम के विचाराधीन है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

टाटा मरसडीज बेंज तथा लीलेंड ट्रक व बस चैसिस

140. श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

कितने टाटा मरसडीज बेंज तथा लीलेण्ड ट्रक व बस चैसिस वर्ष 1979 व 1980 में बिक्री हेतु आये, उनमें से कितने राज्य सरकार को दिये और कितने सार्वजनिक बिक्री हेतु दिये गये ?

उत्तर

सूचना 1-4-79 से 31-3-80 तक की निम्नांकित है

टाटा मरसडीज बेंज

चेसिस वर्ष 1979-80 में प्राप्त किये		सार्वजनिक बिक्री की गई		राजकीय विभागों को बेचे गये	
बस	ट्रक	बस	ट्रक	बस	ट्रक
238	736	123	698	115	38
अशोक लीलैण्ड					
127	369	12	311	115	58

राजकीय विभागों में स्वायत्तशासी संस्थाएं एवं निगम भी सम्मिलित हैं।

सुनहरी कोठी, टोंक

141. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि सुनहरी कोठी, टोंक को अभी तक सरकार ने नियमानुसार अवाप्त नहीं किया है ? यदि हां, तो उक्त अवाप्ति के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

सुनहरी कोठी, टोंक को नियमानुसार अवाप्त करने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मूंडवा निर्वाचन क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के अधीन में सम्पन्न कार्य

142. श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूंडवा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

1977 से अब तक मूंडवा निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन पंचायतों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत किस-किस प्रकार के निर्माण व अन्य कार्य किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1977 से अब तक मूंडवा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 572 कार्य पंचायतों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराये गये हैं। कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबन्धित बसेज़,

143.

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा),
श्री शिवदानसिंह (जैतारण),
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निजी मालिकों की बसों को अनुबन्धित किया जाता है ? यदि हां, तो जुलाई, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक किन-किन व्यक्तियों की गाड़ियां किन-किन रूट्स पर किन-किन शर्तों के अधीन व दरों पर लगाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निजी मालिकों की बसों को अधिक मात्रा में लगाने के प्रयोजन से सक्षम अधिकारियों द्वारा निगम की बसों को जानबूझ कर खराब करने तथा समय पर मरम्मत नहीं कराने की शिकायत है ? यदि हां, तो क्या तत्संदर्भ में जांच कराई जायेगी ?

(3) निजी मालिकों को विवेच्य अवधि में कितनी धनराशि प्रदत्त की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन-जिन निजी वाहन स्वामियों की बसें जुलाई, '77 से दिसम्बर, 79 की अवधि में जिन आगारों हेतु अनुबन्ध पर ली गई हैं उनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है, इन वाहनों को जिन-जिन

(यातायात मंत्री)

शर्तों पर लिया गया है वह परिशिष्ट-'व' पर संलग्न हैं। ये वाहनें माह जुलाई, 1977 से निम्न दर पर लगाई गई :-

1. 1974 से नीचे के माडल की वाहनों को 1.20 पैसा प्रति कि.मी. प्रथम 200 कि. मी. तक एवं इससे आगे 1.00 रुपये प्रति कि. मी.।
2. 1974 एवं इससे ऊपर के माडल की वाहनों को 1.20 पैसा प्रति कि. मी. प्रथम 275 कि. मी. तक एवं इससे आगे 1.00 रु. प्रति किलोमीटर।
3. 1979 के माडल की वाहनों को 1.30 पैसा प्रति कि. मी. प्रथम 275 कि. मी. तक व इससे आगे 1.10 पैसा प्रति किलोमीटर।

(2) जी नहीं। निगम के पास समुचित मात्रा में वित्तीय साधनों की अनुपलब्धि, यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने व यात्रीभार की उपलब्धता के आधार पर स्वयं की वाहनों की कमी होने के कारण निजी वाहन स्वामियों की वाहनें अनुबन्ध पर ली गई हैं।

(3) निजी बस मालिकों को विवेच्य अवधि में 266.11 लाख रुपयों की राशि का भुगतान किया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भीलवाड़ा नगर के बाजारों से हटाये गये केबिन होल्डर्स

144. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भीलवाड़ा नगर के विभिन्न बाजारों में स्थित किन-किन केबिन होल्डर्स की केबिन सन् 1976 में नगर परिषद् द्वारा हटाई गई ? उनमें से कितने व्यक्तियों को अन्य स्थानों पर बसा दिया गया और कितनों को किन-किन कारणों से नहीं बसाया गया ?

उत्तर

नगर परिषद् भीलवाड़ा द्वारा 1978 में कुल 126 केबिनें हटाई गई थी। इनमें से 84 व्यक्तियों को अन्य स्थान पर दुकानें दे दी गई। 14 व्यक्तियों को अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है तथा शेष 28 व्यक्तियों को उनके पास पहले से ही स्वयं की दुकानें होने अथवा केबिन को गोदाम के कार्य में लिये जाने अथवा प्रस्तावित स्थान पर दुकानें लेना स्वीकार नहीं करने के कारण अन्यत्र भूमि नहीं दी गई।

परिवहन निगम की बसें

145. श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसेज हैं ? इनमें से कितनी बसेज चालू हालत में हैं ? कितनी बसें मरम्मत अधीन हैं और कितनी बसेज मरम्मत तलब नहीं हैं ?

(2) निगम को वर्ष 1979-80 में कितना शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई ?

(3) जयपुर नगर में जो सिटी बसेज चलाई जा रही हैं उनसे सरकार को कितना लाभ अथवा हानि हो रही है और क्या

(यातायात मंत्री)

संचालित बसेज नगर की उत्तरोत्तर बढ़ रही आबादी और दूर दराज अवस्थित उप-नगरियों के निवासियों के लिये पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) निगम के पास 2254 वाहनें हैं, इन वाहनों में से 1592 चालू हालत में हैं। शेष मरम्मत अधीन वाहनें 662 हैं, इनमें से 28 मरम्मत तलब नहीं हैं।

(2) निगम को वर्ष 1979-80 की अवधि में 429.74 लाख रु० की अनुमानतः हानि हुई है।

(3) जयपुर नगर में निगम द्वारा संचालित वाहनों से निगम को वर्ष 1979-80 की अवधि में 55.57 लाख रु० व माह अप्रैल, 80 में 4.12 लाख रुपये का घाटा हुआ है। वर्तमान में नगरीय सेवाओं हेतु निगम के पास 110 वाहनें हैं। गत वर्ष नगर वाहन सेवा में सुधार लाने हेतु सर्वेक्षण कराया गया था जिससे यह विदित हुआ था कि इन सेवाओं के प्रत्येक मार्ग पर वाहनों की वृद्धि किया जाना आवश्यक है, लेकिन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निगम पर्याप्त संख्या में वाहनें उपलब्ध कराये जाने में असमर्थ है।

सुखराम जी का टांका, जोधपुर की भू-आवंटन योजना

146. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने सुखरामजी का टांका की भूमि के आवंटन की कोई योजना बनाई है तथा इस योजना में कुछ लोगों को इस योजना में भू-खण्ड आवंटन किये हैं ? यदि हां, तो यह योजना कब बनी तथा आवंटन किस कानून व नियमों के तहत किया गया ?

(2) कुल कितने व्यक्तियों को इस योजना में भू खण्ड आवंटित किए तथा किन किन को ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) इस योजना के बनाने तथा आवंटन करने के लिए जिन अधिकारियों ने कानून की अवहेलना की उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) इस नाम की कोई योजना न्यास द्वारा नहीं बनाई गई है। अतः आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) कोई भूखण्ड आवंटन नहीं किये गये हैं।

(3) योजना नहीं बनाई गई है, अतः आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

टौंक में डेयरी स्थापना

147. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या टौंक में डेयरी स्थापित करने की योजना की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है तथा कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

टौंक में एक 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का अवशीतन केन्द्र स्थापित करने की योजना विचाराधीन है, इस पर शीघ्र निर्णय की सम्भावना है।

पाली जिले के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हुई हड़ताल

148. श्री सुखलाल सेंगचा (रायपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में जनवरी 1977 से मई, 1980 तक कितने औद्योगिक संस्थाओं में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की व राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(2) इस समय पाली जिले में कहां-कहां श्रमिक असंतोष के कारण हड़ताल चल रही है ? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल 12 संस्थानों में हड़ताल हुई जिनमें से आठ मामलों में आपसी समझौता होकर हड़ताल समाप्त हुई। 4 मामलों में विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत निर्णयार्थ न्यायाधिकरण को भेजा गया।

(2) इस समय पाली जिले में कहीं भी हड़ताल नहीं चल रही है।

नागौर कृषि उपज मन्डी यार्ड

149. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर कृषि उपज मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और उसमें से कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) कृषि उपज मंडी यार्ड का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और कब तक सम्पूर्ण होने की सम्भावना है ? कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) नागौर कृषि उपज मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु विकास परियोजना 29.92 लाख रुपये लागत की स्वीकृत की गई। जिसके अन्तर्गत मई, 1980 तक मण्डी निर्माण पर 18.59 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(2) मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य मण्डी समिति स्वयं के उपलब्ध साधनों से वर्ष 1975–76 में प्रारम्भ किया गया तथा मार्च, 1981 तक सम्पूर्ण किये जाने की सम्भावना है। कार्य में विलम्ब नहीं हुआ। जैसे-जैसे आवश्यक धन राशि मिलती गई तथा निर्माण सामग्री मिलती रही, कार्य प्रगति पर रहा।

अजमेर में अजयनगर उपनगरी का प्राथमिक विद्यालय

150. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :–क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अजमेर नगर की अजयनगर उपनगरी में खोले गये प्राथमिक विद्यालय के लिये सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो भवन व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। भवन उपलब्ध कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्य में पशुवध

151. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में कुल कितने बकरे किन-किन पशु वध शालाओं में काटे गये ? क्या यह सही है कि राज्य में मांसाहारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है ?

(2) क्या यह सही है कि आजादी के पूर्व जिन अनेक भूतपूर्व रियासतों में पाड़े का मांस खाने की मुमानियत थी व पाड़े नहीं काटे जा सकते थे ? यदि हां, तो क्या यह सही नहीं है कि जयपुर व कोटा में स्टेट्स के समय से पशुवध शालाओं के कानून बने होते हुए भी रोजाना पाड़े नहीं काटे जा रहे थे ?

(3) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य की हानि की दृष्टि से पाड़े का मांस निकृष्टतम श्रेणी में आता है व इसीलिए रियासतों के समय में इस पर पाबंदी थी।

(4) कोटा नगर में पशुवध शालायें, कहां-कहां स्थित हैं उस पर गत तीन माह में कौन कौन से पशु कितनी-कितनी मात्रा में काटे गये ? विस्तृत ब्योरा सदन में प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार काटे गये बकरों की संख्या 10,19,044 रही है।

(2) जी हां।

(3) रियासतों के समय की पाबन्दी के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

कोटा नगर में गत तीन माह में काटे गये पशुओं का विवरण निम्नानुसार है :—

माह	बकरे	पाड़े	योग
अप्रेल, 80	972	560	1532
मई, 80	788	704	1492
जून, 80	1041	753	1794

वन खंड सराडा के परसाद ग्राम में काश्तकारों की जमीन पर कब्जा

152. श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1979-80 में वन विभाग द्वारा कितने कार्य कहां-कहां चलाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अकाल के समय कितनी राशि व्यय हुई ? वन खण्ड सराड़ा में अकाल में किन-किन स्थान पर कार्य चलाये गये एवं कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(3) क्या यह सही है कि परसाद ग्राम में काश्तकारों की जमीन पर वन विभाग ने जबरन कार्य चला कर खातेदारी जमीन पर कब्जा किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि परसाद के कुछ काश्तकारों ने उप-जिलाधीश को इसकी सूचना दी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि रिखबदेव थानेदार ने मौके पर आकर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(वन मंत्री)

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) वर्ष 1979-80 में अकाल राहत कार्यों पर कुल रु० 61942.69 पैसा व्यय हुआ। तहसील सराड़ा में अकाल राहत कार्य वन खण्ड ढनका वाड़ा में चलाया गया। इस राहत कार्य पर मार्च, 80 तक रुपया 19027.44 का व्यय हुआ ।

(3) जी नहीं ।

(4) यह सूचना इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

(5) नाजायज काश्त करने वाले काश्तकारों ने माह मार्च में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें पुलिस ने एफ. आर. दे दी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं

153. श्री प्रभुलाल (हिन्डोली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने छात्रावास, बाल कल्याण केन्द्र या शिशु कल्याण केन्द्र संचालित होते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(2) शिशु कल्याण केन्द्र या बाल कल्याण केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित हैं ? इन केन्द्रों पर क्या पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाता है ? अगर हां, तो प्रत्येक शिशु पर कितना खर्च किया जाता है ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखा जाय ।

(3) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा पौष्टिक आहार तैयार करने की योजना है जिससे कम खर्च से उत्तम पौष्टिक आहार बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास, बालक कल्याण केन्द्र तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की सूची संलग्न है ।

(2) शिशु कल्याण केन्द्र या बाल कल्याण केन्द्र जहां जहां पर स्थापित हैं वह संलग्न सूची में अंकित है । पालना गृह के अलावा यह सभी केन्द्र आवासीय संस्थाएं हैं जिनमें रहने वालों के भोजन, वस्त्र आदि का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । पालना गृह में कामकाजी महिलाओं के बच्चों को केवल दिन के समय देखभाल के लिए रखा जाता है जहां उन्हें उनकी उम्र के अनुसार दूध, बिस्कुट्स, दलिया, खिचड़ी आदि दिया जाता है जिस पर प्रतिदिन प्रति बालक एक रुपया व्यय होता है ।

(3) विभाग द्वारा पौष्टिक आहार तैयार करने के विषय पर अभी विचार विमर्श चल रहा है । कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

बाघ परियोजना रणथम्भोर

154. श्री चुन्नीलाल (खन्डार) :-क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले वर्ष 1979-80 में बाघ परियोजना, रणथम्भोर, सवाई माधोपुर को विश्व वन्य जीव कोष, राज्य सरकार

Page No. 37

(37)

(श्री चुन्नीलाल)

केन्द्रीय सरकार एवं अन्य स्रोतों से परियोजना के विकास हेतु कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई? उक्त धनराशि से किन किन मदों में कितनी कितना रुपया किस प्रकार खर्च किया गया।

(2) क्या बाघ परियोजना, रणथम्भोर सवाईमाधोपुर का फील्ड डायरेक्टर हर वर्ष प्रति पशु 25 रुपये से लेकर 40 रुपये नाजायज वसूल कर बाघ परियोजना क्षेत्र के अन्दर पशुओं को चराने की अवैध इजाजत देता आया है?

(3) क्या 1979-80 में बाघ परियोजना अधिकारी, रणथम्भोर, सवाई-माधोपुर द्वारा प्रति पशु रुपये 40 काश्तकारों से नाजायज तौर पर लेकर पशुओं को परियोजना क्षेत्र में अन्दर चराई हेतु अवैधानिक प्रवेश करवाया? क्या फील्ड डायरेक्टर श्री फतेह सिंह के उक्त कृत्य के लिए ग्रामवासियों ने सी. सी. एफ. जयपुर को कोई शिकायत की थी? सी. सी. एफ. जयपुर ने शिकायत की जांच मौके पर की या नहीं? इस जांच रिपोर्ट का क्या नतीजा रहा? तथा दोषी अधिकारी को दण्डित किया गया या नहीं?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, परन्तु परियोजना क्षेत्र में ग्रामवासियों द्वारा नाजायज चराई की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। जिन पर नाजायज चराई कराने वाले ग्रामवासियों से वन अधिनियम के तहत मुआवजे वसूल किये गये हैं।

(3) वर्ष 79-80 में बाघ परियोजना क्षेत्र में नाजायज चराई की शिकायतें तत्कालीन वन मंत्री को प्राप्त हुई, एवं उनके आदेश पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने मौके पर जांच की और शिकायत को सत्य पाया। प्रकरण में दोषी लोक सेवकों की विस्तृत जांच की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

आयुर्वेद विभाग द्वारा ट्रेकर की खरीद

155. श्री दयाराम जोशी (दीगोद): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1979-80 में आयुर्वेद विभाग ने कितने ट्रेकर खरीदे और उनका क्या उपयोग होता है? ये ट्रेकर किस कम्पनी से किस कीमत में खरीदे गये व राजस्थान के कौन-कौन से नगरों में ये ट्रेकर भेजे गये?

(2) क्या राज्य में आयुर्वेद चल वाहन कार्यरत हैं? यदि हां, तो कहां कहां?

(3) क्या 1979-80 में 3 चल वाहन खरीदने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो क्या वे वाहन खरीद लिये गये हैं? कितने वाहन किस-किस कीमत पर किस संस्थान से खरीदे गये? उन्हें कहां कहां लगाने का विचार है?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में चार ट्रेकर खरीदे गये। इनमें से एक ट्रेकर क्षेत्रीय उप-निदेशक, आयुर्वेद विभाग, कोटा व जयपुर द्वारा उनके अधीनस्थ औषधालयों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य हेतु आवं-

(आयुर्वेद मंत्री)

टित हैं। शेष दो ट्रेकर में से एक-एक चल चिकित्सालय वाहन के रूप में कोटा एवं बांसवाड़ा जिलों में कार्य में लिये जा रहे हैं। ये चारों ट्रेकर डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0, न्यू दिल्ली द्वारा अनुमोदित दर पर मैसर्स वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स मोटर्स, जयपुर से निम्न दरों पर क्रय किये गये हैं:—

1– दो ट्रेकर रु0 66,366.63 प्रति ट्रेकर

2– दो ट्रेकर रु0 66,552 53 प्रति ट्रेकर ये चारों वाहन कोटा। जयपुर 1, एवं बांसवाड़ा 1 जिलों में भेजे गये हैं।

(2) जी हां, राज्य में पांच आयुर्वेद चल चिकित्सालय वाहन हैं जो कोटा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में स्थापित किये गये हैं।

(3) जी नहीं। वर्ष 1979-80 में केवल दो चल वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया था। जी हां, उपरोक्त दोनों वाहन खरीद लिये गये हैं। ये वाहन डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0 दर पर मैसर्स वेस्टर्न इण्डियन स्टेट्स मोटर्स, जयपुर से रु0 87,342.53 पैसे प्रति वाहन की दर से क्रय किये गये। ये दोनों वाहन क्रमशः बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों के चल चिकित्सालयों के लिये खरीदे गये हैं।

निम्बाहेड़ा डिस्पेन्सरी में रिक्त पदों को भरना

156. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

कनेरा गांव निम्बाहेड़ा में, पिछले कितने समय से डिस्पेन्सरी में डाक्टर एवं सीनियर कम्पाउण्डर नहीं है ? वहां अब तक डाक्टर एवं सीनियर कम्पाउन्डर क्यों नहीं भेजा गया ? अब कब तक वहां डाक्टर एवं कम्पाउण्डर की पोस्टिंग कर दी जायगी ?

उत्तर

कनेरा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक चिकित्सक का पद स्वीकृत है जो वर्ष 1979 से रिक्त है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कनेरा में पूर्व में निदेशालय के आदेश क्रमांक 373 दिनांक 3-9-79, 71 दिनांक 9-2-80 व 112 दिनांक 17-3-80 के द्वारा डाक्टरों को पदस्थापन किये गये थे परन्तु उनके कार्यभार न सम्भालने के कारण यह पद रिक्त चला आ रहा है। अब उस पर पुनः डाक्टर को लगाने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

सीनियर कम्पाउण्डर का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

प्रशिक्षण प्राप्त उद्योग शिक्षकों का राज्य सेवा में नियोजन

157. श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रशिक्षण प्राप्त उद्योग शिक्षक कितने हैं तथा कितनों को राज्य सेवा में नियोजित किया जा चुका है और शेष के नियोजन के बारे में क्या विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 10+2 शिक्षा प्रणाली प्रायोगिक तौर पर किन-किन एवं कितने विद्यालयों में

(श्री शिवराम शर्मा)

चलाई गई और इस पर कितना व्यय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उद्योग प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को राज्य सेवा में नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में कार्यरत उद्योग शिक्षक 537 हैं। उद्योग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो या तो नौकरी नहीं करते या करते भी हैं तो कहीं दूसरी अच्छी नौकरी मिलने पर छोड़ कर चले जाते हैं। राजस्थान के बहुत से लोग दूसरे राज्यों में भी उद्योग का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं इसलिये यह संख्या बतलाना सम्भव नहीं है कि राजस्थान के कितने लोगों ने उद्योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है।

राजस्थान के विद्यालयों में जैसे-जैसे उद्योग शिक्षकों के स्थान रिक्त होते हैं उन्हें नियमानुसार वरीयता सूची बना कर प्रत्येक जिलों में नियुक्ति दी जाती है।

(2) 10+2 शिक्षा प्रणाली अभी लागू नहीं की गई हैं।

(3) उद्योग शिक्षकों की भर्ती के दो तरीके हैं –

[1] सीधी भर्ती से

[2] पदोन्नति से

सीधी भर्ती से: – रिक्त पदों के लिए विज्ञापन करके आवेदन मांगे जाते हैं। नियुक्ति अधिकारी द्वारा गठित कमेटी इन आवेदन पत्रों की जांच करके एक वरीयता सूची तैयार करती है और उसी वरीयता अनुसार नियुक्तियां दी जाती हैं।

पदोन्नति से: – वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने का नियमों में प्रावधान है।

कनिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

158. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण, प्रथम, जयपुर के द्वारा माह फरवरी, 1979 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ट लिपिक के पद पर पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो कब किस मापदण्ड से ? कृपया पदोन्नति आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) क्या यह सही है कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा माह अप्रेल 1979, में कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो कब और कितने कर्मचारियों को ? कृपया आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(3) उक्त दी गई पदोन्नतियों वाले कर्मचारियों के बारे में निम्न जानकारी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें:—

1. योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
2. नियुक्ति-पत्र की प्रतिलिपि।
3. जाति व नाम सहित पूरा पता।

Page No. 40

(40)

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। रोस्टर प्रणाली के अनुसार। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) पदोन्नति नहीं दी गई।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)।

क्षय निदान केन्द्र स्थापना के मापदण्ड

159. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर):-क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्षय निदान केन्द्र स्थापित करने हेतु नियमों में क्या प्रावधान है ? क्या क्षय निदान केन्द्र कस्बे, शहर अथवा घनी आबादी वाले क्षेत्र के मध्य स्थापित किये जा सकते हैं ?

(2) ऐसे कितने क्षय निवारण के केन्द्र हैं, जो शहर के मध्य में स्थापित हैं ?

(3) क्या सरकार क्षय निवारण केन्द्रों को आबादी से दूर स्थापित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर शहर में क्षय निवारण केन्द्र के आबादी के मध्य स्थित होने से पड़ोसी नागरिक अकारण ही क्षय रोग के शिकार बन जाते हैं, यदि हां, तो क्या यह सरकार गैर जिम्मेदाराना रूप में नागरिकों के साथ उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं कर रही है ?

(5) क्या सवाई माधोपुर क्षय निवारण केन्द्र के पड़ोस में आवास करने वालों को क्षय रोग का विशेष रूप से सर्वेक्षण कर निदान करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोई नियम नहीं है परन्तु राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक जिले में एक-एक क्षय निवारण केन्द्र स्थापित करें। ये केन्द्र आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं।

(2) शहर के मध्य में स्थापित क्षय निवारण केन्द्रों की संख्या 28 है।

(3) जी नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं है।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

बाड़मेर जैसलमेर जिलों के आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्यों का पदस्थापन

160. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में आयुर्वेद औषधालय कितने हैं ? पंचायत समितिवार संख्या बताने की कृपा करें।

(2) बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में कितने औषधालयों में वैद्य नहीं हैं ? पंचायत समितिवार नाम बताने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सही है कि कई औषधालयों में वैद्य रिकार्ड में हैं किन्तु वास्तव में वहां कार्य नहीं करते ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में आयुर्वेदिक औषधालय क्रमशः 55 व 23 हैं।

पंचायत समितिवार संख्या निम्नानुसार है:—

जिला	पंचायत समिति	औषधालय/चिकित्सालय
बाड़मेर	बाड़मेर	7
	बालोतरा	10
	सिवाना	8
	चौहटन	5
	गुढामालानी	7
	सिणदरी	6
	वायतु	5
	शिव	7
	योग	55
जैसलमेर	जैसलमेर	8
	साकड़ा	6
	सम	8
	पोकरण	1
	योग	23

(2) इन जिलों के निम्न औषधालयों में वैद्य के पद रिक्त थे जो अब भर दिये गये हैं:—

जिला	औषधालय का नाम	पंचायत समिति
बाड़मेर	मोवलसर	सिवाना
	मारले	जालोधरा
	रावतसर	सिणदरी
	खेतरोक	बाड़मेर
जैसलमेर	बड़ोडानाग	जैसलमेर
	चादन	,,
	म्याकलार	सम

(3) जी नहीं।

बांगड अस्पताल, पाली के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

161. श्री भैरु सिंह गुर्जर (खारची): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि बांगड़ अस्पताल पाली के डाक्टरों के विरुद्ध आम जनता व विभिन्न संस्थाओं की तरफ से कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से डाक्टरों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें कब से विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि कई डाक्टरों के विरुद्ध पुलिस, सतर्कता कमेटी में भी शिकायतें विचाराधीन हैं?

(4) क्या सरकार ऐसे डाक्टरों को तुरन्त हटाकर जांच कर दण्डित करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है।

(3) शिकायतों पर आवश्यक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जो प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं।

(4) जी नहीं।

जांच के दौरान दोषी पाये गये डाक्टरों को ही नियमानुसार दण्डित किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां

162. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) समाज कल्याण विभाग में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, कारागार कल्याण अधिकारी एवं अन्वेषक के कितने पद कितने कितने समय से रिक्त हैं व क्यों ?

(2) इन पदों पर नियुक्तियों हेतु विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इनके लिए क्या-क्या योग्यताएं निर्धारित की गई ?

(3) इन पदों पर नियुक्तियां कब तक करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विभाग में इस समय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, कारागृह कल्याण अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं है। अन्वेषक के 4 पद दिनांक 11–1–80 से इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाने के कारण रिक्त हैं।

(2) अन्वेषक की नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने की प्रक्रिया है। अन्वेषक के पदों के लिये कम से कम योग्यता स्नातक निर्धारित है।

मितव्ययता की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा तदर्थ नियुक्तियों/पदोन्नतियों पर रोक लगाये जाने के कारण यह पद अभी तक नहीं भरे जा सके हैं। ज्यों हीं रोक समाप्त होगी पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर तबके का आवासीय सुविधा

163. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत 1980-81 के बजट में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान गांवों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत राजस्थान के किन गांवों में कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान को अलग से कोई राशि अभी तक आवंटित नहीं हुई है। अतः कोई कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है।

पाली जिले में वन विभाग के अन्तर्गत कमाण्ड एरिया व रेन्ज

164. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) पाली जिले में कितना व किन-किन स्थानों पर वन विभाग का कमाण्ड एरिया व रेंज है? उनमें कितना घास संकलित होता है?

(2) जहां वन विभाग के कमाण्ड एरिया हैं वहां गांवों में पशुओं के लिए चरने की क्या व्यवस्था है तथा उनसे कितनी आय प्राप्त होती है?

(3) पाली जिले में कौन-कौन से स्थानों पर कितने वृक्षारोपण का प्रावधान रखा गया है?

उत्तर

(1) पाली जिले में कुल 93,888 हैक्टेयर वन क्षेत्र है रेन्ज वार वन क्षेत्र की सूची संलग्न है। पाली जिले के पांच रेन्जों में लगभग 30,000 क्विन्टल घास एकत्रित होता है।

(2) वन विभाग की बीडों में पंचायतों को तीन साला औसत के आधार पर घास का ठेका दिया जाता है। यदि पंचायतें ठेका नहीं लेती हैं तब खुले नीलाम में घास ठेका दिया जाता है। लेकिन दुर्भिक्ष के समय वन विभाग द्वारा घास एकत्रित किया जाता है एवं घास काटकर एकत्रित करने के पश्चात इस क्षेत्र में पशुओं को चरने की इजाजत दे दी जाती है। चराई से पाली जिले में वन विभाग को लगभग रुपये 18,2000.00 पैसे की आय होती है।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) सर्वश्री ललित किशोर चतुर्वेदी व दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार के आश्वासन के बावजूद कोटा जिले में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने के विषय में।

(2) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 23 जुलाई को रोहीडा, जिला सिरोही में, 5 आदिवासी युवतियों के साथ किये गये सामुहिक बलात्कार के विषय में।

(3) श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में कातरे के कारण कई जिलों में तथा श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर जिले की 5 पंचायत समितियों में कातरे से फसलें नष्ट हो जाने के विषय में।

(5) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरियाणा से उजीना ड्रेन में अधिक

(श्री अध्यक्ष)

पानी छोड़ने के कारण राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाने के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। श्रौर जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(5) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की श्रोर से श्रलवर शहर में गत 11 जुलाई से बैंकों का कारोबार बन्द हो जाने के विषय में।

बैंकों का सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है, श्रतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) सर्वश्री श्रनंगकुमार जैन, बालचन्द्र श्रार्यवीर, सुश्री पुष्पा व श्री शिवदान सिंह, सदस्य, विधान सभा की श्रोर से झालावाड़ शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई लूटमार व हमले श्रादि की घटना के विषय में।

इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास श्रावश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की श्रोर से किशनगढ़ में एक कृषि भूमि पर किये जा रहे श्रवैध मकान निर्माण के विषय में।

यह एक व्यक्तिगत मामला है श्रौर श्रविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, श्रतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जैसा कि मैंने पूर्व में सदन से निवेदन किया था, जिन विषयों पर सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, उन पर माननीय सदस्य श्राज नहीं बोल सकेंगे, लेकिन जिनके स्थगन प्रस्तावों को मैंने श्रस्वीकृत कर दिया है, उन पर दो-दो मिनट यदि वे चाहें तो अपने विचार सदन के सामने व्यक्त कर सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव श्रादि पर चर्चा

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रापने जानकारी के लिये सरकार को भेजा है, किन्तु कुछ ऐसे मसले हैं....

श्री अध्यक्ष : हम ताकीद कर रहे हैं। श्रापने जो फर्माया, यह पहले भी उठाया था, श्रौर श्रापने दुबारा भी उठाया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस सम्भाग में पाठ्य-पुस्तकों की वितरण व्यवस्था ठीक से नहीं बैठी है, उसकी जानकारी ले रहे हैं, कल श्रापको श्रवसर दे देंगे।

(व्यवधान)

श्रापके उसमें भी वही स्थिति है। बाद वाले प्रश्न को हमने....

श्री नाथूसिंह : नहीं नहीं, मेरा श्रलग से है। जयपुर मेटल्स के बारे में है। उसे सरकार अधिग्रहण करे। उसमें हड़ताल चल रही है, उसके बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा, माननीय सदस्य, यहां नहीं होगी। इस पर सरकार से जानकारी की जा रही है।

श्री नाथूसिंह : हमें मालूम नहीं पड़ता उसके बारे में क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : यहां मालूम नहीं पड़ सकता है। चैम्बर में मिलें, आपको सूचित कर दिया जायेगा। महत्वपूर्ण मामला था तो उसके बारे में....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस मामले में 19 गिरफ्तारियां परसों हुई हैं। कम से कम नहीं तो मैटल्स में 200 आदमियों को निलम्बित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कातरे की बीमारी का मालूम कर रहे हैं। शीघ्रातिशीघ्र सरकार से जानकारी की जा रही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल्स को लेकर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला था। उन्होंने अब्दुल रहमान साहब से मिलाया था। उसके बाद सारे आश्वासन. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! उस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : लोगों को निकाला जा रहा है. . .

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। उस पर जानकारी चाही है। उस पर व्यवस्था की जायेगी।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 गिरफ्तारियां की गई हैं. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजस्थान सरकार के निर्णय के विपरीत यह कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था को बनाये रखेंगे तो अच्छी तरह से चर्चा हो सकेगी। माननीय सदस्य, जीतमल जैन कुछ कहना चाहें तो बैंकों के बारे में दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल इसके बारे में चर्चा हो सकेगी, जयपुर मैटल्स के बारे में।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई से अलवर के बैंक में आपस में कर्मचारियों और मैनेजमेन्ट के विवाद को लेकर क्लियरिंग का सारा काम बन्द हो गया। उसके कारण उद्योगपति, व्यापारी, किसान और वेतन भोगी कर्मचारियों को चैक मिलते हैं, उनका भुगतान होना मुश्किल हो गया है। सरकार के खजाने में भी लाखों रुपये के चैक आये हैं, वह भी किसी तरह से पास नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण आम नागरिक का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह पहला मसला ही नहीं है, बल्कि पिछले चार महीनों के अन्दर बैंक की क्लियरिंग चार बार बन्द हो चुकी है, 15-15, 20-20 दिन के लिये। उसके परिणामस्वरूप सारे अलवर के नागरिकों को बड़ा कष्ट हो रहा है। यह बात राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब सारा आम जीवन त्रस्त है और आम आदमी का जीवन प्रभावित है तो राज्य सरकार बिल्कुल साइलेन्ट इस्पेक्टेटर

(श्री जीतमल जैन)

बन कर नहीं रह सकती है। उसमें निश्चित रूप से प्रशासन को कुछ सक्रिय होकर कदम उठाना चाहिये और कुछ रास्ता निकालना चाहिये। बात कुछ भी नहीं है, केवल एक छोटी सी बात को लेकर कर्मचारियों और मैनेजमेंट में, विवाद है, जिसको बैठकर प्रशासन सुलझा सकता है। मैंने जिलाधीश महोदय से इस सम्बन्ध में दो–तीन बार निवेदन किया और अन्य व्यक्तियों से मिला लेकिन हमारे जो जिले के अधिकारी हैं, वह इस सम्बन्ध में बिल्कुल निष्क्रिय हैं। उन्होंने एक तकिया–कलाम गढ़ रखा है कि मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं, मेरी शक्ति के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा विवाद एक छोटा सा है। पहले पुराने स्टेट बैंक की जो शाखा है, क्लियरिंग का काम वहां पर होता था, कुछ महीने पहले स्टेट बैंक की एक नयी शाखा क्लियरिंग के लिये खोली गई है। अब वहां पर क्लियरिंग का काम होता है। आने जाने के लिये जो दैनिक भत्ता दिया जाना चाहिये, उस भत्ते के मामले, जो केवल दो रुपये का मसला है, को लेकर मैनेजमेन्ट और उसके बीच विवाद चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के प्रशासन को आदेश दें या फिर बैंक के जो अधिकारी हैं या जो संबंधित लोग हैं, उनको आदेश दें कि किसी प्रकार इस मसले को सुलझायें ताकि जल्दी से जल्दी क्लियरिंग का काम शुरु हो, और वहां उद्योगपति, आम आदमी इस कष्ट से त्राण पा सकें। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन !

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में झालावाड़ शहर के अन्दर 6 जुलाई, 80 को नागरानी सुपरवाइजर को 40–50 असामाजिक तत्वों ने घेर कर उस के साथ मारपीट की। उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में उसी समय दर्ज करायी गयी। उसके बाद 9.7.80 को सुधीर कुमार और उनके लड़के के साथ असामाजिक तत्वों ने दुकान में घुस कर मारपीट की और उसकी जेब में से और गल्ले में से 2,500 रुपये छीन कर ले गये। इसकी सूचना उसी समय आई. जी. पुलिस को दे दी गई, मुख्य मंत्री महोदय को भी तार द्वारा सूचना दी गई। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और जिला पुलिस द्वारा गुण्डों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही नहीं की गई। 17 तारीख की रात को उन्हीं असामाजिक तत्वों ने मारपीट की और एक व्यक्ति के गले में से दो तोले की सोने की चैन छीन कर ले गये। इसकी रिपोर्ट भी करवाई गई। जब वह रिपोर्ट करने जा रहा था उन्हीं असामाजिक तत्वों ने कालेज के चार विद्यार्थियों के साथ मारपीट की और उन पर प्राणघातक हमला किया जिसमें तीन विद्यार्थियों के सिर पर 20-20 टांके आये। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है ? वहां की जनता ने शासन को सूचना भिजवाई। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं वहां के कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ता हैं।

(व्यवधान)

उन्होंने इस बात का मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया। कांग्रेस के 17 कार्यकर्त्ताओं ने आपसे निवेदन किया कि झालावाड़ जिले के अन्दर साम्प्रदायिकता ने जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर रखा है, असामाजिक तत्वों

(श्री अनंग कुमार जैन)

को संरक्षण दे रहे हैं। जिला प्रशासन कार्यवाही नहीं कर पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार एक के बाद एक करके चार घटनाएं हुई। लोगों पर प्राणघातक हमले किये गये। लोगों के जेवर छीन कर ले गये, पैसे छीन कर ले गये। भ्रष्ट पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आंखें मींच कर सोता रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया मुख्य मंत्री महोदय को कि संरक्षण दिया जाय वरना झालावाड़ शहर जल जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में !

श्री अनंगकुमार जैन : झालावाड़ शहर में पिछले 15 दिनों से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। दो दिन तक झालावाड़ शहर बन्द रहा। इसकी सूचना भी मेरे ख्याल से मुख्य मंत्री महोदय को पहुंच चुकी है। वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गुण्डा तत्व आज भी हावी हैं। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक स्थिति हो सकती है कि आज तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 20 दिन हो गये मुलजिमों को फरार हुए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक आम मसला है। आज झगड़े की स्थिति बढ़ती जा रही है। कहीं यह न हो कि 2-4 दिन बाद वह झगड़े का रूप लें लें और उसके भीषण परिणाम हों। आज जगह-जगह पर साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं। इसके परिणाम जनता को और सरकार को भुगतने पड़ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन दें कि इन तमाम मुलजिमों की गिरफ्तारी करके शीघ्र इनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र !

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में आज तक असामाजिक तत्वों ने आतंक फैला रखा है इसके बारे में मैं सदन को बतलाना चाहता हूं। इसी प्रकार की घटना पिड़ावा में एक माली समाज की औरत के साथ हुई। वहां के माली समाज की एक औरत को असामाजिक तत्वों ने जान से मार दिया। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

इसी प्रकार मैं आपको झालावाड़ जिले के बारे में बताना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र में गया। वहां इसी प्रकार का आतंक फैला हुआ है। वहां की जनता अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही है। जब मैं झालावाड़ गया, जिलाधीश और एस० डी० एम० से मिला और उन्हें बताया कि वहां की जनता और वहां के कई लोग, जो अपने आपको अच्छा समझते हैं, जो कांग्रेस (आई) के हैं, स्वयं उस घटना, जो घटना एक एक्सीडेंट को लेकर हुई, से सम्बन्धित जो वहां के असामाजिक तत्व हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन लोगों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वहां पर उन लोगों ने तानाशाही फैला रखी है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर जनता की सुरक्षा की व्यवस्था

Page No. 48

(48)

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

नहीं की गई तो ये घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा !

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि स्थगन प्रस्ताव के बारे में दोनों माननीय सदस्यों ने कहा और सारे तथ्यों की जानकारी सदन में दी। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगी कि असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह के कारनामे किये जायें और प्रशासन का ध्यान दिलाने के बावजूद भी प्रशासन अगर उसमें कोई दिलचस्पी न ले, इस सदन में आवाज उठाई जाय स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, तो मैं समझती हूं कि प्रशासन के लिये यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं बहुत संक्षेप में मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से इतनी ही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि यह बहुत चिन्ताजनक मामला है। यह झालावाड़ में ही नहीं पूरे राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। अगर प्रशासन ही नहीं सुनता है तो मैं समझती हूं इससे अपराधियों की हिम्मत बढ़ जायेगी। आपके मुख्य मंत्री पद पर होते हुए यदि ऐसा प्रशासन हो तो यह आपके लिये भी बहुत शर्मनाक बात है। आप इस बदनामी को अपने सिर पर नहीं लें और स्वच्छ प्रशासन राजस्थान को आप दें। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करती हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी, जो कि बहुत योग्य और काबिल हैं, इसमें दिलचस्पी लें और झालावाड़ के असामाजिक तत्वों, जो भी दोषी व्यक्ति हैं, के विरुद्ध जल्दी से जल्दी जांच करवा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवदान सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किशनगढ़ ग्राम के श्री गणपतलाल ... ...

श्री अध्यक्ष : किसी का नाम न लें, माननीय सदस्य !

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं साहब, यह तो सब जुडिस मामला है।

श्री अध्यक्ष : नाम लेना मान हानिकारक है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, इस व्यक्ति के नाम से किशनगढ़ ग्राम में भूमि है, रेवेन्यू रिकार्ड में है। गणपतलाल पुत्र मगनीराम ब्राह्मण के नाम से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सं. 2019 खसरा नं. 772 हल्का पटवा किशनगढ़ दर्ज है। इस भूमि को, श्रीमान, वहां के रतनसिंह और भागचन्द ने 39 हजार में खरीद की। भूमि की जब रजिस्ट्री कराई गई और रजिस्ट्री के दौरान तहसीलदार के रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज की गई तो इसको रेवेन्यू रिकार्ड में रेवेन्यू भूमि बता कर रजिस्ट्री की गई। दोनों ने भूमि खरीद ली। परन्तु खरीदने के बाद बिना आबादी में कन्वर्ट कराये इन दोनों, रतनसिंह और भागचन्द ने 18-11-77 को 16 प्लाट काट कर जमीन आबादी के लिए बेच दी। श्रीमान्, मेरी जानकारी के अनुसार टीनेंसी एक्ट की धारा 42 का यह सीधा उल्लंघन है। रेवेन्यू रिकार्ड में इसको कृषि भूमि माना गया है तो इसको आबादी के लिये नहीं बेचा जा सकता है।

श्रीमान्, जब वहां के लोगों को पता चला कि यह कृषि भूमि है और ये दोनों आदमी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पैसा कमाने के लिये इस भूमि को बेच रहे हैं तो वहां के लोगों ने नगरपालिका को शिकायत की और नगर पालिका ने तहसीलदार को शिकायत दी। तहसीलदार ने लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 के तहत नोटिस देकर पाबन्द किया कि बेच नहीं सकते। जब दोनों व्यक्तियों को नोटिस दे दिया गया, तहसीलदार ने पाबन्द कर दिया कि यह कृषि भूमि है, इसको आबादी में प्लाट काट कर नहीं बेच सकते फिर 26-6-78 को उसी तहसीलदार ने 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आबादी में बता कर बेचने की इजाजत दे दी।

तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वही तहसीलदार 4-6 महीने पहले इसे कृषि भूमि बताता है और 2-4 महीने बाद इसको आबादी में बता कर बिना कन्वर्ट करवाये बेचने की इजाजत देता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें तहसीलदार का क्या लक्ष्य है, क्या इरादा है। मैं यह भी नहीं कहना चाहूंगा कि तहसीलदार ने इसमें पैसा खाया या किसी अधिकारी ने पैसा खाया। लेकिन यह जो दो तरह के फैसले हैं जिनकी जनता में चर्चा बनी हुई है कि इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पनपा है। सरकार का जो कानून है, टीनेंसी एक्ट है उसका पालन नहीं हुआ है। इसके लिए तहसीलदार को दोषी माना जाना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वहां के लोग सरकार के पास आए, राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर के पास आये तो सरकार ने 26-6-79 को एक आदेश जारी किया और अजमेर के कलेक्टर को पाबन्द किया, स्टे आर्डर दिया कि जमीन को बेचने नहीं दिया जाए जब तक कि अन्तिम फैसला न हो जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस फैसले के अनुसार 26-6-79 को सरकार ने स्टे आर्डर दिया। उस आदेश के अनुसार 26-6-79 को जिलाधीश, अजमेर ने तहसीलदार को पाबन्द किया कि जो कार्यवाही हो रही है, जो अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको रोका जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार ने स्टे आर्डर दे दिया और जिलाधीश, अजमेर ने उसकी पालना में सम्बन्धित अधिकारियों को पाबन्द कर दिया, उसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार का इस तरह का आदेश है, फैसला है और उसकी पालना के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को पाबन्द कर दिया गया है तो यह सरकार की तोहीन है। चाहे वह जनता पार्टी का स्टे आर्डर है, वहां की नगरपालिका के प्रशासक सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, सरकार के आदेशों की अवहेलना करने के लिए उनको दंडित किया जाए। इससे सरकार की प्रतिष्ठा जाती है। अधिकारीगण मंत्रीगणों के आदेशों को नहीं मान रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस दिशा में पहल करे और जिलाधीश तहसीलदार को आदेश दें कि जो निर्माण कार्य जारी हैं, वे रोके जायं। इस भूमि के विवाद को लेकर एस. डी. एम. कोर्ट में वहां के नागरिकों की अपील चल रही है। इसलिए अपील पर अन्तिम फैसला न हो जाए तब तक इस निर्माण कार्य को रोका जाए। यही मेरा निवेदन है कि श्री रतन

(श्री गौपाल पचेरवाल)

को पाबन्द करें कि जो वह भूमि के प्लाट काट कर मकान के निर्माण के लिए बेच रहा है वह न बेचे। यह मेरा निवेदन है।

सन्देश
राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :

"जुलाई 15, 1980.

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 14 जुलाई, 1980 का अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या एफ 10 (1) सदन/वि.स / 80/24927 मिला। इस कृतज्ञता सन्देश के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरा कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवदीय,

रघुकुल तिलक"

अनुपस्थिति अनुमति

श्री भैरुंलाल भारद्वाज को 28 जुलाई 1980 से सत्रावसान तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री भैरूलाल भारद्वाज ने दिनांक 28 जुलाई, 1980 से सत्रावसान तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थिति के लिए आज्ञा चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि श्री भारद्वाज को 28 जुलाई, 1980 से सत्रावसान तक अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उनके पांव में तकलीफ है। मैं यह महसूस करती हूं कि सत्रावसान तक अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति देना ठीक नहीं होगा। वे सात-आठ दिन में ठीक होकर आ सकते हैं। ठीक हो जाएं तो उनको आने दीजिए। नये सदस्य यहां आकर अपनी बात तो कह सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य की बीमारी को चर्चा का विषय न बनाया जाए, तो ठीक होगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

व्यवस्था का प्रश्न
अधिसूचना सदन की मेज पर रखने में विलम्ब

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार जो अधिसूचनाएं प्रकाशित होती हैं, सदन की परिपाटी और नियम यह है कि उस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तुरन्त पश्चात्

(श्री नाथूसिंह)

उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह अधिसूचना बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। उसके पश्चात् 4 जुलाई से 15 जुलाई तक सदन की बैठक चली है और उसके बाद सदन स्थगित हुआ है लेकिन अब जाकर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इसको सदन की मेज पर रख रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान पहले के अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश, व्यवस्था की ओर दिलाना चाहूंगा। यह व्यवस्था दी गई है 18 अप्रेल, 1962 को तत्कालीन सदन के विरोधी दल के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत ने इस प्रश्न को उठाया था और उस समय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था, रूलिंग दी थी। उन्होंने कहा था "इसमें कोई कारण नहीं बताये गये हैं कि अधिसूचना इतने विलम्ब से सदन की मेज पर क्यों रखी जा रही है !" उस समय रूलिंग में यह व्यवस्था दी गयी थी कि प्रकाशित होने के तुरन्त पश्चात सदन की मेज पर इसको रखा जाना चाहिए। इसी तरह की दूसरी रूलिंग 16 मार्च, 1971 की है। माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल ने इस प्रश्न को उठाया था व्यवस्था के प्रश्न के जरिये और उस समय भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित मन्त्री महोदय को ताड़ना दी थी कि इन्हें विलम्ब से क्यों रखा जाता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिसूचना इस सदन की मेज पर रखी जावे वह प्रकाशित होते ही रखी जावे....

श्री अध्यक्ष : तारीख तो बताइये।

श्री नाथूसिंह : 3 जनवरी, 1980....

अध्यक्ष महोदय, यह दोनों महत्वपूर्ण निर्णय हैं। 16 मार्च, 1971 की जो रूलिंग है अगर आप इजाजत दें तो उसको पढ़ कर सुना दूं। अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय को ताड़ना दी है। यह लिखा है "श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने अधिसूचनाओं को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में जो आपत्ति का प्रश्न उठाया है उस प्रश्न को माननीय मन्त्री ने स्वयं स्वीकार करते हुए खेद प्रकट किया है लेकिन अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर प्रस्तुत करने में इतना विलम्ब होना, बिना इसके कारणों की जानकारी किये, यह खेद का विषय अवश्य है। पहले भी माननीय सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है। आसन से भी सरकार को आगाह किया गया कि वे विलम्ब के कारणों में जाये कि आखिर विलम्ब, शिथिलता क्यों होती है। मैं अब राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं इसमें विलम्ब हुआ है जिसके कारण मन्त्री महोदय को निष्कारण, जिन की शिथिलता के आधार पर खेद प्रकट करना पड़ा है वे इस सम्बन्ध में कारणों का पता लगावे और माननीय सदस्यों द्वारा जो चिन्ता अभिव्यक्त की गई है वह संदर्भ भविष्य में पैदा नहीं हो।....

श्री अध्यक्ष : हम आपकी बात को समझ गये हैं....

श्री नाथूसिंह : इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, एक दूसरे मामले में माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उस पर अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी थी। यह कहा है कि आइन्दा पूरा ध्यान रखें कि इस तरह की बात न आवे। इनमें विलम्ब उचित नहीं है। मन्त्री महोदय इस ओर विशेष तोर से ध्यान रखें। मैं

(श्री नाथूसिंह)

आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् अभी तक मुख्य मन्त्रीजी ने या सरकार ने सदन की मेज पर क्यों नहीं रखी ? इसके कारणों से हमें अवगत नहीं कराया है। मैं मानता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी नये हैं इसलिए हो सकता है कि उनको जानकारी न हो या उनके अधिकारियों ने इस बारे में अंधकार में रखा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो जो कारण विलम्ब के रहे हैं उसके लिए रिग्रेट शो करें, क्षमा मांगें, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, भविष्य में सदन की परम्पराओं को आघात न लगे और नियमानुसार सदन चलें इनके लिये आपको सरकार को ताड़ना देनी चाहिये । मेरा यही निवेदन है कि जब कोई अधिसूचना जारी की जाती है तो उसको रखने में विलम्ब क्यों होता है। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, जो नियम है, सदन सदन की परिपाटी है उससे भी यह अनुभव नहीं है और साथ ही अध्यक्ष महोदय ने जो रुलिंग दी है, व्यवस्था दी है, उसकी गरिमा के यह अनुकुल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह !

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदयजी, रूलिंग है, जिसका वहां पर उद्धरण दिया है, यहां पर जिसका उल्लेख आया है वह अधिसूचना दो तीन साल पुरानी थी....

श्री अध्यक्ष : दो तीन साल नहीं, पांच साल।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पांच साल ही होगी, अध्यक्ष महोदय, मैं देखकर ही बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ध्यान है। मैं उस समय सदन का सदस्य था। तो जो पांच पांच साल पुरानी अधिसूचना भी सदन में पेश नहीं हुई थी यह ज्यादा समय की नहीं है। इसलिये व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय !

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वैसे यह बात सही है कि अधिसूचना जल्दी से जल्दी सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये लेकिन यहां पर परम्परायें इस प्रकार की रही हैं कि 6-6 साल पुरानी अधिसूचनायें भी टेबल आफ दी हाउस पर लें होती रही हैं। कई बार सारा का सारा सत्र निकल जाता है उसके बाद में भी ये प्रस्तुत नहीं होतीं। इसके अलावा जब जनता पार्टी का शासन आया, माननीय ललितकिशोर चतुर्वेदीजी, यहां पर बैठे हैं, इनके बाद में भी अधिसूचनायें देरी से पेश हुयी हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें तारीख कौनसी है ? इस अधिसूचना की तारीख कौनसी है ?

कई माननीय सदस्य : 3 जनवरी, 1980।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जिक्र हुआ है। माननीय खेतसिंहजी ने बताया, उस साल देरी जनता पार्टी के कारण से नहीं हुयी थी हमने तो आपको सुधारा था। हमने अच्छी परम्परायें डाली थी उनका पालन करें।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको ताड़ना दें।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की बात है उसके बारे में मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सवाल समय का नहीं है, सवाल यह है कि वह पांच साल, छः साल या तीन साल की है। सवाल, अध्यक्ष महोदय, की रूलिंग का है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था दी गई, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सवाल पांच, छः का नहीं है, सवाल देरी का है। पेज 279 पर है 18 अप्रेल, 1962 की। जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, अधिसूचनायें जो सदन की मेज पर रखी जाने वाली थीं उनमें पांच छः साल का विलम्ब नहीं है। सवाल इस बात का है कि देरी हुई इसको सचेतक महोदय भी मान रहे हैं। इसलिये सवाल यह नहीं है कि पांच साल या महीने पुरानी अधिसूचना है, बात यह है कि देरी हुई। इसे आप भी स्वीकार कर रहे हैं। इसलिये.....

(व्यवधान)

सवाल इस बात का नहीं है कि पांच साल या 10 साल हो गये है, जैसा कि माननीय सचेतक महोदय ने कहा है अधि-सूचना जारी होने के बाद.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : जब कभी भी सदन की बैठक हो उसमें पहले दिन इस सदन में रखी जानी चाहिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। 3 जनवरी, 1980 को सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था या आदेश जारी किया था या अधिसूचना जारी की थी उसको बहुत विलम्ब से यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। मई-जून तक तो राष्ट्रपति का शासन था और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दिन से काम शुरू हुआ था, ऐसा आपको मानकर चलना चाहिये। इसमें कुल मिलाकर 20-21 दिन का समय निकला है जिसमें 10 दिन कार्यवाही चली नहीं। इसको मैं खास देर नहीं समझता हूं जिसमें सरकार की लापरवाही दिखती हो। इसलिये यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्य मंत्री।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
अधिसूचना

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 49 (2) के अन्तर्गत राजस्व 7 (ग्र.प.4) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 6 (41) राज. ग्र.प. 4 76, दिनांक 3 जनवरी, 1980 जिसके द्वारा राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 में संशोधन किये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का गठन
वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव। मुख्य मंत्री।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन में सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1980-81 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1980-81 के लिये इक्कीस सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 (ख) (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1980-81 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

नियम का निलम्बन। संसदीय मामलात मंत्री।

नियम का निलम्बन

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 143 का निलम्बन।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (संसदीय मामलात मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 143 के अनुसार सदन में आय-व्ययक अनुदानों से संबधित मांगों को सदन में प्रस्तुत होने व विचारार्थ लेने का क्रम जनलेखा समिति की सलाह पर सदन के नेता द्वारा निर्धारित किया जाता है और चूंकि अभी तक जनलेखा समिति का गठन नहीं हुआ है, अतः मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 306 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि नियम 143 को निलम्बित करते हुए परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 1980-81 के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत करने व विचारार्थ लेने का क्रम सदन के नेता कार्य सलाहकार समिति की सलाह से करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मंत्री, संसदीय मामलात ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

नियम 143 निलम्बित किया गया।

लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण।

आज समय का बंटवारा इस तरह से होगा। 3.30 बजे तक चर्चा होगी, उसके बाद सरकार की तरफ से उत्तर दिया जायेगा। 4 बजे से विनियोग विधेयक पर विचार होगा और 5 बजे तक उसको पारित किया जायेगा।

लेखानुदान प्रस्ताव
द्वितीय लेखानुदान
पर विचार

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी !

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेखानुदान (द्वितीय) की सूची के स्तम्भ द्वितीय लेखानुदान की आवश्यक राशि के अन्तर्गत दिखाई गई राशियों से अनधिक, जो कुल मिला कर 1,78,72,04,000 (एक सौ अठहतर करोड़ बहतर लाख चार हजार रुपये) मात्र होगी, अलग-अलग रकमें लेखे में मांग संख्या 1 से 49 के प्रति 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सम्बन्धित 'सेवायें और प्रयोजन' के सम्बन्ध में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिये राज्यपाल को अनुदत्त कर दी जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मोशन लेखानुदान पास कराने के लिये पेश किया गया है, यह सरकार की अकर्मण्यता और अक्षमता का परिचायक है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब आये तो उन्होंने यह कहा था कि मैं राजस्थान का प्रशासन चलाने के लिये नहीं आया हूं, राजस्थान का विकास करने के लिये आया हूं। लेकिन वास्तव में हुआ यह है, राजस्थान का विकास होने के बजाय यह सरकार उल्टी चलने लगी है और राजस्थान के विकास को विनाश की ओर अग्रसर कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के बारे में बाहर एक कहावत हो गई है कि जो धक्का देने से चले उसे कार कहते हैं और धक्का देने से न चले उसे पहाड़िया सरकार कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस प्रकार से चल रही है कि राजस्थान के लिये लेखानुदान पास करा रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार बजट पेश करती, फिर बजट पर बहस करा कर बजट को पास कराती तो आने वाले समय में राजस्थान का विकास होता लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का गठन होने के पश्चात् यह सरकार नीति सम्बन्धी और विकास सम्बन्धी निर्णय लेने में असमर्थ रही है और बार-बार लेखानुदान पास करवा रही है। लेखानुदान वह सरकार पास करवाती है जिसके पास विकास की कोई नीति नहीं हो, लेखानुदान वह सरकार पास कराती है जो आपस के लड़ाई झगड़े में पड़ी रहे, मंत्रिमण्डल का गठन नहीं कर सके और एक प्रकार से अकर्मण्य लोगों की फौज बना कर केवल खजांची का काम करती रहे। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को किन शब्दों में कहा जाय, यह सरकार कोई सरकार नहीं है। यह मुख्य मन्त्री तो एक इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जो काम एक छोटा सा खजांची कर सकता है। एक बाबू जो महीने के महीने तनख्वाह बांटता है दफ्तर में बैठ कर, वह तनख्वाह बांटने का काम जिस तरह करता है वही काम सरकार कर रही है। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो राजस्थान के जो मुख्य मंत्री हैं माननीय पहाड़िया जी वह एक खजांची का काम कर रहे हैं। यह तनख्वाह बांटने की सरकार है। इस सरकार को तनख्वाह बांटने की सरकार कहा जाय। इस सरकार के जो विकास के काम थे, अध्यक्ष महोदय, छः महीने में से चार महीने का समय निकल चुका है और दो महीने इनको बजट प्रस्ताव पास करवाने में लगेंगे और उसके पश्चात् विभागों का बटवारा होगा, बंटवारा करने के लिए दो महीने में मीटिंग होगी और उसके बाद केन्द्रीय सरकार जो बजट देना चाहेगी, केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकार अपनी मांग भेजेगी, उस समय जो अन्य प्रान्त होंगे वह अन्य प्रान्त राजस्थान का हिस्सा डकार चुके होंगे और केन्द्रीय सरकार का जवाब

Page No. 56

(५८)

(श्री धनश्याम तिवाड़ी)

आयेगा कि राजस्थान का आपने बजट नहीं भेजा, आपने प्रस्ताव पास करके नहीं भेजे, आपने योजना नहीं भेजी, आप विकास क्या करना चाहते हैं उसके प्रस्ताव नहीं भेजे इस कारण आपका बजट दूसरे स्थानों पर चला गया है और राजस्थान सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री बनने के बाद में माननीय पहाड़ियाजी ने जो पहला काम किया वह और कोई काम नहीं किया है, केवल छूट दी है पूंजीपतियों को, छूट दी है बड़े उद्योगपतियों को। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का गठन इस आधार पर हुआ है। कुछ समय पहले हमारे पर आरोप लगाया गया कि जनता सरकार व्यापारियों की सरकार थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कोई व्यापारियों की सरकार नहीं थी लेकिन इस सरकार का गठन होने के पश्चात् जिस प्रकार की नीति और जिस प्रकार का कार्यक्रम चला, इसके परिणाम स्वरूप पैसा पड़ा हुआ है, सरकारी दफ्तरों में काम नहीं हो रहा है। जाकर बात करते हैं तो कहते हैं, क्या करें। बैठे हुए हैं। साइन करते हैं रजिस्टर में और साइन करके चले जाते हैं। कुछ नहीं कर सकते। इस सरकार का गठन आफिसरों से ही नहीं पूंजीपतियों से मिल कर किया गया है। इसका उदाहरण है, माननीय पहाड़ियाजी ने सत्ता स्थापित की वह 22 पर्सेन्ट वोटों के आधार पर तो की ही है लेकिन दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है ...

(12.43 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

इस सरकार ने पूंजीपतियों से मिल कर, षडयंत्र करके सत्ता हथियायी है। चुनाव जीत कर नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, इसका उदाहरण है, जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव के समय पर माननीय मुख्य मंत्री ने लोगों को, चुनाव में लड़ने वाले विधायकों को बुला-बुला कर पैसा बांटा था, पैसे की मोहर लगाई गई थी। पूंजीपतियों से मिल कर पैसा बांटा गया था, उस पैसे के आधार पर षडयंत्र करके सरकार पर कब्जा किया है। षडयंत्र की बू इस प्रकार आ रही है कि आज तक कोई विकास का काम नहीं किया गया है। सबसे पहले छूट दी गई थी वह छूट दी गई थी इंडस्ट्रीज को। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने आकर पहला प्रतिबन्ध लगाया, बिजली के कनेक्शन किसानों को नहीं दिये जायं। सरकार ने पहला प्रतिबन्ध लगाया, किसान की कुट्टी काटने की मशीन को बिजली बन्द कर दी जाय। जब भी कोई बिजली का कनेक्शन दिया जाय तो इण्डस्ट्रीज को बिजली का कनेक्शन दिया जाय। दो दिन पहले बिजली कनेक्शन देना शुरू किया जब विधान सभा की कार्यवाही शुरू होने का आदेश दिया गया। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार ने अधिवेशन में बजट पेश किया है उस बजट में जो छूट दी है वह छूट बड़े-बड़े उद्योगपति को दी है, आर. एम. आई. डी. सी. से मिल कर जो उद्योग लगाना चाहते हैं बड़े-बड़े उद्योगपति, उन्हें छूट देने की बात की गई है। यह सरकार थैलीशाहों को, पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। यह सरकार तनख्वाह बांटने का काम करती है। यह सरकार विकास का काम बिल्कुल नहीं करना चाहती है। सरकार की अकर्मण्यता इस बात से सिद्ध होती है. सभापति महोदय, माननीय पहाड़िया जी ने राजस्थान के

(श्री धनश्याम तिवाड़ी)

मुख्य मंत्री बनने के बाद केन्द्र में राजस्थान की प्रतिष्ठा को गिराया है। प्रधान मंत्री से पहाड़ियाजी मिलने के लिये गये लेकिन प्रधान मंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। कहते हैं कई बार गये, विकास की बात नहीं कर सके। यह लाइन में, क्यू में खड़े हो गये....

(व्यवधान)

सुनिये, सुनिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह लाइन में खड़े हो गये जहां सब दर्शक खड़े होते हैं....

एक माननीय सदस्य : शर्म है इस बात पर।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मुख्य मंत्रीजी गये और वहां खड़े हो गये जहां दर्शक खड़े होते हैं। पत्रकार भी जा रहे थे। वहां लोग अभाव अभियोग की बात लेकर जा रहे थे। उस लाइन में माननीय मुख्य मंत्री भी लग गये। आये और गये। चार बार आये और चार बार चले गये लेकिन राजस्थान के विकास की बात नहीं कर सके। सभापति महोदय, सूवेदारी प्रथा कायम की जा रही है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें, कृपया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री गये और लाइन में खड़े हो गये। राजस्थान के विकास की चर्चा नहीं हो सकी। राजस्थान के विकास की, राजस्थान में खास करके जो कारखाने लगने वाले थे, उसकी चर्चा नहीं हो सकी।

आजकल एक नया शगूफा माननीय मुख्य मन्त्री जी छोड़ रहे हैं। रोज सुबह-सुबह एक पत्र केन्द्र सरकार को लिख देते हैं। उस पत्र के आधार पर अखबारों में पब्लिसिटी कराना चाहते हैं, मिलकर नहीं करना चाहते हैं। यह मुंशीगिरी का काम है। मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, यह सुवेदारी प्रथा कायम की है राजस्थान में। राजस्थान के विधायकों को इकट्ठा करके, अपनी मर्जी से जिस प्रकार से सूवेदार पैदा करके, उसी प्रकार प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सूवेदार बनकर राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। यह सूवेदारी प्रथा है। सूवेदारी प्रथा कायम करने से राजस्थान का विकास अवरूद्ध हो गया है। राजस्थान के विकास की गंगा चलने वाली थी, उस राजस्थान के विकास की गंगा को रोक दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आने के बाद इस सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया। सरकार ने एक काम जरूर किया है वह स्थानान्तरणों का है। स्थानान्तरण का काम करने के बारे में मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, स्थानान्तरण कम और काम ज्यादा, लेकिन कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, स्थानान्तरण ज्यादा और काम कम। राजनैतिक आधार पर किये जा रहे हैं। सीकर जिले से 150 लोगों का स्थानान्तरण बाड़मेर और जैसलमेर में किया गया। किस आधार पर किया गया। वह राजनैतिक कारण थे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार के बनने के बाद 6 महीने तक के लोगों के टी. ए. और डी. ए. के बिल पड़े हुए हैं, वह नहीं चुकाये जा रहे हैं। जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। उसकी लिस्ट सदन में पेश नहीं कर रही है। बिल नहीं चुकाये जा रहे हैं।

मुआवजा मिलने की बात है। कई लोग गये, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने साफ कहा, कांग्रेस के लोग जो कहेंगे, चाहे वह वैधानिक हो या चाहे वह अवैधानिक हो वह सब काम मैं करूंगा। केवल राजनैतिक वातावरण से राजनैतिक ईर्ष्या और द्वेष की भावना से स्थानान्तरणों का काम किया जा रहा है। राजस्थान के विकास के काम नहीं हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो लेखानुदान पास कराने की बात कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो यह कहते हैं, हमने बजट में इतना बढ़ाया है 20 पर्सेन्ट का खर्चा, यह बिलकुल गलत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात ना करें आपस में। थोड़ा सा धैर्य रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई सरकार है। यह कहा कि हम विकास के कार्यों का खर्चा बढ़ायेंगे तो विकास के कार्यों का खर्चा बढ़ाने की कोई बात नहीं है। इनके सरकार में आने के बाद 23 पर्सेन्ट मंहगाई बढ़ी है और बजट में पैसा बढ़ाया है वह 23 पर्सेन्ट से बहुत कम है। इसके पिछले साल विकास पर जितना पैसा खर्च हुआ था, उससे भी कम खर्चा इन्होंने तय किया है। उसके बावजूद भी यह उसको खर्च करने की स्थिति में नहीं है। अकर्मण्यता के शिकार बन कर बैठे हुए हैं। तो राजस्थान के विकास की गंगा जो है, वह विकास की गंगा अवरूद्ध हो गई है, उल्टी हो गई है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही थी कि ओवर ड्राफ्ट को दीर्घ-कालीन ऋण में तबदील करायेंगे। यह सबसे बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ है। दीर्घकालीन ऋण के अन्दर जो ब्याज लगाया जाता है। ओवर ड्राफ्ट का दीर्घ-कालीन ऋण में बदलाना किसी भी आर्थिक आधार पर और प्रशासनिक आधार पर ठीक नहीं है, बिलकुल गलत निर्णय है। या तो ओवर ड्राफ्ट माफ कराया जाना चाहिये या ओवर ड्राफ्ट चुकाया जाना चाहिये। उसको ऋण में बदलना बहुत बड़ी गलत बात है और राजस्थान पर अनावश्यक बोझ पैदा करने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार आज लेखानुदान तो पास करा रही है इसके आने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति बिलकुल खराब हो गई है पुलिस प्रशासन बिलकुल निकम्मा हो गया है। हत्यायें, लूट-पाट, आगजनी, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इनको किसी भी हालत में लेखानुदान पास कराने का अधिकार नहीं है। जो सरकार राज नहीं चला सकती है, जो सरकार कानून और व्यवस्था कायम नहीं रख सकती है, जो सरकार व्यवस्था नहीं बनाये रख सकती है, जो सरकार मंहगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, केवल स्थानान्तरण कर सकती है, विकास नहीं कर सकती है, जो गूंगी और बहरी सरकार है, जो बैठी हुई है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सुनती है और आवाज नहीं दे सकती है, सूची सदन के पटल पर नहीं रख सकती है, वह सरकार लेखानुदान पास कराने की अधिकारी नहीं है। यह पूंजीवादी सरकार है और इसने कलियुगी मोहिनी का रूप धारण कर लिया है। यह वोट तो लेकर आयी थी हरिजनों के नाम पर, अल्प संख्यकों के नाम पर। अध्यक्ष महोदय, एक बार ऐसा ही हुआ था, देवताओं और राक्षसों में लड़ाई चल रही थी तो उसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत दिया था, लेकिन वह देवताओं को पिलाया था। इन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, सत्तारूपी अमृत को प्राप्त किया, लेकिन यह कलियुगी मोहिनी है और पूंजीपतियों को उसको पिला रहे हैं। गरीबों के नाम पर अमृत कलश लिया है और पूंजीपतियों को उसको पिला रहे हैं। यह कलियुगी मोहिनी की सरकार है, यह पूंजीवादी नीति की सरकार है, यह विकास की गंगा को उल्टी करने वाली सरकार है। हरिजनों पर अत्याचार करने वाली सरकार है, उनके नाम से जीतने वाली सरकार है जो सरकार विनाश के गर्त में प्रदेश को धकेलना चाहती है, जो सरकार आपस की खींचातानी में लिपटी, उलझी हुई है, उसके मन्त्रिमण्डल के अन्दर जो साथी बैठे हैं वह काम करने की स्थिति में नहीं हैं। उप मन्त्रियों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन उनको विभाग नहीं दिये गये हैं, केवल राज्य का पैसा दिया जा रहा है। ऐसे मंत्री, जिनकी नियुक्ति कर दी गई है जो काम नहीं कर रहे हैं, को पैसा देने के लिए लेखा-अनुदान पास नहीं करें। उनको देने के लिये, उनको पुरस्कार देने के लिए लेखानुदान पास नहीं किया जाय। सभापति महोदय, यह सरकार किसी भी प्रकार का काम करने में, सरकार चलाने में असमर्थ है इसलिए इस सरकार को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये जिससे पैसा खर्च कर सके। पैसा खर्च करेगी तो उन उप मन्त्रियों को देगी जो उप मन्त्री बने हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। जो काम करने वाले हैं उनको बनाया नहीं गया है, जो काम नहीं करने वाले हैं उनको बनाया गया है। आपस की लड़ाई में उलझे हुए हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपने बनाये जाल में खुद फंस जाती है, उसी प्रकार सरकार अपने बनाये जाल में उलझ गई है। आखिर काम नहीं तो दाम नहीं। काम के बदले दाम मिलता है। काम नहीं करे तो दाम की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यह काम करने वाली सरकार नहीं है इसलिए लेखानुदान जो दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को पैसा दे सके, खाली कर्मचारियों को थोड़ा बहुत पैसा दे सके तो उनके प्रति तो मेरी सहानुभूति है लेकिन यह सरकार काम नहीं कर रही है, विकास की गंगा को उल्टी कर रही है, दिल्ली के अन्दर राजस्थान की प्रतिष्ठा को गिरा रही है और सूबेदारी प्रथा को चला रही है, सूबेदार भी ऐसे जो जाकर अपनी बात नहीं कह सकें, सूबेदारी की सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, विकास की गंगा को उल्टी करने वाली सरकार को पैसा नहीं मिलना चाहिये। सभापति महोदय, मेरा संक्षेप में निवेदन यह है, जब से सरकार बनी है, सरकार, सरकार की तरह नहीं चल रही है, खजांची की तरह काम कर रही है। तो खजांची को सिर्फ इतना ही अधिकार दिया जा सकता है कि कर्मचारियों को पैसा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बांट दे। उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, सूबेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए और विकास की गंगा को पूरी चालू करने के लिए इस सरकार को लेखानुदान पास कराने की सदन स्वीकृति नहीं दे।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : कोई बोल जाय तो ठीक है, मैं तो तैयार नहीं हो पायी हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुत कुछ है, आप सुन नहीं सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : दिल थाम कर बैठिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अभी जो कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बजट पेश किया उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया इसलिए मैं तारीफ करती हूं। यह सही है कि इस दफा सेन्टर में और दूसरे राज्यों में जहां-जहां बजट पेश किये गये, किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगाये गये और उसी परम्परा पर हम चले हैं इसलिए मैं तारीफ करती हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पलाना में लिग्नाइट पर थर्मल पावर बनाने के लिये करीब-करीब पूरी तैयारी कर ली गई है इसके लिये मैं बधाई देना चाहती हूं। मैं बधाई देना चाहती हूं आर. एस. ई. बी. के अधिकारियों को जिन्होंने इस काम को इतने दिनों में टीम भावना के साथ खड़ा कर दिया। बधाई मैं इसलिये देना चाहती हूं, सभापति महोदय, यह जो स्कीम है, आज से नहीं कई वर्षों से कम से कम 25-30 साल से सरकार के पास पड़ी हुई थी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह चर्चा बजट पर हो रही है या लेखानुदान पर।

श्री सभापति : लेखानुदान पर।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत : दोनों को साथ मिलाकर बात की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इनको बोलने दीजिये। आप व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : महिलाओं के प्रति सहानुभूति है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं आप का निर्देशन चाहती हूं। अगर वोट आन अकाउण्ट पर बोलना है तो मैं नहीं बोलूंगी, बजट पर बोलना है तो....

श्री सभापति : इस समय लेखानुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, आप बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि बजट पर बोला जा सकता है, इसलिये यह क्लियर किया जावे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति जी, कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बजट भाषण प्रस्तुत किया था और साथ ही लेखानुदान भी पेश किये थे। आज जो समय है, उसमें लेखानुदान की मांगों पर बोलना चाहें या कोई बजट के बारे में बोलना चाहे तो इसमें दिक्कत कहां आती है। हमारी पार्टी के 134 सदस्य हैं, तीन दिन की डिबेट होगी, हर एक माननीय सदस्य चाहता है कि अपने विचार व्यक्त करे और अपनी कान्स्टीटयूएन्सी के बारे में बजट से सम्बन्धित अपने विचार व्यक्त करे, इसके लिये समय निर्धारित है, उसी समय में अगर बजट पर बोलते हैं और सुझाव देते हैं तो दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है, मेरी समझ में नहीं आता ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि समय निर्धारित है। उनको दिक्कत है तो वे समय बढ़वावें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : कभी भी बजट और लेखानुदान दोनों पर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती। पहले लेखानुदान पर ही चर्चा होनी चाहिये। बजट पर समय चाहते हैं तो समय बढ़वा दीजिये। वोटिंग जब होगा तो दोनों पर नहीं होगा, लेखानुदान पर ही होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज लेखानुदान की मांगों पर विचार हो रहा है। कल दोनों ही पेश किये गये थे। माननीय सदस्य बजट पर भी भाषण दे सकते हैं, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : व्यवस्था देने के बाद आप नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, अभी आपसे पूर्व जब यहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय विराजमान थे तब उन्होंने व्यवस्था दी थी कि आज समय का निर्धारण इस तरह से होगा, तीन बजे तक लेखानुदान, और उसके बाद सरकार का उत्तर आयेगा। यह निर्धारित किया गया था, बहस प्रारम्भकर्ता महोदय ने भी इसीलिये बजट पर चर्चा नहीं की केवल लेखानुदान पर–

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं कहता हूं लेखानुदान पर आप क्या बोले हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो बोलेंगे तब पता लगेगा।

एक माननीय सदस्य : जो व्यवस्था है वह विषय के ऊपर होनी चाहिए।

श्री सभापति : अभी आप बिना सुने कैसे कह सकते हैं ? आप उनको सुनिये।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं...,

एक माननीय सदस्य : प्रश्न यह है कि लेखानुदान के ऊपर बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, सचेतक महोदय ने माननीय सदस्या को जो गाइड किया है, उसमें गलती रह गई है।

श्री सभापति : डिमान्ड्स के ऊपर माननीय सदस्या बोल सकती हैं।

श्री मार्डूसिंह : कैसे ?

श्री सभापति : कैसे नहीं, आपको मिला नहीं है। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप बोलें, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप समय बरबाद न करें। माननीय सदस्या, जारी रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप अनुदान की मांग पर...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है, व्यवस्था इसमें शरीक है। उन्हें बोलने दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : माननीय सभापति महोदय, पहले आप मेरी बात सुन लीजिये। श्री राज बहादुर जी, एक मिनट में कुछ अर्ज करना चाहती हूं। मेरा निवेदन है कि वोट एण्ड अकाउंट जो रखा जा रहा है तो वोट और अकाउंट पर बहस होनी चाहिए। इसलिए मैं बजट पर कल बोलना चाहूंगी। परम्परा के अनुसार आज वोट एण्ड अकाउंट पर बोलना चाहिए। परम्परा के अनुसार चलना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री जयदेव प्रसाद जी इन्दौरिया !

(अनुपस्थित)

श्री राधेश्याम जी !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, पहले कार्य सूची भेजते हैं इसमें कहीं नहीं है कि लेखानुदान पर बहस होगी। उन्होंने सोचा कि बजट पर भी बोल लेंगे।

श्री सभापति : और सदस्यों के नाम मेरे पास हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं, लेखानुदान में आप डिमान्ड्स पर बोलना चाहते हैं तो डिमान्ड्स पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यह अगस्त महीने और सितम्बर महीने के लिये मन्जूर करवा रहे हैं बाकी का खर्चा मार्च तक मन्जूर करवाया जायगा। इसके अलावा जो डिमान्ड्स हैं, उन पर अगर मैं अपने विचार व्यक्त करते समय बजट की बात कर देता हूं तो अन्तर नहीं होता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम जी !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा कहना है कि माननीय सचेतक महोदय ने बार-बार बात कही है कि मुझे लगता है कि तीन दिन को इसमें बहस का समय कम है। इसलिए वह अपने माननीय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सदस्य को लेखानुदान पर अवसर देकर बुलवाना चाहते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या तीन दिन का समय कम लग रहा है ? और अगर सदस्य बोलना चाहें तो समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमेशा तीन दिन का समय रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, जो कुछ मैंने सुना उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा जितनी भी डिमान्ड्स हों वह प्रस्तुत कर दी जायं। डिमान्ड पेश हो जायं और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल सदन में प्रस्तुत कर दें, उसके ऊपर सदन में चर्चा हो जाय और जब जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री सभापति : जो मोशन मूव किया है माननीय वित्त मन्त्री जी ने, अगर आप उस पर एतराज करना चाहें तो कर दें।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया, उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-2) विधेयक, 1980

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (वित्त मंत्री) : मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-2) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-2) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

विधेयक पर विचार

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-2) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-2) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल !

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, जब से नयी सरकार का गठन हुआ है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो पढ़ा गया, कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन के सामने बजट लेखे भी प्रस्तुत किये और अगले दो महीनों के लिए अपने शासन का कार्य चलाने के लिए लेखानुदान पास करवा रहे हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, कुछ मुद्दों पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जो पिछले डेढ़ माह से नयी सरकार जिस तरह से चल रही है उसमें कुछ मुद्दों पर, जो जन कल्याण के मुद्दे हैं, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी वेलफेयर स्टेट है और उस वेलफेयर स्टेट के कुछ घोषित उद्देश्य हैं, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं ? यह बहुत बड़ा मुद्दा है जो, सभापति महोदय, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

(श्री कैलाश मेघवाल)

सबसे पहले मैं सहकारिता के विषय में मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण पढ़ा गया, बजट भाषण पढ़ा गया लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा छोड़ा गया। मैं उस मुद्दे पर इसलिए विचार रखना चाहता हूं कि अगले कुछ समय में दो माह इस सरकार के पास सोचने के हैं, विचारने के हैं, बजट पर बहस होगी, अनुदान की मांगों पर बहस होगी, उस समय भी यह सरकार अपनी नीतियां तय कर सकती हैं। पिछली सरकार ने एक फैसला लिया था, केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों के एकीकरण का। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से देश में सहकारिता आंदोलन चालू हुआ तब से अनेकानेक समितियों और कमीशन्स की रिपोर्टस् आई और उसमें अन्ततोगत्वा जो निचोड़ बहस का निकला उसके आधार पर जनता सरकार ने यह निर्णय लिया था कि यह जो केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक हैं इनका एकीकरण कर दिया जाए। और न केवल इतना देश में सहकारिता के क्षेत्र में........

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह दो महीने के लेखानुदान से ताल्लुक रखता है ? यही बजट पर बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आपस में बातचीत न करें।

एक माननीय सदस्य : हमें भी इजाजत दी जाए यदि इनको बोलने के लिए कहते हैं....

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : हमको भी बोलने दिया जाए।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आपको अवसर मिलेगा।

श्री चतुर्भुज : सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हम लोगों को कम समय मिलेगा और इनको ज्यादा

श्री सभापति : आप आसन की व्यवस्था को चैलेंज न करें, आपको अवसर मिलेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन कर रहा था एक क्रांतिकारी कदम इस दिशा में उठाया गया, सहकारिता के क्षेत्र में जो निहित स्वार्थ थे उनकी ओर से विरोध हुआ राजस्थान में ही नहीं बल्कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया में भी चर्चा हुई और चर्चा के बाद इस निर्णय पर पहुंचा गया कि दोनों बैंकों का एकीकरण किया जाए। सहकारिता के माध्यम से हमारा मूल उद्देश्य है किसान को शोषण से मुक्ति दिलाना, सस्ते ब्याज पर ऋण देना और उनकी खुशहाली में मदद देना। पिछले दिनों जब जनता सरकार बनी, सबसे पहले यह काम किया गया कि जो पूर्व में ब्याज की दर चली आ रही थी सहकारिता के ऋण पर उस सहकारिता के ऋण पर ब्याज की दर में कमी की गई और दूसरा कदम उठाया गया कि किसान की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही सहकारी समिति के एक बैंक की एक खिड़की से की जाय ताकि उसको अलग-अलग बैंकों में नहीं जाना पड़े और गरीब को परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही बैंक की

(श्री कैलाश मेघवाल)

खिड़की से पैसा मिल जाए, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था हो जाए। उसी आधार पर यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय से किसान आज भी जो ब्याज देता है उसमें कमी आएगी। पिछली जनता सरकार ने एक काम और चालू किया था, वह था कि बैंक द्वारा ही किसान को ऋण देना। इस व्यवस्था के आ जाने से बैंकों की शाखायें बढ़ेंगी और उससे गांव-गांव में बैंक खुल जाएगा, इससे किसान में बचत की आदत होगी, उसको सुविधा से ऋण मिल जाएगा और भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस मामले में जनता सरकार ने क्या किया या नहीं, यह भी निवेदन कर दूंगा। जनता सरकार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उससे पहले कांग्रेस सरकार थी उसके सामने भी वही दिक्कतें थी। राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है और उसको मिटाने के लिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने एक विशेष प्रकोष्ठ पुलिस विभाग का चालू किया था और उस प्रकोष्ठ के आधार पर कुछ अनुभव सामने आए, उस प्रकोष्ठ में कुछ कमियां थीं तो जनता सरकार सुधार करना चाहती थी कि पुलिस के साथ सहकारिता विभाग का अधिकारी दे दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो सके, वह कार्यवाही ठीक ढंग से चल सके और मुकदमे अदालत में पहुंच सकें।

राजस्थान में सहकारिता में भ्रष्टाचार है दो तरह के हैं। कुछ बैंकों की हालत बिल्कुल खराब है। उन बैंकों में बड़ी मुश्किल से धीरे-धीरे वसूलियां की गयीं। उसमें कई तरह की दिक्कतें आई। कई बार वसूलियों में या कई अन्य पेमेंट हैं, उनमें निर्णय लेना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो तरह का भ्रष्टाचार है—एक तो सहकारी समितियों के पदाधिकारी बैंकों से पैसा ले गए और किसानों को न देकर उनका झूठा अंगूठा लगा दिया था, इस तरह का भ्रष्टाचार है। दूसरा भ्रष्टाचार है कि सहकारी समितियों के पदाधिकारियों ने वसूलियां तो कर लीं लेकिन उसके बाद बैंक में जमा नहीं कराया। गरीब किसान के पास डिमांड नोट पहुंचता है, मांग पत्र पहुंचता है उस समय किसान कहता है कि मैंने तो पैसा लिया ही नहीं या जमा करा दिया लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ तो छोटी जोत के किसान की जमीन नीलामी पर चढ़ती है, उस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। उसकी जमीन नीलाम हो जिसने पैसा जमा करा दिया या जिसने पैसा लिया ही नहीं। सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार की समस्या है इस पर मुख्य मंत्री और सहकारिता मंत्री को विचार करना होगा। पिछले दिनों जो यह पुलिस प्रकोष्ठ चालू हुआ था तो मुझे मालूम है बहुत तेजी से जांच कार्यवाहियां हुई थीं और मेरे वक्त में 372 मुकदमें अदालतों को दिये गये थे। लेकिन पिछले 6-7 महीनों के जो आंकड़े मिले हैं उनसे मालूम होता है कि पुलिस प्रकोष्ठ का काम शायद कुछ ढीला चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से किसान की सेवा करनी है तो इसमें जो खराबी आई है

(66)

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसको मिटाना होगा और इसके साथ ही सहकारिता के आयाम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जो लक्ष्य तय किए हैं, बहुत लक्ष्य हैं सहकारिता के क्षेत्र में, आपके विभाग के पास बहुत योजनायें हैं, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहलवाया है। ये सारी तैयारियां जनता पार्टी सरकार ने कर रखी थीं, आपको कुछ नहीं करना होगा। आप चाहें तो एक पत्र उन योजनाओं के आधार पर केन्द्र को रोजाना लिख सकते हैं और उसके आधार पर कार्य किया जा सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से काम किया जाए। यह जो करोड़ों का घोटाला है उसको निकाला जाए सहकारी समितियों की आडिट रिपोर्ट्स मंगवाई जाएं। मैं सहकारिता मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सारे राजस्थान की सहकारी समितियों की आडिट रिपोर्ट्स मंगवाकर देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो जो करोड़ों रुपये के घोटाले हैं वे प्रगट होंगे। उनको दूर नहीं किया जायगा तब तक गरीब किसान की सेवा नहीं कर सकेंगे। निहित स्वार्थ और बदमाशी करने वाले लोग हैं वे सही मायने में पैसे जमा नहीं करा रहे हैं, बैंक्स में डिफाल्टर्स हो रहे हैं, सहकारी समितियां डिफाल्टर्स हो रही हैं और किसान जो बेगुनाह है उसकी कोई गलती नहीं, उसको इस तरह की गलतियों की वजह से नुकसान सहन करना पड़ रहा है।

दूसरा क्षेत्र है खनन क्षेत्र। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बात आई थी। खनिज क्षेत्र में दोहन कार्य का अभाव रहा है। मैं नहीं समझता कि मुख्य मंत्री को विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी या नहीं। लेकिन जनता पार्टी का जो एक बड़ा कदम था, पहला जो निर्णय लिया गया था वह सारे राजस्थान का रिकोनोइटेर सर्वे कराना। यह प्राथमिक सर्वेक्षण की क्रिया है जो खनिज क्षेत्र में होती है। पहली बार वैज्ञानिक आधार पर सारे राजस्थान का समयबद्ध कार्यक्रम हुआ। सभापति महोदय, राजस्थान में खनिज का पहली बार सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन द्वारा सर्वेक्षण किया। सभापति महोदय, यह खनिज विवरण के बारे में आपके यहां से एक पुस्तक दी गयी है इसमें खनिज विवरण दिया गया है और इस कार्यक्रम के जो परिणामस्वरूप हमारे यहां के कई खनिज हमारे सामने आये। हमारे यहां पर खनिज खोज की गयी है। लेकिन मुझे एक बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे यहां पर एक अगूचा खनिज की खोज हुई उस खनिज को राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया।

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा रहता अगर अगूचा की खान का कार्य राजस्थान सरकार के पास रहता और केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान जिंक्स को नहीं दिया जाता। सभापति महोदय, अगूचा खान को हिन्दुस्तान जिंक्स को देने का फैसला राष्ट्रपति शासन द्वारा किया गया था इसलिये मैं, सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह भारत सरकार के प्रतिष्ठान के पास न रह कर राजस्थान सरकार के पास रहना चाहिये जिससे कि अगूचा खान से जो लाभ हो वह हमारे राजस्थान को मिले।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे

(श्री कैलाश मेघवाल)

राजस्थान में खनिज विकास निगम बन चुका है। उस निगम के बन जाने से हमारे यहां पर खनिज का बहुत ज्यादा विकास हो सकता है। हम उस खनिज निगम के माध्यम से राजस्थान की जनता के हितों की काफी रक्षा कर सकते हैं और हमारे यहां के हितों की काफी रक्षा कर सकते हैं और हमारे यहां के खनिज उद्योग को काफी विकसित किया जा सकता है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर गम्भीरता से सोचें। राजस्थान में खनिज की पूंजी बहुत है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर एक समयबद्ध कार्यक्रम खनिज के लिये किया हुआ है। वह कार्यक्रम सन् 1988 तक पूरा होना है। हमें इसके लिये खनिज विकास कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण करना होगा। अगर हम, सभापति महोदय, हमारे यहां के खनिज का विकास अच्छी तरह कर सकें तो हमारे लिये यह एक बहुत ही गौरव की बात होगी। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता सरकार ने राजस्थान के खनिज का विकास करने का जो काम हाथ में लिया था और जनता सरकार ने खनिज उद्योग को आगे बढ़ाया था उसको आगे बढ़ायें।

सभापति महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जनता सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को खनिजों के अधिक से अधिक पट्टे दिये। जनता सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं वीकर सैक्शन्स लोगों को 95 प्रतिशत पट्टे दिये। आप अगर देखना चाहें तो रिकार्ड देख सकते हैं। सभापति महोदय, आप पिछले तीस सालों का रिकार्ड उठा कर देख लें इतने ज्यादा पट्टे कभी भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नहीं दिये गये। सभापति महोदय, अगर पिछले तीस वर्षों का आप कांग्रेस शासन का रिकार्ड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 9 प्रतिशत पट्टे ही दिये थे। उनके विपरीत जनता सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति एवं वीकर सैक्शन्स के लोगों को 95 प्रतिशत खानों के पट्टे दिये थे। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्रम को और आगे बढ़ाया जाना चाहिये। इससे हमारे यहां की इनकम बढ़ेगी। हमें इन इनकम के स्रोतों को समान रूप से बांटना होगा।

सभापति महोदय, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता सरकार ने बड़े-बड़े लोगों के पास जो बड़ी बड़ी खानों के पट्टे थे उन खानों के पट्टों को छोटा किया और खानों के पट्टों को खण्डित किया। हमने लोगों में विशेष तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों में बांटे। सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि अभी थोड़े दिन पहले दैनिक नवज्योति में एक विज्ञापन आया था उसमें 200 खनन् पट्टों को अलाट करने का उल्लेख किया गया था। सभापति महोदय, खनिज विकास के बारे में राजस्थान में जो काम किया गया है वह जनता सरकार की उपलब्धि है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप खनिज क्षेत्र को ध्यान से देखें और खनिज के विषय को

('श्री कैलाश मेघवाल)

बहुत ही गम्भीरता से लें। मुझे, सभापति महोदय, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस सरकार ने खनिज विकास को जितना गम्भीरता से लेना चाहिये उतनी गम्भीरता से नहीं लिया। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज से नॉन टैक्स रेवेन्यू जिस वक्त जनता सरकार सत्ता में आई उस वक्त 5 करोड़ और 33 लाख रुपये थी उसे हमारी जनता सरकार ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। जनता सरकार का उद्देश्य था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू खनिज से 12 करोड़ रुपये होनी चाहिये। पर हम उस उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो सके उसके कई कारण थे। पहला तो यह है कि हमारे यहां पर अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हुई, डीजल की कमी थी; पेट्रोल की कमी थी। बरसात नहीं होने के कारण बिजली के उत्पादन में भी कमी हुई। बिजली की कटौती होने के कारण खानों में काम नहीं हो सका उन सबका उस पर प्रभाव पड़ा और हमारा जो 12 करोड़ का उद्देश्य था उसकी पूर्ति में हम सफल नहीं हो सके। लेकिन फिर भी जनता सरकार के शासन काल में पिछले तीस महीनों में हमने जो प्रयत्न किये उस कारण कांग्रेस के शासन काल में 1976-77 में नॉन टेक्स रेवेन्यू पांच करोड़ और तीस लाख रुपये थी उसको बढ़ा कर हमने नौ करोड़ रुपये तक पहुंचाई। सभापति महोदय; इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर, राजस्थान में खनिज के दोहन की बहुत सम्भावनाएं हैं उसमें हमें निहित स्वार्थ के लोगों को आगे नहीं आने देना चाहिये। जो वहां पर गड़बड़ियां हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये और जनता के हितों की रक्षा करके इस उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिये। अगर आप राजस्थान के खनिज को आगे बढ़ायेंगे तो यह आपने जो घाटा बजट में छोड़ा है उस घाटे की पूर्ति आप कर सकेंगे।

सभापति महोदय, जब जनता सरकार ने शासन सम्भाला था उस वक्त राजस्थान में खानों से मिलती हुई 33 किलोमीटर या 34 किलोमीटर की सड़कें थी। मेरा, सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन है कि खानों के विकास के लिये खानों को अधिक से अधिक सड़कों से जोड़ा जाना चाहिये। मैं मुख्य-मन्त्रीजी से खानों के एरिया में सड़कों की कमी को गम्भीरता से लेने के लिये निवेदन करना चाहूंगा। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसको आपने गम्भीरता से नहीं लिया तो आपकी नोन टेक्स रेवेन्यू में कभी भी बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी। अगर आप इस ओर गम्भीरता से काम करेंगे तो आपको खानों से आगे आने वाले एक दो साल में ही 15 करोड़ से लेकर 18 करोड़ रुपये की इनकम हो सकती है। इसके लिए मुख्य मन्त्री जी आपको प्रयत्न करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात पर और सदन में चर्चा करना चाहूंगा वह है पंचायत राज के बारे में। सभापति महोदय; हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में स्पष्ट निदेश दिये हुए हैं। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि हमारे यहां पर पंचायती राज का ढांचा मजबूत होना चाहिये। सभापति महोदय, पंचायती राज के माध्यम से हमारे यहां के

(श्री कैलाश मेघवाल)

गांवों की इकाइयों को काम करने का मौका दिया गया है। सभापति महोदय, जब जनता सरकार ने कार्य भार सम्भाला था उसके बाद में जनता सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराये। पंचायतों के चुनाव कराकर पंचायतों को अधिकार दिये गये। उस वक्त जनता सरकार ने यह तय किया कि कौनसा काम कहां पर करना है यह भी पंचायतें तय करें। इसके अलावा जनता सरकार ने पंचायतों को अपने क्षेत्र में पांच से लेकर सात हजार रुपये तक पंचायतों के विकास के लिये खर्च करने के अधिकार दिये। पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से जो कांग्रेस शासनकाल में प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाता था वह बढ़ाकर जनता सरकार ने ढाई रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान कर दिया। इस प्रकार जनता सरकार ने पंचायती राज को आगे बढ़ाने का कार्य किया और गांवों का विकास होने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। सभापति महोदय, गांवों के विकास में गांवों के लोगों की हिस्सा बन्दी होनी चाहिये, यह स्वप्न जो हमारे महात्मा गांधी का था ग्राम स्वराज के लिए उसे आगे बढ़ाया। सभापति महोदय, यह ग्राम स्वराज क्या है ? राज्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण क्या है ? इसमें गांवों की इकाई को अपने विकास के लिए कार्य करना है इसलिए, सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको और आगे बढ़ायें ताकि गांवों का विकास हो। इसके लिए पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। पंचायतों को और अधिक अधिकार दिये जायं ताकि ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार किया जा सके।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर कई बार कान्स्टीट्यूशन की चर्चा होती है। हमारे संविधान के आर्टिकल्स में कुछ डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स दिये हुए हैं कुछ हमारे फन्डामेन्टल राइट्स हैं। उन डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल तथा फन्डामेन्टल राइट्स में इतना फर्क है कि fundamental rights can be enforced by Government. सभापति महोदय, उन डाइरेक्टिव प्रिंसीपल का चाहे राजनैतिक कारण हो या और कुछ भी हो पर पालन नहीं हो सका।

सभापति महोदय, जो नीति निर्देशन हमारे संविधान द्वारा किया हुआ है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल्स में लिखा है कि दस साल के अन्दर-अन्दर हम हमारे भारत के प्रत्येक 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिला देंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है। इन डाइरेक्टिव प्रिंसीपल को हमारे यहां पर पूरा नहीं किया गया। सभापति महोदय, डाइरेक्टिव प्रिंसीपल को हम कब से लागू मानें। जिस दिन से संविधान अंगीकार किया यानि 26 जनवरी 1950 से माने तो सन् 1960 तक यह कार्य पूरा हो जाना चाहिये था। वह यों का यों मानने से दस साल के अन्दर अन्दर सभी को प्राथमिक शिक्षा मिल जानी चाहिये। पर, सभापति महोदय, वह पूरा नहीं हुआ। मैं यहां पर संविधान के आर्टिकल 45 की कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। यह हमारे संविधान का 79 का एडीशन है इसमें लिखा है:-

"The State shall be endeavour to provide, within a period of ten years from the

(श्री कैलाश मेघवाल)

commencement of this constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

यह दस साल का अर्सा डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स में दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदय, राजनैतिक कुचक्रों में फंसे होने के कारण हम हमारे मूल कामों को पूरा नहीं कर सके। इसलिये मैं, सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संविधान में जो प्रोविजन है कि यह काम दस साल में पूरा होना चाहिये वह नहीं हुआ तो अब वह दस साल कब पूरे होंगे ? हमारे देश के कर्णधारों ने हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने जो दस साल के अन्दर-अन्दर पूरा करने के लिये प्रावधान रखा उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिये था। सभापति महोदय, हमारे देश में जो स्थिति है उसके अनुसार सन् 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अन्दर शिक्षा का प्रतिशत 19.7 है। हमारे देश के दूसरे प्राविसेन्स के अनुपात में देखें तो नीचे से दूसरे नम्बर में हमारा राजस्थान आता है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर विशेष तौर से ध्यान दें और हमारे खजाने के पैसे को अधिक से अधिक जनता को शिक्षित करने में लगावें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां डेमोक्रेसी है इसलिये यह उपयुक्त होगा कि हमारा आम आदमी शिक्षित हो लेकिन हम देख रहे हैं कि नौजवान पीढ़ी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विषय में सही कदम उठायें।

मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि यह आपके अपने अधिकार हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी टीम पूरी करें । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के प्रत्येक काम में और विकास की कड़ी को तेज करने में जितने सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं और जब भी चुनाव आयेंगे हम आपके सामने लड़ लेंगे लेकिन राजस्थान की गरीब जनता है, राजस्थान का गरीब किसान है उनकी तरक्की का और खुशहाली का जो भी काम होगा उसमें आपको हमारा सहयोग मिलेगा।

श्री सभापति : श्री शिवदान सिंह !

श्री शिवदान सिंह (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि दो महीने का लेखानुदान पेश किया है इसे पास किया जाये।

जो सहकारिता मंत्री पहले रहे हैं, उनको आज ढाई साल के बाद गरीबों की और राजस्थान के विकास की बात याद आई है। जब उनका शासन था तो वह इस बात को भूल गए थे। वह कहते हैं कि हमने जो नीतियां लागू की थीं वह लागू की जायें। आपकी सरकार बनी थी वह गिर गयी। आपने जो आंकड़े दिये वह सब कागजी आंकड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप सहकारिता मंत्री थे उस समय सहकारिता में जितना भ्रष्टाचार हुआ उतना

(श्री शिवदानसिंह)

कभी नहीं हुआ। हमारे यहां पर जितने भी सामन्ती तत्व थे उन्होंने फर्जी लोन उठाये और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग मुंह ताकते रह गए। इस प्रकार लाखों रुपयों का पेमेन्ट पाली जिले में उठाया गया। वहां पर पुलिस केस रोक दिये गये। इन्होंने अपना भाई भतीजावाद रखा और विकास के कामों में कोई रुचि नहीं ली। इसका नतीजा यही हुआ कि आज आप विपक्ष में बैठे हैं।

हम राजस्थान का विकास करेंगे इसके लिए हमारी नीतियां भी हैं। आपके समय में राजस्थान का विकास आपने नहीं किया। आपको तो कागजी आंकड़े दिखाने है। कागजी आंकड़े बना कर मात्र आपने लोगों को ठगने की कोशिश की लेकिन जनता नहीं ठगी गयी। उसी का नतीजा है कि आप उस पक्ष में बैठे हैं।

आपने राजस्थान में अन्त्योदय का बहुत बड़ा ढकोसला किया उससे गरीब आदमी को सही मायने में कोई राहत नहीं मिली। जिनको लोन दिया गया उनसे वापस किसी तरह की भी पूछताछ नहीं की गयी। जिनको बैल और छकड़ा दिया गया, जब हमारे पाली जिले में पिछली बाढ़ आई थी तब उसमें किसी का बैल मर गया तो किसी की बकरी मर गयी किन्तु आपकी सरकार ने कोई देखभाल नहीं की। जिसका एक बैल मर गया वह आगे कमाने से रह गया। केवल कागजों में आंकड़े दिखा कर दिल्ली के अखबारों में अपनी-अपनी पब्लिसिटी की और वोट बटोरने चाहे किन्तु जनता ने आपको वोट नहीं दिये। आपकी नीतियों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस की नीतियों को अपनाया है।

आज जो बातें कर रहे हैं सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार की उनसे वह भ्रष्टाचार ढाई साल में नहीं मिटा और आज वह सलाह दे रहे हैं। आप को काम करके बताना चाहिये था। आप के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसने आज तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिये। आपके समय में इतनी सामन्तशाही और इतना भाई भतीजावाद बढ़ा कि चपरासी से लेकर रजिस्ट्रार तक सारे अधिकारियों के पदों पर एक विशेष वर्ग के लोगों को लगाया। मंत्री महोदय को मनाही की गयी कि इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, राजस्थान का विकास करना चाहिए। यह आपको अच्छा नहीं लग रहा था।

आप शिड्यूल्ड कास्ट्स के प्रतिनिधि थे। आपके समय में उनको मदद मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं यह आपको उस समय कहना चाहिए था। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। उस हिसाब से राजस्थान का विकास होगा। आपने ढाई साल में कौनसा विकास कर दिया।

माननीय भूतपूर्व सहकारिता मंत्रीजी ने कहा कि सड़कें बनी। सड़कें भी मौके पर नहीं बनीं। जेतारण से मेड़ता सिटी तक सड़क है वह तीन दफा मंजूर हुई लेकिन पैसा नहीं लगा और कागजों में सारा पैसा उड़ गया। जैसा विकास आपने किया वैसा कांग्रेस सरकार नहीं करेगी। हम बातें ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, हमारी सरकार काम करना चाहती है। आपकी सरकार की तरह केवल पब्लिसिटी नहीं करना चाहती है।

यह जो बजट पेश किया गया है इसमें राजस्थान के विकास के प्रति हमारी

(श्री शिवदान सिंह)

सरकार की पूरी आस्था है। आप एक जाति विशेष का विकास करना चाहते थे, आपने उसका विकास किया, आपने जागीरदारों का विकास किया। आपने गरीबों का विकास नहीं किया, शिड्यूल्ड कास्ट्स का विकास नहीं किया। आपने उनको सुना तक नहीं। गांवों में जागीरदार मूछों पर बट लगाकर और लाठी लेकर चल रहे थे। आज वह लोग घबरा रहे हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हावी होना चाहते हैं, जिसको आप बरदाश्त नहीं करना चाहते हैं।

वीकर सैक्शन की बात आप करते हैं, आपने इतने दिन क्यों नहीं तरक्की की। जो गरीब लोग हैं उनकी माली हालत बिगड़ गयी। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जमीनें दी गयीं, भूतपूर्व जागीरदारों ने वह जमीन खोस ली और उनके ऊपर कब्जा कर लिया। हमारे यहां भीनमाल में जमीन सीलिंग में मिली थी जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों ने कुए खुदवा लिए और पम्पिंग सेट लगवा लिए वह जमीन जनता पार्टी की सरकार में जागीरदारों ने वापस ले ली और उनके कुए इंजिन सहित ले लिए। यह आपने उनका फायदा किया। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं, न ज्यादा बात हमारी सरकार करना चाहती है, सरकार का जो लक्ष्य है वह तारीफ के काबिल है। मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको पास किया जाए।

श्री सभापति : श्री माणकमल मेहता।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : माननीय सभापति महोदय, अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो सरकार कांग्रेस की बनी है उसका क्रिटिसिज्म करना विपक्षी पार्टी में बैठे हुए, इन बेन्चेज पर बैठे हुए लोगों ने अपना रवैया सा कर लिया है। कोई भी वस्तु जो अच्छी होती है, डेमोक्रेसी में यह परम्परा होनी चाहिए कि उसका समर्थन किया जाये न कि हर उस चीज़ जो शासन की ओर से यानि ट्रेजरी बैंचेज की ओर से उठाई जाये, हमेशा विपक्ष समर्थन नहीं करे और उसकी खिलाफत करें। मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी में कोई बहुत अच्छी परम्परा नहीं होगी।

अभी दो महीनों के लिए जो मांगें मुख्य-मंत्री जी ने रखी हैं और अनुदान मांगों को पास करने की जो बात चल रही है। जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं यदि वह ट्रेजरी बैंचेज में होते और यही समय होता और इसी प्रकार की सारी परिस्थितियां होतीं तो शायद वह भी इसी प्रकार से इन अनुदान मांगों को आपके सामने रखते। क्या वे उस समय भूल जाते कि पास किया जाये या नहीं। मैं समझता हूं कि परम्परा यह रहनी चाहिए और डेमोक्रेसी में यह परम्परा होनी चाहिए कि हमें इस प्रदेश को चलाना है और इस प्रदेश की जो सारी प्रक्रिया है या इस प्रदेश का जो शासन है उस शासन में जनता को अच्छी से अच्छी राहत मिले, सुख और समृद्धि मिले हमें उसी के लिए कार्य करना चाहिए। अनुदान की मांगों का विरोध मैं समझता हूं कि केवल अपनी बात को कहने के लिए किया जा रहा है। वास्तव में तो हृदय में इसका समर्थन ही करते हैं।

मैं इन अनुदान की मांगों के साथ-साथ आपसे निवेदन करना उपयुक्त समझता हूं कि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी

(श्री माणकमल मेहता

देर पहले भी जब बातें चल रही थीं, उन्होंने कहा था कि जो बातें कांग्रेस के शासन में हुई वे बातें ठीक नहीं थीं और जनता पार्टी के शासन में जो बातें हुईं, जैसे थोड़ी देर के लिये अन्त्योदय को ही ले लें। इसकी बहुत बड़ी दुहाई दी है कि अन्त्योदय छोटे-छोटे आदमी को गांव में ऊंचा उठाने के लिये एक अच्छी योजना थी और उसके द्वारा गरीब आदमियों को ऊपर उठाया गया। लेकिन मैं समझता हूं अन्त्योदय, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा था, हमारे यहां के सर्वोदय की एक छोटी सी कड़ी है। नीचे के आदमी को ही ऊपर नहीं उठाना है बल्कि इस देश में जिस आदमी ने जन्म लिया है, वह ऊंचा हो, समृद्ध हो। हर व्यक्ति को ऊपर उठाने की बात हमारा कान्स्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। कांग्रेस के जो नेता हुए हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 21 सूत्री कार्यक्रम दिया है, जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश में रहने वाले हैं उनके उत्थान का कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। इस छोटी सी बात के लिये लास्ट इलेक्शन में ही आ खड़ा किया था, यह बताने की कोशिश की थी हमने कि गरीबों को ऊंचा लाने की कोशिश की है, अन्त्योदय का यह प्रोग्राम सिर्फ जनता पार्टी का प्रोग्राम है। यह बिल्कुल निराधार, निर्मूल और किसी काम का नहीं है ।

अन्त्योदय के साथ और बातें जो इन्होंने की, अनाज के बदले काम किया। गांवों में लेबर को तनख्वाह के बदले अनाज देने की बात की। वह अनाज किस तरह का था ? जो अनाज गोदामों में रखा था वह सारा का सारा अनाज जनता शासन काल में दिया गया। सारा अनाज सड़ा हुआ था वही अनाज गरीबों को देते थे। कहने को इन्होंने सबसे ज्यादा यह कहने की कोशिश की हमने गरीबों को अनाज दिया। आज अनाज जो इस वक्त स्टोर में है, हम कलेक्टर्स को निवेदन कर रहे हैं कि जब-जब अनाज दें, उसको देख कर दें। इनडिस्क्रीमिनेट न दें। जो बगैर देखे हुए अनाज दिया जाता था, उसको बन्द किया जाये।

इसके अलावा हमारे मुख्य मंत्री जी के आने के बाद जो काम चलाये हैं, जैसे मैं पाली जिले का निवेदन करूं, इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को मजदूरी पर लगाया है। मैंने जनता पार्टी के शासन काल में गांवों में जाकर देखा है सरपंचों के माध्यम से जो काम किये जा रहे थे उनमें लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा था और हुआ है। जहां एक सरपंच का खेत है वहीं काम करवाते थे। जहां उनका मकान बना हुआ है उसके पास सड़क बना देते थे। इस तरह उन्होंने बहुत गलत काम किये हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज के शासन से निवेदन करूंगा कि उनकी इन्क्वायरी की जानी चाहिये। उनका पता लगाया जाना चाहिये।

थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम सौतेला व्यवहार करके उन स्कूलों को बन्द नहीं करना चाहते जिन्हें जनता पार्टी के शासन में खोला गया था। शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सैकण्डरी और हायर सैकन्डरी स्कूल, जो अनइकानामिक हैं, केवल अपना नाम रोशन करने के लिये जो इन्होंने खोले हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई जरूरती नहीं है उन स्कूलों को कायम न रखा जाये ... ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, एक सूचना दे दूं कि कोई सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया।

श्री माणकमल मेहता : नये सब्जेक्टस खोले हैं। आपने टीचर्स को लगाया था। आपने प्राइमरी स्कूल ज्यादा खोले थे। मिडिल स्कूल भी खोले थे। वे अनइकानामिक हैं। नारलई की वजह से देसूरी में स्कूल हैं तीन मील में हाई स्कूल खोला। 50-60 स्टूडेन्ट्स हैं। अगर उन 50 स्टूडेन्ट्स को 100 रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति देते तो उनको अच्छे स्कूलों में भेजा जा सकता था। ऐसे स्टूडेन्ट्स को अगर 100 रुपये पर मन्थ स्कोलरशिप दी जाती तो ज्यादा उपयोगी होता। वे अच्छी तरह से पढ़ सकते थे। ऐसे स्थानों पर हाई स्कूल खोल दिये जहां कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो इस बात की थी, जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, प्राइमरी स्कूल राजस्थान के कोने कोने में होने चाहिये ताकि निरक्षरता की जो बात हैं वह हमेशा-हमेशा के लिये खतम हो जाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अनइकानामिक स्कूलों को खतम करके ऐसे स्थानों पर स्कूल खोले जायें जहां आवश्यकता है। आपने यदि बजट में पैसा रखा है तो अनइकानामिक स्कूलों को तो बन्द करना ही चाहिये, यह मेरा सरकार से निवेदन है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले में और विशेष रूप से पाली के मुख्यालय पर कई एग्रीकल्चरल होल्डिंगस हैं। कई आदमियों ने अपने मकान बना लिये हैं और उन मकानों के लिये किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि म्यूनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन के लिये विधिवत प्लान बनायें। प्लान बनाने के बाद ही लोगों को मकान बनाने की इजाजत दी जानी चाहिये एवं जो गरीब लोग बस गये हैं उनको नियमित करके कम से कम पैसा लिया जाकर अलाउटमेंट बेसिस पर उन्हें जमीनें दी जानी चाहिये ताकि वे अपनी रिहायश कर सकें।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की जो बात है, बिजली की कटौती से कृषकों को सब से ज्यादा नुकसान होता है, उसके बाद इण्डस्ट्रीज को नुकसान होता है। जिस तरह से बिजली दी जा रही है उसमें सुधार किया जाये। जितनी पावर देनी है उसको मुकर्रर करके ऐसी व्यवस्था करें कि नियमित रूप से बिजली मिलती रहे। किसानों को एवं इण्डस्ट्रीज को नियमित रूप से जैसे 8 से 10 या 12 घण्टे जैसा भी उपयुक्त समझें और जितनी भी पावर हमारे पास है उसी हिसाब से देवें तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इण्डस्ट्रीज बढ़ेगी। कई स्थानों पर इण्डस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का समन्वय नहीं हो पा रहा है। आर. आइ. एम. डी. सी. ने जिन इण्डस्ट्रीज लगाई हैं जैसे पाली में लगाई हैं। इन्ट्रप्रिन्योर्स ने इण्डस्ट्रीज लगाई उन्होंने कहा था कि यह इण्डस्ट्रीज डवलप हों, उस समय तो प्रोत्साहन दिया गया और लोन भी दिये गये लेकिन जब वाटर की प्राब्लम की बात आई वाटर ट्रीटमेंट की बात आई तो उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। इसमें इण्डस्ट्रीय लिस्ट की गलती नहीं है। इनको पहले से बताया जाता कि फैक्ट्रीज का जो खराब पानी निकलता हैं उस पानी को किस तरह से ठीक किया जाये।

(श्री माणकमल मेहता)

या उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाये। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाबत आपने शुरू में बता दिया होता या गवर्नमेंट की तरफ से या सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सीडाइज्ड कर दिया होता और यह सारी बातें बता देते तो इण्डस्ट्रियलिस्ट सारा पैसा खराब नहीं करते। यह वाटर की प्राब्लम है। आपके माध्यम से मैं शासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इण्डस्ट्रीज बहुत ज्यादा बेस करती हैं पानी पर, इस तरह की इण्डस्ट्रीज पनपाने का हमें मौका मिलना चाहिये। राजस्थान के अधिकांश बड़े बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने राजस्थान के बाहर इण्डस्ट्रीज लगा रखी हैं वे इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि आपके इण्डस्ट्रियल कॉम्पलेक्स अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं। आपके शासन में इण्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इस प्रदेश में बढ़े इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ भी हमें पूरी तरह ध्यान देना चाहिये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री राजबहादुर।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री माणकलाल मेहता के विचारों से सहमत हूं कि हमें केवल इस सदन में आपस में छिद्रान्वेषण का ही प्रयोग नहीं करना चाहिये, कोई रचनात्मक बातें होनी चाहिये चाहे वे इधर की तरफ से हों और चाहे उधर की तरफ से हों, क्योंकि अन्ततोगत्वा उद्देश्य हमारा क्या है। हम जिस हालत में हैं और जो स्थितियां हैं उसमें यही है कि हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ कहलाता है उसके अभावों को दूर कर सकें। मैं उसी भावना से कुछ विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी मर्यादाओं का सम्बन्ध है, उसको निभाना दोनों पक्षों पर निर्भर है, शासक दल पर और प्रति पक्ष दल पर किन्तु जो शासक दल है उन पर उसका कुछ अधिक उत्तरदायित्व होता है।

जहां तक इस वोट आन अकाउन्ट का प्रश्न है–इनका नाम है वोट आन अकाउन्ट नं. 2, विनियोग लेखानुदान संख्या 2। पहली बात तो यह है कि यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं लगती है कोई साफ, स्वच्छ बात नहीं लगती है कि एक वर्ष में दो-दो वोट आन अकाउन्ट पास कराये जायें, एक पार्लियामेंट ने पास किया हमारे अधिकार लेकर और दूसरा वोट आन अकाउन्ट यह है। क्या यह दूसरा वोट आन अकाउन्ट अवायडेबल था या नहीं, इसको रोका जा सकता था या नहीं? यह इसलिये आया कि हम जुलाई के अन्त तक बजट पास नहीं करा सके। जब असेम्बली कान्स्टीट्यूट हुई, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने 6 जून को कर दिया था निश्चित उसके बाद समय था। उस समय शीघ्रातिशीघ्र असेम्बली बुलाई जाती और बजट पास कराया जाता। खैर, जो कुछ हुआ वह हुआ। जो व्यवस्था आज है प्रदेश में, मैं उस विषय में अब नहीं जाऊंगा। यही कहूंगा कि जब इतना समय लिया गया तो इतना अवश्य है कि इस समय को निश्चित रूप से उपयोग में लाया जाता। इससे पहले ही कुछ मौलिक बातों पर सोचा जाता।

अब सवाल आता है एक साल के बजट के लिये चार महीने का बजट तो संसद ने पास कर दिया, दो महीने का आप कर रहे हैं। बाकी

(श्री राजबहादुर)

रहा 6 महीने का बजट। अब जिन नीतियों को आप चाहते हैं, उन नीतियों को परस्पर यहां बैठकर निर्धारित करना था। उसमें विचारों का मंथन करके हम कुछ निकाल सकते जो हमारे प्रदेश के लिये, हमारे समाज के लिये उपयोगी होता, शायद जो दो-दो दफा वोट आन अकाउन्ट आया है वह नहीं आता। आपका बहुमत है आप जरूर पास करा लेंगे इसे। किन्तु क्या यह उचित है ? क्या यह विधान की मंशा के अनुरूप है ? यही प्रश्न उठा है उड़ीसा असेम्बली में और दूसरी असेम्बलीज में भी कि क्या दो-दो बार वोट आन अकाउन्ट पास करवाना वाजिब है। इसका मतलब है जो स्लोगन दिया गया था, कि Vote for a Government that works. अब मैं पूछता हूं-Is this a Government that work ? ये सारे सवाल उसमें आते हैं। आप खुद हृदय पर हाथ रखिये और कहिये कि कितना काम हम कर रहे हैं, कितना कर सकते थे और कितनी हमारी क्षमता है।

मैं कल उपस्थित नहीं था, इसलिये सारा अध्ययन तो नहीं कर पाया हूं लेकिन जो सरसरी तौर से ध्यान में आया है उसके लिये मैं कुछ सफाई चाहूंगा। आपने पहले बताया था 226 करोड़ 37 लाख 50 हजार के अनुदान मांगे हैं और जो पर्चा दिया गया है, जो मैंने पढ़ा है उसमें है 178 करोड़। इन दोनों का तालमेल कैसे बैठता है, यह बता दीजिये। आपका मोशन 178 करोड़ के लिये है वोट आन अकाउन्ट का जो टोटल है वह केपिटल और रेवेन्यू मदों का होना चाहिये। जो स्टेटमेंट दिया है उसमें टोटल 226 करोड़ 37 लाख 50 हजार है।

दूसरी बात यह है कि जो आंकड़े दिये हैं लगभग उसमें 950 करोड़ की आय दिखाई है। उसका वन फोर्थ हिस्सा 226 करोड़ से अधिक आप दो महीने के लिये मांग रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि अगर आज हम सब मिल कर सोचें कि राजस्थान की कौनसी ज्वलन्त समस्यायें हैं, कौनसा करुण क्रन्दन है, कौनसी पुकार है हमारे प्रदेश की जनता की जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिये। हमें सोचना है कि उनके लिये हमें क्या करना है ? क्यों मक्खी की जगह मक्खी मारें और केवल आंकड़े देकर हम वोट पास करा लें। जो आज राजस्थान की ज्वलन्त समस्या है उसमें सबसे पहले मैं कहता हूं कि महंगाई की समस्या है उसको रोकने के लिये आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई स्पेशल प्रोविजन आपने उसके लिये किया है ? वितरण व्यवस्था, चाहे चीनी हो, तेल हो, डीजल हो या अन्य कोई आवश्यक वस्तु हो, में सुधार के लिये कुछ किया है ? ये देश की ज्वलन्त समस्या हैं।

इसमें आपने दिया है लेबर एम्पलायमेंट के खाने में 10 करोड़। कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। आप पृष्ठ संख्या 1 देख लीजिये, पृष्ठ संख्या 6 है--मांग अनुदान की संख्या है, 23 लेबर एम्पलायमेंट में 10 करोड़ 29 लाख 53 हजार। इसमें से जो अनएजूकेटेड अनएम्पलायड हैं, सेमी एजूकेटेड अनएम्पलाइड है या ग्रामीण अनएम्पलाइड हैं और जिनकी 25 वर्ष की उम्र हो चुकी है, जो बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खाते हैं,

(श्री राजबहादुर)

कभी किसी मंत्री की सिफारिश करवाते हैं, कभी किसी सांसद की सिफारिश करवाते हैं और कभी किसी अधिकारी की सिफारिश करवाते हैं। रोटी के दाने-दाने के लिये भटकते हैं फिर भी उन्हें एम्पलायमेंट नहीं मिल पाता है। मैं पूछना चाहता हूं जो उनके लिये 10 करोड़ 53 लाख दिये हैं उसमें से कितना खर्च करेंगे ? क्या आपने यह सोच लिया है नीति के रूप में कि जो अनएजूकेटेड हैं या एजूकेटेड अन-एम्पलायड हैं उनको रिलीफ के लिये क्या कोई स्टाइपेन्ड या कोई भत्ता देंगे ? यह बात इस वोट आन अकाउन्ट में रखते तो मैं समझ सकता था कि अन-एम्पलायमेंट की समस्या के बारे में सोचा है।

दूसरी समस्या महंगाई की है। आप कहते हैं कि वितरण व्यवस्था ठीक करनी है तो भी मैं मान सकता था लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया। एक वर्ष ऐसा हुआ जब हमने केन्द्रीय कांग्रेस मंत्रिमण्डल द्वारा पिछले वर्ष के 142 करोड़ के डेफिसिट के स्थान पर 55 करोड़ का डेफिसिट ला दिया, 72-73 या 76-77 की बात है, मैं जबानी कह रहा हूं, ठीक से मुझे वर्ष याद नहीं है किस वर्ष का था, जब हम 142 करोड़ के डेफिसिट से 55 करोड़ पर ले आये, इतना डेफिसिट कम कर दिया तो हमें भी राहत मिली थी जरूर लेकिन जो दूसरा बजट जनता सरकार के वित्त मंत्री पटेल का आया उसमें 183 करोड़ से 500 करोड़ का एडिशनल टैक्स कर दिया था और टैक्स लगाये। मैं याददाश्त से कह रहा हूं, हो सकता है कुछ गलती हो लेकिन इतना टैक्स लगाने के बाद जो रिलीफ मिला प्राइसेज में वह एक कन्सीडरेबल था, प्रोडक्शन भी ठीक था। कोई आंकड़े बता कर टैक्स नहीं लिया जाता है यह कोई ऐसी चीज नहीं है, यह तो एक कांबीनेशन आफ फैक्टर्स होता है, ऐसे एक हालात होते हैं, कन्डीशन होती हैं जिनकी वजह से प्राइस कन्ट्रोल में आ सकती हैं। उसमें हमारा दृष्टिकोण उत्पादन, जो कन्जूमर गुड्स का हो, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उन पर नियंत्रण करने वाली बात होनी चाहिये। हमारे इस राज्य में अथवा केन्द्रीय स्तर पर क्या हम लोग सक्षम नहीं हैं ? यह मैं मानता हूं कि प्राइस कन्ट्रोल के लिये बहुत कुछ करना पड़ेगा, केन्द्रीय सरकार को और बहुत कुछ करके बहुत सी राहत पहुंचाई जा सकती है।

दूसरी बात मैंने बेरोजगारी की की। बेरोजगारी को दूर करने के लिये आप इन दो महीने में क्या करने जा रहे हैं ?

एक छोटी बात अर्ज कर दूं, सभापति जी, आप उस इलाके से आते हैं इसलिये मैं आशा करता हूं कि आपको अवश्य मेरी बात से सहानुभूति होगी। कोटा से धौलपुर तक चम्बल, बनास, बाणगंगा, माही आदि नदियां हैं वहां इन नदियों के दोनों किनारों की भूमि को हम तो खादर बोलते हैं उर्दू में जिसको गार बोला जाता है, राजस्थान में पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, शायद नले कहते हैं, उनके दबी हुई हैं। लगभग मुझे आंकड़े याद हैं 12 लाख एकड़ भूमि है जो नदियों के दोनों ओर है, उसके लिए हमने बहुत पुकारा, हर सरकार से पुकारा, केन्द्र में पुकारा...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो मन्त्री थे केन्द्र में...

Page No. 78

(2ef)

श्री राजबहादुर : और प्रयास किये, मैंने ही नहीं औरों ने भी किये, किन्तु राजस्थान में कुछ हुआ नहीं। उधर उत्तर प्रदेश कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है रिक्लेमेशन। आप क्या कह रहे हैं ? आपने पहले भी कुछ नहीं किया। यहां पर बहुत से कहते हैं, 30 साल में कुछ नहीं किया। उस 30 साल में भी मैं शरीक था। लेकिन मैं जानता हूं कि दो बड़ी भूलें हमसे हुई हैं, हमारे राष्ट्र से हुई हैं। राष्ट्र में बड़े-बड़े कर्णधार हमारे थे। उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन सब समस्यायें हल नहीं हो सकती थीं। पहले सीने पर यदि भाला आ रहा हो तो उस वक्त उस भाले से बचा जाता है। इसलिए जहां देश की एकता रखनी थी वहां 30 साल की बात कह कर यह बताना कि कुछ नहीं किया, उचित नहीं है। देश एक बना रहे यही एक बड़ा काम था जो कांग्रेस सरकार ने किया। देश एक बना रहे, देश को एक नये जमाने में लाया जाय ताकि सरकार।....

(व्यवधान)

आप तो हँसने लगते हैं। आपको, विरोधी पक्ष में बैठे लोगों को हंसना नहीं चाहिए क्योंकि आपने बहुत गलतियां की हैं और आप गलतियां निकालने को खड़े हैं। लेकिन 30 साल में इसमें कोई शक नहीं है, देश को एक स्तर पर लाये हैं, एक सम्मानित स्तर पर लाये, एक माडर्न वर्ल्ड में लाये, साइन्स और टैक्नोलोजी में लाये, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन आज हिस्ट्री रिपीट हो रही है। आज आप इनकी बुराई करें 30 सालों के लिए, हम आपकी बुराई करें 30 महीनों के लिए, आप हमारी बुराई करें 30 सालों के लिए, हम आपकी बुराई करें 30 महीनों के लिए। इसमें हमारी चम्बल की रेविन्स यूं ही पड़ी रह गयीं। अगर आपने उस वक्त शुरूआत की होती तो चम्बल की रैविन्स को कुछ तो रिक्लेम किया होता।

आपने राजस्थान नहर की बहुत चर्चा की है, राजस्थान नहर की की है, आपने माही की, की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गंगा और यमुना को क्यों भूल जाते हैं ? एक शब्द भी इसमें नहीं है। न इसमें है, न बजट में कुछ बात बोली है उन पर एक शब्द नहीं है बड़े बजट में। इतने बड़े-बड़े साधन हमारे सिंचाई के हैं, उनको हम बिल्कुल इगनोर नहीं करें।

फिर एक बात है खेती की और काश्तकार की। सब कहते हैं खेती के ऊपर सारा आधार है। काश्तकार के ऊपर सारा आधार है। उसके लिए विशेष रूप से, आपने एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ लिखा तो है। इसमें कोई शक नहीं लेकिन क्या करेंगे जब बोने का समय आयेगा ? बीज के लिए, फर्टीलाइजर के लिए, डीजल के लिए, जो भी है, इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था है, कहीं किसी जगह पर आपके इस वोट आन अकाउन्ट में तो मुझे बता दें कि आपने यह किया है। मैं वोट आन अकाउन्ट पर बोल रहा हूं, बजट पर नहीं बोल रहा हूं।

अब मैं आता हूं आपकी थोड़ी बहुत दूसरी बातों पर। स्पष्टीकरण भी मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपके आंकड़े पूरे मिले नहीं, मेरे पास उनकी कापी नहीं है। उसके लिए मुमकिन है मैं गलती से आबजेक्शन उठा रहा हूं लेकिन आब्जेक्शन नहीं है। आप देखिये, 'इलेक्शन" के ऊपर आप 1 करोड़ 41 लाख 46 हजार खर्च कर रहे

(श्री राजबहादुर)

हैं दो महीनों में। पेज नं. 2 पर इलेक्शन में 1 करोड़ 41 लाख 50 हजार रुपये का खर्च यहां बताया है। इलेक्शन पर इन दो महीनों में क्या खर्च आ गया? कौन-सा चुनाव होने जा रहा है या जनता का क्या भला होने जा रहा है? पुराने भुगतान करने हैं क्या आपको? जो देनदारी पड़ी हैं उन्हें भुगताना है? लेकिन 1 करोड़ 46 लाख का जो यह खर्च है इसके लिए मैं आपको आगाह करता हूं। बजट पर मुझे बोलना है।

अब आइये पेज नं. 6 के ऊपर। पेज नं. 6 में आपने बड़ी-बड़ी रकमें दिखलायी हैं। रोड्स एण्ड ब्रिज के ऊपर आपने 3 करोड़ 41 लाख 25 हजार रुपये रखे हैं रेवेन्यू खाते के मदों और केपिटल आउट ले आन रोड्स एण्ड ब्रिज अलग हैं 3 करोड़ 3 लाख 90 हजार। कुल मिलाकर हो जाता है यह टोटल तो इन दोनों का 6 करोड़ 44 लाख के करीब। क्या कैपिटल आउट ले, रेवेन्यू बजट वगैरह 6 करोड़ 44 लाख रुपये आप खर्च कर पायेंगे दो महीनों में? तो फिर आपने कैसे यह मांग रखी है? यह दो महीने की मांग है या लम्बी मांग है? यह 6 करोड़ तो मेरे खयाल से आप खर्च नहीं कर पायेंगे। इसके पुराने बिल भुगताने हैं या क्या कारण है? पुराने बिल के तो भुगतान मार्च में होने चाहिए थे, जुलाई में थोड़े ही भुगतते हैं। पुराने बिल तो मार्च के महीने में भुगताये जाते हैं।

फिर आगे चलिये नैक्स्ट मांग है, मांग संख्या 7 एरिया डवलपमेन्ट 3 करोड़ 70 लाख 2 हजार रुपये। क्या आपने मेरी पुकार सुनी, एरिया डवलपमेन्ट में चम्बल रेविन्स को समतल कराने की? चाहे किसी काम के लिए हो लेकिन 3 करोड़ 70 लाख रुपये से चम्बल के रेविन्स को समतल बनाना है उनको खेती के योग्य बनाना है, बाग बगीचे और पम्प लगाने हैं चम्बल में। चम्बल से पानी लें आप पम्पों से लें, सोचिये कितने आपके बेकार नौजवानों को इसमें काम मिल सकेगा, कितने नौजवान इसमें काम कर सकेंगे, कितनों को अनएम्पलायमेंट से राहत मिलेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

तीसरा है, एजूकेशन पर आपने रखा है 22 करोड़ 20 लाख 23 हजार। 22 करोड़ 20 लाख 23 हजार एजूकेशन पर दो महीने का। यह न जाने किस-किस मद का है, क्यों है, कैसे है?

फिर आइये मेडिकल पर, 6 करोड़ 25 लाख, फेमिली वैलफेयर पर 1 करोड़ 3 लाख, पब्लिक हैल्थ सेनीटेशन मांग संख्या 282, 1 करोड़ 40 लाख 84 हजार रुपया। कुल मिलाकर होता है 9 करोड़ 24 लाख 97 हजार। 9 करोड़ 24 लाख 97 हजार मेडिकल और फेमिली वैलफेयर वगैरह-वगैरह। फिर आप देखिये गजब की बात है मांग संख्या 27 में। 282 में आइटम फिर रिपीट हुआ है। मांग संख्या 26 में भी 282 का आइटम है। पब्लिक हैल्थ सैनीटेशन एण्ड वाटर सप्लाई का 1 करोड़ 40 लाख का और मांग संख्या 27 में भी वही। पब्लिक हैल्थ सैनीटेशन पर 3 करोड़ 16 लाख 53 हजार। यह समझ में नहीं आता गुत्थी क्या है? मैं जितना कुछ समझ पाता हूं बजट के आंकड़ों से। मेरी तैयारी नहीं हुई।

(श्री राजबहादुर)

खैर, आगे चलिये। एग्रीकल्चर 180 लाख, मेरा कहना है, यह ठीक है, इसमें 480 लाख भी होता तो मुझे एतराज नहीं होता क्योंकि इसके जरिये से आप सीड, फर्टीलाइजर, पम्प, डीजल, ट्यूब वैल्स, इन्जिन जो भी सब उपकरण मिल सकते थे, साधन मिल सकते थे, किसानों को उन्नति के, वे सब मिल सकते थे। आशा है मेरे बन्धु मेरे कथन से सन्तुष्ट होंगे, क्योंकि यह किसान से सम्बन्धित है। मैं यह बात कह रहा हूं जो मेरे ख्याल से आपके पक्ष में बनती है। आप चाहे स्वीकार करें या न करें।

आगे चलें। आखरी आता है आइटम कोऑपरेटिव का। जिस पर मेरे दोस्त मेघवालजी भी बोले। एतराज किया गया था कि वे क्या बजट पर बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बजट पर नहीं बोल रहे हैं उसमें मांग संख्या 36 है, जो सहकारिता पर ही है। फिर उन्होंने कहा कि वह उसके अन्तर्गत नहीं आती है। खैर मैं इसकी व्यवस्था के लिए, डिफेन्स नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा कि रैलेवेन्ट था यदि इर्रेलेवेन्ट होता तो मैं भी आपसे कहता, सभापतिजी, आखिर इसमें 6 करोड़ 40 लाख है। कैपिटल और रेवेन्यू अकाउन्ट मिलाकर हो जायेगा 7 करोड़ 93 लाख, यह 7 करोड़ 93 लाख कोऑपरेटिव पर खर्च होगा। दो महीने के अन्दर। 7 करोड़ 93 लाख से ज्यादा खर्च होगा को-आपरेटिव के ऊपर। मुझे पता नहीं क्या विभागीय मशीनरी की क्षमता इतनी है ? लेकिन यह निश्चित बात है इसलिए कहा गया कि वोट ऑन अकाउन्ट नं. 2 के जरिये यह प्रोविजन नहीं होना चाहिये था। लेकिन फिर भी आपको बहुत सी बातें सोचनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका क्या औचित्य है ? दो-दो वोट ऑन अकाउन्ट क्यों लिये। 6 महीने आपने बिना पालिसी के निकाल दिये। इसका मतलब यह है कि 4 महीने पहले गये अब 2 महीने यह ले गये। 6 महिने बिना किसी पालिसी के यह प्रदेश चला। अगले 6 महीने की पालिसी कैसे चलेगी। यह आप जाने।

मैं कहता हूं आप हमारी बातें सुनते हैं या नहीं, ध्यान देते हैं या नहीं। यह आप जाने। हमारा कहना, हमारी बात आपको हृदयंगम होती है या नहीं। मैं इतना ही कहूंगा Do not look at the person who talks that listen to what he talks. आप मेरी सूरत मत देखिये कि मैं कौन हूं, यह देखिये कि मैं क्या कहता हूं या जो मैं कहता हूं वह आपके हृदय में जाती है। मैं आपके हृदय तक पहुंचना चाहता हूं। मैं आपके मस्तिष्क को ही अपील नहीं करता हूं। लेकिन मैं हृदय को भी अपील करता हूं। आपको मेरी सूरत पसन्द न हो तो मेरी सीरत पसन्द करिये। मेरी बात पसन्द कर लीजिये। मेरी बात मानिये, क्योंकि मैं राजस्थान के हित की बात कहूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं कहूंगा। बाकी बात मैं जो अगली बजट की बैठक होगी उसमें कहूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शान्ति के साथ, सन्तोष के साथ आपने मेरी बात सुनी !

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, सदन में भी विकास की

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

चर्चायें चली हैं और प्रदेश में भी विकास की चर्चायें गली-गली और पान की दुकान पर चलती हैं। हमारा ख्याल है कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रदेश का विकास करने का संकल्प लिया है। ऐसा उन्होंने भाषण दिया। और वह समय-समय पर विकास की चर्चा करते रहते हैं। मुझे भी वड़ी प्रसन्नता हुई कि मुख्य मंत्री ने सबसे पहले राजस्थान के विकास का ध्यान रखा। मेरे क्षेत्र का भी विकास होगा, यह मुझे भी आशा हुई थी, किन्तु माननीय मुख्य मंत्री महोदय का विकास कैसा होगा इसका उदाहरण मेरा ही क्षेत्र बना है। मेरा विधान सभा क्षेत्र बारां एक ऐसे स्थान पर अवस्थित है जो साग-सब्जियों का क्षेत्र है। कोटा जिले से एक कोने में चला गया है। वहां से कोटा आने के लिए 180 मील की यात्रा करनी पड़ती है। 180 मील यात्रा करके कोई व्यक्ति जिले के हैड क्वार्टर पर आ सकता है। माननीय सभापति महोदय, जिस बात में आपके क्षेत्र का हित भी निहित है, मैं ऐसी बात कहना चाहता हूं। तो मेरे बारां क्षेत्र की विशेष परिस्थिति को देखते हुए उसको प्रशासन को चुस्त करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, गरीब लोगों को जो डेढ़-डेढ़ सो मील की यात्रा करनी पड़ती है वह नहीं करनी पड़े, इसके लिए एक चर्चा चली कि राजस्थान में छोटे जिले बनाये जावें तो जनता सरकार ने निर्णय लिया था कि बारां को जिला बनाया जावे। किन्तु बारां को जिला बनाने के लिए जो जो कार्य वाही हुई थीं उनको एक-एक करके खतम करने का प्रयास माननीय मुख्य मंत्री के आने के बाद प्रारम्भ हो गया।

विकास की चर्चा के साथ मेरे क्षेत्र में जो जो काम हुए उनकी थोड़ी सी झलक मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है कि वे विकास चाहते हों किन्तु कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो उनको बदनाम करने के लिए यह चाहते हों कि मेरे क्षेत्र में विकास नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर का पद मेरे बारां क्षेत्र में से समाप्त कर दिया गया है जब कि बारां में दो क्लस्टर्स हैं। झालावाड़ में एक डी. ए. ओ. व एक डिप्टी डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर हैं, जब कि तीन लस्टर्स हैं, किन्तु बारां से डी. ए. ओ. का आफिस हटा दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता और विद्युत का कार्यालय है। बड़े जोरों की चर्चा है कि वह अधिशासी अभियन्ता का आफिस भी बारां से हटाया जावेगा। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग के दफ्तर को भी हटाने की कार्यवाही कागजों में प्रारम्भ हो गई है। एक ओर जहां बारां को जिला बनाने का निर्णय लिया गया था वहां दूसरी ओर ए.डी.एम. बारां के आफिस को हटाने की कार्यवाही भी फाइलों में प्रारम्भ हो गई है।........

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ आप ज्यादा ही ले गए थे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ज्यादा विकास कैसे हो गया ? विकास को वापस लेना चाहते हैं या विकास करना चाहते हैं ? पहले जहां पर विकास हो गया है वहां से विकास वापस लेने वाले हैं या विकास के अन्दर सब को समान करने वाले हैं ? पहले इस बात का विचार कर लें। यह विकास........)

(व्यवधान)

Page No. 82

(82)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं यह बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री विकास करना चाहते हैं लेकिन ये कौन से तत्व हैं जो विकास में बाधा उपस्थित करना चाहते हैं? यहां जिला बनाने की बात थी किन्तु वहां से ये सारे दफ्तर हटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। एक-एक आफिस का मैं विवरण प्रस्तुत कर सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री को कि क्या यही उनके विकास कि रूप रेखा है जो वे प्रदेश को देना चाहते हैं ?

हैंड पम्प लगाने की बात थी। हैंड पम्प ऐसे गांवों में चालू किए गए जहां पर उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां पर सीपेज है, जहां पर पानी है और पीने के पानी की कोई प्राब्लम नहीं हैं वहां पर हैंड पम्प लगाए गए हैं। किन्तु जिन गांवों में एक भी कुआं नहीं है वहां के लिए कोई योजना नहीं है। यह कैसा विकास है। वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है लेकिन वर्ल्ड बैंक के पैसे से हैंड पम्प उन गांवों में लगाये जा रहे हैं जिन गांवों में हैंड पम्प की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां पानी की कोई किल्लत नहीं है। जहां पचास-पचास फीट नीचे पानी है वहां पर एक भी हैंड पम्प नहीं लग रहा है। दफ्तर में जाकर बात करते हैं तो उत्तर मिलता है कि बजट नहीं है। बजट नहीं है तो कैसा विकास होने वाला है हमारा।

(2.14 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पीठासीन)

क्या इसी तरह से विकास होने वाला है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री महोदय से कि यह विकास का सबसे पहला शिकार क्या मेरा क्षेत्र बारां ही होगा? यह आपकी योजना से हो रहा है, क्या आपकी जानकारी से हो रहा है या बिना आपकी जानकारी के ही कुछ षड्यंत्रकारी तत्व आपको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं ? बारां को जहां जिला बनाने की बात थी, जहां बारां का विकास होना चाहिए था वहां किसी न किसी प्रकार से उस क्षेत्र के दफ्तरों को हटाया जा रहा है।

किशनगंज शाहबाद ट्राइबल एरिया है, वहां सहरिया लोग रहते हैं। उनके विकास की योजनायें चल रही हैं तो क्या उनके विकास के लिए एक छोटे जिले की आवश्यकता नहीं है ? वहां से एक व्यक्ति को 180 मील तक यात्रा करके कोटा आना पड़ता है इसलिये जनता पार्टी ने वहां जिला बनाने का निर्णय लिया था। आपने भी आते ही कहा था कि जो अच्छे काम होंगे उनको रखेंगे तो क्या यह अच्छा काम नहीं था ? प्रशासन को चुस्त बनाना चाहते हैं तो क्या विकास के लिए छोटा जिला बनाना उचित नहीं है ? कई जिला अधिकारी वहां पर ऐसे रहे हैं जिनका ट्रांसफर हो गया लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में शाहबाद नहीं देखा। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिला बनाना तो एक तरफ रहा, वहां से एम. डी. एम., एक्स.ई. एन.आर.एस.ई.बी., एक्स.ई-एन इरिगेशन हटाये जा रहे हैं। डी. ए. ओ. का आफिस हटा दिया गया है। एक करोड़ की हाउसिंग बोर्ड की स्कीम को समाप्त कर दिया गया है। ये विकास की योजनायें चल रही हैं ? यही

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

प्रदेश का विकास हो रहा है ? मुख्य मन्त्री महोदय को यदि ऐसा ही विकास करना है तो प्रदेश का भविष्य क्या होगा, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान में किसानों के लिए क्या-क्या योजनायें गयीं और उनको क्या सहूलियतें मिल रही हैं उनकी भी थोड़ी सी झलक देना चाहता हूं। राजस्थान सीड कोरपोरेशन 0001-शंकर ज्वार का बीज बांटता है परन्तु पूरे लोड में से एक दाना भी वहां नहीं उगा। किसानों को शंकर ज्वार का बीज दिया गया है, किसानों ने बीज बो दिया है, किसानों ने बीज बो दिया और फर्टीलाइजर जिसकी प्राइस आपने दुगुनी कर दी, उसको लेकर किसान ने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन इस बीज का एक दाना नहीं उगा। राजस्थान सीड कारपोरेशन से जो बीज बिकता है उसमें राजस्थान सीड कारपोरेशन दुगुना प्रोफिट अर्न करता है। किसान से 150 के लेते हैं और 350 रु. में कोरपोरेशन देता है। बीज से इतना प्रोफिट कमाने के बाद भी गलत बीज किसानों को क्यों दिया गया ? क्या सीड कोरपोरेशन उसको रिलिस करेगा ? जो हर्जाना हुआ है क्या उसको पूरा करेगा ?

जो राजस्व अभियान चला कर नामांतरण कर दिए गए थे उनमें किसानों ने पहली बार यह अनुभव किया था कि बिना पैसे भी नामांतरण हो सकते हैं। आज फिर वही समय आ गया है कि पैसा लिए बिना नामांतरण नहीं हो सकेगा। क्यों अभियान नहीं चलाया जा रहा है ? कोई हिदायत नहीं दी गई है कि किसी का पिता मर चुका है तो उसका नामांतरण हो जाये, 1979 से जिनके पजेशन में जमीन है उनको खातेदारी राइट दे दिए जावें, उसका कोई अभियान नहीं चल रहा है। सरकार के बदलने के साथ ही रेवेन्यू आफिसरों का भी यह रवैय्या हो गया है कि अब फिर वही सरकार आ गई है कि जिससे पैसे की इन्कम होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को सहूलियतें देने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा।

भूमि विकास बैंक से लोन दिया गया कुछ बनाने के लिए। भूमि विकास बैंक लोन तभी देता है जब उसके अधिकारी जाकर यह कह देते हैं कि कितने फीट पर पानी निकलेगा। उनको दस हजार रुपया लोन दिया गया। दस हजार रुपये कुएं में लगा दिए गए। कुए में पानी नहीं निकला तो उनको और अधिक लोन दिया जाना चाहिए था। दस हजार रुपया लगाने के बाद भी पानी नहीं निकला तो कुआं पूरा कराने के लिए किसानों को और लोन दिया जाना चाहिए था। भूमि विकास बैंक से और कामशियल बैंक से लोन लेकर भी जब कुआं पूरा नहीं हुआ तो उससे उसकी इन्कम नहीं हुई। इन्कम नहीं हुई तो वह अपनी किश्तें अदा नहीं कर पाये। आज किसानों की जमीनें कुर्की की जा रही हैं। कुर्की भी किस प्रकार से की जा रही है ? जो पैसा दे देता है उसकी कुर्की नहीं होती भूमि विकास बैंक सैक्रेटरी महोदय...

श्री सभापति : प्रारम्भ रखिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी उसको सुनें।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

भूमि विकास बैंक के सैक्रेटरी महोदय खाली फार्म पर दस्तखत करके अपने इंसपैक्टर को दे रहे हैं। मेरे पास भी दो फार्म मौजूद हैं। आपने भी सूचना मंगाई है। वहां से खाली फार्म आए हैं। सैक्रेटरी के दस्तखत हैं। जो सौ रुपये दे देता है उसकी कुर्की नहीं होती। जो किसान रुपया नहीं देता और जिसके कुएं से पानी नहीं निकला, ऐसे किसान की कुर्की की जा रही है। क्या आप उस सैक्रेटरी की जांच कराने को तैयार हैं? उत्तर आपके पास लिखित में आ गया है। किसानों की अवैधानिक रूप से कुर्कियां की जा रही हैं। वसूली के नाम पर यह किसानों के साथ हो रहा है। आप देखें, कैसा बीज मिल रहा है, कैसे कुर्किया हो रही हैं, लोन देने के बाद कुएं में पानी नहीं निकला उसके बावजूद कुर्किया हो रही हैं। यह कार्यवाही किसानों के साथ हो रही है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कुछ नमूने ऐसे भी पेश करना चाहूंगा, आपके नाम पर आपके मंत्रीगण क्या-क्या कर रहे हैं। आपके नाम पर आपके अधिकारी क्या-क्या कर रहे हैं। पता नहीं आपने इजाजत दी है या आपके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोटा में पशुपालन प्रशिक्षणालय है। उस प्रशिक्षणालय में इन्टरव्यू हुए पशुधन सहायक के। 256 लोग इन्टरव्यू में गये। 60 लोगों का सलेक्शन किया गया और 10 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा। एक डिप्टी डायरेक्टर यहां से गये, कुम्हेर के, मुख्य मंत्रीजी के खास व्यक्ति हैं।

श्री दुलाराम : मुख्यमन्त्री के तो सभी निकट हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन आप नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : अभी सुनते जाओ!

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उस इन्टरव्यू में तीन लोग गये। एक जोइन्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, एक डिप्टी डायरेक्टर। 50 लोग लिये हैं, जिनमें से 35 यू० पी० के हैं राजस्थान के नहीं हैं। आज जयपुर, कोटा रीजन में कोटा, झालावाड़ और बून्दी आते हैं, किन्तु इस रीजन के 9 व्यक्ति हैं और 41 व्यक्ति बाहर के हैं। 50 लोगों को लेने के बाद 10 लोगों को वेटिंग लिस्ट में लिया। 50 सीट होते हुए 56 लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं, ऐसे लोग, जो इन्टरव्यू में गये नहीं मनमानी से रख लिया, प्रशिक्षण पा रहे हैं जो न वेटिंग लिस्ट में हैं, और न इन्टरव्यू में गये। डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं कि इसमें मुख्य मन्त्री का हाथ है। एक लड़का मथुरा से बुलाया गया। उसको मण्डाना का निवासी बताया गया जब कि उसने मण्डाना की शक्ल नहीं देखी। उसको टेलीग्राम देकर बुलाया गया। इन्टरव्यू में उसको ले लिया गया। कक्षा एक से दस तक उसने मथुरा में शिक्षा प्राप्त की है, राजस्थान में प्राप्त नहीं की। जो इन्टरव्यू में गये नहीं, ऐसे लोग लिये गये। क्या कोई नीति है सरकार की? क्या आप अधिकारियों पर पाबन्दी लगायेंगे कि आपके नाम का दुरुपयोग न करें? माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, आपके नाम पर क्या हो रहा है, इसका छोटा सा नमूना है।

आपने मन्त्री रखे हैं। क्या ये प्रशासन चलाने की क्षमता रखते हैं? श्रीमान् अब्दुल रहमान चौधरी हमारे कोटा में पधारे

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

केथून नाम के भीमपुरा स्थान पर खसरा नम्बर 68 पर दस मकान बने हुए थे। वहां श्मशान भी है, वहां पर दस मकान बने हुए थे। तहसीलदार लाड़पुरा ने उन मकानों को तोड़ने की इजाजत दे दी, किन्तु अब्दुल रहमान चौधरी साहब रात को दस बजे पधारे और उस भूमि पर संजय कालोनी का उद्घाटन कर आये, बिना इस बात की चिन्ता किये कि तहसीलदार ने आदेश दिये हुए हैं कि उस पर बने मकान तोड़ दिये जायें। उस भूमि पर संजय कालोनी का उद्घाटन हुआ—इसका वहां के अधिकारियों पर क्या असर पड़ेगा ? कानून के बनाने वाले ही कानून तोड़ेंगे तो इस राजस्थान का क्या होगा ? मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को मन्त्री पद से हटायें इसका अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ा ? जब मन्त्रीजी शिलान्यास कर गये हैं, संजय कालोनी बना गये हैं तो उन आदेशों का क्या करें, मकान तुड़वायें या नहीं तुड़वायें ? क्या मुख्य मन्त्री में इतना नैतिक साहस है कि वे सदन में घोषणा करें कि इसकी जांच करेंगे। मैं समझता हूं कि जांच नहीं होगी, क्योंकि उन की फौज में सब ऐसे इकट्ठे हो गये हैं, एक-दो को छोड़ कर मैं सदन में चार्ज लगाता हूं, नैतिकता है तो आप जांच करायें और यदि दोषी पाये जायं तो आप उनको निलम्बित करें। आपने राजस्थान के विकास के लिये किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान का विकास नहीं होगा।

हमारे कोटा में कैचमेंट की बड़ी योजना है। देश के विभिन्न भागों से बड़े-बड़े अधिकारी कैचमेंट को देखने आ रहे हैं। उनमें ड्रेन्स बनाना, उनको एप्रोचेबल रोड्स से जोड़ना—ये सब उसमें होता है, किन्तु क्या हो रहा है इस राज में। इस राज में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। डीजल की कमी राजस्थान में रही, किन्तु मेरे कोटा में नहीं रही। क्योंकि कैचमेंट का डीजल सस्ते भावों में जितना आप चाहें ले लें। केन्द्र बने हुए हैं। उन पर आप जितना चाहें लीजिये। अधिकारियों से कहा तो बोले कि हमारी जानकारी में है।

राजस्थान मैकेनिकल इंजीनियर्स एसोसिएशन कोटा ने आरोप लगाया है कि आठ करोड़ रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हैं। उनके नाम पर डीजल आ रहा है। यह सब खर्चा किसानों पर पड़ रहा है।

जो ढलान है, ढलान की तरफ वाटर कोर्स बना दिये हैं। यह वह योजना है जिसका पैसा किसानों के नाम लिखा जाता है। भूमि के सुधार के नाम पर यह हो रहा है। आप सदन की समिति बनायें और वह समिति वहां जाकर देखे कि किसानों के हित में क्या हो रहा है, उसके नाम पर क्या किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मुझे......

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी पार्टी का समय हो गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : दिल थामकर सुनो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, मुझे पार्टी का समय दिया गया है, मुझे बोलने का समय दिया जावे।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

इस सुन्दर योजना में क्या किया जा रहा है आज किसानों के साथ। जब उनको कैचमेंट के बाद रिअलाटमेंट हुआ तो अनेक खेतों में पानी नहीं लगा।

उसमें कैश मिला। हम ए. डी. एम. (सी. ए. डी.) के पास पहुंचे। वे बोले कि हम गलती कर सकते हैं, और गलती हमने की है, लेकिन हम सुधार नहीं कर सकते हैं। भूमि सुधार नियम 1975 में यह प्रोविजन है कि ए.डी.एम. की अपील के लिये अपीलेट कोर्ट होगी। किन्तु आज तक कोई ऐसी कोर्ट नहीं बनी, जिसमें अपील की जा सके। उसका नतीजा यह हो गया कि आज ए.डी.एम. सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न व्यक्ति है, जो काला सफेद कर दे, वह पत्थर की लकीर है। आज हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट की याचिका राष्ट्रपति के पास है, किन्तु सी.ए.डी. के ए.डी.एम. सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न व्यक्ति हैं, इस कारण भ्रष्टाचार हो रहा है। आप अपीलेट कोर्ट की स्थापना करें जिससे किसानों को राहत मिल सके। इसकी आप जांच करवायें कि सी. ए. डी. में क्या हो रहा है? सी. ए. डी. में जो भूमि सुधार कार्यक्रम हो रहा है उसमें किसानों के साइन करवाये जाते हैं खाली फार्म पर। आज 3-3 साल हो गये री-सैटलमेंट हुए। किन्तु यह फाइनल नहीं हुआ कि कर्जा कितना है। तीन साल यहां हो गये और फैसला नहीं हुआ। खाली फार्म पर साइन करवाये जाते हैं। तीन साल तक यह परवाह नहीं कि उसके नाम कर्जा कितना है, उस कर्जे में से कितना चुकाना है। जो एस. एफ. डी. ए. के किसान आते हैं उनको जो रिलीफ मिलना चाहिये, अनुदान मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ आपका पैसा फालतू पड़ा है दूसरी तरफ उनको नहीं मिल रहा है। सभापति महोदया ...

एक माननीय सदस्य : महोदया !

श्री सभापति : कोई फर्क नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : राजस्थान के किसानों को मुख्य मन्त्री जी से आशा है। उन्होंने जो विकास की बातें की हैं उस विकास के नाम पर किसानों को भरोसा हुआ है। जहां छोटे किसानों को लोन मिलता रहा था वह भी मिलेगा ऐसा उन्होंने विश्वास जमाया है परन्तु क्या कोई इस बात की गारन्टी दे सकता है कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कि पिछले तीस सालों में जिसके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है उसको भी बैंक का मुंह देखने का अवसर प्राप्त होगा? जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे हजारों लोगों को जमीन दिलाई थी जिनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं थी। जिन्होंने बैंक की शक्ल नहीं देखी उनको हजारों रूपये का लोन दिया जिससे उनका रोजगार चल रहा है। गाय, भैंस, बकरी ले आये हैं, उनका रोजगार चल रहा है।

अनाज के बदले रोजगार योजना में...

(व्यवधान)

मुझे मालूम है कि आपको कष्ट यही हो रहा है कि हमारी सरकार ने क्यों नहीं ख्याल किया। इसका आपको कष्ट होना स्वाभाविक है कि अनाज तो हमने इकट्ठा किया था उस समय हमारी बुद्धि कहां गई थी, हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। काम के बदले अनाज योजना का भी आपको कष्ट हो रहा है।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

तो मेरा निवेदन है कि आप अन्तःकरण से विकास करें। जो जनता पार्टी ने विकास योजनाओं का सूत्रपात किया है उसकी आप आलोचना न करें। आपके समय में कितने गांव ऐसे थे जिनमें विकास के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया? अनाज के बदले काम योजना के अन्तर्गत उन्हीं गावों में लाखों रुपये खर्च हुए हैं। क्या आप इसका अनुकरण नहीं करेंगे?

एक माननीय सदस्य : ज्यादा कोटा में हुए हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, जहां अकाल राहत के नाम पर फर्जी काम खोले गये उनमें कोटा नहीं है। कोटा में अकाल यदा-कदा ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सड़क नहीं बनी और पैसा खर्च हो गया। बांसवाड़ा में हुआ होगा। कोटा में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने जो विकास का दृढ़ संकल्प लिया है उसको उसी इन्टेंशन से, उसी भावना से लें कि यह प्रदेश का विकास है। राजनैतिक भावना से, जैसा मेरे क्षेत्र में किया जा रहा है, विकास के नाम पर विनाश की ओर उसको ले जा रहे हैं इस बात को हटायें। जिनके द्वारा इस प्रकार के काम किये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। विकास की गति उसी प्रकार से बनी रहे जैसी जनता पार्टी के शासन में थी और उससे भी अधिक तीव्रता से आप विकास कर सकें तो उसके लिये धन्यवाद दूंगा। लेकिन मेरे क्षेत्र में मुख्य मंत्री बनने के बाद आपकी पहली नजर पड़ी उससे मुझे कष्ट हुआ। आपके कार्यों से मुझे ऐसा लगा कि कथनी और करनी में अंतर है। यह भी हो सकता है कि आपकी जानकारी के बिना आपको बदनाम करने के लिये नौकरशाही ऐसा कर रही हो। मैं आपको सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विकास के नाम पर विनाश की लीला चल रही है इसको आप रोकें। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको रोकें।

मेरे यहां प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये और बारां में विकास कार्यों पर आप ध्यान देंगे इसी विश्वास के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह!

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, किस विचार से जनता पार्टी, जो विपक्ष में बैठी है, के दोनों ही माननीय सदस्य बजट को और अनुदान की मांगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज राजस्थान के कम से कम 75 प्रतिशत आदमी खेती के काम में लगे हुए हैं। आज आप आय-व्ययक अध्ययन को देखें तो मालूम होगा, पिछली साल जो पैदावार हुई उसमें तिलहन में 52 प्रतिशत घटोतरी हुई थी, अनाज में 33 प्रतिशत घटोतरी हुई, गन्ने में 47 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ। फिर आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई। घटोतरी और कम पैदावार आपके समय में हुई उस की बदनामी आप हम लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज करना आप लोगों का काम है। पिछले ढाई सालों से यही करते आये इसलिये जनता ने फिर आप लोगों को वहीं पहुंचा दिया।

(व्यवधान)

(श्री मांधवसिंह दीवान)

वित्त मंत्रीजी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हमने इतने कनेक्शन कर दिये ...

एक माननीय सदस्य : सारे फर्जी।

श्री माधवसिंह दीवान : कम से कम आधी बिजली भी उनको नहीं मिली। चार आने से छः आने तक भी नहीं मिली। इसलिये फसल की पैदावार कम हो गई। आज गेहूं की पैदावार सिर्फ बिजली की सप्लाई ठीक न कर पाने के कारण कम हुई।

दूसरी तरफ तीन साल में क्या किया ? इन्क्वायरी कमीशन बैठा दिये। आज हम लोगों को जिस हाल में इकोनोमी सौंपी हैं उसको सही करने में भी हमें समय लगेगा। जो हालत तीन साल में बिगड़ी थी उसको सही करने में तीन महीने तो लगेंगे ही। आप आज से ही चिल्लाना शुरू कर दें तो बिगाड़ना तो आसान हैं लेकिन सुधारने में समय लगता है और उसको भी आप लोग सहन नहीं कर पाते। माननीय भूतपूर्व सहकारिता मंत्रीजी को कम से कम ढाई साल पहले मैंने कहा था तब भी यह कहते थे कि हम भूमि सुधार और को-आपरेटिव डिपार्टमेंट को शामिल करना चाहते हैं। फिर क्यों नहीं कर पाये ? जार्ज फर्नाण्डीज ने आपके भूतपूर्व मंत्री महोदय को ठीक ही कहा था कि बिल्कुल नान-परफार्मेंस गवर्नमेंट रही है। आप खुद कह रहे हैं कि कोई परफार्मेंस नहीं दी। यही कारण है कि आप इस हालत पर पहुंचे।

आपने कृषि विस्तार कार्यक्रम शुरू किया वर्ल्ड बैंक की ऐड से। ग्राम-ग्राम में ग्राम सेवकों की भर्ती की गई। आज इस जैसा निठल्ला डिपार्टमेंट कोई नहीं है। सारे के सारे ग्राम सेवक घरों में बैठे रहते हैं। लाखों करोड़ों रुपये इसमें लग रहे हैं और कोई भी फायदा काश्तकारों को नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस योजना की बड़ी प्रशंसा है।

श्री माधवसिंह : यह योजना बुरी तरह से फेल हुई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अब आप लेकर बता दें। केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया इसकी योजना को लागू किया जाय।

श्री माधवसिंह दीवान : आपने जिस खराब हालत में, जिस गिरी हुई हालत में यह योजना हमको दी है . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने इस योजना में आदमी गलत भर लिए हैं। आपने कार्यकर्ताओं को, नौकर वालों को भर दिया है। उन सब को निकालेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : आर. एस. एस. तो आपको सब जगह दिखता है।

एक माननीय सदस्य : आप में सुनने की शक्ति नहीं है।

श्री माधवसिंह दीवान : कांग्रेस आई को जिस समय आपने शासन सुपुर्द किया था हर पैट्रोल पम्प पर डीजल और पैट्रोल की लाइनें रहती थी। पैट्रोल और डीजल की बहुत बड़ी समस्या थी। आज हर पेट्रोल पम्प पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध हैं। इसकी कोई समस्या नहीं रह गयी है, यह समस्या

(श्री माधवसिंह दीवान)

इजरायल की मदद करने के कारण हो गई थी। अरबों से आपने सम्बन्ध खराब कर लिए थे। उस नीति को सही करने पर ही डीजल और पैट्रोल की पूर्ति हो पायी है, उसके बाद ही यह समस्या खतम हुई है और और इसके कारण ही आज हमारे यहां पर डीजल उपलब्ध है।

काम के बदले अनाज योजना के अन्दर आपने कोई कन्ट्रोल नहीं रखा। आज सारे सरपंच भ्रष्टाचार के अन्दर फंसे हुए हैं। उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं किया इस लिये ओवरसियर उसको पास नहीं कर रहे हैं। आज सरपंचों पर भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लग रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हो सके तो इन सरपंचों के कार्य-काल को पांच साल से घटा कर तीन साल कर दिया जाए और फिर से पंचायतों के चुनाव करा दिए जाएं ताकि इस योजना की क्रियान्विति सही ढंग में हो सके। नये सरपंचों को ही यह योजना दें।

श्री सुखलाल सेंणचा : मुख्य मंत्री सिर हिला रहे हैं इसलिए शीघ्र ही पंचायतों के चुनाव होंगे।

श्री माधवसिंह दीवान : सभापति महोदया, जनता सरकार ने जो नया शब्द या नारा दिया था वह यह था कि सब गांवों में जल पहुंचा देंगे लेकिन खेद है कि तीन साल में इस सम्बन्ध में केवल कागजी कार्यवाही ही हुई। यह जो वर्ल्ड बैंक की योजना है इसको कांग्रेस सरकार लिमिटेड टाइम में लागू करेगी। पांच साल के अन्दर-अन्दर राजस्थान के हर गांव के अन्दर पानी पहुंच जाएगा।

फ्लड का जहां तक सवाल है पश्चिमी राजस्थान में वह समस्या है। पिछले साल बाढ़ आई थी परन्तु हमारे सिंचाई मंत्री जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को देखने डेढ़ महीने बाद गये और तीन महीने बाद हमारे मुख्य मंत्री महोदय गये जब कि 500 से अधिक आदमी बाढ़ के कारण मर गये। यह जनता सरकार के मंत्री तो केवल नेकर वालों के चक्कर में बैठे रहे। उनको बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को देखने की फुर्सत भी नहीं मिली।

सभापति महोदया, मैं नयी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने जो नशाबन्दी की नीति लागू की थी उसके कारण पुलिस और दूसरी जगह काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो पायी है इसलिए इस नीति पर पुनर्विचार कर के सरकार कोई न कोई घोषणा इस सम्बन्ध में बजट पास होने तक करें।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी !

(अनुपस्थित)

श्री माणकलाल मेहता बोल चुके हैं।

श्री भालू खां !

श्री भालू खां (चूरू) : सभापति महोदया, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने दो महीने का लेखानुदान पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जनता सरकार ने 28 महीनों में जो काले कारनामे किए हैं उसके सम्बन्ध में भी मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं।

हमारे चूरू जिले के अन्दर कांग्रेस शासन काल में 19 मिडिल स्कूल क्रमोन्नत

(श्री भालू खां)

कर के सैकन्डरी स्कूल बनाये गये थे परन्तु जनता पार्टी का शासन आते ही वह स्कूल तोड़ दिये गये, बच्चे भर्ती हो गये थे, मास्टर आ गये थे, परन्तु उनको तोड़ कर दूसरी जगह खोल दिये गये। भाई भतीजावाद के आधार पर स्कूल खोले हैं। चूरू तहसील में एक गांव में मिडिल स्कूल को तोड़ कर शामपुरा गांव में स्कूल खोल दिया, यह शर्म की बात है। यहां पर डींग भरते हैं कि हमने यह किया वह किया परन्तु इनके कारनामों को देख कर ही जनता ने वापस इनको सही स्थान पर बिठा दिया। रहा सवाल सहकारिता का। इन लोगों ने भूमि बंधक बैंक, उपभोक्ता भंडार, मार्केटिंग सोसाइटी इन सब को पंगु बना दिया हैं। इन में सरकारी नौकरों को बिठा दिया और जो अच्छे कार्यकर्ता थे, निष्ठावान थे उनके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाये और वे आज भी चल रहे हैं। फिर भी यहां पर डींग भरते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। चूरू तहसील के अन्दर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो भूमि बंधक बैंक हैं, उस के अधिकारी 500/500 रुपया लेकर किसानों को ऋण स्वीकृत करते हैं। इस प्रकार इन लोगों ने इस बैंक को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। ऐसा काम इन्होंने किया है। मैं इसको साबित कर सकता हूं। सहकारी समितियों के जो इन्सपेक्टर हैं इन्होंने जो अच्छे कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य थे, उनको तंग किया। उनको तंग करने के लिए मुकदमे चलाये जो आज भी चल रहे हैं। इन्होंने नौकरशाही को पनपाया हैं और यहां पर डींग भरते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है।

अन्त्योदय के आंकड़े यहां पर देते हैं। हमारी ग्राम पंचायत में एक-एक गांव से 5–5 व्यक्तियों को चुना गया उनमें से एक की भी स्थिति ठीक नहीं है। सब भटकते फिर रहे हैं। इसलिए इनको इस बार जनता ने जवाब दे दिया और दो-चार ही यहां पर आकर बैठे हैं।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि चूरू जिले, तहसील के अन्दर पिछले तीन साल में कोई काम नहीं हुआ। यह बहुत बड़ा जिला है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू जिले में लड़कियों का स्कूल नहीं है। चूरू बहुत बड़ा जिला है इसलिए वहां पर लड़कियों के लिए स्कूल, कालेज खोला जाना चाहिए।

चूरू जिले में काफी पशुधन है इसलिए वहां चिलिंग प्लान्ट लगाने की योजना होनी चाहिए।

इसके अलावा चूरू में बस अड्डा नहीं है। यात्रियों को परेशानी होती है इसलिए बस अड्डा बनाया जाना चाहिए।

इतना ही निवेदन कर के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरूंसिंह गुर्जर !

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय सभापति महोदया, मुख्य मंत्री महोदय ने जो लेखानुदान का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस परिस्थिति में भी राजस्थान के सभी वर्गों का समुचित आदर किया है, उनके लिये सभी प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया है।

(श्री भैरू सिंह गूर्जर)

मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार के मंत्रीगण, जो आज विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, ने इस सरकार पर आरोप लगाया है कि इस सरकार का सिर कहां और पैर कहां पर है। यह उक्ति तो उनकी सरकार के लिए ही है। वे अपनी सरकार का उल्लेख कर रहे थे और गलती से शेखावत जी की जगह पर पहाड़िया जी का नाम बोल गये।

हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट के तहत पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा है। कई माननीय सदस्य जब शादी करते हैं तो उनको मेहन्दी लगानी होती है इसलिए मेहन्दी पर टैक्स हटाने से उनको भी लाभ हुआ है। इस पर भी वे हंसते हैं तो यह शोभनीय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलिये। माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदया पिछली सरकार के नुमाइन्दे आज विपक्ष में बैठे हैं। वे अपनी बात एक भी नहीं बताते कि उन्होंने तीन साल में क्या किया। वे सवा महीने की बात करते हैं, तीन साल की बात नहीं करते हैं कि तीन साल में उन्होंने क्या किया। मेरे क्षेत्र खारची में कोटसोलकिया गांव के अन्दर 80 हजार रुपये बांध की नींव के लिये स्वीकृत किये। माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी के वहां पर उच्चाधिकारी थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 80 हजार रुपये कहां लगे ? नींव खुदवाने में लगे तो एक बरसात आयी और नींव गिर गयी।

यहां अगर मैं पिछली सरकार के काले कारनामे बताने लगूं तो उन्हें खुद शर्म आयेगी। सदन से उठ कर चले जायेंगे। इन्सपेक्टर और थानेदार के सलेक्शन करते थे। माननीय सभापति महोदया, 100-100 पर जिस प्रकार रिजर्वेशन होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का उसके आधार पर लेते थे। एस. एच. ओ. के सलेक्शन के अन्दर रिजर्वेशन था लेकिन 44 राजपूत भर लिये गये, यह एक खुला उदाहरण है।

इसके अलावा आर. ए. एस. के इन्टरव्यू हुए। माननीय सभापति महोदय, आज तक किसी भी आशार्थी को 160 से ज्यादा नम्बर नहीं दिये गये परन्तु मैं आपको सूचनार्थ बताना चाहता हूं राजपूतों की कापियां आज भी जंचवा कर देखी जाय तो पता चलेगा कि उसमें एक आशार्थी को 185 नम्बर दे दिये। आज तक हिन्दुस्तान में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय मैं जनता पार्टी के भूतपूर्व विद्युत मन्त्रीजी, जो यहां हैं, से कहना चाहता हूं कि इन्होंने पचपदरा में एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन के अन्दर कम से कम 7 मन्त्री जनता पार्टी के पहुंचे और इसके अलावा उन्होंने गुजरात सरकार के भी कुछ मन्त्रियों को वहां आमंत्रित किया। मैं बताना चाहता हूं कि वहां किस प्रकार का आयोजन किया, किस प्रकार का समारोह किया, किस प्रकार का सम्मेलन मन्त्रीजी ने वहां किया। वहां उन्होंने एक ए० ई एन० को कह दिया कि जे० ई एन० का ट्रान्सफर कर दो। यह कहीं नहीं है कि एक जे ई. एन० का ट्रान्सफर एक ए० ई०

Page No. 92

(92)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

एन० कर दे। फिर भी भूतपूर्व बिजली मन्त्री जी यह कहते हैं कि हमने तो कोई अनियमितता नहीं की। यह तो किसानों के दिल से पूछो कि उनको विद्युत कनेक्शन लेने के लिये कितनी परेशानी हुई। भूतपूर्व विद्युत मन्त्री से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ चलें मेरे क्षेत्र खारची में वहां के किसान आज भी रो रहे हैं, उनके नाम को।

माननीय सभापति महोदया, इसके अलावा मैं आपको बताऊं जनता पार्टी के शिक्षा मन्त्रीजी श्री भंवरलाल जी, जो इस समय विपक्ष के नेता हैं, विराजमान हैं। इन्होंने इस विधान सभा में घोषणा की थी कि बी एड० पास तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं उन्हें दो स्पेशल इन्क्रीमेंट दिये जायेंगे। यह केवल मात्र घोषणा होकर रह गयी। जो अध्यापक इस घोषणा को सुनकर खुश हुये थे वे दो साल तक टकटकी बांधकर इस विधान सभा की ओर देखते रहे कि यह घोषणा विधान सभा के बाहर भी आये। लेकिन हर घोषणा उनकी फाइलों में दब कर रह गई।

इसके अलावा मैं बताऊं खारची तहसील में एक सम्मेलन हुआ अन्त्योदय का उसके अन्दर भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह शेखावत भी आये थे। तहसील के अन्दर बाहर बड़े जुलूस रखे गये, कई समारोह हुये। मैं भी वहां मौजूद था, माधवसिंह भी थे, हमने उन से कहा कि सड़क भी देख लीजिये, कितना कादा भरा है तो उन्होंने कहा कि मैं रात को चल कर आया था, मुझे मालूम है। इतना बड़ा झूठ बोला। हमने कुछ कहा तो तत्कालीन सरकार के समर्थक दो सिपाही मेरा हाथ पकड़ कर एक तरफ ले गये यह...

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदयाजी, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि खारची क्षेत्र में मारवाड़ जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, कई गाड़ियां आती-जाती हैं। मारवाड़ जंक्शन से एक भी रोडवेज की बस नहीं जाती है....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, एक भी रोडवेज की बस वहां नहीं आती है। कांग्रेस सरकार ने वहां सड़क बनायी परन्तु 3 साल तक उस सड़क की इतनी उपेक्षा हुई कि वह सड़क नहीं रही। एक-एक फीट तक मिट्टी उस पर जम गई। कोई कह नहीं सकता कि कभी वहां पक्की सड़क थी।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि मारवाड़ जंक्शन जैसी जगह पर कोई कालेज नहीं है। पिछली सरकार के मन्त्री और अनेक सदस्य, जो पिछली सरकार में हमारे यहां से जनता पार्टी के सदस्य थे, ने यह दावा किया था कि वे हायर सैकण्डरी स्कूल खुलवायेंगे। मेरे क्षेत्र खारची में न हायर सैकण्डरी स्कूल था और न खुला। क्या हुआ उनके वायदों का।

काम के बदले अनाज योजना के तहत, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बाली तहसील के अन्दर दुधमू गांव के जो सरपंच हैं, हनुमन्तसिंह, भूतपूर्व विधायक के रिश्तेदार हैं उनको अनाज मिला। वहां स्कूल बनवाया उस स्कूल को खुदवा कर देख लें, एक फीट भी नींव नहीं है, दीवार जमीन पर खड़ी है....

(व्यवधान)

(श्री भैरूं सिंह गूर्जर)

जो अनाज मिला गरीबों को देने के लिये, जो गरीबों का अनाज था उसको बेच दिया। गरीबों को जो अनाज देना था उसको बेच दिया। कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपको बताऊं।

माननीय सभापति महोदय, एक मैं हमारी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खारची विधान सभा क्षेत्र में मगर तालाव राजस्व सर्किल में वहां दो पहाड़ियों के बीच ऐसा क्षेत्र सुमेर है, वहां बांध बना दिया जाये तो जवाई बांध की पूर्ति करेगा।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदया, मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने पक्ष और विपक्ष की ओर से कई बातें कही हैं। मैं जनता सरकार के समय में किये गये कामों का लेखा-जोखा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

हमारे विरोधी पक्ष में बैठे सभी सदस्य यह चर्चा उठाते हैं कि बलात्कार हो रहे हैं। अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। यह क्या है ? सही मायने में देखा जाये तो यह जनता पार्टी के शासन के दौरान जो हमारे पुलिस के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी उसमें इतनी अराजकता पैदा कर दी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमको परेशानी आ रही है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हमको बहुत समय लगेगा, हमको कम से कम 214महीने लगेंगे। कुछ अधिकारी इस प्रकार के हैं जिनको जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्ट तरीके से रखा है उनको ठीक करना होगा। इसलिये यह जो इस प्रकार की चर्चा की जाती है कि हमारे यहां पर इस शासन में बलात्कार हुये या यह हो रहा है, वह हो रहा है यह गलत बात है और ठीक नहीं है। हमको इस बात को सोचना चाहिये कि यह बात नहीं होती अगर जिस टाइम पुलिस कर्मचारियों ने जो मांगें रखी थीं, उनकी जो मांग थी उनको दे देते तो इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलती।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य भूतपूर्व सिंचाई मंत्री व विद्युत मंत्री बड़े चौड़े होकर के बात करते हैं; इस प्रकार का जोश दिखाते हैं जैसे किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाते समय दिखाते हैं। मुझे बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने इरिगेशन में पिछले तीन साल में जो काम किये एक एक का लेखा जोखा प्रस्तुत करूं तो बड़ी शर्म आयेगी। मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम चम्बल योजना शुरू हुई थी, जिस समय वहां पर एक सुपरिटेंडेंट इन्जीनियर थे जब वह शुरू हुई थी, उसके बाद में चम्बल योजना कभी की समाप्त हो गई पर एडिशनल चीफ इन्जीनियर और सात सुपरिटेंडेंट इन्जीनियर अभी भी वहां पर बैठे हैं। एक असिस्टेन्ट इन्जीनीयर इस काम को सम्भाल सकता था जब कि वहां पर कई इन्जीनीयर लगे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं 12 साल के आंकड़े दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द शर्मा : मैं 25 साल के आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं।

जोधपुर में एक सर्किल है। मैंने कहा था, सुमेरपुर डिवीजन को भी इसमें शामिल कर दो लेकिन चतुर्वेदी साहब नहीं माने। जोधपुर डिवीजन का आधा अजमेर सर्किल में दिया है। मैं इनको यह पूछना चाहता हूं कि एक आधुनिकीकरण योजना स्वीकृत हुई थी जिसके 4 डिवीजन हुए थे। आज भी इनको यह मालूम नही कि उनका काम क्या था। उस आधुनिकीकरण योजना के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं है। डिवीजन में क्या काम करना था। मैं समझता हूं कि जो भी काम 20 साल पहले बना हुआ था, उसे आज की टेक्नोलोजी के हिसाब से देखिए उसके अनुसार न तो वहां पर काम शुरू कराया है न वहां पर योजना के अनुसार डिवीजन बनाये हैं। अपने आदमी वहां पर लगा दिये। एक तरफ वहां पैसा खर्च किया जाता है और दूसरी तरफ काम नहीं होता है। मैं जवाई कैनाल डिवीजन के दो सब डिवीजनों के बारे में कहना चाहूंगा। एक, सी. एफ. डी. और एक वर्क्स का काम यह करना था कि आधुनिक टेक्नोलोजी के हिसाब से बांधों को ठीक करेंगे। वहां पर छोटे काश्तकारों को पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। इन्होंने क्या किया ? इन्होंने सारी स्कीम को तहस नहस कर दिया। वहां यह हुआ कि हर व्यक्ति को तरह तरह का काम दे दिया। क्या आपने कभी देखा भी था कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपने सरकार के काम को बिगाड़ दिया है।

(व्यवधान)

बिजली की समस्या के बारे में आप कहते हैं कि हमने इतने कनेक्शन दे दिये हैं जितने कि 30 साल में भी नहीं दिये थे। आप उनको बिजली दे नहीं सके हैं। आपने किसानों को बरबाद कर दिया है। आपको यह तो देखना था आपके पास कितनी बिजली है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। आपको देखना पड़ेगा। आपके कहने से ही इस प्रकार नहीं चलेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमारे भूतपूर्व मन्त्री श्री कैलाश मेघवाल ने फरमाया, खनिज में हमने यह काम कर दिया, वह काम कर दिया। सड़कें बनवा दी हैं। मुझे ताज्जुब है। सोजत में हमारे यहां भी माइन्स हैं। हमारे यहां 20 पट्टे थे। हमने यह कहा था कि यह पट्टे गरीबों को दिये जाने चाहिए। करोड़पति और करोड़पति नहीं बनाये जायें। लेकिन इन्होंने क्या किया। इन्होंने उन्हीं लोगों को पट्टे दिये जो कि करोड़पति थे। कांग्रेस सरकार कोई आयोग बैठाकर कोई काम नहीं करना चाहती है। अगर आयोग बैठा दिये जायं तो एक नहीं हजारों अनियमितताएं मिलेंगी।

(व्यवधान)

शिक्षा के बारे में कहता हूं। शिक्षा में एक विचारधारा होती है लेकिन किस प्रकार से इन्होंने काम किया है पहले की सारी बातें, मैं यही कहना चाहूंगा, इन्होंने एक प्रकार से तहस नहस की हैं। हमारे यहां कालेज बनाने की बात कही गई है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा, हम नींव मजबूत नहीं देंगे तो मकान गिर जाएगा। अगर हम प्राथमिक शिक्षा की ओर ही ध्यान नहीं दें, सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल बनायें। आज जो हालत है,

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

एक कमरा भी आपने एक गांव में बना दिया तो काम चल सकता है। यह आवश्यक है। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि प्राथमिक शिक्षा में ध्यान देकर, गांवों की स्थिति को देखा जाये।

(व्यवधान)

मैं अधिक तो बोलना नहीं चाहता। इन्होंने वहां पर शाखाएं लगाई हैं। आज वह नहीं चलेगी, जब तक हम वहां पर हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : वहां पर शाखाएं लगवाते थे।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : शाखाएं तो तीन पीढ़ियों से लग रही हैं।

श्री सुखलाल सैणचा : मुख्य मन्त्री महोदय, आपको कमीशन बिठाने पड़ेंगे, इन घोटालों के लिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : सरकार की काम के बदले अनाज योजना की बात हुई है। अभी पिछली सरकार के बारे में इन्होंने बताया कि काम के बदले अनाज योजना के द्वारा बड़ी भारी उन्नति कर दी है। अगर एक रुपया खर्च करके हम बीस पैसे का काम नहीं करें तो योजना कैसी होगी। योजना साफ समझ में आती है कि दिशाहीन सरकार की योजना है। एक प्रोजेक्ट अगर बनाया जाता है उस पर असिस्टेन्ट इन्जीनीयर, एक्स. ई एन., सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर, इन्जीनियर और चीफ इन्जीनियर लगाये जाते हैं वह सब इसी आधार पर नियुक्त किये गये हैं। मैं जनता सरकार को पूछना चाहता हूं, कहीं पर एक करोड़ का काम शुरू कर दिया। अगर एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर बैठा दिया और 1 करोड़ का काम दे दिया एक-एक पंचायत समिति में 30-30 लाख का काम शुरू करा दिया लेकिन कोई टेक्निकल आदमी नहीं होने से नतीजा क्या हुआ।

मैं यह मानता हूं कि हमारा विकास गांवों तक पहुंचे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दिशाहीन बन कर किसी प्रोग्राम को सही तरीके से नहीं करेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक करते रहेंगे। इनको चाहिए था कि सरपंचों को पावर देते जो योग्य हैं। मैं भी एक ग्राम पंचायत का सरपंच रहा हूं, मुझे मालूम है मैंने पक्के काम करवाये थे और लोग काफी खुश थे। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे नजदीक के सरपंच बहुत दुखी और काफी परेशान थे। जिन्होंने गलतियां नहीं कीं वे आडिट के चक्कर में आकर परेशान हो रहे हैं और जिन्होंने लाखों रुपयों के गबन किये उनका कुछ भी नहीं हुआ। उनके वहां पर कोई काम नहीं हुआ।

इसी के साथ-साथ जो सोइल कन्जर्वेशन के प्रोग्राम हमारे यहां हुए, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रोग्राम भी आपने अपने ही लोगों के लिये और अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में ही कराने के लिये किये थे? जवाई बांध के पास वीसलपुर एक पंचायत है वहां पर धोराबन्दी में पांच लाख

Page No. 96

(96)

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

का काम किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जनता पार्टी वाले यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस वाले भी उनकी तरह अपने ही घरों में काम करें ? लेकिन न हमने ऐसा किया है और न करेंगे। यह सब गलत बात है, हम ऐसा नहीं चाहते, हमारी परम्परायें अलग है, हमारी संस्था और हमारे नेताओं की परम्परायें अलग हैं। कई बार कहते हैं कि फूट की चिनगारी चल रही है, यह आपके यहां चल रही है, हमारे यहां पर यह क्यों चलाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो लेखानुदान रखा है और गरीब तबकों को राहत पहुंचाने के लिये बातें कही हैं वे बातें आज तक पिछले ढाई साल के काल में कभी नहीं कीं, किसी ने नहीं कीं। आपको दर्द हो रहा है कि गरीब तबकों को राहत पहुंचाने की बात हो रही है।

जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री सभापति माननीय मुख्य मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : साढ़े तीन बजे का टाइम उत्तर देने का था, अभी हमारी पार्टी के लोग बोलना चाहते हैं।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, जो लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। विरोध करते समय बताना चाहता हूं कि विरोध करने का क्या कारण है। इस साल अकाल की भयंकर स्थिति हो जाने से सरकार ने सहकारिता के नाम से लम्बी-चौड़ी डींग भरी। गांवों में जिनके पास पांच बीघा जमीन थी, अन्त्योदय में जिनको जमीन दी गई थी और बैंकों द्वारा लोन दिया गया था, बैंकों के अधिकारियों ने जांच की और उनको लोन मन्जूर किया उन काश्तकारों को प्रथम किश्त दे दी गई थी। अकाल की वजह से उन्होंने कुओं का निर्माण भी आरम्भ कर दिया था। सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हजारों की तादाद में काश्तकार भूमि विकास बैंक से लोन लेकर, पंचायत समितियों से लेकर सारी संस्थाओं में सीमेंट के लिये भटकते रहे, लेकिन उनको सीमेन्ट नहीं मिला और बरसात छाती पर आ गई। यह दुर्भाग्य की बात है कि उनको लोन दिया गया लेकिन सीमेंट नहीं दिया गया, वे लोग बरबाद हो गये हैं और उनको गरीबी की रेखा के नीचे पहुंचा दिया है। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोन दिया गया है उसको वसूल नहीं करने का इस बजट में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, सहकारी संस्थाओं द्वारा कर्ज वसूल नहीं करने का कोई उल्लेख नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन काश्तकारों के सीमेंट के अभाव में कुए क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, वे कर्ज कहां से देंगे। हरिजनों, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को गरीबी मिटाने के लिये, जनता सरकार द्वारा पांच पांच बीघा जो जमीन दी गई वह रहन हो गई, उन पर

(श्री हंसराज शर्मा)

कर्जा हो गया इसलिए इस बजट में उनको राहत मिलनी चाहिये। मेरा सरकार से निवेदन है कि बजट में काश्तकारों के लिये लम्बी-चौड़ी डींग हांकी गई है, जनता पार्टी की सरकार ने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत गांवों में गरीब लोगों को जमीनें दीं। आपने परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबन्दी की।

श्री विष्णु प्रसाद बजारी (ब्यावर): एक आंख से देखा है।

श्री हंसराज शर्मा: काम के बदले अनाज का कार्यक्रम था। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों के पास कांग्रेस के शासन में विकास अधिकारी से लेकर बड़े-बड़े नेताओं की खुशामद करके भी अपने गांवों में स्कूल की झोंपड़ी बनवाना सम्भव नहीं था, वहां जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव नहीं बरत कर गांवों के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया। आपने कहा कि उसमें घोटाले हुए। घोटाले आपके शासन में हुए। आपके राज में गुड़ घोटाला हुआ, आप सोना खा गये, गेहूं खा गये, कुए खा गये। जबरन लेवी वसूली के लिये लोगों पर आपने गोलियां चलवा दीं, उनका गला घोटा। हमने गरीब आदमियों को खिलाया, हमारी सरकार ने उनको खाना दिया और विकास के कार्य किये। अगर आप नहीं देख सकते हैं, नहीं जा सकते हैं तो समुद्र के किनारे चले जाओ चाहे उसमें गिरो या न गिरो।

तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था कि आपने यहां काश्तकारों के विकास की दृष्टि से लम्बे चौड़े भाषण दिये हैं, गत सरकार को दिशाहीन बताया है, राज्यपाल महोदय ने भी दिशाहीन बताया है किन्तु अकाल के समय हमारी सरकार ने डीजल की कमी होने के बावजूद भी सात रोज में कम से कम 35 लीटर डीजल काश्तकारों को दिया और उनकी फसल नहीं सूखने दी। ऐसा प्रयास किया। किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है, सभापति महोदय, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन काश्तकारों को 15 दिन में 10 लीटर डीजल दिया गया, जिससे काश्तकारों की सारी फसल का नाश हो गया। जिस प्रकार से कन्ट्रोल की दुकान पर लाइन लगती है, जिस प्रकार लम्बी लाइन टिकट की लगती है उसी प्रकार गांवों में आप देखते हैं, भूखा और प्यासा काश्तकार परिवारों और बच्चों के साथ पीपे लेकर पेट्रोल पम्पों पर लाइनों में खड़ा रहता था और पुलिस के डण्डे के जोर से उसको हटाया जाता था, पीटा जाता था। उन्हें बहुत नुकसान हुआ। डीजल की खातिर, बिजली के अभाव की खातिर जो काश्तकारों को क्षति हुई है उसके सन्दर्भ में आपके बजट में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का इसमें संशोधन करें कि काश्तकार को जो क्षति हुई है, डीजल के अभाव में, बिजली के अभाव में जो क्षति काश्तकारों को हुई है वह दिलाई जाय।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): आपकी सरकार के समय में 6 सौ रुपये का तेल, दो हजार रुपयों में फर्जी बिकता था।

श्री हंसराज शर्मा: इस प्रकार से कई ऐसी समस्यायें हैं।

(श्री हंसराज शर्मा)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, काश्तकारों के लिए हर प्रकार के लम्बे चौड़े भाषण दिये हैं और बजट में बताया है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बन्धुओं, आपको सुनने में बेचैनी हो रही है. . .

(व्यवधान)

मैं आपकी बेचैनी को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। मैं तो, सभापति महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आज पशुओं के चारे की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आपके शासन काल में गांव के प्रत्येक छोटे से छोटे गांव के लिए इस प्रकार का प्राव–धान था, नियमानुसार हर गांव में प्रति जानवर आधा बीघा गोचर होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस सरकार ने लाखों जानवरों का गला घोट दिया, पशुओं का गला घोट दिया और गोचर भूमि का लोगों को अलाटमेन्ट कर दिया और अलाटमेन्ट भी, अगर आप चाहें तो सभापति महोदय, मेरे पास इस प्रकार के उदाहरण हैं, जो बड़े–बड़े पदाधिकारी थे, जो उनके बड़े बड़े ड्राइवर थे या बड़े–बड़े लीडर थे, उन लोगों के नाम अलाटमेन्ट किया। वास्तव में गरीब को भी अलाटमेन्ट नहीं हुआ। और खातेदारी गरीबों के नाम लगा करके और बड़े–बड़े लोगों ने बाग लगा रखे हैं।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिला सवाई माधोपुर और अलवर में इस प्रकार की घटना घटी है कि वहां पर जानवरों को चरने के लिए किसी प्रकार की गोचर भूमि नहीं छोड़ी है। इसलिए जो भी जमीन अलाट की है उसे छुड़वाया जाये और गोचर भूमि के लिए दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत टाइगर प्रोजेक्ट की एक योजना बनाई है। उसमें डेढ़ सौ करीबन किलोमीटर का हिस्सा लिखा है। उससे पूर्व जो कि क्षेत्र की सम्पूर्ण भूमि गोचर वालों की थी, अलाटमेन्ट कर दी। उसके बाद उस जमीन में चरने का स्थान पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण वहां सम्पूर्ण जिले के जानवर वन विभाग के क्षेत्र में चरते थे किन्तु अब की बार गत सरकार ने तो उसमें इस प्रकार का निर्णय कर दिया कि टाइगर प्रोजेक्ट की सीमा के बाहर जो वन विभाग का क्षेत्र था उसमें जानवरों को चरने की इजाजत दे दी जाये और सारी स्थिति का उन्होंने अवलोकन किया था।

वास्तव में गांवों में गोचर भूमि नहीं होने की वजह से हजारों जानवर मर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में उनको चरने का अवसर दिया जाये। लेकिन, सभापति महोदय, इस समय आपकी सरकार जो कांग्रेस की आई है उसके बाद इस बात का पक्षपात किया जा रहा है कि सब डिवीजन सवाई माधोपुर के क्षेत्र में जानवरों को वन विभाग के अधिकारी नहीं चरने देते हैं, बल्कि वह इस प्रकार का झगड़ा करना चाहते हैं और पशुओं को बुरी तरह से पीटते हैं और पंचायत के दबाव खाने के बजाय इस जगह से जानवरों को पकड़ लिया जाता है और कम से कम 30

(श्री हंसराज शर्मा)

किलोमीटर दूर जाकर दवाव खाने में वन्द किया जाता है और हजारों रुपये की तादाद में चराई और जुर्माना वसूल किया जाता है।

इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जांच की जाय और जांच करके पर्याप्त मात्रा में उन जानवरों को चरने का स्थान दिया जाये तो अति सुन्दर होगा।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी समस्या की तरफ आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आये दिन देखा गया है कि जिला सवाई माधोपुर में गत 30 वर्ष से बने हुए इन सिंचाई के बन्धों में इन काश्तकारों की जमीन को राज्य सरकार द्वारा बिना एक्वायर किये ही उन पर बन्ध बना दिया गया और बन्ध बनाने के बाद आज 30 साल गुजरने के पश्चात भी उन काश्तकारों को एक रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया गया है। वल्कि उन काश्तकारों से आज की तारीख तक लगान वसूल किया जा रहा है। उस क्षेत्र का मुआवजा दो साल पहले मंजूर हुआ था। इस साल उनको राज्य सरकार के माध्यम से देने का निर्णय किया है। उनको दिया भी जा रहा है किन्तु माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, जो 30 साल का लगान उनके नाम बना था उस मुआवजे की रेट से ज्यादा होता है और बजाय उनको मुआवजा देने के, लगान वसूल कर उनको आश्वासन मुआवजे का देकर घर लौटाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके हजारों कुएं, हजारों बीघा जमीन बिना एक्वायर किये हुए काश्तकारों को नोटिस दिया गया और काश्तकार दर-दर भटकते फिर रहे हैं इसलिए उनको मुआवजा देना चाहिए था। किन्तु इस प्रकार लेषमात्र भी भुगतान के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है।

इस प्रकार, सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन बन्धों पर, जिला सवाई माधोपुर में सिंचाई का काम होता है। उसके बन्धों से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं जा पाता और पानी के अभाव में देश की हजारों बीघा जमीन असिंचित रह जाती है या काफी प्रयास करते हैं जब ये लोग मेहनत करते हैं तो एक पानी पहुंच पाता है इसलिये काश्तकार वैसा का वैसा देखता रह जाता है। काश्तकार सोचता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी होगा। इस प्रकार नयी खेती तैयार करके, पानी के अभाव में गेहूं बो देता है लेकिन पानी के अभाव में फसल सूख जाती है।

दुर्भाग्य इस बात का है कि अधिकारियों द्वारा जिन काश्तकारों को चारा पानी दिया जाता है व पांच पानी दिया जाता है उनसे तो सम्पूर्ण लगान वसूल किया जाता है, सम्पूर्ण सिंचाई वसूल की जाती है किन्तु जिन काश्तकारों को एक दफा पानी मिल पाता है उन काश्तकारों से भी पूरा लगान वसूल किया जाता है, पूरी सिंचाई की कीमत वसूल की जाती है।

(श्री हंसराज शर्मा)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में जानकारी लेकर, जो अधिकारी ऐसा करते हैं उनको रोका जाये और जिनसे इस प्रकार से वसूल कर लिया गया है उनको वापस पैसा लौटाया जाये। माननीय सभापति महोदय, इस सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बजट में लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर.......

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या लेखानुदान की मांगों पर बोल रहे हैं ? कुछ समझ में नहीं आता।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : होना तो यह चाहिए कि लेखानुदान की जो मांगें रखी हैं....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आन ए पाइंट आफ आर्डर, वह सदस्य कहां से बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को जो खाद दी जाती है सरकार ने उसकी रेट बढ़ा दी, डीजल की रेट बढ़ा दी है। गत सरकार ने जब खाद के भाव बढ़ाये थे तो बढ़ी हुई कीमत राज्य सरकार ने जमा करा दी थी लेकिन इस बार लाखों रुपये का खाद में व्यापारियों को प्राफिट हो रहा है। काश्तकारों को पुरानी रेट पर दिलाई जाए। इसमें हमारा मंत्रिमंडल असमर्थ है। जो पहले 100 रुपये का खाद था उससे पहले....

(व्यवधान)

पुरानी रेट पर काश्तकारों को खाद दिलाई जाए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट। सभापति महोदय, भूमि विकास बैंक से लोन जो इंजिनों को दिया जाता था वह पहले डाइरेक्ट न देकर सहकारी संस्था के मार्फत दिया जाता था क्योंकि लोग बेइमानी करने लगे थे लेकिन जब आप लोगों की सरकार आई तो उस व्यवस्था को हटाकर सहकारी संस्था के माध्यम से न देकर सीधे डीजर के द्वारा लोन देना चालू कर दिया। इससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का आभास होता है। जो निर्णय लिया गया है उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का आभास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके बजट का बहुत विरोध करता हूं।

श्री सभापति : मुख्य मंत्री।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री): सभापति महोदया, मैंने सदस्यों के विचार बहुत ध्यान से सुने। ऐसा लगता है माननीय सदस्यों ने लेखा अनुदान को पढ़ने का कष्ट नहीं किया और इसलिए जो कुछ चाहा अपने विचार व्यक्त कर डाले। मैंने केवल आपके लिए नहीं कहा। अच्छा तो यह होता कि जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने अपने विचार जाहिर करना शुरू किया था वे अपने पूरे विचार जाहिर कर लेते क्योंकि लेखानुदान जो हमने प्रस्तुत किया है मैंने जैसा निवेदन किया, न उसमें कुछ कहने के

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

लिए हैं। इसलिए माननीय सदस्यों को उन सब बातों का उत्तर देना भी पसन्द नहीं करता क्योंकि वे इससे सम्बन्धित नहीं। उनको तो कहना ही चाहिए और वे करेंगे ही क्या? अच्छा यह होता कि विपक्ष के सदस्य यदि सत्ता पक्ष के सदस्यों की बात सुन लेते तो उनको सब बातें कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए मैं उन बातों की चर्चा दुबारा नहीं करना चाहता, चाहे वह पंचायतों की हो चाहे विकास की हो चाहे दूसरे कार्यों के सिलसिले में हो।

अब कुछ बातें हैं मुद्दे की, चाहे पक्ष ने कही हो चाहे विपक्ष ने उनका ध्यान बराबर हम रखेंगे हैं, आगे भी रखेंगे। मसलन रघुवीर सिंह ने सी. ए. डी. में कुछ अधिकारियों की कमी है उसका जिक्र किया। वह उस क्षेत्र से आते हैं, ज्यादा जानकारी तो उनको होनी चाहिए लेकिन जैसा आप जानते हैं विकास का क्रम जब शुरू होता है तो बढ़ता जाता है और एक स्टेज वह आती है जब काम धीरे-धीरे कम होता जाता है। इसलिए उस क्षेत्र में जो काम शुरू हुए थे 5-7 महीने पहले वे पूरे होने को हैं। यह स्वाभाविक है जब काम पूरा होगा तो वहां से धीरे धीरे अफसरान व कर्मचारी जो काम पर लग रहे थे....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : इस प्रकार से नहीं चलेगा। Please sit down.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूं कि यदि मैं किसी को मना करना चाहूंगी तो मना कर दूंगी, आप बीच में न बोलें। आप मुझे क्षमा करें आप बाद में पूछ लें, इनको बोलने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : अभी नहीं, Very sorry.

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुकी हूं, आप बीच में न बोलें। मुख्य मंत्री बोल रहे हैं, बाद में आप प्रश्न पूछें। मुझे क्षमा करें, इनको बोलने दीजिए। आप मेहरबानी करके बैठ जाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपसे दो बार निवेदन कर चुकी हूं, तीसरी बार निवेदन करती हूं, व्यवधान न डालें, जो कुछ पूछना है......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इन्फार्मेशन....

श्री सभापति : बाद में कह दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सूचना दे रहा हूं।

श्री सभापति : सूचना बाद में दें, इनको बोलने दीजिए।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य श्री चतुर्वेदी जी जिस बात

(3.40 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सूचना चाहते हैं वह सूचना मेरे पास पहले से ही है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि जो काम सन् 74 में शुरू हुआ और जिस काम को सन् 80 में समाप्त होना था....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं बस केवल एक सूचना देना चाह रहा हूं।

श्री सूरजपाल सिंह : आपको सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य बार बार बीच में व्यवधान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ! पहले आप मुख्य मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिये उसके बाद अगर कोई प्रश्न रह जाय तो आप प्रश्न पूछ लेना।

एक माननीय सदस्य : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री सूरजपाल सिंह : आप किस प्रकार की सूचना देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आर. एस. ई. बी. के दफ्तर के अन्दर 6 योजनायें शुरू हुई हैं और उनमें अभी तीन एक्स. ई एन. लगाये गये हैं।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आपस में बैठे-बैठे बात नहीं करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : तो, अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा कि वहां पर जब काम समाप्त हो जायेगा तो यह एक ऐसा क्रम है कि जब काम समाप्त हो तब वहां से धीरे धीरे स्टाफ को हटाया जाता है और दूसरी जगह पर जहां पर कि काम चलता है वहां पर उन्हें लगाया जाता है। यह काम सन् 74 में शुरू हुआ और यह काम आगे चल कर सन् 80 में खतम होना चाहिये था पर मैं इसको आपकी असफलता कहूं या आपकी अकुशलता कहूं आप इस काम को पूरा नहीं कर पाये और इस काम में एक साल की देरी हो गयी और इसलिए इसको एक साल और आगे बढ़ाया गया। जब यह काम समाप्त हो जायगा तो धीरे धीरे वहां से उन कर्मचारियों को दूसरी जगह पर भेजा जायेगा।

श्रीमान्, दूसरा मुद्दा जो बाबू राज बहादुरजी ने उठाया उसका जरूर ताल्लुक लेखा अनुदान की मांगों से रहता है। इसके लिये मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में हमने लेखा अनुदान की पुस्तक में

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सभी बातों को प्रस्तुत कर दिया है। अगर पहले वह उस पुस्तक को पढ़ लेते तो मैं समझता हूं कि उन्हे सभी बातें स्पष्ट हो जातीं। इसमें श्रीमन्, स्पष्ट लिखा है कि प्रस्तावित लेखानुदान परिवर्तित बजट के अनुमानित सकल व्यय की मांग। विनियोग का 1 बटा 6 भाग है। फिर भी इसमें मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत तथा मांग संख्या 43 खनिज के अन्तर्गत जहां व्यय को समान रूप से पूरे वर्ष में वितरित नहीं किया जा सकता है, माह अगस्त, सितम्बर, 1980 के दौरान सम्भावित भुगतानों के लिये अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त आय-व्ययक अनुमान 1980-81 के परिशिष्ट (ख) में दिखाये गये विवरण के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत राजस्थान आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है जिसकी प्रतिपूर्ति के लिये अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षित है। लेखानुदान का उद्देश्य किसी नई सेवा के व्यय के लिये रकम की स्वीकृति प्राप्त करना नहीं है। इसमें प्रावधान है फिर भी आपने चर्चा की है।

श्री राम बहादुर : मैंने 34 और 43 मांग संख्या का हवाला नहीं दिया है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, इस प्रकार से आगे मांग संख्या 26 पब्लिक हेल्थ वाटर सेनीटेशन मद का कहा है। यहां पर जैसा कि आपने कहा उसके बारे में यह सूचना देना चाहता हूं कि एक सिस्टम है एकाउंटिंग का जिसमें जिसका हैड है उसका वर्णन उसी हैड में दिया जाता है। मेडिकल और पब्लिक हैल्थ दोनों ही अलग-अलग है यहां पर उसकी भी विस्तृत चर्चा की गई थी उसके लिये भी उसका विवरण जिस प्रकार होना चाहिये था उसी प्रकार दिया हुआ है।

इसके साथ-साथ, श्रीमन्, यहां पर इलेक्शन के बारे में भी बात कही गयी और इसके लिये मेरा निवेदन है कि कुछ पुराने बिल थे जिनको चुकाना था उसके लिये प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से यहां पर सहकारिता के बारे में भी काफी चर्चा की गयी। सहकारिता के लिये हमने दो करोड़ रुपये की पूंजी को ऋण के लिये रखा और 1 करोड़ 36 लाख रुपये एक्स्ट्रा पूंजी के रूप में हमने संघ को चीनी की व्यवस्था के लिये दिया है। शेष रकम खर्च नहीं होने वाली है। श्रीमन्, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने राजनैतिक चर्चा की है लेकिन यहां पर मैं उनमें जाना उचित नहीं समझता हूं। श्रीमन्, यहां पर कुछ अच्छे सुझाव भी आये हैं। कुछ अच्छे सुझाव इधर से आये कुछ कुछ अच्छे सुझाव उधर से आये। उधर से माननीय सदस्य श्री मेघवाल जी ने यहां पर अपने भाषण में सहकारिता में भ्रष्टाचार के बारे में काफी कहा। उनको सहकारिता विभाग का अच्छा तजुर्बा है। उनके बारे में मैं जब भी सहकारिता विभाग की मांगों पर चर्चा होगी तब खुलासा से उत्तर दूंगा। इसके अलावा उन्होंने खानों के पट्टे अनुसूचित जाति के व अनुसूचित जनजाति के लोगों को देने की बात कही इसके लिये भी मैं यही कहूंगा कि जब सदन में खानों की मांगों पर विस्तृत चर्चा होगी तब मैं विस्तृत जवाब दूंगा।

लेकिन यहां पर माननीय सदस्य श्री मेहता जी ने एग्रीकल्चर लैण्ड पर मकान

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

बनाने के बारे में चर्चा की है। उनको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों की खुद की जमीन थी उस पर अगर कोई मकान बनाये तो कोई बात नहीं पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा एग्रीकल्चर लैण्ड पर करके या दूसरी जमीन पर करके कामर्शियल पर्पज के लिये मकान बनाये हैं उनको नियमानुसार कैसे माना जा सकता है। इसके अलावा जिनकी खुद की एग्रीकल्चर जमीन थी उन्होंने मकान बना लिये हैं उनके बारे में अभी हम विचार कर रहे हैं।

श्रीमन्, यहां पर कुछ ऐसी बातों की चर्चा हुई जो कि राजनैतिक ढंग की बाते थीं क्योंकि यह लेखा अनुदान से ताल्लुक नहीं रखती हैं अतः मैं उन्हें उन्हीं तक सीमित रखना चाहता हूं। हमें तो अपनी मर्यादाओं में रह कर इन लेखा अनुदान के बारे में कहना है। दूसरे विषय के बारे में नहीं। बस इतना ही कह कर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि लेखा अनुदान विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया गया है उसको पारित किया जाय।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने मेरी बात का जो उत्तर दिया उसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो आफिसर हटाने की बात कही गयी है उनका संबंध तो सी. ए. डी से नहीं है। हमारे वहां से पिछले दो सालों से अधिकारी थे हटाये गये हैं। आपको जो सूचना दी गयी है वह आपके नौकरशाही ने दी है और वह गलत सूचना दी है और गलत सूचना देकर नौकरशाही ने आपको गुमराह किया है। मैंने तो कोर्ट की बात की है। वहां पर कोर्ट न होने से ए. डी. एम. सर्वे सर्वा हो गया है। ए. डी. एम, सर्वे सत्ता सम्पन्न हो गया है। मैं बारां के आफिसर की बात कह रहा हूं। आपको नौकरशाही सी. ए. डी. की बात कह कर गुमराह कर रही है और इस प्रकार आप बारां से कार्यालय हटा कर बारां के लोगों के साथ बदला ले रहे हैं। सी. ए. डी का काम तो पांच साल में खतम होगा पर बारां में सी. ए. डी की बात नहीं है आपको गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं और नौकरशाही आपको गुमराह कर रही है। वहां काम ठीक हो इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार को ठीक प्रकार से काम करना है, आपको ठीक प्रकार से सरकार चलानी है तो आप इस नौकरशाही से सावधान रहें नहीं तो आपको यह गुमराह करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मुख्य मन्त्रीजी ने कहा वह मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और आदर के साथ सुना। मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने एक शब्द में भी उन बातों का जिक्र नहीं किया जो जलते हुए प्रश्नों की बात कही थी। उनकी ओर मैंने ध्यान दिलाया था जो दो महीने के अन्दर-अन्दर काम होने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, उन प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वह प्रश्न आपके सामने हैं रिकार्ड पर हैं। दूसरी बात तो मैंने अनुदानों के बारे में कहा है। मुख्य मन्त्रीजी ने उसके लिये कोई कारण नहीं दिया कि मैं अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर सर, यह मूव तो करें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन्होंने मूव कर दिया । आप बाहर गये हुए थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने मूव किया है लेखानुदान पारित किया जाये। लेखानुदान पारित नहीं किया जाये बल्कि एप्रोप्रियेशन बिल पारित किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या 2) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाये ।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या 2) विधेयक, 1980 को पारित किया जाये ।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, विचारार्थ की स्टेज पर क्लाज बाई क्लाज होता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया प्रारम्भ कीजिए ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले इस संबंध में काफी चर्चा हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर भी दिया । मुझे उस समय बोलने का मौका इस पर नहीं मिला था इसलिए मैं कुछ ऐसे पाइन्ट्स मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा जो इस समय बहुत आवश्यक हैं। मैं राजनैतिक मामलों की चर्चा पर नहीं जाना चाहता हूं.... ...

एक माननीय सदस्य : आप किस पर बोल रहे हैं यह भी जानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे माननीय सदस्य नहीं बोलें ।

श्री नाथूसिंह : मैं जिस पर बोल रहा हूं आपकी समझ में नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : आसन के माध्यम से बोलें कृपया ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार के ऊपर अलग-अलग टिप्पणियां कीं लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि यह सरकार रहे और सरकार चले ।

(व्यवधान)

लेकिन दिक्कत यह है, अध्यक्ष महोदय, रोज समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि आज असन्तुष्टों की मीटिंग हुई और पहाड़िया जी को हटाओ । एक तरह पहाड़िया जी को हटाओ अभियान चल रहा है.... ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नाथूसिंह : दूसरी तरफ राजस्थान के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तो इनकी पार्टी में भी श्री जगदीश प्रसाद माथुर को हटाया जा रहा है और भैरोंसिंहजी के खिलाफ भी विद्रोह है।

(व्यवधान)

श्री बिनेश डांगी : घर में आग लगी है उसको बुझा लो।

श्री नाथूसिंह : एक तरफ तो यह चल रहा है और दूसरी तरफ हमारी बहुत महत्व पूर्ण समस्यायें हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। जो समस्यायें हैं जनता की और किसानों की क्या उनकी तरफ आप ध्यान दे रहे हैं ? इस समय तकावी के ऋण की सबसे मुख्य बात है। मैंने तो इसलिए कहा था कि राजनैतिक चर्चा चल रही थी और इस तरह की वात कर रहे हैं....

श्री अहमद बक्श सिंधी : गलत बयानी मत करो, हमारे में कोई फूट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री देवीलाल : आप कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं वह तो समझो नहीं और राजनैतिक वात कहूं नहीं तो घर की बात है उसे वाहर करो।

श्री नाथूसिंह : आपने तकाबी के ऋण को बन्द कर दिया। पहले खाद मिलती थी, बीज मिलता था और तकावी का पैसा मिलता था जिसको किसान खेती में लगा देते थे, वह सरकार ने बन्द कर दिया। क्या आपने कभी उस पर ध्यान दिया ? किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है। गरीब किसान है, उनके पास पैसा नहीं है, बीज खरीद नहीं सकते, खाद नहीं खरीद सकते और आपने जो किसानों के हित की अच्छी बात थी उसको बन्द कर दिया। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पिछड़े वर्ग के लोगों को, किसानों को आगे लाना चाहते हैं तो अच्छा यह हो, कि आप मौके पर जाकर देखें। आपकी शायद नालेज में हैं कि ब्यूरोक्रेसी के द्वारा यह काम हो रहा है। आप पुनः देखकर तकाबी के रूप में ऋण मिलता है उसको वापिस दिलायें।

दूसरी वात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने परसों का इण्डियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा। इस समय वाढ़ का प्रकोप सारे राजस्थान में और दूसरे प्रदेशों में जहां-जहां हैं और इस प्रकार कि चर्चा भी सुनने को मिलती है। दिल्ली में जो एक सब-कमेटी फोर फ्लड प्रोटेक्शन बनी है, आपको मालूम है कि हर साल हरियाणा की तरफ से राजस्थान में भरतपुर और अलवर में पानी आता है। उधर वाले पानी को रोक लेते हैं तो भरतपुर और अलवर जिले में भयंकर वाढ़ आ जाती है और यह स्थिति हो जाती है कि कुछ भी पैदावार नहीं होती, मकानों में वाढ़ आ जाती है, कई व्यक्ति मर जाते हैं और पशु धन का नुकसान होता है, खेतों को नुकसान होता है। तो जो फ्लड कन्ट्रोल कमेटी बनी है दिल्ली में उसमें केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी ने हरियाणा के मुख्य मन्त्री को बुलाया, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को बुलाया, दिल्ली के उप राज्यपाल महोदय को बुलाया लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को उन्होंने नहीं बुलाया। राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को किसलिए नहीं बुलाया ? क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हरियाणा सबकी समस्यायें एक साथ हैं तो राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को नहीं बुलाया

(श्री नाथूसिंह)
क्या यह मुख्य मन्त्री जी की और यहां की सरकार की इन्सल्ट नहीं है ...

श्री जयकृष्ण शर्मा : दिल्ली वाले हमारे हक में फैसला करेंगे इसलिए नहीं बुलाया।

श्री नाथूसिंह : क्या इसलिए नहीं बुलाया कि राजस्थान का मुख्य मन्त्री हरिजन है ? इसलिए राजस्थान के मुख्य मन्त्री को नहीं बुलाया, उन्होंने जान बूझकर इनको अवाइड कर दिया। मैं मुख्य मन्त्री जी से इस बारे में निवेदन करूंगा कि वहां के कृषि मन्त्री जी से आप बात करें। उन्होंने कहा कि यह बाद की समस्या है। अच्छा हो यदि हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहां आप मौजूद रहें और उस कमेटी में भी रहें। आप भी उसी इलाके से आये हैं जहां बाढ़ आती है। भरतपुर को सबसे ज्यादा बाढ़ का पानी प्रभावित करता है तो मैं तो आपके हित की बात कह रहा हूं, राजस्थान के हित की बात कह रहा हूं, आप जहां के रहने वाले हैं उस क्षेत्र के हित की बात कह रहा हूं, राजस्थान की जनता के हित की बात कह रहा हूं। आप जायेंगे तो कुछ न कुछ आप वहां से लायेंगे। इसलिए आप इस बारे में बात करें कि क्यों आपको अवाइड किया गया, आपको क्यों नहीं बुलाया ? हरियाणा के कृषि मन्त्री जी को बुलाया, मुख्य मन्त्री जी को बुलाया, राजस्थान के कृषि मन्त्री और मुख्य मन्त्री को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया ? आपने इस बारे में समाचार पढ़ा होगा। आपको तुरन्त इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए कि आपको क्यों नहीं बुलाया। आपकी कोई बातचीत हुई है ? अगर नहीं हुई है तो क्या आप बातचीत करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि बाढ़ का मसला है। वर्षा हो रही है, बाढ़ किसी भी समय आ सकती है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस समय स्कूल खुल चुके हैं प्राथमिक शालायें खुल चुकी हैं। इसी महीने के अन्दर समस्या है जिसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन स्कूलों में सरकार की ओर से एक प्रावधान है कि 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक की व्यवस्था होगी लेकिन स्थिति यह है कि इस समय कई स्कूल ऐसे हैं जहां 125 बच्चे हैं वहां अध्यापक नहीं है और आपकी ट्रांसफर व्यवस्था ने यह हालात कर दी है कि किसी किसी स्कूल में एक भी मास्टर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे ज्यादा आ गये हैं, एडमिशन्स ले लिये हैं लेकिन उन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अध्यापक बढ़ाने चाहियें। यह ज्वलंत समस्या है। यहां किसी पार्टी विशेष के लिये आरोप नहीं लगाना चाहता....

(व्यवधान)

आप सुनने की कोशिश कीजिये। जो समस्या बता रहा हूं राजस्थान के बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। मेहरबानी करके इस समस्या पर ध्यान दीजिये। मुख्य मंत्री से निवेदन है कि वे पर्सनल इन्ट्रेस्ट लेकर ध्यान दें....

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : पार्लियामेंट में बोलने का आपको टाइम मिला नहीं।

श्री नाथूसिंह : जब मैं पार्लियामेंट में था आपने उस समय अखबार पढ़ना सीखा नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान

(श्री नाथूसिंह)

में पब्लिक स्कूल हैं। मैंने इस मामले में शिक्षा मंत्रीजी के सामने प्रश्न रखा था कि पब्लिक स्कूलों में लूट हो रही है। फीस के नाम पर, डवलपमेंट के नाम पर हर महीने पैसा लेते हैं। जो शिक्षा दी जाती है, किस तरह की शिक्षा दी जाती है कभी आप जांच करवाइये। आम जनता के बच्चे पब्लिक स्कूलों में नहीं जा पाते। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके मन में एक छाप जम जाती है कि वे पब्लिक स्कूल के बच्चों से कमजोर हैं। कम्पीटीशन में पब्लिक स्कूल के बच्चे आ जाते हैं। दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे समझते हैं यह अच्छे बच्चे हैं, उनका हक छिन जाता है। इस मामले में आप विचार करें। इन पब्लिक स्कूलों में कितना घोटाला हो रहा है, कितनी फीस ली जा रही है, उत्साहपूर्वक कदम उठाकर शिक्षा के लिये आप जो पैसा पास करवा रहे हैं, उससे प्राइमरी स्कूलों का स्टेन्डर्ड बढ़ाइये। पब्लिक स्कूलों को जितनी एड देते हैं, उसमें आप कमी कीजिये, बन्द कीजिये। गांवों के स्कूलों का आप स्टेन्डर्ड ठीक करें।

श्री खेतसिंह राठौड़: आदर्श विद्या मन्दिर को टेक ओव‸ कर लें?

श्री नाथूसिंह : वह पब्लिक स्कूल है क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को पब्लिक स्कूल और एडेड स्कूलों में फर्क मालूम नहीं है।

श्री नाथूसिंह : मुख्य सचेतक को यह पता नहीं है कि पब्लिक स्कूल और दूसरे स्कूल में क्या अन्तर होता है। आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जिस समय मैं पढ़ता था आप शिक्षा मंत्री थे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नाथूसिंह : शिक्षा का काम, किस तरह चलता होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गम्भीरतापूर्वक बात करें और मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, आशा करता हूं, मुख्य मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री उत्तर देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं उन्होंने कह दिया भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को पब्लिक स्कूल और दूसरे स्कूल का अन्तर मालूम नहीं है, थर्ड स्टेज पर जो बिल हैं वह इस बिल को अस्वीकार करना चाहते हैं या इस बिल के समर्थन में कुछ कह रहे हैं। सदन को यह जानकारी नहीं मिली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य को मालूम पड़ जायगा कि हम समर्थन कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-2) विधेयक, 1980 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 30 जुलाई 80 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.08 बजे बुधवार दिनांक 30 जुलाई, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

जिलेवार वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शनरों को सूची (संख्या में)

क्र. सं.	नाम जिला	पेन्शनरों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी पेन्शन बन्द कर दी गई
1.	झुंझुनूं	1960	—
2.	डूंगरपुर	953	—
3.	सीकर	2766	—
4.	भीलवाड़ा	845	—
5.	कोटा	2874	—
6.	उदयपुर	5066	—
7.	चित्तौड़गढ़	748	—
8.	बांसवाड़ा	1182	—
9.	जालोर	1228	—
10.	सवाईमाधोपुर	3296	—
11.	टोंक	1438	—
12.	जैसलमेर	808	—
13.	नागौर	2270	—
14.	बाड़मेर	1107	—
15.	झालावाड़	1539	—
16.	जयपुर	9200	—
17.	सिरोही	1117	—
18.	पाली	2252	—
19.	चूरू	1680	—
20.	अलवर	6328	—
21.	बून्दी	1068	—
22.	भरतपुर	7210	—
23.	जोधपुर	6528	—
24.	अजमेर	2957	—
25.	गंगानगर	3659	—
26.	बीकानेर	1298	—
			3 बन्द गलत तथ्यों के कारण
	कुल योग-	71,377	3

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला मुख्यालयों पर जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना

159. **श्री घनश्याम** (बेगूं) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार का ऐसा निर्णय है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत होगी ?

(2) यदि हां, तो चितौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(3) यदि हां, तो कब से और अब तक इस न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं की गई है ? अब कब तक सरकार न्यायालय खोलने का इरादा है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की यह नीति है कि जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत हो। यद्यपि राज्य सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय खोलने का उच्च न्यायालय से प्रस्ताव हाल ही में दिनांक 21-6-1980 को प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

(3) उच्च न्यायालय के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से परामर्श कर वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार न्यायालय स्थापित करने के औचित्य पर विचार कर रही है। प्रस्ताव अभी जून, 1980 में ही आया है। अतः अब तक न्यायालय की स्थापना नहीं की गई।

पंचायतों एवं न्याय पंचायतों के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

160. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सरकार का पंचायतों एवं न्याय पंचायतों के कर्मचारियों, जो ग्राम सचिव योजना लागू करने के पूर्व कार्यरत थे, को पुनः नियुक्त करने का विचार है ?

(2) क्या न्याय पंचायतों के कर्मचारियों की बकाया तनख्वाह के भुगतान के निर्देश दे दिये गये थे ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, ऐसे प्रत्याशी जो निर्धारित योग्यता एवं आयु सीमा में थे उन्हें ग्राम सचिव पद पर लगाया जा चुका है एवं जिनके आवेदन पत्र बाद में प्राप्त हुए थे वे राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को चयन हेतु भेज दिये गये हैं।

(2) जी हां, जिन-जिन भूतपूर्व न्याय सचिवों का वेतन बकाया था उनके भुगतान हेतु समय समय पर निर्देश दिये जा चुके हैं।

नदवई परिवार कल्याण केन्द्र पर हुये नसबन्दी आपरेशन

161. **श्री यदुनाथसिंह (नदवई)** : क्या परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि नदवई परिवार कल्याण केन्द्र पर लम्बे अर्से से डाक्टर का स्थान रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो डाक्टर कब तक भेज दिया जायेगा ?

(2) पिछले एक वर्ष में वहां कितने महिला नसबन्दी व कितने पुरुष नसबन्दी आपरेशन किये गये और क्या वह वर्ष के लिए रखे गये लक्ष्य के अनुसार थे ?

उत्तर

(1) रिक्त स्थान पर दिनांक 9-7-80 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर ने डा. करणसिंह को वहां लगाने के आदेश दिए हैं।

(2) पिछले वर्ष 1979-80 में 46 महिला नसबन्दी व 18 पुरुष नसबन्दी आपरेशन हुए हैं। जो वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 13.9 प्रतिशत हैं।

पंचायत समिति, सागवाड़ा के सरपंचों के विरुद्ध गबन को शिकायतें

162. **श्रीमती कमला (सागवाड़ा)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सागवाड़ा पंचायत समिति, जिला डूंगरपुर की पंचायत गरियाता एवं वावा की वार के सरपंच क्रमशः श्री नटवरलाल जोशी एवं श्री जोरजी भाई के विरुद्ध गबन के कई मामले जिलाधीश डूंगरपुर तथा राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री नटवरलाल, सरपंच, गरियाता ने अकाल राहत कार्यों हेतु आये भुगतान के गेहूं का कार्यरत श्रमिकों को तीन माह तक वितरण नहीं किया और श्रमिक भूखे मरे? यदि हां, तो सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं करवाई ?

(112)

(श्रीमती कमला)

(3) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों की देख रेख हेतु श्री नटवरलाल, सरपंच; गरियाता ने अपने पुत्र को मेट पद पर लगा रखा था जो भुगतान में गड़बड़ी करता था ?

(4) क्या राज्य सरकार इन मामलों की जांच करायेगी ? यदि हां; कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां यह सही है कि श्री नटवरलाल जोशी, सरपंच, गरियाता का पुत्र मेट पद पर लगाया गया था। उसके द्वारा भुगतान में कोई गडबड़ी की गई हो इसकी कोई सूचना नहीं है।

(4) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है इसलिए जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम सेवा सहकारी समिति मुगाणा उदयपुर) के चुनाव में गड़बड़ी

163. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति मुगाणा, तहसील धरियावद, जिला उदयपुर के चुनाव दिनांक 6 अक्टूबर, 1979 को कराये गये थे ?

(2) क्या चुनाव कराने के पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था और सदस्यों को चुनाव की सूचना कराई गई थी ?

(3) क्या यह सच है कि श्री गोतम पिता श्री नाथू निवासी अणत का फार्म निरस्त किया गया ? यदि हां, तो किन आधारों पर ?

(4) क्या इस चुनाव की अनियमितता की जांच संयुक्त रजिस्ट्रार, उदयपुर ने की ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास किस तारीख को पहुंची एवं अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी हां, श्री गौतम पिता नाथू, निवासी अणत का मनोनयन-पत्र अवधि पार ऋण जमा नहीं कराने के कारण निरस्त किया।

(4) जी हां, जांच रिपोर्ट दिनांक 23-5-80 को प्राप्त हुई रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

रामगंज मंडी नगरपालिका क्षेत्र के पोषाहार केन्द्र

164. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन); श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी नगरपालिका क्षेत्र के पोषाहार केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि इन केन्द्रों के बन्द कर दिये जाने से गरीब हरिजन बच्चों व गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है? सरकार कब तक इन केन्द्रों को पुनः चालू करा देगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। रामगंज मण्डी पोषाहार केन्द्र बन्द नहीं किये गये हैं बल्कि सामग्री के अभाव में जो केयर द्वारा दी जाती है 2 माह तक बन्द रहे।

(2) जी हां। केन्द्र दिनांक 12-7-80 से पुनः प्रारंभ कर दिये गये हैं।

तत्कालीन न्याय पंचायतों के सचिवों को वेतन का भुगतान

165. श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) न्याय पंचायतों को कब भंग किया गया और इनमें जो सचिव कार्यरत थे, उनकी सेवायें कहां समायोजित की गई?

(2) क्या उक्त अवधि का वेतन सचिवों को दिया गया? यदि नहीं, तो अब उनके वेतन चुकाने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) दिनांक 24 सितम्बर, 1975 से न्याय पंचायतों को भंग किया गया और इनमें जो सचिव निर्धारित योग्यता रखते थे उन्हें स्थानों की उपलब्धि के आधार पर नियुक्तियां दी गई।

(2) वेतन भुगतान के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश दिये जा चुके हैं।

(114)

श्रीगंगानगर स्थित राजकीय चिकित्सालय

166. **श्री राधेश्याम** (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार द्वारा श्रीगंगानगर स्थित राजकीय चिकित्सालय को 'अ' श्रेणी घोषित किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या वहां 'अ' श्रेणी चिकित्सालय के लिये स्वीकृत सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कृपया सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार की यह जानकारी में है कि गंगानगर में राजकीय चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि क्रय कर ट्रस्ट द्वारा सरकार को सौंप दी गई है ? यदि हां, तो उस भूमि पर नये चिकित्सालय भवन का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

(3) क्या सरकार के समक्ष इस संबंध में कोई समयबद्ध योजना है ? यदि हां, तो उस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि लायन्स क्लब, श्री गंगानगर ने 12 वर्ष पूर्व राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में एक वाटर कूलर मरीजों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के अभिप्राय से लगाकर चिकित्सालय अधिकारियों को सौंपा था, जिसे चिकित्सालय प्रशासन द्वारा मैन्टेन करना था, जो काफी वर्षों से बन्द पड़ा है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) "ए" श्रेणी के अनुसार स्वीकृत सुविधाएं उपलब्ध हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) ट्रस्ट द्वारा भवन निर्माण पूर्ण कराकर विभाग को सौंपे जाने पर वर्तमान अस्पताल को नवीन अस्पताल में स्थानान्तरित किया जायेगा ? जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

सूची

'ए' श्रेणी राजकीय चिकित्सालय गंगानगर में उपलब्ध सुविधाओं की सूची

क्रम सं०	पद का नाम	कुल पद संख्या
1	2	3
	वरिष्ठ विशेषज्ञ	
1.	मेडिसन	1
2.	सर्जरी	1

1	2	3
3.	नेत्र रोग	1
4.	आर्थोपेडिक	1
5.	बाल रोग	1
6.	रेडियोलोजी	
		6
कनिष्ठ विशेषज्ञ		
1.	मेडिसन	1
2.	सर्जरी	1
3.	नेत्र रोग	1
4.	पेथोलोजी	1
5.	इ० एन० टी०	1
6.	एनेकेलिया	1
7.	डेन्ट्रस टी	1
8.	टी० वी०	1
9.	स्त्री रोग	1
		9
सिस्टर		
1.	सी० एन० एस०	38
2.	मेट्रेन श्रेणी प्रथम	1
3.	सिस्टर	6
नर्सिंग स्टाफ		74
(मेल नर्स/स्टाफ नर्स/ए० एन० एम०)		
5.	रेडियो ग्राफर	4
6.	लेब टेक्निशियन	3
7.	डेन्टल टेक्निशियन	2
8.	कर टिस्ट कम फोटोग्राफर	1
9.	इलेक्ट्रीशियन	3
10.	मैकेनिक	3

1	2	3
11.	टेलर	4
12.	कारपेन्टर	1
13.	मेशन	1
14.	टेलीफोन आपरेटर	4
15.	फिजियो पेराफिस्ट	2
16.	ओथोपेशन पेराफिस्ट	2
17.	कुक	8
18.	धोबी	6
19.	बागवान	2
20.	हरिजन या वार्डबॉय	160

किसानों से जबरन वसूलियां किया जाना

167. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)** : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रान्त में व्याप्त अकाल के वर्त्तमान समय में सरकार ने किसानों को किस प्रकार सहायता प्रदान की है ?

(2) क्या सही है कि अभाव की इस स्थिति में सरकार किसानों से वसूलियां कर रही है और मकान, सामान आदि की कुर्कियां कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि किसानों के बर्तन आदि वस्तुओं की नीलामी की जा रही है ?

उत्तर

(1) प्रान्त में व्याप्त अकाल के वर्त्तमान समय में सरकार ने किसानों को निम्न प्रकार सहायता प्रदान की:—

1. विशिष्ट काम के बदले अनाज योजना व विभिन्न सहायता कार्य विभिन्न विभागों जैसे, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, भू-संरक्षण विभाग व वन विभाग आदि एवं विभागीय अभिकरण आदि जैसे पंचायत, राजस्थान केनाल, सी. ए. डी. चम्बल आदि के द्वारा 1949 कार्य चलाये जा रहे हैं जिन पर 803892 मजदूर कार्यरत है । विशिष्ट काम के बदले अनाज योजना व काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के लिये भारत सरकार से 306000 मै० टन गेहूं का आंवटन प्राप्त हुआ जिसमें से 244437 मै० टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम से

(सहायता मंत्री)

विभिन्न जिलों द्वारा उठायी गयी है। वर्ष 1980-81 के लिए 1.10 लाख मै० टन गेहूं प्राप्त हुआ है। जिसमें से 106000 मै० टन गेहूं विभिन्न अभिकरणों व जिलाधीशों को आंवटित कर दिया गया है।

2. राज्य के 4700 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। 15 जिलों के 814 गांवों में 174 टैंकर्स व 165 टंकियों द्वारा पानी पहुंचाया गया। इनके अतिरिक्त बाड़मेर के 5 गांवों में रेलवे टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के 7 जिलों के 714 गांवों में पियाई की व्यवस्था की जा रही है जिससे 8.40 लाख जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। इसके अलावा भी वर्ष 1980-81 में 2 करोड़ रुपयों की लागत से 134 कुओं का विद्युतीकरण किया जावेगा। राज्य सरकार ने बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर तथा जैसलमेर जिलों में पेयजल व्यवस्था हेतु भारतीय सेना की मदद ली है उक्त जिलों में दिनांक 15-5-80 से पेयजल व्यवस्था भारतीय सेना द्वारा की जा रही है।

3. राज्य में चारा वितरण करने के लिए 13.00 लाख रुपये विभिन्न अभिकरणों को, तथा 30.90 लाख रुपये ग्राम पंचायतों को अभावग्रस्त क्षेत्रों में नो प्रोफिट नो लोस के आधार पर वितरण करने के लिये आंवटित किये गये। राज्य में गो सेवा संघ द्वारा कैटल फीडिंग सेन्टर व कैटल कैम्प चलाये जा रहे हैं जिनसे लगभग 149000 पशु लाभान्वित हो रहे हैं।

4. सांड सहायता हेतु 3 रुपया प्रति सांड प्रतिदिन के हिसाब से सहायता दी जा रही है जिसके तहत 2800 साण्ड लाभान्वित हो रहे हैं।

5. विशेष सहायता के अन्तर्गत 5000 मै० टन गेहूं व 900 मै० टन चावल राज्य के 4 जिलों को आंवटित किया गया जिसका उपयोग 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं शिशु सहित महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु किया जावेगा।

6. ऐसे व्यक्ति जो सहायता कार्यों पर कार्य करने के योग्य नहीं हैं उन्हें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति वयस्क को एक रुपया व अवयस्क को पच्चास पैसे की दर से निःसहाय सहायता दी जा रही है।

(2) जी नहीं यह सही नहीं है। राजस्थान अफेक्टेड एरियाज (सस्पेन्शन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या-21 सन् 1952) की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान अधिसूचना जारी होने के दिनांक से ही लागू हो जाते हैं। जिसके तहत दीवानी अदालतों की डिक्रियों के फलस्वरूप नीलामी व कुडकियां स्वतः ही रुक जाती है। वसूली स्थगन के लिए राज्य सरकार ने निम्न कार्यवाही की:-

(118)

(सहायता मंत्री)

1. राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में राजस्व की बकाया वसूली का स्थगन, पंचायतों के बकाया ऋण/ सैस की वसूली का स्थगन, दिनांक 30-9-80 तक कर दिया है। साथ ही तकाबी ऋण की वसूली भी दिनांक 30-9-80 तक स्थगित कर दी है।

2. अभावघोषित क्षेत्रों के अल्पकालीन सहकारी ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया है।

3. केन्द्रीय सहकारी बैंक व राज्य सहकारी बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि वसूली करने वाले कर्मचारियों को ऐसे कृषकों से वसूली करनी चाहिये जिनकी कर्ज चुकाने की क्षमता हो।

4. ऐसे कृषकों से जिनके पास सिंचित भूमि बहुत ही कम है या पिछले वर्षों के बाढ़ व सूखे के कारण अल्पकालीन ऋणों से परिवर्तित मध्यकालीन ऋणों की किश्तें चढ़ गई हों स्थगित कर देनी चाहिये।

(3) जी नहीं। यह सही नही है। अभी तक किसी भी क्षेत्र से इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी

168. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की भारी कमी है ? यदि हां, तो कुल कितने अध्यापकों की कमी है ?

(2) कितने बच्चों पर एक अध्यापक प्राथमिक शालाओं में नियुक्त होने का प्रावधान किया हुआ है ? क्या प्रावधान के अनुसार अध्यापक इन शालाओं में है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) शहरी क्षेत्रों की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1820 अध्यापकों की कमी है।

(2) प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या विद्यालय की छात्र संख्या पर निर्भर होती है। संख्या अनुसार अध्यापकों का आवंटन निम्न मानदण्ड से किया जाता है–

छात्र संख्या	अध्यापक
1 से 49	1
50 से 89	2
90 से 129	3
130 से 169	4
170 से 209	5

(शिक्षा मंत्री)

शहरी क्षेत्रों को प्राथमिक शालाओं में उपर्युक्त आधार पर अध्यापक दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय कारणों से अध्यापकों की कमी है।

जयपुर-दिल्ली मार्ग पर चलित बसों से आय

170. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर से दिल्ली मार्ग पर चलने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को पिछले एक माह से प्रति चक्कर कितनी आय हो रही है ? तारीखवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है दिनांक 24 जून, 80, को स्व. श्री संजय गांधी की अन्त्येष्टी के अवसर पर निगम द्वारा विशेष बसें चलाई गई थीं ? यदि हां, तो कितनी तथा प्रत्येक से कितनी आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार भविष्य में दिवंगत होने वाले हर संसद सदस्य की अन्त्येष्टी पर विशेष बसें चलायेगी ? नहीं, तो उक्त दिनांक को विशेष बसें चलाने का क्या औचित्य था ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता। विशेष यात्री बसें यात्री भार उपलब्ध होने पर ही लगायी जाती हैं।

Annexure-A

तारांकित प्रश्न संख्या 170 की सूची

Statement showing total income for the month of June, 1980 of Express Depot, Jaipur.

Name of the route		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Jaipur-Delhi via Kotputli	4.05	0782	0897	0926	0881	0848	1124	0948	1766	1284	0745	0780	0746	1254	1165	1133	1345
2. Delhi-Jaipur	14.00	1031	0731	0783	0863	0938	0698	B/D	0763	0980	B/D	0840	0108	0881	1078	1082	1127
3. Jaipur-Delhi	6.15	0755	0933	0900	0892	1092	0847	0676	1034	9819	0922	0968	0860	0739	0612	0765	0781
4. Delhi-Jaipur	16.00	0756	0574	0959	0545	0790	0955	0807	1027	0721	0637	0834	0758	0702	1001	0858	0933
5. Jaipur-Delhi	10.00	1250	0799	1080	1057	1046	0755	0887	1044	0932	1166	1090	0855	0712	0900	1136	0815
6. Delhi-Jaipur	19.30	0981	0725	0899	0879	0803	0867	0672	0606	1154	1170	1105	1095	0915	0920	1065	1022
7. Jaipur-Delhi	10.30	0782	0887	0426	0955	0276	0414	0630	0901	0688	1177	0395	0878	0380	1014	1369	0893
8. Delhi-Jaipur	21.00	1031	0839	0561	0914	0652	0542	0704	1100	1288	1069	0856	1173	0957	1053	0957	1135
9. Jaipur-Delhi	15.00	1067	0961	1014	0824	1054	0893	0858	1274	0908	0765	0707	0788	1106	4947	0925	0701
10. Delhi-Jaipur	4.45	1117	1147	1162	1190	1309	0946	0712	B/D	1011	1050	0930	0799	0741	1228	0930	1142
11. Jaipur-Delhi	16.00	1082	0866	0507	0743	1030	0981	0900	0984	0779	0736	0585	0428	0978	1044	0983	0957
12. Delhi-Jaipur	7.00	1118	1022	1088	1020	0819	0867	0830	1036	1022	1025	1131	0943	1103	1002	1125	1216
13. Jaipur-Delhi	18.00	0697	0778	1025	0541	0443	0900	1003	0767	0722	0899	0775	0927	0810	0777	1126	0930
14. Delhi-Jaipur	6.00	1032	1169	0972	0883	0848	0939	0982	1019	1261	1067	1065	0961	0920	1047	1127	1196
15. Jaipur-Delhi	21.30	1022	1048	1414	0830	0984	1020	1012	0910	1160	0849	1045	1041	0986	0786	1137	1028
16. Delhi-Jaipur	10.30	0969	0714	0774	0872	0582	0593	0507	1205	0470	0903	0763	0542	0687	0938	1076	0874
17. Jaipur-Delhi	13.30	0702	0758	0646	0503	0933	0763	0635	1055	1187	0914	0571	0719	0660	0925	1088	0761
18. Delhi-JPR via ALW	7.50	–	0833	1187	1070	0875	0655	1132	0799	0992	0811	1379	1226	1082	1106	1290	1287
19. Jaipur-Delhi	4.30	0996	0974	0944	1127	0894	1234	0902	1177	1111	1165	1028	0994	1085	0850	1150	1266
20. Delhi-JPR via Kot	18.15	0997	1010	1074	0882	0962	0812	1210	0594	1066	1141	0980	1131	1167	1111	1075	1150
21. Jaipur-Delhi via ALW	6.45	1229	1060	1326	0984	1191	1628	1234	1161	1195	1111	0733	1108	1225	0718	1083	1163
22. Delhi-Jaipur	12.17	1061	1077	1214	0851	1049	1110	1415	1169	1405	1030	1278	1126	1093	1234	1264	1271
23. Jaipur-Delhi	8.15	1347	1033	0758	0973	0966	1032	1178	1403	0942	1221	0859	1177	1380	1071	1561	1302
24. Delhi-Jaipur	10.10	0688	1150	0818	0930	0838	0679	1016	1058	1109	1193	1095	0953	1268	1515	1412	1310
25. Jaipur-Delhi	22.00	1386	1127	0972	1170	1031	0976	1384	1447	1247	1551	1203	0897	1296	1242	1508	1410
26. Delhi-Jaipur	22.00	Audit-78		0679	1363	0921	1064	0770	0793	1199	1450	0874	1059	1323	1458	1003	1230

No.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	1293	1134	1009	1146	0630	1137	0946	0793	1241	1229	0938	0772	0679	0633
2.	1065	0741	0984	0584	1043	1175	1082	1459	0893	0932	1078	1177	0991	1037
3.	1108	0720	0984	0944	0978	1026	0800	1004	0355	0549	0987	0993	0813	0760
4.	0799	1117	0685	0988	0671	1128	1163	0763	0783	0592	1029	0804	1195	1065
5.	1286	0835	1010	0736	1131	1158	0790	1105	1013	1228	1100	0864	0191	1098
6.	0966	0639	2034	1021	1079	0955	0960	1166	0933	1070	1218	0841	0825	1128
7.	1192	0492	0858	0692	0594	1224	0579	1134	1115	0800	0794	0753	1267	1334
8.	1084	0808	0620	1099	0954	0806	1061	1032	1106	0946	0961	0528	0633	0725
9.	0986	0458	0310	0983	1021	1044	0860	0996	0779	0862	1069	1222	1243	0393
10.	1185	0979	1008	1001	0935	1075	1045	0885	0927	0875	0760	1011	0981	1058
11.	0949	0894	0810	0981	1069	1042	1036	0895	0670	0611	1001	1119	1052	0770
12.	1010	1051	0910	1001	1151	1308	0115 B/D	1201	1149	1211	1119	1150	1193	1157
13.	0594	0398	0847	0759	1025	1221	0837	0803	0414	0902	0779	0802	1043	0708
14.	1243	1174	1119	1116	0963	1251	1104	1265	0938	1022	1112	0722	1034	0942
15.	1156	1065	1081	1005	1051	0919	0964	0962	0834	1006	103	0947	0933	1030
16.	1210	0824	1038	0867	1265	1243	0926	1068	0899	0923	1108	0607	1308	0850
17.	0885	0920	0872	0747	898	0945	0878	0980	0783	0940	1047	0992	0490	1019
18.	1084	1029	1237	1082	1316	0955	1578	1116	0680	1042	1231	1035	0881	1269
19.	1210	0946	1323	1092	1170	0847	1161	0991	0770	1334	1140	0940	1087	1132
20.	0880	0930	1001	1070	1082	1250	1096	1122	1005	1042	0992	0790	0992	1185
21.	1402	0754	1182	1149	1281	1081	1063	1294	1204	1264	1212	1369	1193	1262
22.	1034	1331	1245	1223	1262	1353	1277	1250	1325	1366	1228	1434	1290	1217
23.	1100	0858	1282	1225	1095	1284	1323	1269	0940	1501	1001	1255	1337	1420
24.	1140	0895	0931	1060	0970	1156	1517	1139	1076	1309	1383	1278	0968	1078
25.	1714	1101	1419	1288	0846	1193	1504	1097	0849	1137	1146	1280	1435	1217
26.	0997	1039	0722	0921	1229	1069	0908	1185	1108	0935	1094	114[illegible]	1046	0990

Annexure-B

Statement showing total income for the month of June, 1980 of Express Depto, Jaipur.

	Name of the Route	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Jaipur-Delhi (5.30) Tourist	1080	1050	1080	1050	1059	1020	1080	1020	1005	1095	0930	1050	1050	0915
2.	Delhi-Jaipur (16.00) Tourist	1065	0900	0975	0984	0829	0720	1020	0960	1020	0990	1080	1080	0780	1080
3.	Jaipur-Delhi (6.15) Tourist	1020	1005	1080	1020	0900	1080	1080	1020	1050	1080	1110	1065	0945	0930
4.	Delhi-Jaipur (16.30) Tourist	0729	0705	1005	0390	0660	0660	1080	0720	1005	0870	0915	0600	1050	1020
5.	Jaipur-Delhi (7.15) Tourist	0945	0975	1050	1050	1050	1050	1104	1065	1035	1095	1050	1035	1035	1080
6.	Delhi-Jaipur (17.30)	0705	0570	0960	0540	0840	0810	1170	0695	1065	1050	0570	0630	0930	1065
7.	Jaipur-Delhi (11.00) Tourist	0390	0270	1050	0600	0750	0945	0660	0540	0630	0570	0630	0330	0660	0480
8.	Delhi-Jaipur (23) Tourist	1080	0810	0840	0540	0840	0930	1080	0990	1050	1095	1080	1170	1110	1185
9.	Jaipur - Delhi (16.00) Tourist	1020	0930	0975	1080	1020	1005	1080	1065	0975	1080	1020	1080	1035	1080
10.	Delhi - Jaipur (7.15)	1080	0630	1080	0630	1080	1080	1050	1005	0870	0915	0999	1050	1095	1065
11.	Jaipur - Delhi (23.30) Tourist	1080	1065	1035	1050	1035	1065	1080	1080	1095	1140	1035	1068	1080	1020
12.	Delhi - Jaipur (6.30)	1050	0900	1080	0825	0630	0825	0600	0810	1050	0705	1080	0885	0960	0780

Page No. 123

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	1050	1080	1065	1080	1080	1080	1020	1080	1080	1050	1110	1240	1380	1080	1120	1300
2.	1050	1050	0910	1015	0939	1080	0915	B/D	1080	0960	0990	0810	1220	1123	1410	1420
3.	0930	1050	0990	1035	1083	1095	1083	1065	0680	1020	0990	0690	1300	1100	1340	1280
4.	0870	0900	1050	0870	0900	0870	1050	1050	1050	1050	1035	1320	1360	0720	1440	1080
5.	1065	1140	1050	1065	1050	1080	1035	1065	1065	1080	1085	1085	1440	1060	1360	1400
6.	0765	0920	0720	0990	1080	0600	1065	1065	1080	0750	0705	0400	0920	1080	1160	0880
7.	0840	0570	0795	0600	0540	1080	0450	1050	0630	0540	0480	1100	1320	0720	1100	0640
8.	1038	1050	1140	0810	0840	0555	1050	1050	1079	0939	1065	0765	1320	1080	0480	0560
9.	1110	1080	1050	1080	1020	0662	1065	1050	1065	1065	1080	1260	1480	1440	1420	1400
10.	1044	0780	0975	0965	1080	1065	0990	1065	0960	1020	0960	1080	1210	0840	1320	1400
11.	1080	1080	1080	1110	1080	1080	1080	1065	1074	1080	0945	1240	1440	1360	1000	1420
12.	0870	0580	0525	0720	0870	0630	1110	1080	0900	0450	0510	1080	0720	0720	0720	1420

भीलवाड़ा नगर परिषद् द्वारा डामर व सीमेन्ट के कराये गये कार्य

171. **श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा नगर परिषद् की ओर से सन् 1978 में बिना स्वीकृति के डामर के पेचिंग व सीमेन्ट के कितने काम कराये गये थे ? यदि हां, तो ठेकेदारों को सीमेन्ट डामर गिट्टी आदि किस आधार पर परिषद् या नगर विकास न्यास द्वारा दी गई ? क्या इन कामों को लेकर परिषद् के किसी कर्मचारी ने यात्रा भत्ता भी उठाया है ?

उत्तर

बगैर पूर्व स्वीकृति 40 कार्य कराये गये। इन कार्यों के लिए ठेकेदारों को बगैर स्वीकृति डामर व सीमेंट परिषद् से दिलाए गए थे। इन कार्यों की पुष्टि तत्कालीन आयुक्त से कराने हेतु अधिदर्शक को गजसिंहपुर भेजा गया जिसका यात्रा भत्ता के 142.62 पैसा उन्हें चुकाए गए।

कोटा नगर की सीमेन्ट की मांग की आपूर्ति

173. **श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)** : **श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)** : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किन-किन नगरों को गत 1 वर्ष से कितना-कितना सीमेन्ट प्रदाय किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में सबसे अधिक निर्माण कार्य औद्योगिक नगर होने से कोटा नगर में हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कोटा नगर को उसके चाहे कोटे के अनुपात में सीमेंट दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कोटा नगर में सीमेंट वितरित करने की क्या व्यवस्था है ? क्या उस वितरण प्रणाली से सरकार संतुष्ट है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष में राजस्थान के विभिन्न नगरों को सप्लाई की गई सीमेन्ट की तालिका संलग्न है।

(2) भारत सरकार से प्राप्त सीमित सीमेन्ट को विभिन्न जिलों को उनके निर्माण कार्यक्रमों तथा अन्य उचित मापदण्डों के आधार पर दिया जाता है।

कोटा में सीमेन्ट वितरण की व्यवस्था निम्नरूपेण है :—

1. कोटा नगर में परकोटे के अन्दर नगर परिषद् द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं।

(खाद्य एवं रसद मंत्री)

2. परकोटे से बाहर के लिए नगर विकास न्यास द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं।

3. सरकारी विभागों एवं संस्थाओं को जिला रसद अधिकारी द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं।

4. उद्योगों को छोटे कार्य व मरम्मत के लिए उद्योग विभाग द्वारा परमिट दिये जाते हैं।

6. नागरिकों को निजी मरम्मत कार्यों के लिए 10 कट्टे तक प्रति प्रार्थना पत्र पर दिया जाता है।

6. नव निर्माण कार्यों के लिए नक्शा एवं अभियन्ता की सिफारिश पर एक बार में 50 (पचास) कट्टे तक सीमेन्ट का परमिट दिया जाता है।

वर्तमान सीमित आवंटन में उपरोक्त प्रणाली सन्तोषजनक है।

सूची

मात्रा टनों में

क्र. सं.	नाम जिला	नाम नगर	कितना कितना सीमेन्ट सप्लाई किया गया	अवधि
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	अजमेर	6150	
		पुष्कर	69	जुलाई, 1979
		नसीराबाद	305	से
		ब्यावर	2263	जून, 1980
		विजयनगर	71	
		किशनगढ़	1354	
		केकड़ी	1049	
		सरवाड़	442	

1	2	3	4	5
2.	अलवर	अलवर	2311	
		राजगढ़	220	जुलाई, 1979
		खेडली	125	से
		खेरथल	221	जून, 1980
		तिजारा	208	
3.	बाड़मेर	बाड़मेर	654	गत एक वर्ष में
		बालोतरा	397	
		सिवाना	174	
4.	बून्दी	बून्दी	246	गत एक वर्ष में
		नैनवा	118	
		केशोरायपाटन	88	
		लाखेरी	128	
		कापरेन	6	
5.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	817	जून, 1979 से
		कुशलगढ़	150	जून, 1980 तक
6.	भरतपुर	भरतपुर	900	
		कुम्हेर	41	
		नगर	90	
		डीग	213	गत एक वर्ष
		कामां	161	
		बयाना	161	
		भुसावर	63	
		वैर	90	
		धौलपुर	365	
		राजाखेड़ा	105	
		बाड़ी	153	

1	2	3	4	5
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	2375	वर्ष 1969 में
		आसीन्द	150	
		शाहपुरा	175	
		जहाजपुर	120	
		माण्डल	173	
		गंगापुर	132	
8.	बीकानेर	बीकानेर	1443	वर्ष 1979 में
		गंगाशहर	96	
		भीनासर	45	
		देशनोक	50	
		नोखा	82	
9.	चूरू	चूरू	240	
		रतनगढ़	40	
		सरदारशहर	193	
		राजगढ़	195	जुलाई 79 से
		तारानगर	128	जून 80 तक
		राजलदेसर	121	
		श्री डूंगरगढ़	149	
		सुजानगढ़, बिदासर	218	
10.	चित्तौड़गढ़	कपासन	144	
		चित्तौड़गढ़	366	
		निम्बाहेड़ा	150	जुलाई, 79 से
		छोटीसादड़ी	44	जून 80 तक
		बड़ीसादड़ी	44	
		प्रतापगढ़	120	
11.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	930	गत एक वर्ष
		सागवाड़ा	545	
12.	गंगानगर	गंगानगर	2320	गत एक वर्ष
		अन्य नगर	सूचना अप्राप्त	

1	2	3	4	5
13.	जयपुर	जयपुर	13717.0	[illegible]
		सांगानेर	162.5	
		बस्सी	83.1	
		चाकसू	142.5	
		दौसा	394.5	
		लालसोट	213.4	
		बांदीकुई	150.6	
		बसवा	81.7	
		कोटपूतली	227.0	
		विराटनगर	128.0	
		शाहपुरा	98.0	
		मनोहरपुर	140.0	
		चौमू	322.0	जुलाई 1979 से जून, 1980
		आमेर	145.5	
		साम्भर		
		फुलेरा		
		जोबनेर	अप्राप्त	
		नरायना		
14.	जोधपुर	जोधपुर	5402	
		फलोदी	600	जुलाई, 1979
		बिलाड़ा	602	से जून, 1980
		पीपाड़ सिटी	400	
15.	जैसमेलर	जैसलमेर	351	वर्ष 1979
		पोकरण	214	
16.	जालोर	जालौर	246	
		भीनमाल	119	गत एक वर्ष में
		आहोर	64	
		साचोर	61	

(129)

1	2	3	4	5
17.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	390	
		मण्डावा	165	
		बिसाऊ	165	
		मंडेला	190	
		बगड़	115	
		चिड़ावा	260	गत एक वर्ष
		पिलानी	322	
		सूरजगढ़	195	
		खेतड़ी	245	
		उदयपुरवाटी	229	
		नवलगढ़	280	
		मुकन्दगढ़	190	
18.	झालावाड़	झालावाड़	453	
		झालरापाटन	342	
		सुनेल	48	गत एक वर्ष में
		पिड़ावा	120	
		भवानी मण्डी	528	
		अकलेरा	156	
19.	कोटा	कोटा	5687	
		बारां	671	
		रामगंज मण्डी	998	
		अटरू	216	गत एक वर्ष
		छबड़ा	132	
		छीपा बड़ौद	192	
		अन्ता	204	
		मांगरोल	225	
		सांगोद	384	
		केथून	144	
		इन्द्रगढ़	120	

1	2	3	4	5
20.	नागौर	नागौर	594	
		डीडवाना	196	
		लाडनूं	196	
		कुचामन सिटी	154	जून 1979 से
		नावां	81	जुलाई 80 तक
		परबतसर	76	
		मकराना	158	
		मेड़ता	108	
		कुचेरा	69	
		मून्डवा	46	
21.	पाली	पाली	1464	
		बाली	202	
		सुमेरपुर	257	
		तखतगढ़	87	
		रानी	158	गत एक वर्ष
		सोजतसिटी	238	
		जैतारण	313	
		रायपुर	216	
		सादड़ी	61	
		निमाज	74	
22.	सीकर	सीकर	1076	
		अन्य नगर	अप्राप्त	
23.	सवाई माधोपुर	सवाई मधोपुर	472	
		गंगापुर	336	
		करोली	228	जुलाई 1979 से
		हिण्डोन	300	जून 1980
		टोडा भीम	132	

1	2	3	4	5
24.	सिरोही	सिरोही	132	गत एक वर्ष में
		शिवगंज	120	
		पिण्डवाडा	116	
		आबूरोड	174	
		माऊन्ट आबू	163	
25.	टोंक	टोंक	1456	
		मालपुरा	558	
		टोडारायसिंह	276	गत एक वर्ष में
		देवली	572	
		अलीगढ़	180	
		निवाई	753	
26.	उदयपुर	उदयपुर	3760	
		नाथद्वारा	290	
		कांकरोली	270	
		आमेट	180	गत एक वर्ष में
		देवगढ़	150	
		कानोड़	170	
		भीण्डर	190	
		फतेहनगर	150	
		सलूम्बर	150	

लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र में निर्मित सड़क

174. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित कितनी सड़कें स्वीकृत की गई ? उनमें से कितनी पूर्ण हो चुकी हैं एवं कितनी निर्माणाधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत सड़कें निर्धारित मापदण्ड के आधार पर निर्मित नहीं हुई हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लाडनू जिला नागौर क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 13 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित 18 सड़कें स्वीकृत की गईं जिनमें से 10 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं एवं 7 सड़कें वर्तमान में निर्माणाधीन चल रही हैं। एक सड़क का कार्य चालू नहीं हुआ है।

(2) जी, यह सही नहीं है।

पीपल्दा क्षेत्र में कंदरा सुधार कार्य

175. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में कंदरा सुधार हेतु वन विभाग की ओर से कार्य करवाया जा रहा है ?

(2) इस हेतु अब तक कहां–कहां पर क्या–क्या कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा क्या–क्या कार्य शेष हैं ? इन कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी राशि व्यय होनी बाकी है ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

पीपल्दा क्षेत्र में कन्दरा सुधार हेतु वन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों का विवरण

(1) वृक्षारोपण कार्य–

क्र. सं.	स्थल जहां कार्य करवाया गया	क्षेत्रफल	1979-80 में करवाये कार्यों का ब्योरा	1980-81 में करवाये जा रहे कार्यों का ब्योरा
1.	ओनड़ो	180 है०	अग्रिम कार्य	प्लांटिंग
2.	खातोली	70 है०	अग्रिम कार्य	प्लांटिंग
3.	जटवाड़ा	250 है०	अग्रिम कार्य	प्लांटिंग
4.	पीपल्दा तह.	200 है०	–	अग्रिम कार्य

(वन मंत्री)

(2) अभियांत्रिकी कार्य जो 1979-80 में करवाया गया।

क्र. सं.	स्थल जहां कार्य करवाया गया	क्षेत्रफल	1979-80 में करवाये गये कार्यों का ब्योरा	
1.	पीपल्दा क्षेत्र नम्बर–4	900 हे०	6 नम्बर पक्के स्ट्रक्चर 6 नम्बर चैक ड़ेम	इसके साथ ही 3183 हेक्टर्स क्षेत्र का संरक्षण करने हेतु मिट्टी के तट-बंधों का भी निर्माण कराया गया।
2.	गोला क्षेत्र नं –3	602 हे०	4 नम्बर पक्के स्ट्रक्चर 11 नम्बर चैक डेम	
3.	राजोया जलदाय क्षेत्र नम्बर–2	911 हे०	9 नम्बर पक्के स्ट्रक्चर	
4.	विनायका क्षेत्र	770 हे०	4 नम्बर पक्के स्ट्रक्चर	

(3) अभियांत्रिकी कार्य जो वर्ष 1980-81 में करवाये जा रहे हैं.–

क्र. सं.	स्थल जहां कार्य करवाया गया	क्षेत्रफल	1980-81 में करवाये जा रहे कार्यों का ब्योरा
1.	पीपल्दा क्षेत्र 5	400 हे०	पक्के स्ट्रक्चर्स, मिट्टी के तटबंध एवं स्टोन चैकडेट्स का निर्माण।
2.	श्योपुरा क्षेत्र 7	350 हे०	
3.	राजोया जलदाय क्षेत्र नं० 21	605 हे०	
4.	बिनायका क्षेत्र	350 हे०	

(4) पीपल्दा क्षेत्र में वर्ष 1980-81 के लिए कुल 25.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। जिसमें से 30-6-80 तक कार्यों पर रुपया 9,10,879.00 व्यय हो चुका है जिसके अन्तर्गत 14 पक्का स्ट्रक्चर तथा एक चैक डेम बन चुके हैं। 35 पक्के स्ट्रक्चर्स बनने बाकी हैं। 500 हेक्टर में वृक्षारोपण जारी है। 200 हैक्टर में अग्रिम कार्य होगा।

फतेहपुर बीड़ का भेड़ प्रजनन कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ अधिग्रहण

176. **श्री त्रिलोकसिंह (फतहपुर)**:-क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या फतेहपुर की बीड़ को सरकार ने भेड़ प्रजनन व प्रसार कार्यक्रम हेतु अधिग्रहण किया था जिससे आसपास के हजारों किसानों को पशुधन चारे आदि का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ ?

(श्री तिलोक सिंह)

(2) इस कार्यक्रम के अधीन कितना भेड़ प्रसारण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? किसानों को कितना नुकसान हुआ और क्या सरकार ने किसानों को इसका मुआवजा दिया ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक मुआवजा देने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, भेड़ प्रजनन कार्यक्रम से किसानों को पशुधन एवं चारे का नुकसान नहीं हुआ है।

(2) इस कार्यक्रम से अब तक 3518 भेड़ों का प्रसारन हुआ। किसानों को नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि वन विभाग की आरक्षित भूमि ही इस कार्य में लाई गयी है व किसानों के लिए अलग से जमीन छोड़ी हुई है। अतः नुकसान व मुआवजा का प्रश्न नहीं उठता।

मंडावा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नये प्राइमरी स्कूल खोलना

177. श्री लच्छूराम (मण्डावा):–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सन् 1971 की जनगणना की 300 की आबादी वाले गांवों में प्राइमरी स्कूल खोलने का मापदण्ड बना रखा है ?

(2) यदि हां, तो मंडावा विधान सभा क्षेत्र के निम्न ग्रामों जहां की आबादी 300 से ज्यादा है—

भामूकावास, हनुतपुरा, श्यामपुरा, बासहरिपुरा, दुलपुरा (रानासर) बास हमीर खां, भूरासर, बागापरता की ढाणी में अब तक स्कूल क्यों नहीं खोले गये ?

(3) क्या सरकार उक्त स्कूलों को खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विद्यालय खोलते समय स्थानीय आवश्यकता, जनता की मांग, जन सहयोग, भवन की उपलब्धि, भौगोलिक स्थिति एवं वित्तीय साधनों को ध्यान में रखा जाता है।

(2) भाग (1) में उत्तर दे दिया गया है।

(3) नए प्रस्तावों पर राज्य सरकार उक्त आधार पर विचार करेगी और इन आधारों पर कहीं खोलने की संभावना हुई तो निर्णय लिया जायगा।

महाविद्यालय में पी. यू. सी. कक्षायें समाप्त करने से उत्पन्न समस्या

179. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के महाविद्यालय में पी. यू. सी. की कक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद छात्रों को उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश लेना पड़ता है और माध्यमिक शालाओं की अपूर्णता के कारण वहां छात्रों को इधर-उधर घूमना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, 12 महाविद्यालयों में पी. यू. सी. कक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं। किन्तु इन सभी स्थानों पर पहले से हायर सैकण्डरी स्कूल हैं जहां वे छात्र प्रवेश ले सकते हैं।

(2) राज्य सरकार ने आदेश दिए हुए हैं कि राजकीय विद्यालयों में किसी विद्यार्थी को सामान्य विषयों में प्रवेश लेने से वंचित न किया जाय। इसके लिए अतिरिक्त कक्षा खण्ड भी खोले जा रहे हैं।

ग्राम पंचायत रटलाई (झालावाड़) के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

180. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रटलाई, पंचायत समिति बकानी (जिला झालावाड़) के सरपंच श्री रामनारायण पालीवाल के खिलाफ काम के बदले अनाज योजना में शिकायतें होने पर कार्यों की जांच की गई ? यदि हां, तो कब और किसने की ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस जांच में सरपंच श्री रामनारायण पालीवाल के खिलाफ 39075.39 पैसे कार्यों में घोटाला करने तथा दुरुपयोग करने की शिकायत पाई गई ?

(3) राज्य सरकार द्वारा जांच के आधार पर उपरोक्त रकम सरपंच से वसूली योग्य थी वह आज तक वसूल क्यों नहीं की गई और इस आधार पर सरपंच को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के मौजूदा पंचों की ओर से जिलाधीश झालावाड़ को पंचायत का आडिट कराने हेतु निवेदन किया गया परन्तु आज तक भी पंचायत का आडिट क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) जी हाँ, यह सही है कि ग्राम पंचायत रटलाई, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़ के सरपंच श्री रामनारायण पालीवाल के खिलाफ काम के बदले अनाज योजना में शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार झालरापाटन एवं सहायक अभियन्ता को क्रमशः 1-5-79 एवं 2-7-79 को जांच करने के आदेश दिये। तहसीलदार झालरापाटन से दिनांक 24-7-79 को एवं सहायक अभियन्ता ने दिनांक 17-9-79 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(2) जी हाँ, यह सही है कि सरपंच श्री रामनारायण पालीवाल के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत देवनारायण लिंक रोड एवं पुलिया के निर्माण कार्य में 39,075.89 पैसे का घोटाला का मामला आया है।

(3) जिलाधीश, झालावाड़ द्वारा इस सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट नं. 4102/पंचा/79 दिनांक 9-10-79 राज्य सरकार को भेजा जाना दर्शाया है। वांछित रिपोर्ट इस विभाग में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार आना नहीं पाया जाता। जिलाधीश से इसकी प्रति उपलब्ध 21-7-80 को की जा चुकी है एवं अब सरपंच के विरुद्ध आरोप पत्र दिये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। निर्णय के आधार पर ही रकम वसूली के बारे में निश्चित हो सकेगा।

(4) जी नहीं, यह सही नहीं है कि ग्राम पंचायत के मौजूदा पंचों की ओर से जिलाधीश को पंचायत का आडिट कराने हेतु निवेदन किया गया हो। पंचायतों का आडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।

सीकर जिले में लिप्त सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही

181. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में कितने सरपंचों के खिलाफ काम के बदले अनाज योजना में गड़बड़ी करने की शिकायतें प्राप्त हुई ?

(2) इन शिकायतों में कितनों की जांच की गई एवं कितने सरपंच जांच में अपराधी पाये गये ?

(3) जांच के आधार पर कितने सरपंचों के खिलाफ जिला प्रशासन ने पुलिस फौजदारी मामले दर्ज कराये, अपराध पाये गये एवं पुलिस में मामले दर्ज कराये गये ? सरपंचों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा साथ ही यह बतायें कि इनमें कितने सरपंचों को निलम्बित किया गया ?

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना में जिला स्तर पर 60 सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(2) 29 सरपंचों की जांच प्रारम्भिक तौर पर जिला स्तर पर की गई है जिस पर अग्रिम कार्यवाही जारी है। शेष की जांच चालू है।

(3) 6 सरपंचों के विरुद्ध पुलिस में मामले दर्ज करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक, सीकर को भेजे गये हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अभी किसी सरपंच को निलम्बित नहीं किया गया है।

सूचना

क्र० सं०	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
1.	श्री सवाईसिंह	पलासरा	पिपराली
2.	,, सीताराम	रुघनाथ गढ़	पिपराली
3.	,, भीमराज काबरा	घोंद	घोंद
4.	,, रामबक्साराम	सिंगोदड़ा	लक्ष्मणगढ़
5.	,, भगवानदत्त	रेवासा	पिपराली
6.	,, गणेशाराम	कुमास जागीर	लक्ष्मनगढ़

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 127 की सूची)

क्र सं	नाम कृषक मय वल्दियत	निवासी ग्राम	उद्देश्य	गेहूं की मात्रा जो दी गई	शेष देने योग्य
1	2	3	4	5	6
1.	श्री धन्ना/गोबिन्दा माली	रोणा	गहराकुआ	5 Q.	--
2.	" जग्गा/माधो माली	"	"	5 Q.	--
2.	" सीताराम/ भंवरलाल वेरवा	रोदली	"	5 Q.	--
4.	" नाथू/ जीवन माली	पीपल्दा	"	5 Q.	--
5.	" दुर्गाशंकर/ गोपीलाल माली	"	"	5 Q.	--
6.	" जमनालाल/शंकरलाल	सुमेरगंजमंडी	"	5 Q.	--
7.	" गोपाल/ भूरा वेरवा	"	"	5 Q.	--
8.	" रामलाल/किशनलाल वेरवा	"	"	5 Q.	--
9.	" आमना खातून/ फजरमोहम्मद	लुहावद	"	5 Q.	--
10.	" मोहनलाल/नृसिंगलाल वेरागी	डूंगरली	"	5 Q.	--
11.	" कल्लू/ बिरधीलाल मीरप	रोरप	"	5 Q.	--
12.	" रामनारायण/माधोलाल माली	"	"	5 Q.	--
13.	" सरमा/धूडमा भील	"	"	5 Q.	--
14.	" माधो/ देवा माली	मीमाना	"	2.89 Kg.	2.11 Kg.
15.	" गेंदीलाल/ ग्यारसीलाल माली	खातोली	"	3 Q.	2 Q.
16.	" मोडूलाल/सरवन माली	"	"	3 Q.	2 Q.
17.	" प्रभूलाल/ जगन्नाथ माह०	लुदावद	"	3 Q.	2 Q.
18.	" लाल खां/ छोटे खां मुस.	देवपुरा	"	3 Q.	2 Q.
19.	" गिरिराज/ किशना मीणा	हरदेवपुरा	"	5 Q.	--
20.	" कस्तूरचन्द/ कजोड़ माली	पीपल्दा	"	5 Q.	--
21.	" बालू/गोविन्दा वेरवा	कंवरपुरा	"	5 Q.	--
22.	" टोडमा/ नृसिंहलाल माली	खतोली	"	5 Q.	--
23.	" नेनू/रघुनाथ मीणा	केमडम	"	3.5 Kg.	1.95 Kg.
24.	" चतुर्भुज/ गेंदीलाल मीरप	कोलासपुरा	"	2.97 Kg.	2.3 Kg.
25.	" श्री कृष्ण/रामनिवास ब्रा०	सुमेरगंज	"	5 Q.	--
26.	" नृसिंहा/धूड़मा वेरागी	हरदेवपुरा	"	2.97 Kg.	2.3 Kg.
				113.88 Kg.	16.12 Kg.

139

1	2	3	4	5	6
27.	श्री किशन गिरी/ शिवगिरी	अधोग	गहराकुआ	3.2 Kg.	1.98 Kg.
28.	" बेवा कन्या/राजाराम मीणा	दौलतपुरा	"	5 Q.	--
29.	" कस्तूरां/देवलाल गूजर	सुमेरगंज	"	5 Q.	--
30.	" तेजमा/गोरधन बेरवा	हिम्मतपुरा	"	5 Q.	--
31	" साखला/ जैकिशन बेरवा	"	"	5 Q.	--
32.	" कंवरलाल/सूरजमल मीना	शेरगंज	"	3 Q.	2 Q.
33.	" बीरवल/बजरंग मीणा	दौलतपुरा	"	5 Q.	--
34.	" दामोदर/ गोपीलाल	क्वासपुरा	"	5 Q.	--
35.	" मोहनलाल/ रामगोपाल मीणा	दौलतपुरा	"	5 Q.	--
36.	" पन्ना/ सुखदेव बेरवा	हिम्मतपुरा	"	5 Q.	--
37.	" जन्सी/ देवाराम बेरवा	"	"	5 Q.	--
38.	" महावीर गजानन्द महा0	सुगंजमंडी	"	5 Q.	--
39.	" मोतीराम/ देवीराम मीणा	नवलपुरा	"	5 Q.	--
40.	" हरदेवा/कजोड़ खटीक	चांदाखुर्द	"	5 Q.	--
41.	" गोरी शंकर/ उदयलाल	ग्रामपुरा	"	3.5 Kg.	1.95 Kg.
42.	" जगन्नाथ/ आनन्दीलाल	डूंगरली	"	5 Q.	--
			योग	74.7 Kg.	5.93 Kg.
			I का योग	113.88 Kg.	16.12 Kg.
				187.95 Kg.	22.05 Kg.

सूची प्रश्न नं. 2 नये कुएं हेतु

क्र.सं.	नाम कृषक मय वल्दियत	निवासी ग्राम	उद्देश्य	गेहूं की मात्रा जो दी गई	शेष देना बाकी हैं	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री माधो/ जगन्नाथ भाटी	खाखरा	नया कुआं	10 Q		
2.	,, विरधीलाल /कजोड भाटी	रोहणी	,,	10 Q		
3.	,, मोतीलाल/पन्नालाल भाटी	पीपसरा	,,	10 Q		
4.	,, जगदीश /बालू खटीक	शोगन	,,	10 Q		
5.	,, कान्हा/ माधो मीणा	कोलसपुरा	,,	10 Q		
6.	,, भंवरलाल/ रामचन्द्र मीणा	,,	,,	10 Q		

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्री खेमराज/गेन्दीलाल मीणा	कोलसपुर	नया कुआं	10 Q		
8.	,, मोडू/मोतीलाल काछी	नीमोनी	,,	10 Q		
9.	,, छीत्या/नानजी बैरवा	देवनीणी	,,	10 Q		
10.	,, मोवरीलाल/कजोड मीणा	पेमपुरा	,,	10 Q		
11.	,, सूरजमल/रूपा मीणा	,,	,,	10 Q		
12.	,, मुरारीलाल/मदन काछी	सुमोरदाणी	,,	10 Q		
13.	,, मुलचन्द/रामचन्द्र भील	नया गांव	,,	10 Q		
14.	,, मोहम्मदउस्मान/रसूल खां	देवपुरा	,,	10 Q		
15.	,, मोती/मगला बैरवा	नया गांव	,,	10 Q		
16.	,, भवाना/विसना देया	सुगनी	,,	10 Q		
17.	,, अर्जुन/रामनाथ भील	केमला	,,	10 Q		
18.	,, प्रभुलाल/गोपाल बारेठ	भियाणा	,,	10 Q		
19.	,, रामनारायण/रघुनाथ भाटी	नीमोली	,,	10 Q		
20.	,, महमुद खां/इब्राहीम	इन्द्रगढ़	,,	10 Q		
21.	,, प्रभूलाल/राधाकिशन	हिम्मतपुरा	,,	10 Q		
22.	,, बन्शी/पांचू मीणा	दोलगंडा	,,	10 Q		
23.	,, कालु/गोमदा हरिजन	नवलपुरा	,,	10 Q		
24.	,, रतनलाल/किशनलाल भांमी	ख्याला	,,	10 Q		
25.	,, ओंकार/मुरिया खटीक	अन्धोरा	,,	10 Q		
26.	,, गोपीलाल/बजरंग खटीक	धाणाखेडी	,,	10 Q		
27.	,, इमामुद्दीन/जमालुद्दीन खां	देवपुरा	,,	10 Q		
28.	,, अब्दुलशकुर/रसूलखां	,,	,,	10 Q		
29.	,, राघवेन्द्रसिंह/ईश्वरसिंह राजपूत	करवड़	,,	10 Q		
30.	,, रामनिवास/रामकल्याण	बावरी	,,	10 Q		
31.	,, छुट्टन/पीरमोहम्मद	बावरी	,,	10 Q		
32.	,, जगा/भूरा कुम्हार	अमरपुरा	,,	10 Q		
33.	,, गनपत/किशनलाल रेबारी	कोशलपुरा	,,	10 Q		
34.	,, ओंकार/माधो बैरवा	रामपुरीया	,,	10 Q 4-92		
35.	,, प्रभुलाल/ववपू रेबारी	मोहनपुरा	,,	10 Q		
36.	,, लडू/गंगाधर मीणा	गैयनवास	,,	10 Q		
37.	,, मादराज/धूलीलाल रेबारी	अभयपुरा	,,	10 Q		
38.	,, चतरा/रामचन्द्र मीणा	,,	,,	10 Q		
39.	,, नारायण/भानुता रेवारी	बाजपुरा	,,	10 Q		
	योग			385-Q 4-92		

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 128 की सूची

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर जयपुर में चल रहे वैकल्पिक विषयों की सूची

क्र. सं.	नाम वैकल्पिक विषय	चालू होने की तिथि
1.	**कला वर्ग :-**	
	इतिहास, नाग. शास्त्र, अर्थ शास्त्र, गणित, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संगीत।	1958
	2:-चित्रकला	1974
2.	**विज्ञान वर्ग:-**	
	1:-जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान,	1967
	2:-गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान	1974
3.	**वाणिज्यिक वर्ग (टंकण रहित)**	
	1:-बही खाता, व्यापार पद्धति, बैंकिंग	1978

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 129 की सूची

वृद्धावस्था पेन्शन पाने वालों की सूची (जिला नागौर) पंचायत समिति नागौर की

क्रमांक	नाम पिता/पति का नाम	गांव का नाम
1	2	3
1.	श्रीमती सुवानी/बुद्धे खां	दुकोसी
2	,, चन्दर कंवर/मूलसिंह	जोजोलाई
3.	,, जमनी उर्फ जड़ाव/नृसिंह	मूण्डवा
4.	,, चुनी/सांवतराम	कुचेरा
5.	,, जमना/पन्ना	गाजु
6.	,, मीरां उर्फ गोपी/मदुसिंह	सलेउ
7.	,, सोनी/कनीराम	श्रीबालाजी
8.	,, चन्द्रा/मंगा	कुचेरा
9.	श्री रावत/कुम्भा	पोरालिया
10.	,, पेमाराम/हिमता	सुखवासी
11.	श्रीमती चन्द्री/बनेचन्द	मूण्डवा
12.	,, मानकंवर /शिवसिंह	सेनणी
13.	,, गोपी/चन्द्रा	मूण्डवा
14.	श्री परलूरान/हरुराम	कुचेरा
15.	श्रीमती धापी/रावतराम	अजा सक श्यामसर
16.	,, धापी/उदाराम	चूरीसर
17.	,, कोली/किस्तूरा	बिरलोका
18.	,, जिठुसिंह/बाघसिंह	,,
19.	,, लिछुमण/रावत	खजवाना
20.	,, दुली/टीकूराम	मुण्डवा
21.	,, इसुडी/किसना	खरनाल
22.	,, भंवराई/भगवान	इन्दोजली
23.	,, गोदावरी/भागीरथ	मूण्डवा
24.	,, बगतावरकंवर/नवलसिंह	लाडिया
25.	,, सायर/झूझारसिंह	धिरोद, मुण्डवा
26.	,, कुन्नां/फूलखां	दुकोसी
27.	,, फूलकंवर/भूरसिंह	किरोद, मुण्डवा
28.	,, मोती/उत्तमा	खारडा, धिरोद

1	2		3
29.	श्री	मुकनामल/चन्दनमल	सिपोद
30.	,,	चुनी/गोविन्द	धिरोद
31.	,,	रुकमा/मुलछादास	रोहिणी
32.	,,	आसी/बालूराम	,,
33.	,,	जवारसिंह/हुकरतसिंह	गुढा भगवानदास
34.	,,	किसना/लच्छा	,,
35.	,,	मूली/हीरा	रोहीणी
36.	,,	गिरधारी/जसा	,,
37.	,,	लाडा/वारस खां	कुचेरा
38.	,,	रुकमा/तेजाराम	गुढा भगवादास
39.	,,	मोहनी/सीताराम	खजवाना
40.	,,	भाणी/छोटू	,,
41.	,,	भंवरी/अजाराम	ताडास
42.	,,	सुवा/सिमरथा	बिरलोका
43.	,,	रम्भा/बुद्धा	खजवाना
44.	,,	दीपचन्द/इणूसा	रोहीसा
45.	,,	फूला/भग्गा	खजवाना
46.	,,	धनकी/जगन्नाथ	,,
47.	,,	दुर्गा/शैतानसिंह	कुचेरा
48.	,,	फेफी/हीमता	,,
49.	,,	भोलकी/गुल्ला	जोसियाद, वासणी
50.	,,	इलीमा/फरीदखां	,,
51.	,,	कासम/लादुखां	कुचेरा
52.	,,	हणूसा/बगसा	,,
53.	,,	रामनाथ/अडीकराम	बांवडा, चेनार
54.	,,	मोहनलाल/चिमनलाल	पालडी जोधा, मूण्डवा
55.	,,	बस्तीराम/वालकदास	कुचेरा
56.	,,	राजी/खेता	अलाय
57.	,,	तैनसुख/मूलचन्द	हीगोलिया, जोदीयासी
58.	,,	तीजा/कानाराम	भदासा
59.	,,	सरगु/देदाराम	भाकरोद
60.	,,	बन्नां/हीरा	,,
61.	,,	बंकू बाई/पूनमचन्द	श्री बालाजी
62.	,,	बुधाराम/खेताराम	सुखवासी, गुडा भगवानदास

1		2	3
63.	श्री	जोधाराम/केशरा	पांचला सिद्धा
64.	,,	बक्शाराम/नाथाराम	गुडा भगवानदास
65.	,,	रूकमा/देवाराम	,,
66.	,,	मोलाबक्स/बुद्धेखां	,,
67.	,,	सोनी/तिजाराम	रामधनु,
68.	,,	माडी/सिमरथा	कडलू, मूण्डवा
69.	,,	भूरी/रावत	कुडछी, खीवसर
70.	,,	भजनपुरी/भासीपुरा	श्री बालाजी
71.	,,	भोपालाराम/मानाराम	डींगसरा
72.	,,	पेमा/ग्रमरा	भेड.
73.	,,	भवानीसिंह खीवासिंह	डींगसरा
74.	,,	रुकमा/गंगाकिसन	,,
75.	,,	ग्रमरकंवर/हरिसिंह	सथेरण
76.	,,	मंगलाराम/जयराम	मूण्डवा
77.	,,	मानाराम/ग्रासूराम	गुढा भगवानदास
78.	,,	धन्नी/किसनाराम	ग्रलाम
79.	,,	माण्ड कंवर/हमीरसिंह	सीलगांव
80.	,,	हरीकंवर/माधोसिंह	,,
81.	,,	जेती/भीमाराम	वरवटा, विरलोका
82.	,,	हरिराम/हरदेव	भावण्डा
83.	,,	मानाराम/रातेल	जोडड़ा, खजवाना
84.	,,	गिरधारी/ग्राशाराम	वासणी
85.	,,	चन्दनी/धन्ना	नार्खा खुर्द
86.	,,	मोती/हजारी	गवालू
87.	,,	मादुडी/जुमरदीन	दुकोसी
88.	श्रीमती	सुगरा/जुमरदीन	दुकोसी
89.	,,	चन्दन कंवर/कल्याणसिंह	विरलोका
90.	,,	धापी/प्रभूवान	श्रीबालाजी
91.	,,	चूनकी/पूनजी	गवालू
92.	,,	ग्रणदकवंर/मुकनसिंह	,,
93.	,,	मडी/रामपाल	मूण्डवा
94.	,,	किस्तूरी/उम्मेदखां	करनू
95.	,,	पतासी/सावतराम	गवालूम
96.	,,	भोली/मोती	ग्रलाय

1	2	3
97.	श्रीमती पारवती/ धूलाराम	बू–नरावत
98.	,, पारी/ मंगलचन्द	बिरलोका
99.	,, गेनकंवर/ बखतावर	चाऊ
100.	,, उमा/बद्रीदास	श्रीबालाजी
101.	श्री खीयाराम/ मुकनाराम	रोहिणी
102.	श्रीमती अणची/ गणेश	अलाय
103.	श्री हरनाथसिंह/सेलापत	सलेऊ
104.	श्रीमती चन्द्रा/ भोंया	जोधियासी
105.	,, चौथी/रूपाराम	,,
106.	,, मोहनी/ मदनलाल	मूण्डवा
107.	,, जानकी/गोकुलदास	रालनियाऊ
108.	श्री सेवाराम/ भोपाल	खारी करमसेता
109.	श्रीमती जड़ाव कंवर/ रिड़मल	ऊंटवलिया
110.	,, चन्द्री/ रामकुमार	मूण्डवा
111.	,, ऊप्री/ पुरखा	रातीणा
112.	,, सोनी/ आदु	मेतास
113.	,, तीजा/ चन्द्रा	खीवसर
114.	,, माडी/भेरा	,,
115.	,, गेनी/ सोभाराम	देऊ
116.	,, अमानी/ झूमर	कालडी
117.	,, बालकंवर/ मोहवतसिंह	खारी कमंसोता
118.	श्री त्रिलोक/ जेठाराम	रूण
119.	,, संपतराम/ अन्नराज	गोगोलाव
120.	,, नेनीदेव/ जयराज	खारीकर्मलोता
121.	श्रीमती जमनायी/कन्हैयालाल	मूण्डवा
122.	,, अणदी/ गोपाल	लूणदा
123.	,, जसोदा/ मोहनलाल	मूण्डवा
124.	,, अनोपकंवर/ देवीसिंह	देऊ
125.	श्री त्रिलोका/मंगाराम	करनू
126.	,, देवीसिंह/ हमीरसिंह	तांतवास
127.	,, देवाराम/विडदाराम	बिरलोका
128.	,, पारसमल/ रुपवास	टांकला
129.	श्रीमती नवला/ हीरा	सुखवासी
130.	,, मैथी/ उदयचन्द	झांकला

1	2	3	4
131.	श्रीमती जसी/किसनाराम	बैराथलकलां	
132.	श्री भावगिरी/हुकमगिरी	घाडाणी	
133.	,, दयालगिरी/तिलोकराम	पियसिया	
134.	,, जोराराम/मगजी दाखां/जोराराम	बूढी	
135.	,, हजारीसिंह/महताबसिंह सुवानी/हरिसिंह	भदवासी	
136.	,, मंगलसिंह/हीरा	साटिका खुर्द	
137.	श्रीमती चूनी/रूपाराम	कांटिया	
138.	श्री चिमनाराम/खियाराम	खुरोड़ा	
139.	,, खेतराम/गिरधारी	पांचला सिद्धा	
140.	श्रीमती अणची/अणची	पांचीराम	
141.	श्री पाबूराम/दानाराम	बरणगांव	
142.	,, मोहनियां/स्वरूप	खीवसर	
143.	,, मगथान/भानसिंह धूली/मगनसिंह	,,	
144.	,, हनुमान/लालजी	,,	
145.	,, मोतीलाल/रामदयाल	,,	
146.	श्रीमती नैनी/सादूलराम	पौटिया	
147.	,, ऊगम कंवर/लिछमणसिंह	गोगोलाव	
148.	,, सायरी/विजाराम	विरलोका	
149.	,, दाखूडी/पन्नाराम	साटिका खुर्द	
150.	,, मुली/सुखाराम	खोडवा	
151.	,, मानी/नवला	ईन्दास	
152.	श्री राधाकिशन/शंकरलाल	नाखी कलां	
153.	श्रीमती रम्मा/फूलचन्द	नारासरा	
154.	श्री किशनलाल/चूनीलाल	नार्वाखुर्द	
155.	श्रीमती जिमना/बन्ना ,, उगली/जिमना	ईनागा	
156.	,, वदरी/माणाराम	,,	
157.	,, सायरी/मोहनराम	वासणी	
158.	,, चानणी/रामकरण	ईनाणा	
159.	श्री मो0 सरदार/मो0 हनीफ	राबडिया, बासणी	
160.	,, हरिराम/किसना	भावाद	

1	2	3
161.	श्रीमती आसूडी/ लालू खां	हिदावडी
162.	श्री हीरा/ मुकनाराम	पांचोड़ी
163.	,, संगराम/ पन्नाराम	अलाय
164.	श्रीमती रूप कंवर/ लादूसिंह	नन्दवाणी
165.	श्री रूपाराम/ मुरखाराम	गुडा भगवानदास
166.	श्रीमती चुन्नरी/ चूनाराम	आंकला, खीवसर
167.	श्री नेताराम/ हमीरसिंह	गुडा भगवानदास
168.	श्रीमती मिसरकी/ तेजाराम	संखवास
169.	श्री तिलोका/ लालूराम	सथेरण
170.	श्रीमती पारू/ मलाराम	खोरडा, चाख
171.	श्री करीमन/ लतीफ	संखवास
172.	श्रीमती चम्पा/ पोकर	शीलगांव
173.	,, जसूडी/ लादुराम	गठीलासर
174.	,, गोरकी/ मंगा	रूखवास
175.	श्री हेमराम/ मदनलाल	श्रीबालाजी
176.	श्रीमती सूरज कंवर/ शूरसिंह	खींवसर
177.	,, भूरी देवाराम	,,
178.	,, रुड़की/ नाथ	आसावरी
179.	,, जस्सी/ दुर्गा	श्रीबालाजी
180.	,, सोनी/ रामूराम	भदवासी
181.	श्री फकीर मो0/ खुखा	मूण्डवा
182.	,, राजा/ खूमा	छीलो
183.	,, खेतसिंह/ भेरूसिंह	पालडी पिचकोया
184.	,, कानाराम/ बगताराम	मूण्डवा
185.	,, घासीराम/ शिवजी	नन्दवाणी, रामधनू
186.	श्रीमती चन्द्री/ शिवलाल	संखवास
187.	,, हलीमा/ अनवर	कुमारी
188.	,, सजी/ गंगाराम	खातीका कलां
189.	,, हलीमा/ हसन मो0	कुमार
190.	,, सुन्दरी/ भगवान	चेनार
191.	,, पतासी/ रामचन्द्र	मूण्डवा
192.	,, नूरी/ हसन मो0	कुमारी
193.	,, झूमा/ हनूता	गवारू
194.	,, गोदावरी/ श्रीकिशन	छिलो

Page No. 148

(148)

1	2	3	4
195.	श्री रामचन्द्र/शिवनारायण	संगवास	
196.	,, उमाराम/लिछमण	गोठेरा	
	श्रीमती बल्ली/उमाराम	,,	
197.	,, केसूरी/बलू	मालपुरा	
198.	श्री किशना गिरी/बिरधागिरी	आसावरी	
199.	,, रामचन्द्र/बन्शीबाल पोंचोड़ी		
200.	श्रीमती अणची/मानाराम	लूणदा	
201.	श्री केसूराम/चेनाराम	आंकला	
202.	,, किशन/चिमना	पोचोडी	
203.	,, बनाराम/सेवाराम	कोटिया	
204.	,, फातमा/गुलाम हुसैन	रावडिया	
205.	,, इब्राहिम/हाजी हुसन	वासणी	
206.	,, हुसन मो0/हाजी उसमान	,,	
207.	,, मोहम्मद कासिम/बली मोहम्मद	,,	
	आमना/मोहम्मद कासम	,,	
208.	,, काना/भारु	कन्ठीलासर	
209.	,, सेजा/जोधा	परनु	
210.	,, सेलेमान/मोईनुदीन	वासनी	
211.	,, दुलाराम/मोतीराम	श्यामसर	
212.	,, झमकू/भागीरथ	सिगड़	
213.	,, सुगना/मोडाराम	खोदसक	
214.	श्री बखतावरसिंह/सवाईदान	लाडिया	
215.	श्रीमती मेफ कंवर/रूपसिंह	माण्डपुरा	
216.	,, उमी/दुलाराम	गठिलासर	
217.	श्री मालाराम/चूना	बुकराम सोता	
218.	श्रीमती मुजबाई/तिलोकराम	खिजवाना	
219.	श्रीमती सायरी/छिगनाराम	पालडीकिदा	
220.	श्री खिबराम/बिजराम	फिरोजपुर	
221.	श्रीमती मिजबाई/लिखाराम	,,	
222.	,, सिरदारी/गलोपसिंह	माण्डपुरा	
223.	,, आखूडी/सुण्डाराम	ओसडा	
224.	श्री नाहरसिंह/मूलसिंह	देऊ	
225.	श्रीमती जडावली/भेराराम	आंकला	
226.	श्री पूसाराम/अरजना राम	श्यामपुरा	

1	2	3
	श्रीमती केसर/पूसाराम	श्यामपुरा
227.	श्री रामबक्स/पुलाराम	सेकण
228.	श्रीमती अणची/हरजी	लालावास, नानडी
229.	,, जोरावाई/नारायण दास	रोहणी
230.	श्री रामसुख/ईमरताराम	अलाम
231.	,, सूखाराम/भलाराम	काकड़ी
232.	,, सरखू हमीराम	देऊ
233.	,, हस्तु/चन्दाराम	बेराथल कलां
234.	श्रीमती चिरकी/छोगाराम	गुड़ा भगवानदास
235.	श्री चून्नापुरी/सुजानपुरी	पालड़ीकलां
236.	श्रीमती तुलछी/सम्भू	सेवड़ी
237.	,, मोडीदेवी/तोलारा	अलाय
238.	,, देवरी/रावता	झाड़ीसरा
239.	श्री बूद्धाराम/रेखाराम	भासवास
240.	,, गोगा/रमनदास	सेवड़ी
241.	श्रीमती जस्सी/बहादुर राम	गवालु
242.	,, जडावली/छोगाराम	इन्दोकली
243.	श्री उदाराम/शिवनाथ	अठियासण
244.	,, गेनाराम/रतनाराम	झूझण्डा
	सुवा/गेनाराम	,,
245.	श्रीमती रंगकुंवर/आसूराम	कुचेरा
246.	श्री जसूराम/हाथीराम	नार्वाखुर्द
247.	,, पीर खां/हसरू खां	झूछण्डा
248.	श्रीमती धूली/गिरधारी	अकेला
	गिरधारी/–	,,
249.	श्री लूम्बाराम/भीमाराम	हीटीला
250.	श्री द्वारकादास/रामकरण	खरनाल
251.	श्रीमती बालीबाई/केशवदास	मूण्डवा
252.	,, किस्तुरी/देवीलाल	,,
253.	श्री लिछमनराम/भूलाराम	पांचोली
254.	,, ऊमराव/अल्लादीन	माण्डपुरा
255.	श्रीमती हवाबँदा/लतीफ	कुमारी
256.	श्री नाथूराम/रामबक्सदास	छोड़ान
257.	, हुकमा/चिमनाराम	मोजास

1	2	3
258.	श्री पेमा/ शिवनाथ	मोजास
259.	,, नाथूदान/ रामवक्स	छोड़ान
260.	श्रीमती कवेसरी देवी/रनछोडदास	मूण्डवा
261.	,, शान्ति देवी/बालकिशना	,,
262.	,, होल कुंवर/भीमसिंह	सिटकाखुर्द
263.	श्री परसूराम/ आशाराम	रसेलिया
	गोरी/परसा	,,
264.	श्रीमती राधा/ जोरथी	नागौर
265.	,, बाली/ हीरा	आंवलियासर
266.	,, राधा/ दामोदर	नागौर
267.	,, मिश्री बाई/ मोतीलाल	,,
268.	श्री थूडाराम/किशनाराम	,,
269.	श्रीमती रूकमा/ दुलेसिंह	,,
270.	,, किशन कुंवर/रावतसिंह	,,
271.	,, जानी बाई/ सरदार मल	,,
272.	,, मोहनी/ श्री किशन	,,
273.	,, विजी बाई/जैनाराण	,,
274.	श्री लाऊजी/माधुराम	,,
275.	श्रीमती जानकी/ रामचन्द्र	,,
276.	,, चुनी/ रामू	,,
277.	श्री रामरतन/पूसाराम	,,
578.	श्रीमती हलिमा/ गुलाम मोहम्मद	,,
279.	श्री पूसाराम/ भिखाराम	,,
280.	श्रीमती कोरिया/ लालचन्द सेनी	,,
281.	श्री गुमानजी/ रामकिशन	,,
282.	,, गोकुलदास/ रामदास	,,
283.	श्री लिछमण/ रूंगाराम	मांण्डपुरा
284.	श्रीमती जानकी/ भेरा	नागौर
285	श्री सन्तदास/ दुर्गाप्रसाद	,,
286.	श्रीमती हाजरा/अब्दुलगनी	,,
287.	,, नूरजहां/ नूरमोहम्मद	,,
288.	श्री बालमुकन्द/ सीताराम	,,
289.	श्रीमती सदाबाई/ सूरजमल	,,
290.	,, चन्द्रीबाई/रामबक्ष	,,

1	2	3
291.	श्री घनश्याम/ श्रीकिशन	नागौर
292.	श्रीमती देवकीबाई/ उदयकिशन	,,
293.	श्री रमनलाल/बद्रीनारायण	,,
294.	श्रीमती सरस्वती/ दयाशंकर	,,
295.	,, कानी/ नारायणदास	,,
296.	श्री अब्दुलकरीम/ गुलामरसूल	,,
297.	,, महताब/ इब्राहिम	,,
298.	,, सेठी/ धूलाराम	,,
299.	,, अब्दुलहकीम/ अलाहुदीन	,,
300.	,, सदाखां/ ईसूखां	,,
	उमराव/ लादूखां	,,
301.	श्रीमती नसीबन/ मोहम्मद सदीक	,,
302.	,, रूकी/ खेताजी	,,
303.	,, सकूरी/ हासम	,,
304.	,, हरकू/ रामचन्द्र	,,
305.	,, वाली/ रामवक्ष	,,
306.	श्री उमराव/हीराचन्द	,,
307.	,, झूमरलाल/राधाकिशन	,,
308.	श्रीमती जानीदेवी/ लक्ष्मणराम	,,
309.	,, कूनणी/जीतमल	,,
310.	,, धापी/ रामपाल	,,
311.	श्री जोगाराम/ मोडाराम	,,
	केसर/ जोगाराम	,,
312.	श्री ईशाक/ ईसाजी	,,
313.	श्रीमती जफीरन/ठाकरखां	,,
314.	श्री हरदेव/ रावतजी	,,
	मोहनी/ हरदेव	,,
315.	,, रूपा/ हरिकिशन	,,
316.	,, श्रीकिशन/ शिवनारायण	,,
317.	श्रीमती तुलछीबाई/ राजाराम	,,
318.	श्री ईस्माइलखां/ हकीमखां	,,
	फईमन/ ईस्माइलखां	,,
319.	,, अब्दुलअजीज/ सेखदुल	,,
320.	श्रीमती रतनी/झूमरलाल	,,

1	2	3
321.	श्रीमती रहीमन/असगरअली	नागौर
322.	श्री ममदूखां/रहमानखां	,,
323.	,, जगन्नाथ/किशनलाल	,,
	चान्दा/जगन्नाथ	,,
324.	श्रीमती मूली कालू/कालू	,,
325.	,, अणची/बन्शीदास	ताऊसर
326.	,, जछरन/महतावखां	नागौर
327.	श्री ख्वाजाबक्ष/शेरखां	,,
	नूरजहां/ख्वाजाबक्ष	,,
328.	श्रीमती रामकवंरी/रामाजी	बड़ली, नागौर
329.	,, मोहनी/बालकिशन	नागौर
330.	श्री हमीदअली/दीदार अलीखां	,,
	करीमनिसा/हमीदअली	,,
331.	श्रीमती भंवरी/गोरधन	,,
332.	,, मोहनी/पूरणगिरी	,,
333.	श्री ईस्माइलशाह/आलमशाह	,,
334.	श्रीमती मगी/नारायण	,,
335.	,, सजनी/किशनगोपाल	,,
336.	,, असी/गोमदराम	,,
337.	श्री भभूतराम/हीमताराम	,,
338.	,, रामसुख/वीरदा	,,
	पारी/रामसुख	,,
339.	श्रीमती रुकड़ी/बाबूलाल	,,
340.	श्री अहमद हुसैन/बक्षु	,,
341.	श्रीमती कूसी/धूला	,,
342.	,, चान्दा/भपलोजी	,,
343.	श्री जीमाऊदीन/गुलाम मोहम्मद	,,
344.	श्रीमती हाजरां/मोहम्मद रमजान	,,
345.	,, रतन कंवर/मोहताबसिंह	,,
346.	श्री लिखमा/गणेशदान	,,
	गोदावरी/लिखमा	,,
347.	,, मोहन/भंवरलाल	,,
348.	,, गिरधारी/पुसाराम	मावल, लूणसरा
349.	श्रीमती केसर/मुरलीधर	नागौर

1	2	3
350.	श्रीमती रोशन/गुलाम	नागौर
351.	,, सुगी/अमीरशाह	,,
352.	,, सईदन/भोलूखां	,,

24:- चौबीस परिवारों को संयुक्त पेन्शन दी जा रही है जिनका क्रमांक एक ही दिया गया है इस प्रकार कुल 352+24 = 376 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन दी जा रही है।

सूचि (अ)

क्र॰ सं॰	सड़क का विवरण	प्रशासनिक स्वीकृत (लाख)	मार्च-80 तक का व्यय	कार्य प्रारम्भ की दिनांक
1.	लिंक रोड रामगढ़ से अलवाड़ा	6.60	4,07,737.65	1-1-79
2.	खेडली कठूमर से गारू	2.40	59,428.55	22-1-79
3	अलवर भरतपुर रोड से बूटोली	4.80	3,04,133.50	30-12-78
4.	नगर नदबई सड़क से सौंख	4.80	1,69,801.00	7-2-79
5.	अलवर भरतपुर सड़क बड़ौदामेव से गण्डूरा	4.80	1,89,300.00	30-12-78
6.	अलवर किशनगढ़ से कारोली	2.00	15,036.50	23-3-79
7.	खानपुर तिजारा से खानपुर ग्राम	1.25	21,378.18	13-6-79
8.	किशनगढ़ से माटूवा	4.20	1,63,465.80	23-4-79
9.	हरसौली रेल्वे फाटक से सन्तदास जी मन्दिर	2.25	31,094.55	19-4-79
10.	किशनगढ़ रोड से बम्बोरी ग्राम	1.00	50,921.80	19-4-79
11.	इस्माईलपुर से जिलोटा ग्राम	2.30	41,780.60	27-3-79
12.	थानागाजी से दुहार चौगान	2.40	30,112.00	2-2-80

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 132 की सूची

अलवर जिले में मास्टर प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची

नाम कृ० उ० समिति मं.	क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई कि. मी.	कुल लागत राशि	राशि जो सा.नि.वि. को भेजी गई (लाख में रु.)
1	2	3	4	5	6
अलवर	1.	रामगढ़ से अलवर वाया मांडला	8.10	6.60	4.00
	2.	थानागाजी से दुहार चौगान	3.00	2.40	0.80
	3.	विलासपुर से सैंथली	4.00	3.00	-
	4.	बसतपुरा से ढोलावास	5.00	3.75	-
	5.	शेरपुर से चौमूं	7.00	5.25	-
	6.	शिलेरा तक सम्पर्क सडक वाया निवाली-रामगंज नौगांवा रोड	4.00	3.25	-
	7.	भुवारकपुर से रघुनाथगढ़ वाया पेटा	7.00	6.25	-
	8.	नेचच से खोरामली	5.00	3.75	-
	9.	हाजीपुर वाया कस्वा डेहरा तहतपुर-अलवर वहरोड रोड	5.00	4.60	-
खैरथल	1.	किशनगढ़ अलवर से हरखेली	3.25	2.00	0.50
	2.	खानपुर तिवारा से खानपुर गांव	3.00	1.25	0.35
	3.	जीरोली-कीतारकाव	3.00	1.00	-
	4.	रामवोरा सम्पर्क सड़क	1.00	1.00	0.52
	5.	चिरखाना से भेजरा वाया सैथल-पीलवा	7.50	4.30	-
	6.	किशनगढ़-मोटुका	6.00	4.20	1.69
	7.	खैरथल किशनगढ़ रोड से गांव तक	1.00	0.50	-
	8.	खैरथल इस्माइलपुर रोड से ज़ीलोता	3.50	2.30	2.55

1	2	3	4	5	6
	9.	हरसोली रेलवे गेट नं. 87 से संतदासजी का मन्दिर	1.75	2.25	0.52
खेड़ली	1.	खेडली-कठूमरोड से गाडू	3.00	2.40	0.89
	2.	अलवर भरतपुर रोड से बूटौली	6.00	4.60	2.95
	3.	नगर नदबई रोड से सौंख	6.00	4.80	1.42
	4.	बड़ौदा नू से गडारा तक सम्पर्क सड़क	6.00	4.80	1.94
	5.	ईंटेरा तक सम्पर्क	2.00	1.60	—

परिशिष्ट—7

(तारांकित प्रश्न संख्या 135 का विवरण)

नागदा बांध से क्षति हुई उसका विवरण तहसील जहाजपुर एवं/उप-खण्ड कार्यालय शाहपुरा से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर

क्र. सं.	नाम काश्तकार	प्रभावित क्षेत्रफल	फसलों की क्षति — क्षेत्र	फसलों की क्षति — मूल्य	कुल हानि
1.	श्री भैरूलाल/मथुरालाल भील	कुआ नष्ट पत्थर की दीवार नष्ट पम्पिंग सेट बह गया।		1000/-	1000/-
2.	श्री फतहलाल देवीलाल मोहनलाल आत्मज हरदेव ब्राह्मण	डोहरी एवं डांगर		5300/-	5300/-
3.	श्री मोहनलाल रामपाल बैरागी	डोहरी, पौधे नष्ट		7000/-	7000/-
4.	श्री रामगोपाल लादू लाल कलाल	डेढ़ बीघा	पौन बीघा	1500/-	1500/-
5.	श्री रामसुख धुलीराम बारेठ	डोहरी एवं भूमि कटाव	डेढ़ बीघा	5000/-	5000/-
6.	श्री छोटे खां चांद खां पिता जमाल खा 1/2 माधू पिता गोरू लुहार	4 बीघा	4 बीघा	5000 -	5000/-
				योग-	24800

क्र. सं.	नाम काश्तकार	कुआ व डोहरियों की क्षति — ख.नं.	डोहरी/कुआ	क्षतिग्रस्त आंशिक	पूर्ण	अनुमानित क्षति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती सरजू बाई पत्नी रामचन्द्र गूजर	6686	डोहरी	–	पूर्ण	3000/-
2.	श्री रामप्रसाद पिता आसाराम पारासर	6575	कुई	–	पूर्ण	1000/-

(157)

1	2	3	4	5	6	7
3.	श्री नजर सिंह (डाणी)	6608	डोहरी	-	पूर्ण	3000/-
4.	श्री देवीलाल हाथी राम	6595	,,	-	पूर्ण	3000/-
5.	श्री रामपाल शंकरलाल मुंदड़ा	2743	,,	-	पूर्ण	3000/-
6.	श्री चिरंजीलाल पिता समीरमल बागड़	4463	,,	-	पूर्ण	3000/-
7.	श्री भंवरलाल ब्रह्मानन्द पारासार	2789	,,	आंशिक	-	1500/-
8.	श्री नाथू पिता नंदा बोला	4530	,,	-	पूर्ण	3000/-
9.	श्री बालाजी महाराज स्थानदेह श्री चिरंजीलाल पिता किशन लाल गोपीलाल पिता मदन लाल देवीलाल पिता भागीरथ ब्राह्मण।	4412	कुआ/डोहरी	-	पूर्ण	3000/-
10.	श्री राम निवास पिता प्रताप मोहनलाल पिता हरदेव ब्राह्मण	4405	डोहरी	-	पूर्ण	3000/-
11.	श्री सत्यनारायण पिता वंशीधर पारासर	996	नई ,,	-	पूर्ण	3000/-
12.	श्री मथुरा प्रसाद वैद्य		,,	-	पूर्ण	3000/-
13.	श्री देवस्थान धर्मशाला		कुआ	आंशिक	-	1000/-
14.	रा. उ. मा. वि., जहाजपुर		नई डोहरी	,,	-	1000/-
					योग-	34500

क्र. सं.	नाम काश्तकार	कृषि रकबा	अनुमानित क्षति राशि	नुकसान का विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री किशन कांटिया	005	1500/-	डोहरी खेत एवं दीवार टूट गई।
2.	श्री श्रीलाल कुम्हार	-	10000/-	बगीचा नष्ट हो गया डोहरी बाउन्ड्रीवाल व कमरा गिर गया।
3.	श्री केशरा पिता धूला खाती	-	5000/-	डांगर टूट गई।

1	2	3	4	5
4.	श्री चतरा पिता मोड़ा	1-10	5000/-	आधा बगीचा नष्ट हो गया।
5.	श्री चूनीलाल धूला खाती	1-10	3000/-	खेत खराब हो गया।
6.	श्री गूटा पिता मेवा रेगर	1-01	4000/-	पक्की डोहरी नष्ट।
7.	श्री मोहनलाल माधु मंनदड़ा	0-17	1000/-	फसल नष्ट।
8.	श्री मु. बरजी बेवा माधू लुहार	0-10	4500/-	खेत व फसल नष्ट।
9.	श्री छोटू पिता भीमा रेगर	1-12	6000/-	पक्का कोट नष्ट।
10.	खाजी का बाड़ा		20000/-	बगीचा दीवार पक्की नष्ट हो गई।
11.	श्री भूरालाल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण	0-10	3000/-	डोहरी का नुकसान एवं 300 फीट पक्की डागर का नुकसान।

जहाजपुर में नागदी बांध में क्षति हुए ढाहरियों व कुओं का काश्तकारों को मुआवजा जो दिया गया उसकी सूची

क्र.सं.	नाम कृषक	एस.एफ.डीस आदि योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले कृषकों को मिलने वाली देय अनुदान की राशि		जिलाधीश भीलवाड़ा द्वारा देय अनुदान राशि	ब्याज मुक्त स्वीकृत ऋण	कुल योग
1	2	3 सी.कृ.	4 लघुकृषक	5	6	7
1.	श्रीमती सूरजबाई/ रामचन्द्र गूजर	—	—	1500	1500	3000
2.	श्री रामप्रसाद/ आसाराम पारासर	—	—	500	500	1000
3.	श्री नजरसिंह ढाणी	—	—	2000	1875	3875
4.	श्री देवीलाल/ हाजीराम महाजन	750	—	750	1500	3000
5.	श्री रामलाल/ शंकरलाल मूर्न्दड़ा	—	—	1500	1500	3000

(159)

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्री चिरंजीलाल/ समीरमल बांगड	750	—	750	1500	3000
7.	श्री भंवरलाल/ ब्रह्मानन्द पारासर	—	—	750	750	1500
8.	श्री नाथ/ नन्दा रेगर	—	—	2000	1875	3875
9.	श्री राम निवास/ प्रताप ब्राह्मण	—	—	1500	1500	3000
10.	श्री सत्यनारायण/ बंशीधर	—	1000	1000	2000	4000
11.	श्री मथुराप्रसाद वैद्य	—	—	1500	1500	3000
	योग	1500	1000	13750	16000	32250

———

160

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 139 की सूचना

परिवहन विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में की गई चैकिंग का विवरण मार्ग धोलपुर, बाड़ी, बसेड़ा

क्रमांक	अनुज्ञाधारी	वाहन पंजीयांक	चैकिंग का दिनांक	अपराध	दोषी के खिलाफ की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बदनसिंह	आर जे. डी–1820	29-6-76	टोकन नहीं।	51/–जुर्माना
			21-9-78	आर पी जी टी–6 नहीं।	50/- जुर्माना
2.	श्री छत्रपालसिंह	आर जे. डी-2019	31-8-78	68 यात्री, आर पी जी टी -6 नहीं।	160/– जुर्माना
3.	श्री किशनसिंह	आर जे डी - 2560	28-8-76	आर पी जी टी - 5,6 नहीं	140/– जुर्माना
4.	श्री वीरेन्द्रपाल सिंह	आर जे डी -3741	22-3-78	87 यात्री	370/– "
			31-8-78	कोई अपराध नहीं।	–
			21-9-78	आर पी जी टी 6 नहीं।	50/– "
5.	श्री मुरारीलाल कृष्ण कुमार	" - 7539	27-9-78	10 सवारी, बिना टिकट व टोकन नहीं	1195/- जुर्माना
6.	टीकमसिंह	आर एस डी 45	31-8-78	" "	–
7.	श्री राजेश्वरसिंह	आर एस एल - 5831	31-8-78	" "	–
8.	श्री लालाराम पुत्र श्री शिवलाल	आर आर एल - 9916	31-8-78	" "	–

1	2	3	4	5	6
9.	श्री लालाराम पुत्र श्री कैलाशचन्द्र	आर एस एल - 6235	22-9-78	आर पी जी टी - 6 नहीं	50/–जुर्माना
				36 सवारी बिना टिकट	216/– ,,
			29-1-79	परमिट टोकन नहीं।	300/– ,,
			धोलपुर - राजाखेड़ा		
1.	श्री टीकम सिंह	आर जे डी - 1275	24-9-78	आर जी पी टी - 6 नहीं	50/– जुर्माना
2.	श्री किशनसिंह	,, 2004	30-8-78	100 सवारी, आर पी जी टी-5 व 6नहीं।	570/– ,,
		,, 2004	24-9-78	आर पी जी टी 5 व 6 नहीं।	100/ ,,
3.	श्री टीकमसिंह	,, 2125	30-8-78	90 सवारी बिना टिकट।	690/– ,,
4.	श्री निरंजन सिंह	,, 2505	25-9-78	एफ. सी. व टोकन नहीं।	कम्पाउण्ड किया जा रहा है।
5.	श्री गिरीराज किशोर	,, 3711	24-9-78	फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं।	,,
6.	श्री गिरीराजसिंह	,, 6176	30-8-78	आर पी जी टी-6 नहीं	50/– जुर्माना
			30-8-78	87 सवारी	कम्पाउण्ड किया जा रहा है।
			25-9-78	आर पी जी टी-6 व टोकन नहीं	101/– जुर्माना
7	श्री चन्दनलाल	,, 6876	24-9-78	आर पी जी टी-6 नहीं	50/– जुर्माना
8.	श्री पोहपसिंह	,, 6918	30-8-78	कोई अपराध नहीं	–
			24-9-78	,, ,,	–
9.	श्री लालाराम गुप्ता	आर जे बी - 951	24-9-78	,, ,,	–
10.	श्री राधेलाल	आर एस एल-633	30-8-78	आर पी जी टी-5 व 6 नहीं	100/– जुर्माना

11.	मैं. सोलंकी ट्रां कम्पनी	आर जे आर-4550	26-9-76	टोकन नहीं।	50/ जुर्माना
			30-8-76	टोकन नहीं।	नोटिस दिया गया।
12.	श्री छत्रपाल सिंह	आर जे आर-4585	20-8-78	टोकन नहीं। आर पी जी टी-5 व 6 नहीं।	कम्पाण्ड किया जा रहा है।
			24-9-78	,, ,,	,, ,,
			धोलपुर - सरमथुरा		
1.	श्री भगवानदास	आर जे पी - 2155	27-11-77	62 सवारी टोकन आर पी जी टी-6 नहीं।	386/- जुर्माना
2.	श्री गुरुप्रसाद	आर जे डी - 2636	21-6-78	कोई अपराध नहीं।	—
3.	श्री योगेन्द्रपालसिंह	,, - 6216	5-12-78	फिटनेस परमिट नहीं।	कम्पाण्ड कार्यवाही चालू है।
4.	श्री देवेन्द्रसिंह	,, - 2115	12-5-77	एन. एल. टोकन आर पी जी टी 5, 6 नहीं	नोटिस दिया गया है।
			4-8-78	,,	,,
			धोलपुर - करौली		
1.	श्री भगवानदास	आर जे डी - 9997	27-2-79	इस अवधि में वाहन चैकिंग में नहीं आई है	—
			धोलपुर - कुथियाना (कचारा)		
1.	श्री गिरीराजसिंह	आर जे डी - 6711	24-9-78	24 सवारी बिना टिकट व आर पी जी टी - 6 नहीं	251/- जुर्माना
2.	श्री सुबेदारसिंह हरीसिंह	आर जे डी - 6356	30-8-78	कोई दोष नहीं।	—

परिवहन विभाग द्वारा गत तीन वर्ष में फिटनेस प्रमाण-पत्र देने एवं मार्ग पर बसें चलाने का दिनांक

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	अनुज्ञाधारी	बस पंजीयक		बस कब से चल रही है	फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि
1	2	3	4		5	6
1.	धौलपुर-राजाखेड़ा मार्ग	चौधरी टीकमसिंह	आर.जे.डी.	1275	6-3-62	15-12-79, 7-10-77, 22-9-78
2.		श्री किशनसिंह	,,	2004	2-9-68	26-7-79, 10-5-77, 9-5-78
3.		,, टीकमसिंह	,,	2125	6-5-66	20-8-79, 20-6-77 16-8-78
4.		,, निरंजनसिंह	,,	2585	3-5-67	17-1-79
5.		,, गिरिराजप्रसाद मिश्रा	,,	3711	15-6-70	23-3-79
6.		,, गिरिराजसिंह	,,	6176	17-10-74	16-7-79, 21-12-76, 25-5-78
7.		,, चन्दनलाल	,,	6876	22-12-75	31-8-79, 14-8-78, 31-5-77
8.		,, पोहूपसिंह	,,	6918	16-1-76	23-8-79, 3-8-78, 12-7-77
9.		,, राधेलाल सरीन	आर.एल.एल	633	4-12-63	26-10-79, 8-11-78, 9-11-77
10.		,, लालराम गुप्ता	आर.जे.बी.	951	14-3-76	9-11-77, 8-11-78, 26-10-79
11.		मैसर्स सोलंकी ट्रां०, कं०	आर.जे.आर	4550	3-3-67	7-10-77, 15-2-79
12.		श्री चौधरी छत्रपालसिंह	,,	4565	23-3-67	18-10-77, 4-12-78
1.	धौलपुर-बाड़ी बसेड़ी	श्री बदनसिंह	आर.जे.डी.	1824	7-6-65	23-3-79, 14-3-78
2.		,, छत्रपालसिंह ,, हरप्यारीदेवी	,,	2019	18-1-68	26-4-79, 23-5-77, 9-5-78

3.		श्री किशनलाल	आर.जे.डी.	2560	1-7-67	28-6-80, 26-4-79, 9-5-78
4.		,, वीरेन्द्रपालसिंह	,,	3741	6-7 70	8-7 80, 26-6-79, 26-6-78
5.		,, मुरारीलाल कृष्णकुमार	,,	2539	17-9-76	13-12 79, 6-11-78, 26-11-77
6.		,, जनता ट्रां॰ कम्पनी	,,	9383	2-12-78	13-12-79
7.		श्री टीकमसिंह	आर.एल.बी	45	13-7-79	23-11-79, 17-11-79 23-11-77
8.		,, राजेश्वरसिंह	आर.एस.एल.	5831	20-9-66	23-11-79
9.		,, लालराम	,,	9916	2-6-71	7-8-79, 29-7-78
10.		,, कल्लाराम	,	6235	3-12-66	6-4-79, 14-3-70, 18-12-77
1.	धोलपुर सरमथुरा मार्ग	,, भगवानदास	आर.जे.डी.	2155	8-6-76	29-11-77, 24-3-79
2.		,, गुरुप्रसादसिंह	,,	2631	25-11-67	28-2-80, 17-10-77, 17-11-78
3.		,, योगेन्द्रपालसिंह	,,	6216	8-11-74	27-6-79, 10-5-77, 9-5-78
4.		,, देवेन्द्रसिंह	आर.एल.एल.	2115	19-4-66	7-5-79, 12-5-77, 5-5-78
		,, निरन्जनसिंह				
1.	धोलपुर-करौली	श्री भगवानदास	आर.जे.डी.	9597	27-2-79	20-4-79, 29-5-80
1.	धोलपुर कथियाना	श्री गिरिराजसिंह	,,	6711	8-9-75	21-12-76, 13-6-78, 14-6-79
2.		,, सूबेदारसिंह	,,	7356	11-6-76	6-10-77, 14-12-78, 8-6-80

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची व शर्तें

जुलाई, 77 से दिसम्बर, 79 की अवधि तक की गई निजी अनुबन्धित वाहनों की सूची।

क्र.सं.	वाहन संख्या	मालिक का नाम	अनुबन्ध पर लेने की दिनांक	आवन्टित मार्ग का नाम	आगार
1	2	3	4	5	6
1.	आर आर एम 7983	श्री राधेश्याम गुप्ता	9-9-77	घाटगेट-रूपाहेड़ी	उपनगरीय
2.	आर आर एम 9951	,, शंकर प्रसाद	8-7-77	जयपुर-केकड़ी-डिग्गी	,,
3.	आर आर एम 6794	,, तीर्थदास फतुमल	3-8-79	चौमू-चांदपोल	,,
4.	आर आर एम 9385	,, नत्थीसिंह	3-8-77	जयपुर-चौमू संचालित नहीं की गई	,,
5.	आर एस जी 5077	,, राधेश्याम	26-8-77	घाटगेट-रूपाहेड़ी	,,
6.	आर एस जी 1144	,, आर एस भग्गा	10-8-77	बगरू-चांदपोल	,,
7.	आर एस जी 6711	,, सुरेशकुमार गुप्ता	11-8-77	जयपुर-कुचामन संचालित नहीं की गई	,, ,,
8.	आर एस एम 241	,, एस. बी माधाणी	11-8-77	सिरसी-चांदपोल	,,
9.	आर एस एम 6726	,, फिरोजुदीन	11-8-77	घाटगेट रूपाहेड़ी संचालित नहीं की गई	,, ,,
10.	आर आर एल 997	,, जगदीशप्रसाद	12-8-77	जयपुर-चौमू	,,

11.	आर आर एम	7905	श्री मदनलाल अग्रवाल	12-8-77	चौमू-चांदपोल	उप नगरीय
12.	आर एस जी	465	,, मोहम्मदमीन	25-8-77	जयपुर-चौमू	,,
13.	आर आर एल	6644	,, हरनामसिंह	9-9-77	जयपुर-केकडी-डिग्गी	,,
14.	आर आर एल	8644	,, हरनामसिंह	9-9-77	डिग्गी-केकडी-जयपुर	,,
15.	आर आर एम	6173	,, हाजी रमजान	9-9-77	चौमू-चांदपोल	,,
16.	आर एस एम	6605	,, भंवरलाल अग्रवाल	9-9-77	चांदपोल बगरू	,,
17.	आर एस जी	1103	,, मदनलाल अग्रवाल	13-9-77	वाटिका-लवाण	,,
18.	आर एस जी	1875	,, अब्दुल सलाम	13-9-77	केकडी-जयपुर	,,
19.	आर आर एल	6807	,, रूपनारायण यादव	13-9-77	गोनेर-लवाणा	,,
					संचालित नहीं की गई	,,
20.	आर एस जी	5934	,, अब्दुल सलाम	13-9-77	डिग्गी-जयपुर-केकडी	,,
21.	आर आर एल	997	,, जगदीश प्रसाद	13-9-77	कुचामन-जयपुर	,,
22.	आर आर एल	2111	,, सुरेन्द्र कौर	13-9-77	जयपुर-कुचामन	,,
					संचालित नहीं की गई	
23.	आर आर एल	2445	,, भीमसिंह	13-9-77		,,
24.	आर जे वाई	917	,, धर्मचन्द	30-8-77		,,
25.	आर जे पी	2037	,, प्यारेलाल	20-8-77		,,
26.	आर जे आई	925	,, सावरमल	20-8-77		,,
27.	आर एस जेड	639	,, सुभाषचन्द शर्मा	13-12-77	कोलायत-बीकानेर	गंगानगर
28.	आर आर के	3541	,, जसपालसिंह	19-1-78	गंगानगर-अजमेर	,,

1	2		3	4	5	6
29.	आर आर के	3542	श्री जसपालसिंह	19-1-78	गंगानगर-जयपुर	गंगानगर
30.	आर एस जेड़	2151	,, महेशदत्त शर्मा	1-2-78	गंगानगर-पीलीबंगा	,,
31.	आर आर के	3561		1-2-78	गंगानगर-जयपुर	,,
32.	आर एल के	8437	,, नागपाल ट्रां0 क0	23-1-78	गंगानगर-सुरतगढ़	,,
33.	आर आर एल	6683	,, भीमसिंह	13-9-77	जयपुर-कुचामिन	उपनगरीय
34.	आर एस आर	1848	,, नीसार अहमद	13-9-77	जयपुर-नावा	,,
35.	आर एस जी	2129	,, अब्दुल अजीज	13-9-77	घाटगेट-नायला	,,
36.	आर एस एल	8751	,, जगदीश प्रसाद	13-9-77	जयपुर-नावा	,,
37.	आर एस एल	8997	,, सतपालसिंह	13-9-77	प्रतापगढ़-टकसाल	,,
38.	आर जे एल	9551	,, सतपालसिंह	13-9-77	केकडी-जयपुर	,,
39.	आर एस एल	1286	,, कल्याण सहाय	13-9-77	जयपुर-कुचामन	,,
40.	आर जे वी	2287	,, केदारनाथ	13-9-77	जोबनेर जयपुर	,,
41.	आर आर एल	6487	,, रामेश्वर प्रसादा	13-9-77	चांदपोल-मोहला	,,
42.	आर आर एल	4971	,, दुर्गाप्रसाद	13-9 77	जयपुर-नावा	,,
					संचालित नहीं की गई	,,
43.	आर आर एम	8731	,, सौमनाथ मलहोत्रा	20-9-77	प्रतापगढ़-चांदी की टकसाल संचालित नहीं की गई	,,
44.	आर जे आर	7639	,, मदनलाल	20-9-77	घाटगेट-बस्ती	,,
45.	यू टी आर	5985	,, रामलछिन	20-9-77	जोबनेर-जयपुर	,,
46.	आर जे वी	4415	,, लतीफ मोहम्मद	20-9-77	रूपाहेडी-घाटगेट	,,
47.	आर आर एल	8267	,, इब्राहिम खां	19-9-77	जयपुर-सांभर-नावां	,,
48.	आर आर एल	3648	,, राधेश्याम	5-11-77	लवाण-घाटगेट	,,

49.	आर आर एल	4971	श्री दुर्गा प्रसाद	5-10-77	बस्सी-घाटगेट	उपनगरीय
50.	आर आर एल	5990	,, मोहम्मद युनूस	12-10-77	प्रतापगढ़-चांदी की टकसाल	,,
51.	आर आर जी	354	,, महेन्द्र कुमार	23-10-77	घाटगेट-तुंगा	,,
52.	आर आर एल	4967	,, जगदीश प्रसाद	19 10-77	चांदपोल-चौमू	,,
53.	आर आर एल	2111	,, भगवती देवी	30-10-77	घाटगेट-नायला	,,
54.	आर एस एल	4151	,, भागचन्द टांक	30-10-77	बगरू-चांदपोल	,,
55.	आर एस एल	5077	,, जगदीश प्रसाद	17-11-77	टकसाल-प्रतापगढ़	,,
56.	आर आर जी	1032	,, प्रतापसिंह	7-12-77	चांदपोल-महलां	,,
57.	आर जे ए	7419	,, फूलचन्द गुप्ता	7-12-77	तुंगा-घाटगेट	,,
58.	आर आर एल	3468	,, रामप्रसाद	16-12-77	जयपुर-सांभर	उपनगरीय
59.	आर एस एल	8283	,, हरिनारायण	6-1-78	कुचामन-जयपुर	,,
60.	आर आर जी	2921	,, सुरेश यादव	10-1-78	घाटगेट-दौसा	,,
61.	आर आर जी	1711	,, चौ० नीरसिंह	21-1-78	जयपुर-केकडी	,,
62.	आर एस जी	5077	,, राधेश्याम	28-3-78	केकडी-जयपुर	,,
63.	आर आर एल	6683	,, भागसिंह	28-3-78	जयपुर-बगरू	,,
64.	आर आर जी	5784	,, सतीश चन्द्र	3-4-78	जयपुर-बगरू	,,
65.	डी एल पी	6265	,, विजय कुमार	3-4-78	जयपुर-बगरू	,,
66.	आर एस एल	8751	,, जगदीश प्रसाद	3-4-78	जयपुर-केकडी	,,
67.	आर एस एल	4058	,, रघुवीर सिंह	3-4-78	जयपुर-गीजगढ	,,
68.	आर एस जी	5934	,, लतीफ मोहम्मद	3-4-78	जयपुर-केकडी	,,

1	2		3		4	5	6
69.	आर एस जी	5129	श्री	लतीफ मोहम्मद	3-4-78	जयपुर-कुचामन	उप नगरीय
70.	आर एस एल	4584	,,	लतीफ मोहम्मद	3-4-78	जयपुर-सिकन्दरा	,,
71.	आर एस एल	3767	,,	मो० यासीन	3-4-78	जयपुर-चौमू	,,
72.	आर एस आर	1848	,,	निसार अहमद	7-4-78	जयपुर-कुचामन	,,
73.	आर जे ई	925	,,	निसार अहमद	31-3 78	चुरू-सरदारशहर	सरदारशहर
74.	आर एस जी	2351	,,	भागचन्द टांक	1-4-78	उदयपुर-जयपुर	उदयपुर
75.	आर आर जी	3321	,,	किशनसिंह	11-4-78	उदयपुर-जयपुर	,,
76.	आर एस जी	9651	,,	मांगीलाल यादव	5-5-78	उदयपुर-जयपुर	,,
77.	आर आर जी	3875	,,	अशोक कुमार	9-5-78	उदयपुर-जयपुर	,,
78.	आर एस जी	2814	,,	कृष्णवेनीवाल	28-3-78	बीकानेर-जयपुर	बीकानेर
79.	आर आर जी	2348	,,	आर० के० जैन	21-2-78	बीकानेर-जयपुर	,,
80.	आर आर जी	2355	,,	आर० के० जैन	21-2-78	बीकानेर-जयपुर	,,
81.	आर एस जी	2469	,,	मोहम्मद यासीन	5-10-77	बीकानेर-जयपुर	,,
82.	आर एस जी	2511	,,	एस० बी० माधाणी	31-1-78	बीकानेर-जयपुर	,,
83.	आर आर एम	9951	,,	शंकरप्रसाद	26-4-78	बीकानेर-जयपुर	,,
84.	आर आर जी	2353	,,	खेमचन्द	3-4-78	अलवर-कोटा	अलवर
85.	आर आर जी	463	,,	गुलाबचन्द जैन	22-11-77	अलवर-कोटा	,,
86.	आर एस एल	639	,,	महेशदत्त शर्मा	13-12-77	अजमेर-जोधपुर	अजमेर
87.	आर एस जेड	2151	,,	महेशदत्त शर्मा	1-2-78	अजमेर-जोधपुर	,,
88.	आर आर जी	3765	,,	हरभजनसिंह	1-5-78	बांसवाड़ा-जयपुर	बांसवाड़ा
89.	आर आर एम	9943	,,	भोजमल	20-3-78	झालावाड-जयपुर	झालावाड
90.	आर आर एम	9927	,,	सतपालसिंह	30-6-78	बीकानेर-जयपुर	बीकानेर

91.	आर आर एल	6683	श्री भागसिंह	28-3-78	जयपुर-चौमू	उपनगरीय
92.	आर एस एल	3767	,, मो० यासीन	3-4-78	जयपुर-केकड़ी	,,
93.	आर एस एम	6605	,, भंवरलाल अग्रवाल	9-9-77	जयपुर-केकडी	,,
94.	आर आर एल	2111	,, भगवती देवी	30-10-77	जयपुर-चाकसू	,,
95.	आर आर एम	9174	,, राधेश्याम	12-6-78	जयपुर-पदमपुर	,,
96.	आर आर एल	3511	,, मोहम्मद अयूब	19-5-77	जयपुर-बदरू-दौसा	,,
97.	आर आर एल	8644	,, हरनामसिंह	9-9-77		,,
98.	आर आर एम	9165	,, विमलादेवी	8-12-78	जयपुर-केकडी	,,
99.	आर आर एम	4678	श्री महबूब खां	22-1-79	जयपुर-चाक्सू	उपनगरीय
100.	आर ई ऐक्स	515	,, मोहम्मद गफूर	26-12-78	जयपुर-केकड़ी	,,
101.	आर जे एल	7715	,, सईद अहमद	2-1-79	जयपुर-चोमू	,,
102.	आर आर क्यू	2959	,, भगवान सहाय	21-2-79	जयपुर-केकड़ी	,,
103.	आर एस एम	751	,, एस डी अग्रवाल	26-2-79	जयपुर-गोनेर	,,
104.	आर जे आई	922	,, आलमशेर	9-3-79	जयपुर-केकड़ी	,,
105.	आर जे ए	2871	,, पाल मोहम्मद	19-4-79	जयपुर-ताला-भानपुर	,,
106.	आर आर एल	575	, नन्द लाल	25-4-79	जयपुर-वगरु	
107.	आर आर एल	648	,, रामेश्वर प्रशाद	18-5-79	जयपुर-तुंगा	,,
108.	आर आर एल	6173	,, हाजीरा मजान	18-5-79	जयपुर-वगरू	,,
109.	आर एस एल	4584	,, नारायण गुप्ता	31-5-79	जयपुर-तुंगा	,,
110.	आर एल बी	1244	,, चन्द्रप्रकाश	31-5-79	जयपुर-केकड़ी	,,

1	2		3	4	5	6
111.	आर आर एल	5077	श्री मदनलाल अग्रवाल	6-7-79	जयपुर-केकड़ी	उप नगरीय
112.	आर आर एल	2445	,, एस. भागसिंह	26-7-79	जयपुर-बगरु	,,
113.	आर जे एल	9551	,, सतपालसिंह	3-8-79	जयपुर-पदमपुरा	,,
114.	आर एस जी	2252	,, सतपालसिंह	4-8-79	जयपुर-चौमू	,,
115.	आर आर एल	2111	,, भगवती देवी	29-8-79	जयपुर-केकड़ी	,,
116.	आर एस जी	2269	,, मो0 यासीन	13-2-79	जयपुर-बगरु	,,
117.	आर एस बी	1436	,, भिनरीलाल	4-6-79	जयपुर-महुआ	,,
118.	आर एस जी	40	,, भोलासिंह	15-9-79	जयपुर-बगरु	,,
119.	आर एस बी	2982	,, सीताराम	24-9-79	जयपुर-चौमू	,,
120.	आर एस एल	5077	,, बाबूलाल	24-9-79	जयपुर-केकडी	,,
121.	आर एस बी	1438	,, राधेरामचन्द्र	4-6-79	जयपुर-चाक्सू	,,
122.	आर आर जी	3635	,, बनवारीलाल	1-9-79	जयपुर-चाक्सू	,,
123.	आर जे वाई	922	,, आलमशेर	20-11-79	जयपुर-केकडी	,,
124.	आर एस बी	1489	श्रीमती उर्मिलादेवी	11-6-79	जयपुर-महुआ	,,
125.	आर एस एन	656	श्री	7-4-79	अलवर-तिजा ।	,,
126.	आर जे ए	4083	,, प्रकाशचन्द्रजेन		अलवर-मुबारिकपुर	अलवर
127.	आर जे ए	205	,, सोमनाथ	30-9-79	अलवर-भरतपुर	,,
128.	आर एस बी	2388	,, नरेशकुमार भार्गव	26-7-79	अलवर-जयपुर	,,
129.	आर आर आर	5907	,, राधेश्याम अग्रवाल	2-8-79	अलवर-जयपुर	,,
130.	आर एस बी	1478	,, अब्दुल सलाम	4-10-79	अलवर-जयपुर	,,
131.	आर जे एफ	9507	,, मदनलाल	30-11-79	अलवर-जयपुर-मुबारिकपुर	,,
132.	आर एस बी	3156	,, भागचन्द	7-12-79	अलवर-जयपुर	,,

133.	आर आर जी	2821	श्री विश्वनाथ	19-12-78	जयपुर-मन्डोवा	जयपुर
134.	आर आर जी	5367	,, सतेन्द्रकुमार जैन	9-8-78	जयपुर-करोली	,,
135.	आर आर एम	9051	,, शोभराज	23-7-79	जयपुर-अजमेर	,,
136.	आर आर जी	8018	,, मनमोहनसिंह	14-12-79	जयपुर-अजमेर	,,
137.	आर जे पी	2031	,, प्यारेलाल	14-12-78	जयपुर-कुदन	,,
138.	आर आर जी	8074	,, गुलाबचन्द	21-12-78	जयपुर-अलवर	,,
139.	आर आर जी	5172	,, सुरेन्द्रकुमार	21-2-79	जयपुर दोसा	,,
140.	आर एस बी	1217	,, रतनसिंह	24-5-79	जयपुर-बयाना	,,
141.	आर एस बी	945	,, एस. के. वासोतिया	8-5-79	जयपुर-महुआ	,,
142.	आर एस बी	2016	,, गजराज जैन	5-7-79	जयपुर-नोखा	,,
143.	आर एस बी	2036	,, सीताराम	16-7-79	जयपुर-नोखा	,,
144.	आर एस बी	2153	,, रामस्वरूप चौधरी	17-7-79	जयपुर-चुरू	,,
145.	आर एस बी	2205	,, गोपाल ट्रान्सपोर्ट	20-7-79	जयपुर-अलवर	,,
146.	आर एस बी	2106	,, लादुराम मीना	9-7-79	जयपुर-बीकानेर	,,
147.	आर एस बी	2110	,, जयरामदास	26-7-79	जयपुर-अलवर	,,
148.	आर आर जी	3875	,, अशोककुमार जैन	11-5-78	जयपुर-दोसा	,,
149.	आर एस बी	2991	,, जे. के. जैन	30-8-79	जयपुर-बीकानेर	,,
150.	आर एस बी	2973	,, हफीजमोहम्मद	11-9-79	जयपुर-बयाना	,,
151.	आर एस बी	2421	,, गोपाल ट्रांसपोर्ट	5-10-79	जयपुर-मकराना	,,
152.	आर एस बी	4437	,, विनोद मल्होत्रा	30-11-79	जयपुर-बनस्थली	,,

1	2	3	4	5	6
153.	आर एस बी 3945	श्री एस. के. वासोतिया	2-11-79	जयपुर-लाडनू	जयपुर
154.	आर आर एम 9215	,, माधोलाल	14-12-79	जयपुर-दोसा	,,
155.	आर आर एम 8586	,, गजानन्द अग्रवाल	17-12-79	जयपुर-चोमू	,,
156.	आर एस बी 2396	,, जगतसिह	20-7-79	जयपुर-अलवर	,,
157.	आर आर जी 3882	,, राधाकिशन	30-9-79	जयपुर-भरतपुर	भरतपुर
158.	आर एस डी 551	,, रामचरण मुस्साया	5-11-79	जयपुर-भरतपुर	,,
159.	आर एस बी 4427	,, नारायणलाल	26-11-79	जयपुर-भरतपुर	,,
160.	आर एस बी 3103	,, गोविन्द नारायण	22-11-79	जयपुर-भरतपुर	,,
161.	आर एस बी 1374	,, अम्बिका प्रशाद	2-6-79	जयपुर-झुन्झुनू	,,
162.	आर आर जी 1711	,, नाहरसिह	21-6-78	टोंक-जयपुर	टोंक
163.	आर एस बी 2021	,, सलीममोहम्मद	10-7-79	टोंक-जयपुर	,,
164.	आर एस बी 2775	,, दानमल जैन	1-9-79	टोंक-जयपुर	,,
165.	आर एस बी 2973	,, अफीजमोहम्मद	1-9-79	टोंक-जयपुर	,,
166.	आर जे बी 1251	,, गोविन्दराम	12-12-78	सीकर-बीदासर	सीकर
167.	आर जे बी 1171	,, गोविन्दराम	12-12-78	सुजानगढ़-सीकर	,,
168.	आर जे बी 3521	,, शान्तिलाल जैन	2-4-79	सीकर-जयपुर	,,
169.	आर एस बी 1956	,, शिवजीराम	23-7-79	सीकर-जयपुर	,,
170.	आर एस बी 3768	,, मो. रफीक	18-10-79	सीकर-जयपुर	,,
171.	आर जे बी 3123	,, रानिवरस	11-12-79	सीकर-जयपुर	,,
172.	आर एस बी 4751	,, कमलकिशोर	27-12-79	सीकर-जयपुर	,,
173.	आर एस बी 1251	,, राजेन्द्रकुमार	6-8-79	जयपुर-पिलानी	दुतग्रामी
174.	आर एस बी 2512	,, एस. अग्रवाल	6-8-79	जयपुर-उदयपुर	,,

175.	आर आर जी	3837	श्री	चिमनलाल	12-10-79	जयपुर-उदयपुर	द्रुतगामी
176.	आर एस बी	4151	,,	शिवनारायण	31-10-79	जयपुर-जोधपुर	,,
177.	आर जे एफ	8695	,,	के. एल. जैन	6-12-79	जयपुर-जोधपुर	,,
178.	आर एस बी	1596	,,	सरफराजदीन	23-7-79	जयपुर-बीकानेर	बीकानेर
179.	आर एस बी	1585	,,	इमाममुद्दीन	23-7-79	जयपुर-बीकानेर	,,
180.	आर आर के	9011	,,	मोहनलाल	14-11-79	बीकानेर-गंगानगर	,,
181.	आर एस बी	1437	,,	प्रेमनारायण	4-6-79	जोधपुर-जयपुर	जोधपुर-आगारा
182.	आर एस एन	3778	,,	अशोककुमार	21-11-79	जोधपुर-उदयपुर	,,
183.	आर एस बी	4418	,,	बाबूलाल	29-11-79	जोधपुर-जयपुर	,,
184.	आर आर जी	6821	,,	सूरजनारायण	10-8-79	जोधपुर-जयपुर	,,
185.	आर एस बी	2667	,,	दिनेशकुमार	10-8-79	जोधपुर-जयपुर	,,
186.	आर एस एम	9167	,,	धनजी मिस्त्री	3-4-79	बांसवाड़ा-जयपुर	बांसवाड़ा
187.	आर जे एस	9767	,,	बृजमोहन	6-10-79	बांसवाड़ा-जयपुर	,,
188.	आर एस बी	1464	,,	रामचन्द्र	6-6-79	जयपुर-खेतडी	खेतडी
189.	आर एस बी	236	,,	विजेशकुमार	11-4-79	जयपुर-खेतडी	,,
190.	आर एस बी	2755	,,	वीरबल अशोककुमार	3-7-79	जयपुर-खेतडी	,,
191.	आर एस बी	4479	,,	सुडमल अग्रवाल	14-12-79	जयपुर-खेतडी	,,
192.	आर एस बी	4488	,,	बनवारीलाल	20-12-79	जयपुर-खेतडी	,,
193.	आर आर जी	9842	,,	मनोहरलाल	19-3-79	कोटपुतली-जयपुर	कोटपुतली
194.	आर एस बी	2997	,,	गोपाल ट्रांसपोर्ट	12-9-79	कोटपुतली-जयपुर	,,

1	2		3	4	5	6
195.	आर आर के	4967	श्री सन्तोषसिंह	22-8-79	गंगानगर-सूरतगढ़	गंगानगर
196.	आर आर के	7957	,, भागीरथ	25-7-79	गंगानगर-पेडसाना	,,
197.	आर आर के	8177	,, बनवारीलाल	10-8-79	गंगानगर-सूरतगढ़	,,
198.	आर आर के	8178	,, दलवीरसिंह	10-8-79	गंगानगर-सूरतगढ़	,,
199.	आर आर के	8055	,, एस. पी माघो	10-8-79	गंगानगर-सूरतगढ़	,,
200.	आर आर के	8215	,, देवीलाल चौधरी	18-8-77	गंगानगर-सूरतगढ़	,,
201.	आर आर के	8195	,, किशोरलाल	13-8-79	गंगानगर-वेडसाना	,,
202.	आर आर के	8653	,, राजेन्द्रसिंह	9-10-79	गंगानगर-सूरतगढ़	,,
203.	आर आस जेड	4278	,, खुसालदास	16-7-79	अजमेर-जयपुर	अजमेर
204	आर एस बी	1455	,, इन्द्रागिता	23-7-79	अजमेर-जयपुर	,,
205.	आर एस जेड	3267	,, ज्योति प्रकाश	23-7-79	अजमेर-जयपुर	,,
206.	आर एस बी	1247	,, चन्द्रप्रकाश	31-5-79	अजमेर-कोटा	,,
207.	आर एस जेड	4755	,, रामनिवास	29-8-79	जयपुर-अजमेर	सरदार शहर
208.	आर एस जेड	5165	,, अरविन्दगर्ग	12-12-79	अजमेर-महावीरजी	चित्तौड़गढ़
209.	आर जे आई	925	,, सामरमल	25-7-79	सरदारशहर-चुरू	,,
210.	आर एस वी	2658	,, रामदयालशर्मा	10-7-79	चित्तोडगढ़-जयपुर	ब्यावर
211.	आर एस डी	3021	,, प्रतिपालसिंह	3-9-79	चित्तोड-जयपुर	,,
212.	आर एस जेड	4695	,, मोर्डनट्रांसपोर्ट	30-8-79	ब्यावर-जोधपुर	कोटा-बुन्दी
213.	आर जे जी	2439	,, स्वर्ण पाटिया	1-9-79	बुन्दी-उयदपुर-कोटपुतली	,,
214.	आर आर एल	6683	,, मांगसिंह	14-12-79	चांदपोल-हरमाडा	नगरवाहन सेवा
215.	आर आर एल	2445	,, एस. भार्गसिंह	14-12-79	चांदपोल-हरमाडा	,,
216.	आर आर एल	8646	,, जगजीतसिंह	14-12-79	चांदपोल-हरमाडा	,,

217.	आर आर एल	6378	श्री हरजीतसिंह	14-12-79	चांदपोल-हरमाडा	नगर वाहन सेवा
218.	आर आर एम	9951	,, शंकरप्रसाद	22-12-79	अजमेरीगेट-सांगानेर	,,
219.	आर एस जी	40	,, भोलासिंह	22-12-79	अजमेरीगेट-सागानेर	,,
220.	आर आर एम	9927	,, बलजीतसिंह	22-12-79	चांदपोल-सिरसी	,,
221.	आर एस जी	2252	,, सतपालसिंह	22-12-79	अजमेरीगेट-सागानेर	,,
222.	आर एस एल	8283	,, हरीनारायण	7-1-78		उपनगरीय
223.	आर आर एम	9174	,, राधेश्याम	12-6-78		,,
224.	आर आर एम	3511	,, मोहमद अयूब	19-5-78		,,
225.	आर आर एम	8661	,, महावीरकुमार	30-9-78		,,
226.	आर आर एन	5990	,, मोहम्मद युसुफ	12-10-77		,,
227.	आर एस जी	1103	,, एम एल अग्रवाल	13-9-77		,,
228.	आर जे ए	511	,, शम्भूसिंह	22-3-79	अलवर-जयपुर	अलवर
229.	आर जे सी	4197	,, टीकमचन्द	3-3-79	अलवर-भरतपुर	,,
230.	आर जे पी	5109	,, लक्ष्मीचन्द	7-5-79	अलवर-झुंझुनु	झुझनू
231.	आर एस एल	3267	,, ज्योति प्रकाश	20-12-78	अजमेर-कोटा	अजनेर

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज तारीख...................1979 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जिसे निगम के नाम से अनुबन्ध पत्र में सम्बोधित किया जावेगा एवं श्री ....पुत्र श्री .... बस मालिक अथवा बस मालिक द्वारा अधिकृत श्री ....पुत्र श्री........................जिसे इस अनुबन्ध पत्र में द्वितीय पक्ष के रूप में सम्बोधित किया जावेगा के बीच पारस्परिक रजामन्दी से अंकित एवं अनुबन्धित किये गये ।

इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार निगम श्री .... पुत्र श्री.......................द्वारा प्रदत्त की गई बस संख्या...................को राजस्थान राज्य के अन्दर अथवा राजस्थान राज्य के बाहर के मार्गों पर यात्रि वाहन के रूप में प्रयोग करने के लिये सक्षम होगा । अनुबन्ध की शर्तें निम्न प्रकार हैं—

1. कि बस मालिक श्री.................पुत्र श्री.......................अनुबन्ध पर दी गई बस में स्वयं की ओर से चालक नियुक्त करेगा तथा इस चालक के पूरे खर्चे जैसे वेतन आदि बस मालिक द्वारा ही देय होंगे । इसके अतिरिक्त बस के संचालन में होने वाले सम्पूर्ण खर्च उदाहरणार्थ डीजल, तेल, मरम्मत, टूट फूट, बीमा, यात्रियों की सुरक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्व आदि बस मालिक द्वारा ही वहन किये जावेंगे ।

2. बस की कम से कम तृतीय पक्षीय बीमा बस मालिक द्वारा ही करवानी होगी ।

3. रोड़ टैक्स बस मालिक द्वारा ही देय होगा ।

4. निगम द्वारा द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की हुई बस के संचालन हेतु परिचालक की नियुक्ति की जावेगी तथा निगम परिचालक यात्रियों को टिकिट जारी करना, किराया वसूल करना, यात्रियों को बस में बैठाने-उतारने, उनका सामान चढ़ाने-उतारने तथा निगम द्वारा निर्धारित बस स्टोप्स पर गाड़ी को रोकने व समय सारणी के अनुसार बस संचालन का कार्य करेगा ।

5. उक्त निगम परिचालक को टिकिट, वे बिल व अन्य स्टेशनरी निगम द्वारा दी जावेगी ।

6. बस के चालक को परिचालक के ऐसे सभी आदेशों का पालन करना होगा जो नियमान्तर्गत संचालन हेतु आवश्यक होते हैं ।

7. बस का चालक हर प्रकार से निगम के आदेशों का अथवा निगम द्वारा नियुक्त अधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा ।

8. द्वितीय पक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह बस को पूर्णतया चालू हालत में रखेगा । बस की सफाई तथा यात्री अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के आधीन निर्धारित श्रेणी की सीटें, सुन्दर और साफ हालत में रखेगा । बस में टूल बाक्स, फर्स्ट एड बाक्स, सिगनल, स्टेपनी व मोटर गाड़ी अधिनियम, तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में वांछित सभी प्रकार के उपकरण बस में रखेगा । इन उपकरणों, सफाई तथा अन्य ऐसे सभी कार्यों पर जो बस को सही हालत में रखने के लिये आवश्यक हैं, सम्पूर्ण खर्चे बस मालिक को ही वहन करने होंगे ।

9. द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध के अनुसार जिस दिन से बस को निगम द्वारा निर्धारित मार्ग पर संचालन हेतु उपलब्ध करवायेगा उस दिन से प्रत्येक माह में सिर्फ चार दिन के लिये सामयिक मरम्मत व अन्य आवश्यक टूट-फूट को ठीक करने के लिये सम्बन्धित आगार प्रबन्धक की राय से मार्ग से हटा सकेगा लेकिन मार्ग से एक वार हटाने पर एक दिन (24 घण्टे) से अधिक बस को अलग नहीं रख सकेगा । दूसरे शब्दों में मरम्मत आदि के लिये बस चलाये जाने के बाद 24 घन्टे के अन्दर वापिस मार्ग पर संचालन हेतु उपलब्ध करवानी होगी ।

10. बस मालिक को सामयिक मरम्मत आदि के लिये दिन पूर्व में ही निर्धारित करने होंगे तथा इन दिनों की सूचना सम्बन्धित आगार प्रबन्धक को अनुबन्ध के लागू होने के साथ-साथ देनी होगी । ऐसे निर्धारित दिन पर बस को मरम्मत आदि के लिये हटाने से पूर्व भी सम्बन्धित आगार प्रबन्धक को कम से कम 24 घन्टे पहले सूचित करना होगा ।

11. जिन दिनों में बस संचालन से हटाई जावेगी उन दिनों का किराया निगम द्वरा देय नहीं होगा ।

12. यदि बस महीने में कुल 4 दिन तथा एक बार में एक दिन से अधिक समय के लिये हटाई गई तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह उस बस के स्थान पर किसी अन्य बस से संचालन प्रारंभ करे । ऐसी स्थिति में बस मालिक को प्रतिदिन 200) रु० हर्जाना निगम को देना होगा ।

13. यदि बस को किसी भारी मरम्मत आदि के लिये एक दिन से अधिक समय के लिये हटानी पड़े और उस सूरत में यदि द्वितीय पक्ष यदि दूसरी बस स्वयं की अथवा अन्य किसी व्यक्ति की, एवज् के रूप में लगाना चाहे तो निगम इस अनुबन्ध की

शर्तों के अनुसार ऐसी बस के संचालन हेतु स्वीकृति देगा। लेकिन किसी भी सूरत में एक साथ 15 दिन से अधिक एवज में दी गई बस स्वीकार्य नहीं होगी। इस अवधि के बाद यदि बस मालिक अनुबन्धित बस को संचालन हेतु निगम को उपलब्ध नहीं करायेगा तो अनुबन्ध द्वितीय पक्ष की कीमत पर रद्द समझा जावेगा।

14. द्वितीय पक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह बस निर्धारित बस स्टेण्ड पर संचालन समय से आधा घण्टा पूर्व प्रस्तुत करें। निगम के अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इस बस की स्वच्छता एवं आवश्यक सामान जो बस में होना चाहिये उसका निरीक्षण कर सकेगा। यदि यह बस प्रस्थान समय से आधा घण्टा पूर्व स्टेण्ड पर नहीं आती है तो बस मालिक प्रति 10 मिनिट विलम्ब के लिये 10.00 रु॰ हर्जाना निगम को देने का भागी होगा।

15. बस मालिक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर नुकसान, हर्जाने व यात्री सुरक्षा सम्बन्धी दायित्वों के लिये जिम्मेदार होगा। दुर्घटना सम्बन्धी कोई दायित्व निगम पर नहीं होगा। यदि किसी न्यायालय द्वारा या किसी आपसी समझौते के जरिये निगम को कोई भुगतान व खर्चा करना पड़ा तो ऐसी धनराशि बस के मालिक से उसके देयकों से कटौती कर निगम वसूल कर सकेगा।

16. द्वितीय पक्ष दुर्घटनाग्रस्त वाहन को बिना निगम की पूर्व अनुमति के स्थानान्तरित/हस्तान्तरित अथवा बेचान नहीं कर सकेगा।

17. बस का मालिक वाहन सम्बन्धी कागजातों की कमी व चालक सम्बन्धी समस्त दोषों के कारण सभी प्रकार के मुकद्दमों के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा। परिचालक के दोषों अथवा अधिक यात्रियों के ले जाने के अपराध के लिये बस मालिक जिम्मेदार नहीं होगा।

18. निगम अनुबन्धित बस से औसत 225 किलोमीटर प्रतिदिन एक सप्ताह के आधार पर यात्रा तय किये जाने की गारन्टी देता है। यह शर्त आगार अथवा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर चले जाने अथवा किसी प्राकृतिक संकट के हो जाने अथवा किसी स्थान पर शान्ति व व्यवस्था में गड़बड़ हो जाने की सूरत में लागू नहीं समझी जावेगी।

19. द्वितीय पक्ष की बस निगम द्वारा आवंटित मार्ग अथवा शिड्यूल पर ही चल सकेगी। इसके अतिरिक्त इस बस का प्रयोग बस मालिक मरम्मत आदि के अतिरिक्त कहीं नहीं कर सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्धित बस का उपयोग निगम कार्य के अतिरिक्त किया गया तो निगम को अधिकार होगा कि वह बिना सूचना दिये अनुबन्ध निरस्त करदे तथा द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्ट घोषित करदे।

20. निगम द्वारा अनुवन्ध पर ली गई वस का प्रतिदिन प्रति किलोमीटर किराया.... .... देय होगा ।

21. यात्री कर भुगतान करने की जिम्मेदारी निगम की होगी । किराया की राशि का भुगतान वस को संचालन पर देने के 15 दिन वाद हर पखवाड़े किया जावेगा । यदि हर पखवाड़े के समाप्त होने के एक सप्ताह में भुगतान होने की सम्भावना न हो तो निगम वस मालिक को कुल देयक का 90% भुगतान कर देगा तथा शेष राशि का भुगतान अगले एक सप्ताह में कर दिया जावेगा । भुगतान अगले एक सप्ताह में कर दिया जावेगा । भुगतान सम्वन्धित आगार प्रवन्धक द्वारा किया जावेगा ।

22 यह अनुवन्ध प्रारम्भ में........अवधि के लिये प्रभावशील होगा । यह अवधि दोनों पक्षों की सहमति से ....अवधि तक वढ़ाई जा सकती हैं ।

23. अनुवन्ध से सम्वन्धित किसी भी पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह एक महीने का अग्रिम नोटिस देकर इस अनुवन्ध को निरस्त करदे । अनुवन्ध निरस्त किये जाने का कोई कारण देना आवश्यक नहीं है ।

24 यदि अनुवन्धित वस मार्ग में ब्रेक डाउन हो जाती है तो द्वितीय पक्ष को उस दिन के किराये का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा उस दिन के लिये न्यूनतम गारन्टी की शर्त निगम पर लागू नहीं होगी ।

25. मार्ग में यदि निगम की कोई वस ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो उस वस के यात्रियों को अनुवन्धित वस से भेजने का अधिकार निगम को अथवा उसके कर्मचारी को होगा ।

26. आगार प्रवन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुवन्धित वस के संचालन सम्वन्धी समय सारणी में परिवर्तन कर सकेगा तथा इस सम्वन्ध में ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा ।

27. इस अनुबन्ध पत्र को पंजीबद्ध करवाने, सम्बन्धित स्टाम्प फीस व अन्य सब प्रकार के खर्चे वहन करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी ।

28. यदि अनुवन्धित वस मालिक अथवा वस का चालक किसी भी प्रकार भ्रष्ट कार्यों में लिप्त अथवा सम्वन्धित पाया गया तो अन्य कानूनी कार्यवाही के साथ-साथ निगम बिना सूचना दिये अनुवन्ध निरस्त कर सकेगा ।

29. आयकर सम्वन्धी नियमों के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाली किराये की राशि में से निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आयकर सम्बंधित आगार प्रवन्धक द्वारा किराये का भुगतान करते समय काटा जावेगा । यदि द्वितीय पक्ष सम्ब-

न्धित आयकर अधिकारी से आयकर न काटने के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे तो ऐसे निजी वाहन मालिकों से आगार प्रबन्धक आयकर नहीं काटेगा।

30. द्वितीय पक्ष को बस संचालन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व बस के सामने के हिस्से को निगम द्वारा निर्धारित रंग व डिजाइन से रंगना होगा तथा बस के तीनों तरफ निम्न प्रकार अंकित करना होगा :–

"राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबन्धित" – इसके अतिरिक्त बस की बाई दिशा में आगार का नाम, मार्ग का नाम व परिचक्र की समय सारिणी भी लिखवानी होगी। इस पर होने वाला व्यय द्वितीय पक्ष को ही वहन करना होगा।

31. यदि निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली जाने वाली बसों के किराये की दर में परिवर्तन (कमी--बेशी) किया गया तो यह परिवर्तन निश्चित तारीख से ऐसी श्रेणी की समस्त बसों के लिये लागू समझा जावेगा।

32. अनुबन्धित बस के साथ हेल्पर को तभी चलने दिया जावेगा जब कि वह आगार प्रबन्धक से नियमानुसार पोर्टर का लाइसन्स प्राप्त करले। ऐसे हैल्पर को पोर्टर के सभी कार्य करने होंगे परन्तु ऐसे हैल्पर को परिचालक का कार्य करने व यात्रियों से पैसे इकट्ठे करने का अधिकार नहीं होगा।

33. द्वितीय पक्ष बस में पर्याप्त मात्रा में डीजल, तेल व अन्य सामान रखेगा। यदि डीजल व तेल की सामान्य कमी हो तथा द्वितीय पक्ष किसी भी सम्भव प्रयास से निर्धारित मात्रा में डीजल व तेल प्राप्त नहीं कर सकता हो तो निगम यथा सम्भव अनुबन्धित बस के लिये वांछितमात्रा में डीजल व तेल उपलब्ध करायेगा। इस प्रकार उपलब्ध करवाये गये डीजल व तेल की कीमत बाजार की दर से द्वितीय पक्ष के देयकों से ली जा सकेगी।

34. अनुबन्धित बस की परमिट फीस निगम द्वारा देय होगी।

35. यदि द्वितीय पक्ष अनुबन्धित बस को भारी मरम्मत के लिये एक दिन से अधिक समय के लिये मार्ग से हटाना चाहे तो उसे सम्बन्धित आगार प्रबन्धक को कम से कम से कम दो दिन पूर्व नोटिस देना होगा। बस को हटाने के बाद उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत लिखित शर्तें लागू होगी।

36. निगम द्वारा जारी किये जाने वाले सभी प्रकार के नोटिस, दस्तावेज़ात तथा अन्य की जाने वाली कार्यवाही प्रधान प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अथवा निगम के अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी।

37. द्वितीय पक्ष पर जारी किये जाने वाले नोटिसों की तामिल पूर्ण समझी जावेगी यदि ऐसा नोटिस अनुबन्धित बस के चालक अथवा मालिक को दे दिये जावें

अथवा रजिस्ट्री के जरिये बस के मालिक अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पते पर जो निगम कार्यालय में उपलब्ध हो भेज दिया जावे।

38. द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये नोटिसों की तामील निगम पर पूर्ण समझी जावेगी यदि नोटिस की रसीद निगम के कार्यालय से जारी करदी जाती है अथवा प्रधान प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को रजिस्ट्री के जरिये नोटिस भेज दिया जाता है।

39. इस अनुबन्धित सभी प्रकार के विवाद अथवा अन्य समस्याएं जब भी कभी उत्पन्न हों तो ऐसे विवाद निगम के अध्यक्ष के समक्ष रखे जावेंगे तथा अध्यक्ष का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

40. इस अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी विवाद को लेकर कोई भी पक्ष सिर्फ जयपुर में ही न्यायालय के अन्दर दावा कर सकेगा।

41. उपरोक्त अनुबंध में अंकित प्रावधानों व शर्तों को स्वीकृत मानते हुए दोनों पक्ष आज तारीख माह 198 को हस्ताक्षर अंकित करते हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

बस मालिक

गवाह 1 :—

गवाह 2 :—

संशोधन अनुबन्ध पत्र

शर्त संख्या-13

"यदि बस को भारी मरम्मत आदि के लिये एक दिन से अधिक समय के लिये हटानी पड़े तो उसमें द्वितीय पक्ष दूसरी बस स्वयं की अथवा अन्य व्यक्ति की, चार दिन के अन्दर-अन्दर एवज के रूप में लगायेगा। ऐसी बस के संचालन हेतु निगम स्वीकृति देगी, लेकिन किसी भी सूरत में एक साथ 15 दिन से अधिक एवज में स्वीकृति नहीं देगा। इस अवधि के बाद अनुबन्धित बस को संचालन के लिये उपलब्ध नहीं करायेगा तो द्वितीय पक्ष की कीमत पर अनुबन्ध रद्द समझा जावेगा।

(183)

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 152 की सूची

वर्ष 1979-80 में उदयपुर वन मण्डल में निम्न विकास कार्य चलाये गये

मद	नाम कार्य	नाम रेंज
1	2	3
313-वन (च) (,) (राज्य योजना)	1. वाडी,	हल्दीघाटी, उदयपुर
	2. अरनिया वगड	बांसी
	3. उमर कोटा	बांसी
	4. कागवास	कोटड़ा
	5. चौराई	खेरवाड़ा
	6. बम्बोरा	कुराबड़
	7. नाराणी	झाडोल
	8. भूरी ढवर	कोटड़ा
	9. वोरिया	धरियावद
313-वन (चे) ( ) कार्य के बदले अनाज योजना कार्यक्रम (केन्द्रीय पर्वतीय योजना)	1. वीरमाल	उदयपुर
	2. सिहाड़	धरियावद
	3. उमरकोटा	बांसी
	4. कूकड़ा	सलुम्बर
	5. गनधर	उदयपुर
	6. खोखरिया की नाल	कोटड़ा
	7. नाल खाण्डोत	झाडोल
	8. शीशा मगरा	परसाद
	9. झांझरी	खेरवाड़ा
	10. झुझावर	सादड़ी (मारवाड़)
313-वन (II) अन्य वृक्षारोपण योजना (शेल्टर वेल्ट प्लान्टेशन)	1. उदयपुर	उदयपुर
313-वन (ढ) राज्य योजना	1. सलुम्बर	सलुम्बर
	2. परेड़ा	खेरवाड़ा
313-वन ( ) अन्य वृक्षारोपण योजना शेल्टर बेल्ट रोड साइड प्लान्टेशन	1. उदयपुर	उदयपुर

1	2	3
313 वन ( ) अन्य वृक्षारोपण स्टोन-वाल फेंसिंग एवं पौधों का उत्पादन	1. चितरीमाता	बांसी
	2. दास का गुडा	धरियावद
	3. कूकडा	सलुम्बर
	4. उमर कोटा	बांसी
313-वन (ढ)	1. गमधर	उदयपुर
	2. खोखरीया की नाल	कोटडा
	3. अडवास	पानरवा
	4. नाल साड़ोल	झाडोल
	5. शीशा मगरा	परशाद
	6. सलुम्बर	सलुम्वर
	7. मण्डूरा II	धरियावद
	8. झांझरी	खेरवाड़ा
	9. झुझावर	सादड़ी (मारवाड़)
	10. सिहाड	धरियावद
	11. सलुम्वंर चौकी निर्माण	सलुम्वर
313-वन (ढ) ( )	1. पारसोला	धरियावद
	2. मण्डूर	धरियावद
	3. खरपीना	परसाद
313-वन (ढ) रोड साइड प्लान्टेशन शेल्टर बैल्ट स्कीम राज्य योजना	1. उदयपुर	उदयपुर
313-वन (घ) ( )	1. गोगुन्दा	गोगुन्दा
	2. कुम्भलगढ	कुम्भलगढ
313-वन वन विभाग के माध्यम से (1) अन्य वृक्षारोपण योजना 6. अनुरक्षण	1. हल्दी घाटी	उदयपुर
	2. नीमचमाता	उदयपुर
	3. सेगरा	उदयपुर
	4. खोखरिया की नील	कोटड़ा
	5. मेरपुर	कोटड़ा
	6. मूरी ढेवर	पानरवा

Page No. 185

185

1	2	3
	7. पराई I	परशाद
	8. पराई II	परशाद
	9. चितावर्ला	सलुम्बर
	10. छाणी	खेरवाड़ा
	11. चौराई	खेरवाड़ा
	12. कमलनाथ II	झाडोल
	13. टिमडी	झाडोल
	14. बांसडा	गोगुन्दा
	15. वगुडुन्वा	गोगुन्दा
	16. पलवा घाटी	गोगुन्दा
	17. भादवी गुढा	गोगुन्दा

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास, बाल कल्याण केन्द्र अथवा शिशु कल्याण केन्द्रों की सूची

1. **छात्रावास**

विभाग द्वारा 3 प्रकार के छात्रावास चलाये जा रहे हैं :—

(I) राजकीय छात्रावास जिन्हें प्रथम श्रेणी छात्रावास कहा जाता है तथा जिनकी संख्या 160 है।

(II) अनुदानित छात्रावास जो स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं जिनके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है जिन्हें द्वितीय श्रेणी छात्रावास कहा जाता है, जिसकी संख्या 130 है।

(III) तृतीय श्रेणी छात्रावास जिनमें केवल आवास, नल, बिजली, अंशकालीन वार्डर व रसोइये की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा रसोई के व खाने के बर्तन उपलब्ध कराये जाते हैं इनकी संख्या 76 है।

2. **शिशु कल्याण केन्द्र**

राज्य में अनुसूचित जाति, जन जाति की कामकाजी महिलाओं के बच्चों की कामकाज के समय देखरेख के लिये जयपुर में 2, अजमेर में 1 तथा कोटा में 1 पालना गृह चलाये जाते हैं। जहां एक नर्स व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा बालकों की देखरेख की जाती है तथा उन्हें उनकी उम्र अनुसार दूध तथा बिस्कुट्स या दलिया खिचड़ी का पोष्टिक आहार दिया जाता है जिस पर प्रति बालक प्रति दिन एक रुपया व्यय होता है।

3. **बाल गृह**

असहाय अनाथ बालक बालिकाओं के लिये जयपुर व बीकानेर में 1-1 बाल गृह चलाये जाते हैं जिसमें बालकों के रहन सहन का सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4. **शिशु गृह**

कुंआरी माताओं के शिशुओं अथवा अन्य प्रकार के असहाय एवं अनाथ शिशुओं के लिये जयपुर तथा जोधपुर में 1-1 शिशु गृह चलाया जाता है जिसे फोन्डलिंग होम कहा जाता है। शिशु गृह में अधिकांश बालक बालिकाएं बीमारी की हालत की होती हैं और उन पर 100 रु. प्रति माह प्रति बालक व्यय आता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बालकों तथा शिशुओं के कल्याण के लिये बाल अधिनियम के अन्तर्गत जो वर्तमान जयपुर, कोटा, जोधपुर तथा उदयपुर में लागू किया हुआ है निम्न संस्थाएं अपचारी तथा अपेक्षित बालकों के लिये चलाई जा रही है :—

(1) सम्प्रेक्षण गृह – जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर तथा उदयपुर में एक एक गृह है।

(2) बालक गृह – जयपुर तथा जोधपुर में एक-एक गृह है।

5. **विशेष विद्यालय**

जयपुर में एक बालक अधिनियम के अन्तर्गत चलाये जाने वाले गृह के आवासियों के रहन सहन, भोजन, वस्त्र आदि का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है जो आवासी की उम्र के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है।

———

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची

वर्ष 1979-80 में बाघ परियोजना सवाई माधोपुर पर व्यय का विस्तृत ब्योरा

क्रमांक	लेखा मद	वर्ष 1979-80 का कुल व्यय
1	2	3
I.	केपिटल व्यय (अ) केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत व्यय (50 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा)	
1.	भवन	80007-40
2.	पथ	9968-05
3.	साज सामान	12081-10
4.	जल सुविधाएं	26051-88
5.	गावों को अन्यत्र बसाना	1171-40
6.	विविध व्यय	–
		129279-83
II.	आवर्तक	
1.	स्थापना	301651-75
2.	पशु मालिकों को मुआवजा	–
3.	भवनों का रख-रखाव	83059-09
4.	सड़कों का रख-रखाव	42254-25
5.	दूर संचार का रख-रखाव	5027-56
6.	जल सुविधा सम्बन्धी रख-रखाव कार्यक्रम	–
7.	प्रचार	10316-53
8.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	29759-92
9.	वाहनों का रख-रखाव	74667-32
10.	नगद पुरस्कार	–
11.	विविध व्यय	4938-41

(189)

1	2	3
12.	किराया	-
13.	एपरोच रोड्स की बाड़	1616-60
14.	सुरक्षा	6885-25
15.	प्राकृतिक वास स्थान विकास	3229-87
16.	पशु चिकित्सा	11562-40
	योग	704248·78
	(ब) राज्य आयोजना से अतिरिक्त व्यय	1,11,100-00
	(स) आयोजना भिन्न मद में व्यय	4,55,645-00
	महायोग	12,70,993-78

'190'

परिशिष्ट 13

तारांकित प्रश्न संख्या 158 का आदेश

कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प० क०) प्रथम, जयपुर

क्रमांक: प० क०/संस्था/79/672 दिनांक 13-8-79

कार्यालय आदेश

श्री हरिसिंह मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ट लिपिक के रिक्त पद पर शिशु कल्याण केन्द्र, प्रागपुरा (जयपुर) में उनकी उपस्थिति देने की तिथि से तीन माह अध्यापक के रूप से वेतन श्रृंखला 355-10-415-15-535-20-570 में एक अन्य भत्ते से नियमानुसार देय हैं पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री हरिसिंह मीणा अग्रिम आदेश होने तक इस कार्यालय में कार्य करेंगे।

ह०/–

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)
प्रथम, जयपुर।

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूची

बागड़ अस्पताल पाली में डाक्टरों के विरुद्ध की गई शिकायतों की तालिका

क्र० सं०	डॉक्टर का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत का कारण	शिकायत पद विचाराधीन	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	डा० तपन बनर्जी	श्री भंवरलाल दय्या मिल एरिया पाली का गलत उपचार करने के बारे में।	12-7-71	डा० पतन बनर्जी के विरुद्ध परिवाद की जांच हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी/सीए एस प्रपत्र/ 79/ 1133 दिनांक 24-9-79 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-अधिकारी, पाली को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
2	डा० सुधा गहलोत	ड्युटी समय पर काम करने पर भी मरीज का टेस्ट नहीं करना।	30-4-80	डा० सुधा गहलोत के विरुद्ध परिवाद की जांच निदेशालय के आदेश क्रमांक सी.वी./सी ए एस/प्रारूप/स/615 दिनांक 25-5-80 के द्वारा मुख्य

Page No. 192

(192)

				चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। इनका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।
3	डा० पी० एस० शर्मा	भ्रष्टाचार के आरोप	16-6-80	
4	डा० पी० एम० माथुर	श्री उदय गहलोत		क्षेत्रिय उप निदेशक डाक्टर को प्राथमिक जांच के आदेश दिये गये है।
5	डा० आर० के० शर्मा	की पत्नी की प्रसव	19-6-80	
6	डा० श्रीमती दया शर्मा	काल में मृत्यु होना		

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 164 की सूची

पाली जिले में रेन्ज वार वन क्षेत्र की सारणी

क्रमांक	नाम रेन्ज	वन का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	सादड़ी (बाली समेत)	47,370
(2)	देसूरी (भिजवा समेत)	26,076
(3)	दिजा जी का गुड़ा	20,008
(4)	सेंदड़ा	9,182
(5)	पाली	1,252
	महायोग	93,888

पाली वन मण्डल में वर्ष 1980-81 में कराये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों की सूची :—

नाम योजना	नाम ग्राम/क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	2	3
(1) सिल्वीपेस्टोरल प्लान्टेशन	(I) जवाली	50 है०
	(II) रूघिया	50 है०
	(III) भखोड़	100 है०
	(IV) गुन्दोज	50 है०
	(V) रोजड़ा	100 है०
(2) ग्रामीण ईंधन व चारागाह विकास	(I) नाणा	12 है०
	(II) भाटून्द	8 है०
	(III) खीवाड़ा	16 है०
	(IV) देवली आऊवा	10 है०
	(V) दूसी	16 है०
	(VI) पोभावा	8 है०
	(VII) बासीया	20 है०
	(VIII) बाकली	10 है०

1	2	3
(3) मिश्रित वृक्षारोपण	(I) भागेसर	150 है०
	(II) नाना	50 है०
(4) सड़कों के किनारे वृक्षारोपण	(I) पाली गुन्दोज रोड़	100 कतार कि.मी.
	(II) पाली जोधपुर रोड़	54 कतार कि. मी.
	(III) नोमाज पृथ्वीपुरा	134 कतार कि. मी.
	(IV) दुजाणा तख्तगढ़	62 कतार कि. मी.

उपरोक्त कार्यों के अलावा फार्म फोरेस्ट्री के तहत 1,00,000 पौधे काश्तकारों द्वारा अपने खेतों इत्यादि में लगाये जावेंगे। ये पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
